खण्ड-06 सत्र -07 (भाग-03) / अंक-86

मंगलवार 06 अगस्त, 2018 / 15 श्रावण, 1940 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

छठी विधान सभा

सातवां सत्र

अधिकृत विवरण

(सत्र-06, सत्र-07 (भाग-03) में अंक 86 से अंक 90 सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन

सचिव

C. VELMURUGAN

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

fo"k; lwph

सत्र-7 भाग (3) सोमवार, 6 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 1940 (शक) अंक-86

Øl-	fo"k;	i"B l-
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1—2
2.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	4—11
2	तारॉकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (प्रश्न संख्या–1, 6, 8 एवं 10 से 13)	11—126
3	तारॉकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (7, 9 एवं 14 से 20)	126—167
4	अतारॉकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (1 से 66, सिवाय प्रश्न संख्या–3 के)	167—453
5	विशेष उल्लेख (नियम–280)	453—488
6.	प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण	489
8.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	488—489
9.	अल्पकालिक चर्चा (नियमः–55) नौकरशाही द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों को कथित रूप से बाधित करने तथा धीमा करने के प्रयास'' पर	490—558

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-7 भाग (2) सोमवार, 06 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 1940 (शक) अंक-86

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूचीः

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री महेन्द्र गोयल
7. श्री रामचंद्र
8. श्री सुखवीर सिंह दलाल
9. श्री ऋतुराज गोविन्द
10. श्री संदीप कुमार
11. श्री रघुविन्द्र शौकीन
12. श्रीमती बंदना कुमारी
13. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
14. श्री राजेश गुप्ता
15. श्री अखिलेश प्रति त्रिपाठी
16. श्री सोमदत्त
17. सुश्री अलका लाम्बा
18. श्री आसिम अहमद खान
19. श्री हजारी लाल चौहान
20. श्री शिव चरण गोयल
21. श्री गिरीश सोनी
22. श्री जरनैल सिंह

23. श्री राजेश ऋषि
24. श्री महेन्द्र यादव
25. श्री आदर्श शास्त्री
26. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
27. सुश्री भावना गौड़
28. श्री सुरेन्द्र सिंह
29. श्री विजेन्द्र गर्ग
30. श्री प्रवीण कुमार
31. श्री मदन लाल
32. श्री सोमनाथ भारती
33. श्रीमती प्रमिला टोकस
34. श्री नरेश यादव
35. श्री अजय दत्त
36. श्री दिनेश मोहनिया
37. श्री सौरभ भारद्वाज
38. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
39. श्री सही राम
40. श्री नारायण दत्त शर्मा
41. श्री अमानतुल्लाह खान
42. श्री राजू धिगान
43. श्री मनोज कुमार
44. श्री नितिन त्यागी
45. श्री ओम प्रकाश शर्मा
46. श्री एस. के. बग्गा
47. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
48. श्रीमती सरिता सिंह
65. मो. इशराक
66. श्री श्रीदत्त शर्मा
67. चौ. फतेह सिंह
68. श्री जगदीश प्रधान
69. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-7 भाग (2) सोमवार, 06 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 1940 (शक) अंक-86

सदन अपराह्न 2.05 बजे समवेत हुआ।

राष्ट्रीय गीत—वन्दे मातरम्

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

माननीय अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यों का सातवें सत्र के तीसरे भाग में हार्दिक स्वागत है।

मैं आशा करता हूँ कि आप शालीनतापूर्वक सदन की कार्यवाही में भाग लेंगे और दिल्ली की जनता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा करते हुए, कार्यवाही के सुचारू रूप से संचालन में मुझे सहयोग देंगे। आज सिक्खों के आठवें गुरु बाला प्रीतम श्री गुरु हरिकिशन साहिब जी का प्रकाश पर्व है। वे मात्र पाँच वर्ष की आयु में सिक्खों के गुरु घोषित कर दिए गए थे लेकिन केवल आठ वर्ष की आयु में ही वर्ष 1664 में बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। अपने निधन से पहले वे नहीं चाहते थें कि कोई शौक मनाए, इसलिए उन्होंने लोगों को गुरुवाणी के भजन गाने को कहा। मैं इस अवसर पर सदन की ओर से सिख समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

सरदार अवतार सिंह कालकाजी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रकाश पर्व पर सबको बधाई देता हूँ। पर इसमें आपने कहा ना कि बीमारी के कारण उनका

देहांत हो गया, ऐसा नहीं है। लोगों के ऊपर दिल्ली के अंदर चेचक की बीमारी फैली हुई थी, उस वक्त वो बीमारी उन्होंने ऊपर ली और वो अपने जीवन का समर्पण कर गए। देहांत नहीं हुआ था, किसी बीमारी के कारण नहीं हुआ था, लोगों की बीमारी अपने ऊपर ली थी।

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल। प्रश्न संख्या–एक।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष : देखिए विजेन्द्र जी, विजेन्द्र जी, मेरी बात सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ओम प्रकाश जी, मेरी बात सुन लीजिए, देखिए मुझे परेशान न करिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हाँ, मुझे आप... आप बहुत दिनों में आए हैं, स्टार्ड क्वेश्चन का वक्त मैंने बार–बार कहा है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, मैं अभी सून लूँगा। देखिए, मैं केवल 280 का, पूरे देश की समस्या यहाँ नहीं उठती।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : बंगलादेशी दिल्ली में...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : विजेन्द्र जी, आप बैठ जाइए, प्लीज। बैठिए, आप बैठिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हम तो दिल्ली की बात कर रहे हैं, चर्चा करवाइये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए विजेन्द्र जी। मैंने एक नियम बनाया है। अल्का जी, मैंने एक नियम बनाया हुआ है, मैं सबसे पहले स्टार्ड क्वेश्चन लूँगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष : साढ़े तीन साल हो गए सदन को चलते हुए, साढ़े तीन साल हो गए हैं। आप बैठ जाइए, प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं वार्निंग दे रहा हूँ, बैठ जाइए। नहीं, मैं वार्निंग दे रहा हूँ, बैठ जाइए। मैं बहुत प्रेम से वार्निंग दे रहा हूँ। मुझे ये... अधिकारियों को आप बचा रहे हैं क्वेश्चन से।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ये स्टार्ड क्वेश्चन से आप अधिकारियों को बचा रहे हैं, अधिकारियों को बचाना चाहते हैं। आपकी नीयत में खोट है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जब भी क्वैश्चंस की बात आती है, आप अधिकारियों को... ये सारा क्वेश्चन का मामला है। आप अधिकारियों को बचाना चाहते हैं। आपकी नियम में खोट है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं चेतावनी दे रहा हूँ बैठ जाइए, जब भी स्टार्ड क्वेश्चन की बात आती है, आप खड़े हो जाते हैं तुरंत,

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : स्टार्ड क्वेश्चन में आप अधिकारियों को बचाते हैं, आप की नीयत में खोट है। आज जब देखते हैं, अधिकारियों को बचाने लगते हैं, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : साढ़े तीन साल से सोए हुए थे, साढ़े तीन साल से सोए हुए थे, बैठ जाइए। मैं वार्निंग दे रहा हूँ, बैठ जाइए। मैं वार्निंग दे रहा हूँ बैठ जाइए। मैं वार्निंग दे रहा हूँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : किस बात की वार्निंग दे रहे हैं?

माननीय अध्यक्ष : अध्यक्ष : बैठ जाइए आप, मैं स्टार्ड क्वैश्चन... बैठ जाइए, मैं वार्निंग दे रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष : आप आदेश नहीं मान रहे हैं। आप बैठ जाइए। मैं विजेन्द्र जी, बहुत मान–सम्मान से, प्रार्थना कर रहा हूँ, कृपया बैठ जाइए। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : न, मैं कोई आश्वासन नहीं दे रहा हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : साढ़े तीन साल में आज याद आ रहा है, अब तक याद नहीं आया आपको।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज याद आ रहा है। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज। मैंने देख लिया है,

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हाँ, मैंने रिजेक्ट कर दिया है। बैठ जाइए, उससे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं विजेन्द्र जी, फिर प्रार्थना कर रहा हूँ, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डरते आप हैं, हम नहीं डरते।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप डरे हुए हैं, बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मार्शल्स। मैं चेतावनी दे रहा हूँ, मार्शल्स, बाहर करिए, प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने नियम बनाया हुआ हैं, स्टार्ड क्वेश्चन में कोई भी बाधा न उत्पन्न हो।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हाँ, कोई बाधा नहीं उत्पन्न होने दूँगा मैं। स्टार्ड क्वेश्चन में मैं कोई बाधा नहीं उत्पन्न होने दूँगा। ये इतने दिनों में सेशन हो रहा होता है। विधायक अपने स्टार्ड क्वेश्चन लगाते हैं स्टार्ड क्वेश्चन लगाते हैं, मेहनत करके आते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मार्शल्स बाहर निकालें, बाहर निकालिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे चेलेंज करते हैं, डर गए हैं आप।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ओमप्रकाश जी, देखिए मेरी बात सुनिए ये स्टार्ड क्वेश्चन जो है, एक घंटा में 15 मिनट खराब कर दिए है आपने।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : विधायकों को... नहीं, पहले ये होगा फिर उसके बाद बात करूँगा। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : न, ऐसे नहीं चलेगा। ये विधायक इतनी मेहनत करके आते हैं, स्टार्ड क्वेश्चन लगाते हैं, उस घंटे को आप खराब करते हैं। मैं बार–बार प्रार्थना कर चुका हूँ कि मैं स्टार्ड क्वेश्चन में कुछ नहीं सुनूँगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं मैं स्टार्ड क्वेश्चन में कुछ नहीं सुनूँगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : किसको? मैं कहा रहा हूँ, बैठ जाइए। ये ही बात है। मैंने कहा बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं कुछ नहीं... बाद में 54 की बात आएगी, तब करूँगा बात। जब 54 की बात आएगी, जब आएगी, जब व्यवस्था दूँगा। बैठिए, अभी आएगी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : देखिए विजेन्द्र जी, कोई बात नहीं, मुझे सदन को चलाना है। ये विधायकों की जो मेहनत है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हाँ कोई बात नहीं। मैं बार–बार प्रार्थना कर रहा हूँ कि...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ये देखिए ओमप्रकाश जी, मैं गलत कर रहा हूँ या ठीक कर रहा हूँ...

...(व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री विजेन्द्र गुप्ता को मार्शल्स द्वारा बलपूर्वक सदन से बाहर निकाला गया।)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनेंगे?

श्री ओम प्रकाश शर्मा : हाँ, सुनाइये।

माननीय अध्यक्ष : मैंने सबसे पहले एजेंडे का... बार–बार प्रार्थना की है माननीय नेता विपक्ष से भी, आप लोगों से भी कि मैं स्टार्ड क्वेश्चंस पहले लूँगा इसके बाद में मैं बात करूँगा। 54 आपने लगाया; क्या करना है, क्या नहीं, मैं उसका निर्णय बाद में दूँगा। नहीं, अभी कोई व्यवस्था नहीं दे रहा हूँ। सुश्री अलका लाम्बा जी। विधायक इतनी मेहनत करके आते

हैं। चलिए, आप अब बैठ जाइए प्लीज। सुश्री अलका लाम्बा जी। प्रश्न संख्या–एक।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सुश्री अलका लाम्बा : धन्यवाद अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न संख्या–एक दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्री जी से है, क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत सरकार/दिल्ली सरकार/दिल्ली नगर निगम की चांदनी चौक, जामा मस्जिद व कश्मीरी गेट क्षेत्र में बिजली, टेलीफोन व निजी केबल की तारों के जाल को हटाने या जमीन के भीतर करने की कोई योजना है;

(ख) वर्ष 2015 से अब तक चांदनी चौक विधान सभा क्षेत्र में किन–किन स्थानों पर बिजली की तारें जमीन के भीतर की गई है, और किस विभाग द्वारा की गई;

(ग) चाँदनी चौक विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न विभागों द्वारा इस उद्देश्य हेतु प्रयोग किए गए फण्ड का विवरण क्या है;

(घ) क्या भारत सरकार/दिल्ली सरकार/दिल्ली नगर निगम की बिजली की तारों के जाल को ठीक करने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या इस उद्देश्य के लिए कोई बजट आबंटित किया गया है; और

(च) यह कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा?

माननीय ऊर्जा मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या—एक के 'क' से लेकर 'च' भाग तक सभी का उत्तर ये हैं:

(क) से (च) ऊर्जा विभाग में इस सम्बन्ध में कोई योजना विचाराधीन नहीं है। यह प्रश्न पी.डब्ल्यू.डी. को भेजा गया था, उनके पास भी ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है और साथ ही साथ बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन था कि पुरानी दिल्ली के अंदर जितने भी केबल्स हैं, तारें सारी गलियों के अन्दर फैली हुई हैं, चारों तरफ हैं। तो इसके अंदर योजना बनाई जा रही थी कि भई इसको सारे को अंडरग्राउण्ड किया जाए। सेन्ट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है; आई.पी.डी.एस. स्कीम कहते हैं जो पूरे देश के अंदर इस तरह के कामों के लिए सहायता प्रदान करती है। दिल्ली के लिए वो मुझे लगता है, अभी तक उन्होंने नहीं किया है। एक दो बारी पहले मंत्री जी से बात हुई थी और केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी भी इसमें कोशिश कर रहे थे, विजय गोयल जी भी थे और परन्तु केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय है, अभी तक उसने इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया। दिल्ली के अंदर ये इसको अंडरग्राउण्ड करने का फैसला अभी तक नहीं हो पाया है।

सुश्री अलका लाम्बा : क्या केंद्र सरकार की तरफ से शाहजाहनाबाद, चाँदनी चौक, जामा मस्जिद इलाकों में इन तारों को अंदर करने का कोई प्रयास या कोई योजना या कोई फण्ड रिलीज किया गया है दिल्ली सरकार को?

माननीय ऊर्जा मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन) : अभी तक दिल्ली सरकार को किसी भी तरह का कोई भी फण्ड रिलीज नहीं किया गया है। हाँ,

बाते पिछले कुछ दो–तीन सालों से चल रही है अभी तक कोई पैसा नहीं दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ।

सुश्री अलका लाम्बा : सर, मेरा अंतिम प्रश्न है कि क्या दिल्ली सरकार पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के साथ मिलकर आने वाले समय पर पुरानी दिल्ली चाँदनी चौक की बिजली की और सारी तारों को अंडरग्राउण्ड करने पर विचार कर रही है?

माननीय ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये संभव नहीं है। पी.डब्ल्यू. डी. के पास चाँदनी चौक का कोई एरिया नहीं है, सिर्फ एक रोड है जो कि लालकिले से फतेहपुर मस्जिद तक है। उसका काम पी.डब्ल्यू.डी. कर रही है और उसकी तारे भी अंडरग्राउण्ड कर रहे हैं। बाकी जितना भी एरिया है सारा एम.सी.डी. के अंडर आता है। उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट वर्क्स हैं, वो एम.सी.डी. के अंदर है। गलिया. बहुत छोटी–छोटी हैं पी.डब्ल्यू. डी. उनमें काम नहीं कर सकता है और पी.डब्ल्यू.डी. के पास ऐसा विचाराधीन भी नहीं है।

सुश्री अलका लाम्बा : क्या यह सच नहीं है कि ऐसा डी.सी. शाहजानाबाद रिडेवलपमैंट कॉरपोरेशन की मीटिंग को जब एल.जी. साहब चेयर कर रहे थे तो ये सारा इलाका एम.सी.डी. से पी.डब्ल्यू.डी. को सौंप दिया गया है, डवलपमैंट के लिए, मैं इस पर जानना चाहूंगी?

माननीय ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ शाहजानाबाद रिडवलपमैंट अथोरिटी को कोई स्टेट्यूटरी पॉवर आज तक नहीं दी गई है। जब शुरू में बात हुई थी तो हमने यह कहा था कि जिस तरह एन.डी.एम.सी. को स्टेच्युयूरी पॉवर दी गई है या तो उसको स्टेट्यूटरी

पॉवर दे दी जाए या इसका कोई लॉजिक नहीं है। बस, एक रोड को ठीक करने में लगे हुए हैं। कुछ पॉलिसीज बनाने में लगे हुए हैं। सारी स्टेट्यूटरी पॉवर एम.सी.डी. के पास है हंडरेड परसेंट अभी भी कोई भी पॉवर ट्रांसफर नहीं हुई है और एल.जी. साहब ने अगर ऐसे कोई निर्णय लिया था तो अभी तक वो कार्यान्वित नहीं हुआ है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या–दो, श्री जरनैल सिंह जी।

श्री जरनैल सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय उप मुख्य मंत्री जी सवाल नम्बर– दो का जवाब देने की कृपा करें किः

(क) वर्ष 2017–18 में ड्रॉ के द्वारा दाखिले हेतु ई.डब्ल्यू.एस. केटेगिरी के अंतर्गत कुल कितने छात्रों के नाम निकाले गए;

(ख) ई.डब्ल्यू.एस. केटेगिरी के अंतर्गत निजी स्कूलों में कितने छात्रों को दाखिला दिया गया तथा कितने छात्रों के दाखिले अभी लम्बित हैं, वर्षवार विवरण दें;

(ग) वर्ष 2017–18 में जिन निजी स्कूलों में दाखिले अभी लम्बित हैं उनका विवरण क्या है;

(घ) क्या विभाग को निजी स्कूलों द्वारा ई.डब्लू.एस. केटेगिरी के अंतर्गत जान–बूझकर दाखिला न करने की शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ङ) क्या विभाग ने इन मामलों को निपटाने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(च) जिन स्कूलों ने जान–बूझकर नॉर्म्स के हिसाब से दाखिले नहीं कराए हैं, उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय उप मुख्य मंत्री (श्री मनीष सिसोदिया) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–दो का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) वर्ष 2017–18 में प्रारम्भ में कुल 31,653 सीटों के लिए पहला ड्रॉ निकालकर कुल 31269 सीटें आबंटित की गई। चूँकि इन आबंटित सीटों में से 10407 सीटें विभिन्न कारणों से खाली रह गई थीं। अतः दूसरा ड्रॉ निकालकर पुनः 6495 सीटों का आबंटन किया गया। इसके बाद भी सीटों के खाली रह जाने के कारण तीसरे ड्रा द्वारा कुल 2057 सीटों का आबंटन किया गया;

(ख) वर्ष 2017–18 में ई.डब्ल्यू.एस./डी.जी. केटेगरी के कुल 25178 छात्रों को दाखिला दिया गया,

435 ई.डब्ल्यू.एस./डी.जी. केटेगरी के लंबित दाखिलों में से 339 छात्रों को वर्ष 2018–19 में सीटें आबंटित की गई। बाकी बचे 96 में से 69 छात्रों की उम्र नर्सरी/के.जी./प्रथम के लिए अधिक पाई गई, 26 छात्रों ने जिन स्कूलों का चयन किया था, उनमें संबंधित कक्षा में रिक्त सीटें नहीं पाई गई तथा 01 छात्र सी.डब्ल्यू.एस.एन. केटेगरी का पाया गया;

(ग) वर्ष 2017–18 की उपरोक्त लम्बित सीटों को सत्र 2018–2019 की सीटों में जोड़ दिया गया, जो निम्नानुसार है :

1. के.जी. कक्षा में नर्सरी कक्षा की 810 सीटें जोड़ी गई।
2. प्रथम कक्षा में के.जी. कक्षा की 1145 सीटें जोड़ी गई।
3. प्रथम कक्षा में प्रथम कक्षा की ही 3835 सीटें जोड़ी गई;

(घ) जी हाँ;

(ङ) जिन स्कूलों में ऐसा पाया गया उनकी संबंधित सीटें सत्र 2018—19 में जोड़ दी गई; और

(च) उपरोक्त 'ङ' के अनुसार।

माननीय अध्यक्ष : सप्लीमेंटरी।

श्री जरनैल सिंह : अध्यक्ष जी, समस्या ये है कि इस साल भी हर साल की तरह बहुत सारे ऐसे केसेज आए जिनका ई.डब्ल्यू.एस. के अंदर ड्रॉ निकला था पर उनके एडमिशन नहीं हो पाए। उसी की कुछ डिटेल मंगाने की कोशिश की है। वैसे एक चीज तो ठीक है कि चलो 25178 लोगों के एडमिशन हुए और एडमिशन इससे कहीं ज्यादा हो सकते थे। बहुत सारे केसेज है जो अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। प्राइवेट स्कूल वाले कर क्या रहे हैं एक सिंपल सा एक्सक्यूज देते हैं, "जी, तीन जनरल एडमिशन आयेंगे तो एक ई.डब्ल्यू.एस. का करेंगे।" ई.डब्ल्यू.एस. वालों को लटकाकर रखते हैं जनरल वालों को श्योरिटी देते थे कि चलो जी, हो गया पर ऑन रिकॉर्ड नहीं लेते। वो बेचारे परेशान हो—होकर कोई उधर चला जाएगा, कोई उधर चला जाएगा पर इन दी एंड जनरल वालों का बाद में एडमिशन हो जाता है, ई.डब्ल्यू.एस. वाले पेंडिंग रहते हैं या फिर मजबूरी कहीं और कराते हैं तो इस पर थोड़ा और सुधार करने की मेरे को गुंजाइश लगती है। इन पर थोड़ा सख्ती से निपटा जाए। अभी भी बहुत सारे केसेज पेंडिंग पड़े हैं।

माननीय उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूँ कि ई.डब्ल्यू.एस. कैटेगरी में काफी गड़बड़ियाँ थी और तीन साल पहले जब हमने इसको ऑनलाइन सिस्टम किया था, उसके पहले

तो बहुत रेंडम बेस पर कोई स्कूल दाखिला देते थे, नहीं देते थे; किसी को रिकॉर्ड ही नहीं था, पता भी नहीं था कि कितने बच्चों के दाखिले हो रहे हैं और बहुत मनमानी थी। तीन साल पहले इसको सेंट्रलाइज करके सारे विद्यालयों से सीटों की संख्या माँगी गई थी। वो पहला प्रयोग था जब ऑनलाइन एडमिशन करके सरकार ने ऑनलाइन एडमिशन करके स्कूलवाइज बच्चों के नाम दिए थे। उसमें कुछ स्कूलों ने सीटों की संख्या किसी कारणवश कम बताई, कुछ ने कन्फ्यूजनवश कम बताई। उसके बाद और जब चीजें आगे निकाली गई तो धीरे–धीरे तीसरे वर्ष में सीटों की जो संख्या है, बढ़कर इतनी पहुँच गई है। अब उसमें और भी कोई कमी होगी, इस पूरी व्यवस्था में तो उसको भी ठीक कर लेंगे। मैं इस बात से सहमत हूँ जो तीन/एक का इश्यू है क्योंकि ये ई.डब्ल्यू.एस. कैटेगरी है इसमें कानून के तहत तीन छात्रों पर एक छात्र लेने का प्रावधान है। उसको लेके कोर्ट के आर्डर्स भी है। इस संबंध में मामला कोर्ट में भी गया था। तो इस पर और क्लेरिटी की जरूरत है। स्कूल्स के साथ बात करके इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा... विल सॉर्ट इट आउट।

श्री जरनैल सिंह : ये 'च' का जवाब कम्प्लीट नहीं है अध्यक्ष जी, उसमें सिर्फ ये लिख दिया है कि उपरोक्त 'ङ' के अनुसार जबकि विवरण माँगा गया था तो।

माननीय उपमुख्यमंत्री : इन स्कूलों ने जान–बूझकर... क्या विभाग ने इन मामलों को निपटाने हेतु कोई कदम उठाए हैं, उनका जोड़ दिया गया था। जिन स्कूलों ने जान–बूझकर नॉर्मस के हिसाब से दाखिले नहीं कराए उनके खिलाफ। इसमें अध्यक्ष महोदय, क्यों... जिनकी सीटें खाली मिली थी, उसको जोड़ दिया गया। जिसके बारे में पता चला है कि इसने ठीक से

डिक्लेयर नहीं की थी सीटें उनकी, उनकी सीटें फिर सब्सिक्वेंट इयर में जुड़वा दी गई। इसलिए उनके पास अब संख्या बढ़ गई और अगले वर्ष में हमने जान–बूझ के फिर अधिक बच्चों को एडमिशन करके उनको दिया। इसलिए वो 'ङ' दिया गया है। लेकिन अगर किस पर्टिकुलर स्कूल के बारे में माननीय सदस्य जानकारी चाहेंगे तो अलग से बता दें, उसके बारे में अलग से जानकारी दे देंगे।

माननीय अध्यक्ष : सरिता जी।

श्रीमती सरिता सिंह : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं ये चीज जानना चाहती हूँ कि जिन बच्चों का ई.डब्ल्यू.एस. के थ्रू एडमिशन होता है, उनका स्कूल फीस तो नहीं लगता। लेकिन क्या उसमें उनकी स्कूल की वर्दी यानी यूनिफॉर्म और बुक्स भी शामिल हैं। जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है, क्या उनको बुक्स के और यूनिफॉर्म के पैसे देने पड़ते हैं या वो भी स्कूल की तरफ से उनको मिलता है।

माननीय उप–मुख्यमंत्री : सरकार के द्वारा पहले जितना पैसा ई.डब्ल्यू.एस. कैटेगरी के तहत एडमिशन, एडमिशन लेने वाले बच्चों के एवज में स्कूलों को दिया जाता था। उस पैसे में काफी बढ़ोत्तरी कर दी गई है। मेरे पास अभी एकदम फीगर नहीं है पर सम व्हेयर एराउण्ड 1600 रुपये... कुछ अमाउंट हमने काफी उसका बढ़ा दिया गया है। मैं विधान सभा को अलग से इसकी जानकारी दे दूँगा। लेकिन इसमें स्कूल से ये अपेक्षा है कि सरकार बच्चे के एवज में पैसा स्कूल को देती है। जितना पैसा सरकार अपने यहाँ पे खर्च कर रही है बच्चों पे गवर्नमेंट स्कूल में, उसी के रेशो में हम वहाँ पर देते हैं। बच्चों को भी देते हैं, केलकुलेट करके।

ये मामला अदालत में भी गया था। अदालत में भी हमने इसकी सूचना दी थी कि अब हम इस पैसे को बढ़ा के इतना कर रहे हैं। उसमें यूनिफॉर्म और बुक्स और फीस तीनों को कम्पोनेंट जोड़ा गया है।

माननीय अध्यक्ष : इसमें ये क्लीयर कर सकते हैं कि पहले कितना देते थे, अब हमने कितना बढ़ा दिया?

माननीय उप–मुख्यमंत्री : कितना पैसा मिलता था प्रति बच्चा और अब कितना दिया जा रहा है, मैं कोशिश करूँगा कि आज शाम तक ही इसकी जानकारी सदन को दे दूँगा। क्योंकि पहले कितना दिया जा रहा था, बीच में हमने बढ़ाया था।

माननीय अध्यक्ष : सरिता जी।

माननीय उप–मुख्यमंत्री : उसके बाद हमने एक बार और बढ़ा दिया था।

माननीय अध्यक्ष : बस, एनी अदर मेम्बर? चलिए। श्री अनिल कुमार बाजपेयी जी, प्रश्न संख्या–तीन।

श्री अनिल बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–तीन प्रस्तुत है :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी.एस.ई.एस. ने अपने उपभोक्ताओं की शिकायतें सुने जाने हेतु पर्याप्त मात्रा में शिकायत केंद्र खोले हैं;

(ख) इन शिकायतों केंद्रों की समय सारणी और इनमें कार्यरत कर्मचारियों का विवरण क्या है;

(ग) विधान सभा क्षेत्रवार बी.एस.ई.एस. के शिकायत केंद्रों की सूची और उनके फोन नम्बर क्या हैं;

(घ) 2010 से 2015 तक कार्यरत शिकायत केंद्रों की विधान सभा क्षेत्रवार संख्या क्या है; और

(ङ) बी.एस.ई.एस. द्वारा उपभोक्ता शिकायत समाधान प्रक्रिया को सुधारने के लिए किए गए उपायों का विवरण क्या है?

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी।

माननीय ऊर्जा मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–तीन का उत्तर प्रस्तुत है।

(क) जी हाँ, बी.एस.ई.एस. द्वारा इस प्रश्न के सन्दर्भ में बताया गया है कि उपभोक्ताओं की शिकायत सुने जाने हेतु उनके कॉल सैन्टर 24 × 7 कार्य करता है। इसमें हर शिफ्ट में आवश्यकतानुसार 200 कर्मियों तक का स्टाफ उपलब्ध रहता है। इसके अलावा उन्होंने पर्याप्त मात्रा में शिकायत केंद्र भी खोले हुए हैं;

(ख) ये कॉल सेंटर और शिकायत केन्द्र रोजारा 24 × 7 घंटे खुले होते हैं। शिकायत केंद्रों में एक सुपरवाईजर के अधीन तकनीशियनों की 2 टीमें प्रतिदिन 3 शिफ्टों में काम करती है;

(ग) शिकायतों केंद्रों की सूची फोन नं. सहित संलग्न है। (संलग्नक 'क')

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(घ) बी.एस.ई.एस. के शिकायत केंद्रों की संख्या 128 है;

(ङ) उपभोक्ताओं की शिकायत के समाधान हेतु उपायों का विवरण संलग्न हैं; (संलग्नक 'ख')*

माननीय अध्यक्ष : सप्लीमेंटरी, बाजपेयी जी।

श्री अनिल कुमार बाजपेयी : माननीय मंत्री जी मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जो कॉल सेन्टर्स की जो इन्होंने लिस्ट दी है, उसके अलावा किसी भी कॉल सेन्टर्स पे आप फिजिकल तौर पे अगर आप चेक करा लें रात में तो आपको बिल्कुल अंदाजा लग जाएगा कि कितने कॉल सेन्टर्स काम करते हैं और वहाँ पे कॉल सेन्टर्स पे जितने लोग बैठे होते हैं, वो अपना फोन का रिसीवर उठा के वहाँ रख देते हैं और कोई उसमें इंटरटेन उसमें नहीं किया जाता। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक बार अधिकारियों के साथ एक बार अगर सडनली विजिट कर लें तो आपको वास्तविकता का पता लग जाएगा।

माननीय ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन देना चाहता हूँ इस सदन को कि जितने भी ये कॉल सैन्टर बताए गए हैं, मैं पॉवर डिपार्टमैंट को आदेश देता हूँ कि उनको आज और कल में ही दो दिन के अन्दर सभी को चेक करके रात के समय चेक करें और ऐसी शिकायत मिलती है तो कम्पनी को सख्ती से उसके साथ पेश आए जाए। दो दिन के बाद तीसरे दिन इसकी रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी।

माननीय अध्यक्ष : कमांडो जी।

श्री सुरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना और इनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ दिल्ली कैंट विधान सभा खूब बड़ी

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

विधान सभा है। लगभग कैंट का क्षेत्र 24 किलोमीटर का क्षेत्र है। तो हमारे जो सर्विस सैन्टर हैं, जो ऑल्ड नांगल गाँव है, वो जनकपुरी विधान सभा के अन्दर वहाँ जाता है। वहाँ पे एक ऑफिस कम्प्लेंट करेगा। उसके बाद जो मेहराम नगर गाँव है, वो महिपालपुर के वहाँ जा के एक कम्प्लेंट करेगा, वहाँ से उसको बिजली को ठीक करने के लिए आते हैं। ओल्ड नांगल गाँव है, वो आर.के. पुरम विधान सभा केन्द्र जा के कम्प्लेंट करेंगे तब वहाँ से वो सैन्टर के लोग ठीक करने के लिए आते हैं। दिल्ली कैंट पूरी विधान सभा के अन्दर बी.एस.ई.एस. का कोई भी ऑफिस नहीं है जिससे मेरे क्षेत्र के लोग इतने परेशान हैं, जिसका मैं यहाँ आपके सामने बता नहीं सकता हूँ। तो इसके लिए आप मुझे बताएं कि इतनी बड़ी विधान सभा के अन्दर और उसको पाँच टुकड़ों में बांट रखा है; बी.एस.ई.एस. ने एक गाँव यहाँ जाएगा, दूसरा गाँव वहाँ जाएगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के अन्दर भी एक कॉल सेन्टर, एक ऑफिस बनाया जाए उनका।

माननीय ऊर्जा मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सदन को बताना चाहता हूँ के कॉल सैन्टर जो है, वो पूरी दिल्ली के लिए है कि पूरी दिल्ली से कहीं भी किया जा सकता है। विधान सभा के अन्दर इस क्षेत्र का, इस क्षेत्र का, इस क्षेत्र का अलग नहीं है तो सर्विस सैन्टर है, वो सर्विस सैन्टर लोकलाइज्ड है। उसमें अगर कम्प्लेंट नहीं भी हो जाती है तो एक सेन्टरलाइज्ड अगर कम्प्लेंट होगी तो भी उनके पास पहुँच जाएगी, इसके पर संज्ञान लिया जाएगा और जहाँ तक दिल्ली कैंट की बात है, दिल्ली कैंट के अन्दर काफी सारे एरिया हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज शायद उसका नाम है, उनके पास काफी एरिया आता है। तो इस वजह

से बहुत ज्यादा ऑफिसिज उनके न हों। परन्तु मैं इनको आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो सेन्टरलाइज्ड नम्बर के पर अगर पूरी दिल्ली का जो सेन्टरलाइज्ड नम्बर है, उस पर कम्प्लेंट करेंगे तो उस कम्प्लेंट पे जरूर एक्शन होगा।

माननीय अध्यक्ष : उनका अर्थ सर्विस?

श्री सुरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, जो सर्विस सैन्टर हैं जिन पर कॉल सैन्टर हैं।

माननीय अध्यक्ष : कॉल सैन्टर मत बोलिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह : नहीं, कॉल सैन्टर नहीं, दोनों की बात बताता हूँ। कॉल सैन्टर पे भी मैंने खुद ने भी कइयों बार जो है न रात को फोन किया है लगातार, वो हेण्डसेट को साइड में रख देते हैं।

माननीय अध्यक्ष : वो बात आ गई बाजपेयी जी ने बात कर ली।

श्री सुरेन्द्र सिंह : हाँ बाजपेयी जी वाली बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। दूसरा जो सर्विस सेन्टर, स्टेशन है, अब जब कॉल सैन्टर से कॉल नहीं उठ रहा तो व्यक्तिगत तौर से बंदा वहाँ पे जा के काम करवाने के लिए जाता है तो इसलिए कोई भी सैन्टर नहीं है हमारे वहाँ पे, जो सर्विस सैन्टर हो वहाँ पे।

माननीय अध्यक्ष : बैठिए। प्रवीण जी।

श्री प्रवीण कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ मंत्री महोदय से कि ये सरकार ने कुछ दिनों पहले एक पॉलिसी

बनाई थी जिसमें कि अगर बिजली कहीं जाती है तो कोई स्पेसिफिक कम्पसेशन सरकार उपभोक्ताओं को देगी। तो क्या वो पॉलिसी लागू हो गई है, उसका क्या स्टेटस है?

माननीय अध्यक्ष : प्रवीण जी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है ये प्लीज।

श्री प्रवीण कुमार : इसमें सर, बिजली डिपार्टमैंट के नोटिस में...

माननीय अध्यक्ष : नहीं इससे रिलेटिड नहीं है।

श्री प्रवीण कुमार : अध्यक्ष महोदय, समस्या ये है कि एक जरा सा तार या ट्रांसफार्मर की एक छोटी सी गड़बड़ी के कारण दो दो घण्टे तक बिजली गायब रहती है और लोग सारे हमारे घर आ जाते हैं और हम किसके घर जाएं?

माननीय अध्यक्ष : प्रवीण जी, ये इससे रिलेटिड नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी...

श्री प्रवीण कुमार : अध्यक्ष जी, पॉवर डिपार्टमैंट के क्वेश्चन है।

माननीय अध्यक्ष : जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री प्रवीण कुमार : अगर पॉलिसी है तो कहाँ पे अटकी है वो? अगर वो पॉलिसी है तो कहाँ पे अटकी है वो?

माननीय ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं जो 24 बाई 7 हेल्पलाइन नम्बर है, बीएसईएस का, वो नम्बर बता देता हूँ दिस इज 39999808 तो इस नम्बर के ऊपर 24... पूरी दिल्ली के अन्दर कम्प्लेंट की जा सकती है कॉल सैन्टर है जिसमें लगभग 200 सीट उनके पास है।

तो कम्प्लेंट का जहाँ तक है, सर्विस सैन्टर के अन्दर लोगों को जाना पड़ता है बहुत। ऐसा है तो बिल्कुल गलत है। तो मैं तो कहूँगा कि अगर कम्प्लेंट है तो फोन पे ही कम्प्लेंट होनी चाहिए ओर हमेशा वो अटेंड होनी चाहिए। तो इसी के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि दो दिन के अन्दर चेक करके सेन्टरलाइज्ड कॉल सैन्टर को भी और जितने भी सर्विस सेन्टर हैं, उनको सबको चेक करके परसो तक रिपोर्ट इस सदन में पेश की जाएगी।

दूसरा, जो पेनल्टी लगाने का इश्यू है। हमने जो पहले कहा था, उसको आदरणीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया था कि वो जो डायरेक्शंस थी एल.जी. साहब के थ्रू नहीं भेजी गई थी। तो दोबारा से वो डॉयरेक्शंस डी.आर.सी. को एल.जी. साहब के थ्रू भेज दी गई हैं और जल्द ही मुझे लगता है कि इस महीने के अंत तक ये लागू हो जाएगा पक्का।

माननीय अध्यक्ष : चलिए, राजेश जी, अंतिम। अंतिम सप्लीमेंटरी बस।

श्री राजेश गुप्ता : सर, जैसा कि अभी मंत्री जी ने बताया कि ये सेन्टरलाइज्ड नम्बर्स हैं, तो इसी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कभी कभी। बल्कि पिछले साल तीन ऐसे वाकये मेरे सामने आये जो मेरी विधान सभा में आग लगी और कॉल सेन्टर पे जब फोन किया गया तो वो सी.ए. नम्बर मांगते हैं। तो जिस घर के अन्दर आग लग जाती है, वो वैसे ही बाहर भाग रहे होते हैं, वो इधर–उधर हो रही होती हैं। वो सी.ए. नम्बर कैसे देखेंगे। याद होता नहीं, बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरी मंत्री जी से गुजारिश है ये कि परसों जो रिपोर्ट आने वाली है, उसके अन्दर उसको फोन नम्बर से और जोड़ दिया

जाए कि अगर वो अपना फोन नम्बर बता दें तो उससे सी.ए. नम्बर अपने आप कॉल सैन्टर वाले ले लें, धन्यवाद।

माननीय ऊर्जा मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस काम के ऊपर पहले इसी समस्या के ऊपर पहले से ही काम स्टार्ट कर दिया गया है। तीनो कम्पनीज को आदेश दिया गया है कि वो सारे कंज्यूमर्स के घर जाएं और उनके करन्ट नम्बर्स अभी तक जितने भी नम्बर्स हैं, वो बहुत पुराने नम्बर हैं। अगर 100 नम्बर पर कॉल करते हैं तो उसमें 50 से ज्यादा नम्बर ऐसे होते हैं कि जो नम्बर ठीक नहीं होते हैं। तो उनको करन्ट नम्बर लेने का कहा गया है। साथ ही हमने ये भी कहा है कि आप क्योंकि सब्सिडी भी दिल्ली सरकार देती है तो वो उसकी भी शिकायतें आ रही हैं कि एक ही आदमी ने कई–कई कनेक्शन लिए हुए हैं। दिल्ली में ऐसी भी शिकायत आई है कि बहुत सारे कनेक्शन ले लिए और उनको आगे किराए पर चढ़ा दिए तो वो सब्सिडी बहुत ज्यादा सब्सिडी अमाउंट एक आध को मिल रहा है और जो किराएदार है, उसको नहीं मिल पा रहा है। तो हमने उनसे कहा है कि आप लोगों का आधार नम्बर लीजिएगा, करन्ट मोबाइल नम्बर लीजिएगा ताकि लोगों को मोबाइल नम्बर तो पता है, अपना मोबाइल नम्बर बताएंगे, सी.ए. नम्बर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो उसके लिए कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई है और अगले दो–तीन महीने में इसको पूरी दिल्ली में कर दिया जाएगा।

श्री सुरेन्द्र सिंहः सर, इसमें एक क्वेश्चन जोड़ना था।

श्री माननीय अध्यक्षः नहीं, अब नहीं भई, इसमें प्लीज।

देखिए भई, ऐसा नहीं, नियम से तो चलाएंगे सदन को।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं कमान्डो जी, प्लीज। प्रश्न संख्या–चार, श्री जगदीप जी।

श्री जगदीप सिंहः अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या–चार प्रस्तुत हैः

क्या **उप मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दस लाख रुपये से पंद्रह लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण हेतु पात्रता मानक क्या हैं,

(ख) इस उद्देश्य हेतू बैंक और उनकी अधिकृत शाखाओं की सूची क्या है,

(ग) क्या ऐसे ऋण देने हेतु सरकार द्वारा बैंकों के अलावा किन्हीं अन्य संस्थाओं को भी अधिकृत किया गया है, और

(घ) यदि हाँ, तो उनका विवरण क्या है?

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–चार का उत्तर निम्नानुसार है :

(क) उच्च शिक्षा निदेशालय विभाग द्वारा उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास गारंटी योजना के अंतर्गत रुपये 10 लाख तक के शिक्षा ऋण सदस्य बैंकों द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं। इस हेतु पात्रता मानक निम्न हैं :

1. छात्र ने 10वीं तथा/अथवा 12वीं कक्षा दिल्ली से उत्तीर्ण की हो।

2. योजना में ऑनलाइन पंजीकरण हेतु छात्र का आधार कार्ड जरूरी है।

3. दिल्ली सरकार के कर्मचारी जो कि दिल्ली सरकार के साथ नियुक्त किए गए हैं तथा उनके बच्चे भी इस योजना हेतु मात्र हैं।

4. शिक्षा ऋण उन सभी मान्यता प्राप्त डिप्लोमा/डिग्री कोर्सों के लिए उपलब्ध हैं, जिनमें छात्र अध्ययन हो तथा वे सरकारी कॉलेज/यूनिवर्सिटी/संस्था तथा प्राइवेट/स्वयं वित्तीय संस्थाएं (दिल्ली स्थित) जिनके पास एस.एफ.आर.सी.ए. प्लस ग्रेडिंग (एस. एफ.) हो, योजना के अंतर्गत पात्र हैं।

5. योजना के अंतर्गत वे छात्र जिन्होंने दिल्ली से 10वीं तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो तथा दिल्ली से बाहर (भारत के अंदर) सरकारी कॉलेज/यूनिवर्सिटी/संस्था से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे आवेदन हेतु पात्र हैं। योजना का पूर्ण विवरण संलग्न हैं (परिशिष्ट–क)।

(ख) इस उद्देश्य हेतु दिल्ली में 14 सदस्य बैंक व उनकी शाखाओं द्वारा शिक्षा ऋण स्वीकृत किया जाता है। बैंकों की सूची संलग्न है (परिशिष्ट–ख)

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(परिशिष्ट—क)

GOVT. OF NCT OF DELHI
DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION
B-WING, 2ND FLOOR, 5, SHAM NATH MARG, DELHI-110054.

HIGHER EDUCATION AND SKILL DEVELOPMENT GUARANTEE SCHEME FOR PURSUING HIGHER EDUCATION IN DELHI

1. INTRODUCTION

Government of NCT of Delhi, as a part of its 70 Action Points, has envisaged a **Higher Education and Skill Development Guarantee Scheme** for students who wish to pursue diploma or degree level courses or specified skill development courses in Delhi and have done their class X and class XII from. Delhi. For courses for which the qualifying examination is class X, student have done class X from Delhi will be eligible under the scheme. Under the scheme, bank loans upto Rs. 10 lakhs taken by the students will be provided guarantee through **a Higher Education and Skill Development Credit Guarantee Fund** to be created by the Government for providing guarantee to the banks in case of default. Students will not be required to furnish any collateral or margin moneyand thescheme will be universal in nature regardless of the student's background.

2. OBJECTIVE OF THE SCHEME

The Higher Education and Skill Development Guarantee Scheme outlined below aims at providing financial support from the banking system to metritorious students for pursuing higher education in Delhi and pursuing recognized degree or diploma level courses or skill development

courses from Central/State Govt. Universities/Institutions located outside Delhi. within India. The rnam emphasis is that a meritorious student is provided with an opportunity to pursue higher education with the financial support from the banking system with reasonable and affordable terms and conditions.

3. SALIENT FEATURES OF THE HIGHER EDUCATION CREDIT GUARANTEE FUND

The scheme envisages creation of a corpus of Rs. 30 Crores called the Higher Education and Skill Development Credit Guarantee Fund (hereinafter referred to as the Fund). initially which will be used to provide appropriate guarantee. The said corpus fund shall be managed by the Delhi Higher Education and Skill Development Credit Guarantee Fund Trust. This Trust shall give guarantee to the banks/financial institutions for providing education loan to students within the limit (limited to the corpus with the Trust for the purpose). Banks wishing to avail of this facility will have to pay an Annual Guarantee Fee (AGF) of 0.5% of the outstanding amount as on the date of application of the guarantee cover upfront to the front within 30 days from the date of Credit Guarantee Demand Advice Note (CGDAN) of guarantee fee. All subsequent AGFs could be collected on the basis of the outstanding loan amount as at the beginning of the financial year. On default of the loan and invocation of claim. the Fund shall settle 75% of the claims (out of the 100% of total amount under default) after the credit facility been recalled and the recovery proceedings have been initiated under due process of law and the balance 25% of the claim, if any, shall be paid after conclusion to the recovery proceedings and ascertaining the net/final loss incurred by the lending institution. The scheme shall be confined to education loans sanctioned by Member Banks of Indian Bankers Association (IBA) or other Banks/ Financial Institutions as identified by Govt. of NCT of Delhi.

4. ELIGIBILITY CRITERIA

4.1 Students Eligibility

- Students who wish to pursue diploma or degree or specified skill development courses in Delhi and have done their Class-X and Class-XII from Delhi are eligible under this Scheme. For courses for which the qualifying examination is Class-X, students who have done Class-X in Delhi would be eligible under this Scheme. Students who are children of employees of Govt. of NCT of' Delhi or Officials/government servants who are posted with the Govt. of NCT of Delhi are also eligible under this scheme.

- The student should have secured admission to a higher education course or specified Skill development courses (diploma or degree including bachelors, Masters and Doctoral Degree) in recognized institutions in Delhi through Entrance Test/Merit Based Selection process after completion of Secondary Examination/Senior Secondary Examination/required qualifying examination.

- The guarantee would be available for loans for all recognized diploma/degree courses from Government Institutions/Universities and constituent colleges of University of Delhi. It would also be available for Private/Self-financed Institutions located in Delhi having NAAC/NBA/SFRC grading. The department will persuade all the Private Institutions to get accreditation from NAAC/NBA. Till such time, grading as given by the Third State Fee Regulatory Committee (SFRC) set up by Directorate of Higher Education and Directorate of Training & Technical Education may be used for Private Institutions, since this grading is based on the infrastructure, faculty and academic standards of the institutions as also the costs being incurred by it.

- It would also be available for Institutions of Technical/Training Skill Development such as courses by World Class Skill Centre or any other technical training/skill development institutions specified hy the Government of NCT of Delhi.
- It would also be available to those students who have passed out 10th and 12th from Delhi and are pursuing recognized degree or diploma level courses or skill development courses from Central/ State Govt. Universities/Institutions located outside Delhi, within India
- Other reputed and recognized Institutions may be considered on the basis of employability.
- The Private Institution in which admission has been secured should have NAACINBA grading.* Since presently all institutions do not have NAAC/NBA grading, SFRC grading will also be considered for a limited period. **

*For private institutions having NAACfNBA accreditation, minimum grade of A or B is required.

**For private institutions having SFRC grading, A+ or A is required.

(SFRC grading has been given by the 3rd State Fee Regulatory Committee (SFRC) and is based on various parameters including infrastructure, faculty and academic standard. Institutions are advised to get NAACINBA accreditation at the earliest).

Note:

It would be in order for banks to consider a meritorious student (who qualifies for a seat under merit quota) eligible for loan under this scheme even if the student chooses to pursue a course under Management Quota.

4.2 Courses Eligible for Studies in Delhi: (Indicative list)

- Approved courses leading to graduate/ post graduate degree and PG diplomas conducted by recognized colleges/ universities recognized by UGC/Government/AICTE/ AIBMS/ICMR etc
- Courses like ICW A, CA, CFA etc
- Courses conducted by lIT, NIFT, NLU, IIFT etc
- Regular Degree/Diploma courses like aeronautical, pilot training, shipping, including those run by Polytechnics etc., degree/diploma in nursing, physiotherapy or any other discipline approved by Director General of Civil Aviation/Shipping/Indian Nursing Councilor any other regulatory body as the case may be, if the course is pursued in Delhi.
- Skill Development Courses as may be specified by Govt. of NCT of Delhi.

Note:

1. **The above list is indicative in nature. Banks may approve other job oriented courses leading to technical/professional vocational/ other degrees, post graduate degrees/diplomas offered by recognized institutions under this scheme.**
2. **Courses other than the above offered by reputed institutions may also be considered on the basis of employability.**
3. The guarantee would be available for loans for only those institutions whose fee is regulated by the Government.

5. EXPENSES CONSIDERED FOR LOAN

i. Fee payable to coUege++/school! hostel+

ii. Examination! Library/Laboratory fee

iii. Insurance premium for student borrower

iv. Caution deposit, Building fund/refundable deposit supported by Institution bills/receipts. **

v. Purchase of books/equipment/instruments/uniforms***

vi. Purchase of computer at reasonable cost, if required for completion of the course.***

vii. Any other expense required to complete the course - like study tours. project work, thesis, etc.***

viii. While computing the loan required, scholarships, fee waiver etc., if any available to the student borrower may be taken into account.

IX. If the scholarship component is included in the loan assessment, it may be ensured that the scholarship amount gets credited to the loan account when received from the Government.

Notes :

++ For courses under Management quota: seats considered under the scheme. fees as approved by the .State Government/Government approved regulatory body for payment seats will be taken, subject to viability of repayment.

* Reasonable lodging and boarding charges will be considered in case the student chooses/is required to opt for outside accommodation.

** These expenses could be considered subject. to the condition that the amount does not exceed 10% of the total tuition fees for the entire course.

*** It is likely that expenditure under Item Nos. vi, vii & viii above may not be available in the schedule of fees and charges prescribed by the college authorities. Therefore, a realistic assessment may be made of the requirement under these heads.

6. QUANTUM OF FINANCE

Need based finance to meet the expenses worked out as per para 5 above will be considered taking into account margins as per para 7 subject to the following ceiling :

Studies in Delhi - Maximum upto Rs. 10 lakhs.

- Ordinarily loans upto Rs. 7.5 lakhs where conditions as prescribed under the Credit Guarantee Fund Scheme for Education Loans (CGSEL) of Govt. of India are satisfied can be granted by the Banks under the Govt. of India scheme as and when the same becomes operational.

- However loans above Rs. 7.5 lakhs & upto Rs.· 10 lakhs and loans in respect of Private Institutions which presently do not have NAAC accreditation as required under Govt. of India scheme but have SFRC grading of A+ or A and otherwise satisfy the requirements under the scheme of Govt. of NCT of Delhi will be covered under this scheme.

7. MARGIN

Up to Rs. 10 lakhs - Nil

8. SECURITY

Up to Rs. 10 lakhs oint borroweris).	Parents/legal guardians to be j No security

Note:-

The loan documents should be executed by the student and the parenti guardian as joint-borrower.

9. RATE OF INTEREST

Interest to be charged at rates linked to the Base rate as decided by individual banks

- Simple interest to be charged during the study period and up to commencement of repayment. The maximum interest rate to be charged in Base Rate + 2%.

Note:-

Servicing of interest during study period and the moratorium period till commencement of repayment is optional for students. Accrued interest will be added to the principal amount borrowed while fixing EMI for repayment.

10. APPRAISAL/SANCTION/DISBURSEMENT

- Applications will be received either directly at bank branches or through on-line mode. Upon receipt of application, standard acknowledgement giving a reference number will be issued. The acknowledgement will contain contact details of the bank official who, could be contacted in case of delay in disposal of application.
- Domicile Certificate issued by the Tehsildar (Executive Magistrate), Revenue Department. Govt. of NeT of Delhi, will be accepted by the Banks as proof of domicile, if required. Normally, sanction/ rejection will be communicated within 15 days of receipt duly completed application with supporting documents.
- In the normal course, while appraising the loan, the future income prospect of the student only will be looked into.

- State Level Bankers Committee (SLBC) will provide information regarding loans sanctioned under the Govt. of. India scheme to students of Delhi on quarterly basis.
- Rejection of loan application, if any, shall be done with the concurrence of the controlling authority of the branch concerned arid, under intimation to the **Directorate of Higher Education, Delhi** and conveyed to the student stating reason for rejection.
- Students may submit their loan applications either at the bank branches near the residence of parents or to the educational institution. However, after the loan is sanctioned, the cases would be transferred to the bank branch near the institution for follow up with student/institution. The KYC compliance for the purpose has to be done by the branch nearest to the residence of parents.
- The loan to be disbursed in stages as per the requirement/demand directly to the Institutions/Vendors of equipment/instruments to the extent possible.
- The Directorate of Higher Education in collaboration with State Level Bankers Committee will set up a portal to monitor the entire process. Loans sanctioned will be immediately uploaded on the Portal.
- Recovery proceedings by Banks will also be monitored by the Dte. of Higher Education and Banks will upload the information regarding recovery and default status every six months.
- Grievance Redressal Committee will be formed which will be headed by Director, Higher Education with one member each from Indian Bankers Association (IBA), Lead Bank,Canara Bank to handle

any complaint, grievances including those relating to cases rejected by Banks. The committee will meet on a monthly basis or as frequently as may be necessary.

11. REPAYMENT

Repayment Holiday/Moratorium - Course period + 1 year.

- If the student is not able to complete the course within the scheduled time, extension of time for completion of course may be permitted for a maximum period of 2 years. If the student is not able to complete the course for reasons beyond his control, sanctioning authority may at his discretion consider such extensions as may be deemed necessary to complete the course. In case the student discontinues the course midway, appropriate repayment schedule will be worked outby the bank in consultation with the student/ parent.

- The accrued interest during the repayment holiday period to be added to the principal and repayment in Equated Monthly Installments (EMI) fixed.

- 1% interest concession may be provided by the bank, if interest is serviced during the study period and subsequent moratorium period prior to commencement of repayment.

- Repayment of the loan will be in equated monthly installments for a period of 15 years for all categories.

- While EMI based repayment is the generally accepted practice, many times the salary levels at the start of the career may not facilitate-cornfortable payment of EMI in certain cases (e.g. pro-

fessionals like Doctors). Telescoping of repayment with stepped up installments with passage of time may be considered in such cases.

Note:-

No prepayment penalty will be levied for prepayment of loan any time during the repayment period.

12. INSURANCE

Banks may arrange for life insurance policy for the students availing Education Loan. Individual Banks may work out the modalities with insurance companies. Schemes such as Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojna (PMJJBY) and Pradhan Mantri. Suraksha Bima Yojna (PMSBY) may be availed to ensure reasonability of premium and to cover the loan and act as a safety net for the parents.

13. FOLLOW UP/MONITORING

Banks will contact college/university/institutional authorities to obtain progress report on the student at regular intervals in respect of those who have availed loans. The UID number issued by UIDAI/PAN may also be captured in bank's system. Immediately on a loan becoming a Non-performing Asset (NPA), this VIDAI/AADHAAR linkage could be used to deny benefits of anyproject or scheme of Government ofNCT of Delhi to an individual. Banks may enter into Memorandum of Understanding (MoU) with the educational institutions to provide the educational loans to the students if so desired. However the student will have the freedom to approach any Bank as per hislher choice/ convenience. There may be an annual review of the asset quality of educational loans between banks and educational institutions.

14. No processing charges may be levied on the loans sanctioned under the scheme.

15. OTHER CONDITIONS :

15.1 Sanction of loan to more than one child from the same family

Existence of an earlier education loan to the brother(s) and/or sister(s) will not affect the eligibility of another meritorious student from the same family obtaining education loan as per this scheme from the bank.

15.2 Minimum Age

There is no specific restriction with regard to the age of the student to be eligible for education loan. However, if the student was a minor while the parent executed Documents for the loan, the bank will obtain a letter of ratification from himlher upon attaining majority;

15.3 Top up loans

Banks may consider top up loans to students pursuing further studies within the overall eligibility limit, if such further studies are commenced during the moratorium period of the first loan. The repayment of the loan will commence provided under the scheme.

15.4 Joint Borrower

The joint borrower should normally be parent(s)/guardian of the student borrower. In case of a married person, joint borrower can be either spouse or the parent(s)/parents-in-law.

15.5 No Dues Certificate

No dues certificate will not be insisted upon as a pre-condition for considering education loan. However, banks shall obtain a

declaration/an affidavit confirming that no loans are availed from other banks.

15.6 Disposal of loan application

Loan applications have to be disposed of in the normal course within a period of 15 days to 1 month, but not exceeding the time norms stipulated for disposing of loan applications under priority sector lending.

15.7 Credit Score

In case of default of loan credit score such as Credit Information Bureau (I) Ltd. (CIBIL) of parents as well as students will be affected which will adversely impact their capacity to take future loans as well as increases the cost of loan.

15.8 Furnishing of Documents

Students shall have to furnish to the Banks authenticated copies of documents related to their academic performance sheet, if so desired by the Banks.

15.9 Sharing of Student's Progress Reports by Institutions.

In order to reduce the possibility of deliberate default, the Educational/Technical Training/Skill Development Institutions will be involved in the process. They will share progress reports of the students who have taken loans with the banks, at regular intervals, if so desired by the Banks.

(परिशिष्ट–ख)

Higher Education and Skill Development Guarantee Scheme for Pursuing Higher Education in Delhi

List of Branches for the purpose of Guarantee Scheme Education Loan.

Sl. No.	BANK NAMES	Branches (In Delhi)
1.	Allahabad Bank	ALL
2.	Andhra Bank	ALL
3.	Bank Of Baroda	ALL
4.	Canara Bank	ALL
5.	Corporation Bank	ALL
6.	IDBI Bank	ALL
7.	Indian Bank	ALL
8.	Vijaya Bank	ALL
9.	United Bank Of India	ALL
10.	State Bank Of India	ALL
11.	Syndicate Bank	ALL
12.	Union Bank Of India	ALL
13.	Punjab National Bank	Pl. See the list Below
14.	Oriental Bank Of Commerce	Pl. See the list Below

Higher Education and Skill Development Guarantee Scheme for Pursuing Higher Education in Delhi

List of Approved Banks–Branches for Education Loan

Punjab National Bank (Branches)

List of Retail Asset Branches (RABs) of PNB at Delhi for Education Loan.

1. RAB, Anand Vihar.
2. RAB, A-Block, Connaught Place
3. RAB, KHRMS Ashok Vihar
4. RAB, Gurudwara Road, Karol Bagh
5. RAB, Green Park

Oriental Bank of Commerce (Branches)

List of Branches for the purpose of Education Loan.

1. South Ex-I
2. South Ex-II
3. East Patel Nagar
4. Mahipalpur
5. New Friends Colony
6. Defence Colony
7. Sec-10, Dwarka
8. Vasant Kunj

9. Basant Lok
10. Hauz Khas
11. M. Block, Connought Place
12. Panchkuian Road
13. Greater Kailash-II
14. Nehru Place
15. Paharganj

GOVT. OF NCT OF DELHI
DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION
B-WING, 5 SHAM NATH MARG, DELHI-54.

Student Loan Report as on 03.08.2018

Status of "Delhi Higher Education and Skill Development Guarantee Scheme" (Student loan scheme) of 'Delhi Higher Education and Skill Development Credit Guarantee Fund Trust' for Delhi students :-

S.No.	Points	Report
(1)	Total Number Applications approved.	271 (58 offline -+ 213 online)
(2)	Total number of loan disbursed till now with amount.	Tota1 271 (58 offline + 213 online) number of loan for Rs. 9,10,44,849/ - (20112000 + 70932849) sanctioned by member banks

श्री पवन कुमार शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि क्या जो ये सरकार की स्कीम है, इसका फायदा जो स्टूडेन्ट देश से बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने, वो भी फायदा उठा सकते हैं क्या?

माननीय उप मुख्यमंत्री: नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पहले स्कीम बनाई गई थी शुरुआत में सिर्फ दिल्ली स्थित शिक्षण संस्थानों के लिए। वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर इसको पिछले साल अपडेट करके देश भर में क्योंकि दिल्ली के किसी बच्चे का मान लीजिए कहीं आई.आई.टी. में एडमिशन हो गया या किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन हो गया, आई.एम.ए. में एडमिशन हो गया तो वो इसको फायदा नहीं मिल रहा था। इसलिए इसको देश भर के सरकारी कॉलेजों के लिए खोल दिया गया था लेकिन बाहर, भारत के बाहर के कालेजेज के लिए नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद। प्रश्न संख्या–पाँच, श्री कर्नल देवेन्द्र सहरावत जी।

श्री कर्नल देवेन्द्र सहरावत : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या–पाँच निम्न प्रकार प्रस्तुत है :

(क) क्या यह सत्य है कि ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन वायर के कारण लोगों के जान माल को भारी खतरा है:

(ख) क्या यह भी सत्य है कि विभाग और डिस्कॉम को जन प्रतिनिधियों के माध्यम से इन तारों को हटाने के बहुत से आवेदन प्राप्त हुए हैं;

संलग्नक 'क'

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF POWER)

DELHI SECRETARIAT, 8TH LEVEL B-WING
NEW DELHI-l10002

No : F.ll (09)/2007/Power/2609-2619 Dated : 03rd August, 2018

ORDER

Sub : Policy on the shifting of HT (11KV, 33KV & 66KV)/LT400V) Electricity Transmission lines posing threat to human lives- Modification of Cabinet decision No.1588 dated 09.11.2009 thereof.

The Council of Ministers, Govt. of NCT of Delhi vide decision no. 2604 dated 31.07.2018 on the subject cited above has considered and approved the following in respect of the existing policy on shifting of HT/LT Lines:

i. In case of colonies set up under 20 point programme in the rural area, the shifting of HT/LT lines would be done through the fund of Govt. from the budget of Power Department which would provide for 100% of the cost of shifting.

ii. In respect of other rural areas, like Lal Dora areas and extended Lai Dora areas, the cost of shifting of HT/LT lines would also be made from the funds of Govt. from the budget of Power Department which would provide for 100% of the cost of shifting.

iii. In respect of farmhouses, the entire cost of shifting will be borne by the affected consumers. In case of farmers other than farmhouse owners, 100% of the cost of shifting is to be borne by Govt. from the budget of Power Department.

iv. In respect of regularized unauthorized colonies including urbanized villages and resettlement colonies, 100% of the cost of shifting is to be borne by Govt. from the budoetof Power Department

v. In case of HT/LT lines passlncthrouqh Government Institutions, public authority buildings, schools, hospitals, colleges of pubuc nature and which are owned by the government, 100% of the funding would be met by the concerned department/agency for shifting of the lines.

vi. In case of private institutions of a public nature like educational and health institutions etc., 100% of the cost of shifting is to be borne by the concerned institution.

vii. Scope of the policy of HT/LT lines will include the HT transmission lines of 11KV, 33KV as well as 66KV and LT lines of 400V.

(Sudhir Sharma)
Dy. Secretary (Power)

Copy to : -

1. Pro Secretary to Lt. Governor, Delhi.
2. Spl. Secretary to the Chief Minister, Delhi.
3. Council of Ministers, GNCTD
4. All MLAs, GNCTD
5. SO to Chief Secretary, GNCTD
6. Addl. Chief Secretary, GNCTD
7. All Pro Secretaries/Secretaries, GNCTD
8. Pro Secretary (UD), GNCTD
9. Secretary, DERC
10. Dir (O), DTL
11. CEOs, BRPL, BYPL & TPDDL

(ग) विधायक निधि में प्रचुर राशि की उपलब्धता को देखते हुए क्या सरकार का इन तारों को शिफ्ट करने पर आने वाले व्यय को वहन करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

माननीय ऊर्जा मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–पाँच का उत्तर इस प्रकार है :

(क) जी हाँ, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के नियमों के अनुसार अनिवार्य क्षेतिज और ऊर्ध्वाधर दूरी न रखने पर हाई टेंशन वायर लोगों व उनकी संपत्ति के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। हॉरिजेन्टल एण्ड वर्टिकल डिफरेन्स होना चाहिए जो वॉयर्स है। उसकी और बिल्डिंग के बीच में। अगर उससे कम रखेंगे तो रिस्क होता है। इसका मतलब ये हैं;

(ख) जी हाँ, जन प्रतिनिधियों से इन लाइनों को स्थानांतरित करने के लिए कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) जी हाँ।

'ग' का मतलब ये है कि पहले सिर्फ एम.एल.ए. लैब फण्ड से ये पैसा ले के किया जाता था। अभी प्रस्ताव है कि इसको सरकार की ओर से भी हटाया जाए। तो वो प्रस्ताव हमारे पास है;

(घ) तारों की शिफ्टिंग के व्यय वहन के बारे में ऊर्जा विभाग की नीति की कापी (संलग्नक–क) संलग्न हैं; और

(ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता। उसकी नीति हमने लगा दी है सर, सामने।

माननीय अध्यक्ष : सप्लीमेंटरी, कर्नल देवेन्द्र सहरावत जी।

श्री कर्नल देवेन्द्र सहरावत : इसमें अध्यक्ष महोदय, मेरे दो और सप्लीमेन्टरी हैं। एक तो जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि जो विधायक फण्ड है, वो नाकाफी है, पर्याप्त नहीं है। इस समस्या का जो है, उसको फण्ड करने के लिए। तो 50 प्रतिशत जो विधायक को देना पड़ता है, वो इसमें पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा है मंत्री जी ने कि इस पर सुधार कर रहे हैं। तो इसको जल्द से जल्द किया जाये। ये मेरा आग्रह हैं।

और दूसरा है कि कुछ बड़ी लाईनें होती हैं जो कि जिसमें पिलर्स वगैरह होते हैं जो कि दिल्ली ट्रांसको के अण्डर हैं, अधीन है तो उनको ऐसे हालत में जो ऐसी हाई टेंशन लाइन जो हैं, उनको हटवाने के लिए विशेषकर अगर वो शिक्षा संस्थानों के पास हो या जो है, कापसहेड़ा या बिजवासन में किसी अनऑथोराइज कालोनी में हो तो उसके बारे में क्या नीति है सरकार की?

माननीय ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी दिल्ली सरकार ने 11 किलोवाट, 33 किलोवाट... इसी तरीके से 66 किलोवाट की लाइनें हटाने का भी प्रपोजल स्वीकृत किया है। सब्जेक्ट टू अवेलेबिल्टी ऑफ फण्डस। पैसे कितने बजट में दिये गये हैं, उसके अनुसार अनऑथोराइज कालोनी में या कहीं पर भी अब सारा का सारा फण्ड पॉवर डिपार्टमैण्ट के पैसे से काम किया जाएगा। एम.एल.ए. फण्ड से क्योंकि बहुत सारे प्रपोजल्स हमारे पास पड़े थे। कोई सिंगल प्रपोजल पाँच करोड़ का है तो एम.एल.ए. साहब से पहले ढाई करोड़ रुपए माँग जाते थे। कोई सात करोड़ का साढ़े तीन करोड़ माँगे जाते थे। पॉसिबल नहीं होता था और एम.एल.ए. फण्ड में वैसे भी कन्डीशन है कि

दो करोड़ से ज्यादा सिंगल काम में लगा नहीं सकते हैं। तो इसलिए पॉवर डिपार्टमैण्ट की योजना के अनुसार सरकार के पैसे से किया जाएगा। और उसके अन्दर एजूकेशन इन्स्टीट्यूशन्स भी आते हैं। सिर्फ जो फार्म हाउसेज हैं, उनको इससे अलग किया गया। फार्म हाउसेज वालों को अपना पैसा खुद देना होगा या जो प्राइवेट जिनका अपना एरिया है, उन प्राइवेट वालों को पैसा देना होगा। सरकारी जो भी सम्पत्तियाँ हैं। आपको मैं क्लीयर कर रहा हूँ, आपका क्वेश्चन पहले जो हैं, उसका ऑन्सर दे देता हूँ। अनऑथोराइज कालोनीज के अन्दर भी सरकारी फण्ड से ही किया जाएगा, ठीक है। तो ये सबका, परन्तु इसमें कैविएट है। मैं पहले से बता देता हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर साहब जितना पैसा देंगे, उतना कर पाएंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जगदीप जी, देखिए। मैं तीन एलाउ करूँगा। मुझे जो पहले हाथ उठे थे, सुन लीजिए बात को। जगदीप जी का हाथ उठा। पुष्कर जी का, इधर से ऋषि जी का। मैंने उसी समय देख लिया, प्लीज। जगदीप जी। जरनैल जी, प्लीज।

श्री जगदीप सिंह : सर, आपने मेरा नाम लिया।

माननीय अध्यक्ष : नहीं–नहीं, मैं माफी चाहता हूँ। श्री जरनैल सिंह जी।

श्री जगदीप सिंह : सर, छोटी सी एक सलाह है।

माननीय अध्यक्ष : अभी भी आएगा। जितना जल्दी क्वेश्चन हो जाए अच्छा है।

श्री जरनैल सिंह : अध्यक्ष जी, हाई टेन्शन वायर मेरे एरिया के एक बहुत क्षेत्र में से जाती है जहाँ हजारों लोंगो की आबादी रहती है। तो जो मैं काफी सालों से परस्यू भी कर रहा हूँ कि वहाँ से हटायी जाये। पर वहीं चक्कर है कि खर्चा बहुत ज्यादा है। तो एट लीस्ट उसमें ये एक आधार रख लिया जाए, वहाँ कई मौतें हो चुकी है, वजह से। हाई टेन्शन की वजह से। तो जो एरिया बहुत रिस्की उसमें आ रहे हैं जोन में। उनको प्रॉयरिटी पर लेके पहले करवा दिया जाए। मैं मंत्री जी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और उसका प्रोसेस क्या है, वो भी बता दें। कहीं हमें और भी इसके अलावा परस्यू करना है क्योंकि बीएसईएस वाले बोलते हैं, हमारी नहीं है। ये तो हरियाणा की है। वो कहते हैं जी, कि किसी और की है तो कोई उसका जो भी प्रोसीजर बता के और उसको हटवाया जाए कि कई लोगों की जान जा चुकी है पिछले कई सालों में।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

माननीय ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अन्दर कुछ ऐसी लाइन्स दिल्ली सरकार के डीटीएल में या दिल्ली सरकार के किसी डिपार्टमेंड के अन्दर नहीं आती है। जो दूसरे डिपार्टमेन्टस के अन्दर, मतलब जैसा हरियाणा गवर्नमेंड के अण्डर आती है या नेशनल ग्रिड में आती है तो उसके लिए उन्हीं के थ्रु उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। हम उसमें कर नहीं सकते हैं परन्तु मैंने कि जैसे अभी बताया है अगर लाल डोरे का एरिया है, गाँव का एरिया है। अनऑथोराइज कालोनीज है। मतलब जनरल रूल ये है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और फार्म हाउसेज इत्यादि को छोड़ के बाकी सभी जगह पर सरकारी फण्ड से किया जाएगा परन्तु अब जैसे इनके यहाँ पर अगर दो, चार पाँच करोड़ का होगा तो जरूर करा देंगे। अगर एक

ही दस करोड़ का है, पाँच करोड़ का है, बीस करोड़ का है तो बड़ा मंश्किल होगा। मैं सदन को बताना चाहूँगा कि दिल्ली के अन्दर हमने एक मोटा–मोटा अन्दाजा लगाया था कि दिल्ली की सभी ओवर हेड वॉयर्स को अगर नीचे कराया जाये तो दस हजार करोड़ का खर्चा लगता है लगभग। तो इसीलिए दस हजार करोड़ रुपये बजट से खर्च कर पाना अभी सम्भव नहीं है। तो इसीलिए दस हजार करोड़ रुपये बजट से खर्च कर पाना अभी सम्भव नहीं है। तो जो बार–बार बात हो रही है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाया जाए... पूर्ण राज्य बनेगा तो दिल्ली के पास इतने रिसोर्सेज होंगे कि आराम से ये काम किया जा सकता है। डीडीए के पास 25 हजार करोड़ का उन्होंने लेके बैठे हुए है। एक को बेच देंगे। सारी तारें नीचे करा देंगे। तो इसके लिए मुझे पूर्ण राज्य के लिए काम करने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष : श्री पंकज पुष्कर जी।

श्री सुखवीर सिंह दलाल : अध्यक्ष जी, एक मिनट के लिए...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दलाल जी, प्लीज। देखिए, एक क्वेश्चन पर सारा मामला अटक जाएगा।

श्री सुखवीर सिंह दलाल : मेरा तो सीरियस मैटर है सारा।

माननीय अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए। पुष्कर जी का हाथ उठा था पहले।

श्री पंकज पुष्कर : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को धन्यवाद कर दूँ, सबसे पहले तिमारपुर विधान

सभा क्षेत्र की संगम विहार कालोनी का डेढ़ वर्ष पहले इसी सदन में सवाल उठा था, तब भी माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था। उन्होंने उस आश्वासन की प्रतिपूर्ति में कम से कम नीतिगत निर्णय लिया है, यह बहुत ही धन्यवाद की बात है लेकिन मैं यह भी दर्ज करवाना चाहता हूँ, वहाँ पर लगातार बच्चों की दुर्घटनाओं में मृत्यु हो रही है। वहाँ पर विभाग के द्वारा आकलन हो चुका है, बहुत संवेदनशील स्थिति है। हम निश्चित रूप से जानते हैं कि इसमें बड़े स्तर पर पूर्ण राज्य के आंदोलन की सफलता के साथ ही इस पर काम होना है लेकिन वहाँ की स्थिति देखते हुए अगर माननीय मंत्री महोदय डेढ़ वर्ष पुराने दिए गए आश्वासन के अनुपालन में, उसके अनुश्रमण में अगर ये आश्वासन दोहरा सकें...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पुष्कर जी, प्लीज। देखिए हम विधायक अपनी विधान सभा पर ले जाते हैं। यह पॉलिसी मैटर है। इस पॉलिसी पर हमारा प्रश्न क्या है। जरनैल सिंह जी भी अपनी विधान सभा ले गए, आप भी अपनी विधान सभा ले गए। चलिए, बैठिए पुष्कर जी। राजेश ऋषि जी। पुष्कर जी, बैठिये, अभी माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री राजेश ऋषि : अध्यक्ष जी, मेरा सवाल यह है कि मेरे क्षेत्र के अंदर और मेरे आस—पास की विधान सभाओं के अंदर से हाई टेंशन वॉयर जा रही है, जो मैन रोड से जा रही है जो अनऑथोराइज्ड कालोनी है। उनके कारण हम लोग अपना फुटओवर ब्रिज नहीं बना पा रहे। वहाँ बच्चों के एक्सीडेंट होते हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि हमारे पंखा रोड डाबड़ी से हमारे जो पालम ड्रेन के ऊपर रोड हैं, उसके ऊपर

टेंशन वायर्स हैं, जिसके कारण फुटओवर ब्रिज नहीं बन पा रहे। वहाँ बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, बहुत बच्चे मरते हैं रोड क्रॉस करने में, क्योंकि हमारी अनऑथोराइज्ड कालोनी से जनकपुरी के अंदर बच्चे पढ़ने आते हैं तो रोड क्रॉस करते हैं हाई टेंशन वॉयर के कारण की केवल वो काम नहीं हो पा रहा। मैं मंत्री जी से कहूँगा कि अनऑथोराइज्ड के साथ थोड़ा ऑथोराइज्ड का भी कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

माननीय ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय मैं फिर से क्लेरिफाई कर देता हूँ। आप उल्टा चलियेगा, उल्टा का मतलब फार्म हाउसेज को और प्रॉपर्टीज को छोड़कर बाकी सब जगह दिल्ली सरकार पॉवर डिपार्टमेंट के फण्ड से कराएगी तो उसमें सब कुछ आ गया परंतु अगर सड़कों के किनारे या नालों के साथ–साथ जो बड़ी–बड़ी हाई टेंशन लाइन्स लगी हुई है, मैंने बताया ना आपको, पूरी दिल्ली का हमने एक ऐस्टिमेट बनाया था जो 10 हजार करोड़ का ऐस्टिमेट था, दिल्ली का...हमने कहा कि विदेशों में तो ऐसा नहीं होता। किसी शहर के अंदर से तारें ऊपर नहीं होती है, सब अंडरग्राउंड होती है तो 10 हजार करोड़ का बजट बना होना चाहिए। मेरी लिस्ट में, विश लिस्ट में था कि मैं पॉवर मिनस्टिर हूँ कि दिल्ली के अंदर सारी तारें नीचे कर दी जाए। आदरणीय डिप्टी सीएम साहब बैठे है, उनसे भी डिस्कम किया मैं करवा देता हूँ तो जुगाड़ भी बता दिया था। मैंने कहा कि देखो, फोर्थ फाइनेंस कमीशन के अंदर... ...(व्यवधान) मैंने पूर्ण राज्य नहीं कहा था, फोर्थ फाइनेंस ने कहा डीडीए दिल्ली सरकार को दे दो। आप उतना दे दीजिएगा, मैं पक्का कह रहा हूँ, यह एक साल में करा देंगे इस काम को।

श्री राजेश ऋषि : अध्यक्ष जी, एक चीज और पूछना चाहता था।

माननीय अध्यक्षः नहीं, एक बस, प्लीज। प्रश्न संख्या छः सरिता सिंह जी।

श्री सुखवीर सिंह दलालः अध्यक्ष जी आपने सुना...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः तीन से ज्यादा सप्लीमेंटरी नहीं। प्लीज। यह समय खराब हो रहा है। आप लिखकर दे दीजिएगा माननीय मंत्री जी को लिखकर दीजिए, प्लीज। सरिता जी, प्रश्न संख्या छः।

श्रीमती सरिता सिंहः माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रश्न संख्या–छः का जवाब देने की कृपा करें।

क्या माननीय **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उर्दू अकादमी द्वारा वर्ष 2011–12 से लेकर 2017–18 तक कितने रिक्त पद (स्थायी एवं सलाहकार) विज्ञापित किए गए;

(ख) जिन प्रकाशनों ने उक्त विज्ञापनों को प्रकाशित किया, उनका विज्ञापनों के प्रकाशन की तिथि सहित विवरण क्या है;

(ग) प्रत्येक रिक्त पद के नियुक्ति नियम, मानदण्ड का वेतनमान सहित पूर्ण विवरण दें;

(घ) प्रत्येक रिक्त पद के लिए प्राप्त हुए आवेदनों का उनकी कुल संख्या सहित पूर्ण विवरण क्या है;

(ङ) अभ्यार्थियों को किस आधार पर चुना गया;

(च) अभ्यार्थियों को चुनने एवं हॉयर करने के लिए कौन–सा अधिकारी उत्तरदायी था; और

(छ) कितने पद रिक्त रहे अथवा समाप्त हो गये?

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी।

माननीय उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष जी प्रश्न संख्या छः का उत्तर इस प्रकार है :

(च) उपरोक्तानुसार; और

(छ) उर्दू अकादमी में रिक्त पदों की संख्या : 20 है।

माननीय अध्यक्ष : सप्लीमेंटरी, सरिता जी।

श्रीमती सरिता सिंह : नहीं।

माननीय अध्यक्ष : एनी सप्लीमेंटरी इस पर? बाजपेयी जी।

श्री अनिल बाजपेयी : मैं माननीय उप मुख्य मंत्री साहब से पूछना चाहता हूँ कि यह उर्दू अकादमी की ओर से जो जवाब दिया गया है, क्या यह पूरे तरीके से ठीक है? क्योंकि सब में लिख दिया है उपरोक्तानुसार, उपरोक्तानुसार जबकि इसके नीचे अगर आप पत्रों का अवलोकन करें तो उन्होंने साफ तरीके से लिखा है कि डिप्टी सेक्रेटरी ने लिखा है उनके डिपार्टमैंट के मो. आलिम जी ने और जो वहाँ की पोस्टें खाली थीं, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया है आज तक। आज भी कई स्कूलों में और उर्दू अकादमी की ओर से भी जहाँ–जहाँ मुस्लिम बच्चे मॉइनोरिटी के रहते

हैं वहाँ उर्दू अकादमी की ओर से उनको पढ़ाने के लिए टीचर्स की व्यवस्था की जाती है लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया।

मेरा आपसे अनुरोध है कि कम से कम आप इसका सही उत्तर पटल पर मंगाया जाए।

माननीय उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई विशेष जानकारी माननीय सदस्य को चाहिए तो मैं उपलब्ध करवा सकता हूँ बाद में भी, लेकिन जहाँ तक इस प्रश्न में पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि कितने रिक्त पद (स्थायी एवं सलाहकार) विज्ञापित किए गए? जवाब कहता है कि एक भी पद विज्ञापित नहीं किया गया। अब वो पूछ रहे हैं कि जिन प्रकाशनों ने उक्त विज्ञापनों को प्रकाशित किया, जब विज्ञापन प्रकाशित ही नहीं किया गया है तो उपरोक्तानुसार ही रहेगा। प्रत्येक रिक्त पद के नियुक्ति नियम, मानदण्ड का वेतनमान सहित पूर्ण विवरण दें, यह उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रत्येक रिक्त पद के लिए प्राप्त हुए आवेदनों का उनकी कुल संख्या सहित पूर्ण विवरण क्या है, अब जब क्योंकि रिक्त पद अभी विज्ञापित ही नहीं किए गए तो उसके आवेदन की जानकारी भी उपरोक्तानुसार ही है इसलिए ऊपर बताया गया है कि डी.एस.एस.एस.बी. को एक लैटर से पहले एप्लिकेशन दी गई थी, उनको भेजा गया था, दूसरे में उनको रिमाइंड भी कराया गया है तो अभी विज्ञापन निकल नहीं है। अभ्यार्थियों को किस आधार पर चुना गया है, इसमें भी उपरोक्तानुसार है क्योंकि विज्ञापन ही नहीं निकला है। अभी डी.एस.एस.एस.बी. ने प्रोसेस शुरू नहीं की है या शुरू की होगी तो कम से कम विज्ञापन तो नहीं निकला है अभी। अभ्यार्थियों को चुनने एवं हॉयर करने के लिए कौन–सा अधिकारी उत्तरदायी था,

डी.एस.एस.एस.बी. का ही काम है ऊपर बता दिया गया। कितने पद भरे रहे, यह जानकारी दे दी गई है।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या सात, सिरसा जी (अनुपस्थित)। प्रश्न संख्या–आठ, श्री सुरेन्द्र सिंह जी।

श्री सुरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्य मंत्री जी से प्रश्न संख्या–आठ का आंसर चाहता हूँः

क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली विधान सभा में कई माननीय विधायकों ने स्थानीय भाषा एवं कलाकारों के विकास हेतु हरियाणवी भाषा की अकादमी बनाने की माँग की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस अकादमी का गठन कब तक कर लिया जाएगा?

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या–आठ का उत्तर इस प्रकार है :

(क) दिल्ली सरकार विभिन्न भारतीय भाषाओं की अकादमियों की स्थापना कर रही है जिसका प्रस्ताव यथाशीघ्र कैबिनेट के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाना है। इसमें हरियाणवी भाषा की अकादमी भी शामिल है

तथापि हरियाणवी भाषा की अकादमी बनाने के संबंध में माननीय विधायकों के द्वारा इस कार्यालय में कोई पत्र उपलब्ध नहीं है;

(ख) लागू नहीं;

(ग) विचाराधीन है;

माननीय अध्यक्ष : सप्लीमेंटरी। एनी सप्लीमेंटरी प्रश्न संख्या–नौ, विशेष रवि जी (अनुपस्थित)। प्रश्न संख्या–दस, बंदना जी।

श्रीमती बंदना कुमारी : अध्यक्ष जी, उप मुख्यमंत्री जी प्रश्न संख्या–दस का उत्तर देने की कृपा करें :

क्या माननीय **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जी.पी. ब्लॉक, पीतमपुरा के स्कूल के छात्र जैड.पी. ब्लॉक, पीतमपुरा के विद्यालय में शिफ्ट कर दिए हैं?

(ख) क्या सरकार का जी.पी. ब्लॉक की इस जमीन पर नया स्कूल भवन बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हाँ, तो जी.पी. ब्लॉक के इस स्कूल का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जायेगा, इसका पूर्ण विवरण क्या है;

(घ) क्या यह सत्य है कि जनता की लगातार माँग पर विभाग द्वारा हॉयर सेकेण्डरी स्कूल, हैदरपुर को सीनियर सेकेण्डरी स्कूल में अपग्रेड करने पर कार्य शुरू कर दिया गया था;

(ङ) यदि हाँ, तो इस स्कूल के अपग्रेडेशन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) इस कार्य में देरी के क्या कारण हैं और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी।

माननीय उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या–दस का उत्तर इस प्रकार है :

(क) जी हाँ। दिनांक 01/11/2015 को जी.पी. ब्लॉक, पीतमपुरा के स्कूल के सभी छात्रों को जैड.पी. ब्लॉक, पीतमपुरा के विद्यालय में शिफ्ट कर दिया है;

(ख) जी.पी. ब्लॉक की इस जमीन पर खिलाड़ियों के लिए एक आवासीय परिसर एवं खेल सुविधाएं विकसित करने की योजना है;

(ग) उपरोक्त "ख" के अनुसार लागू नहीं होता है;

(घ) क्लास रूम (कक्षा–कक्षों) की कमी तथा नये कमरों के निर्माण हेतु जगह के अभाव के कारण विद्यालय को अपग्रेड करने का कार्य नहीं किया जा सका;

(ङ) एवं (च) उपरोक्तानुसार।

माननीय अध्यक्ष : सप्लीमेंटरी।

श्रीमती बंदना कुमारी : ये जी.पी. ब्लॉक... अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी से सवाल करना चाहती हूँ। जो जी.पी. ब्लॉक जे.जे. क्लस्टर के एकदम बगल में है, वो स्कूल था, बहुत नजदीक था। बच्चों को अब दूर जाना पड़ रहा है। जे.पी. के स्कूल में

तो क्या, वो परिसर है, खाली जगह काफी पर्याप्त है जे.जे. क्लस्टर के बगल में है तो क्या वहाँ पर ही स्कूल नहीं बन सकता जो जगह पर है?

माननीय उप मुख्य मंत्री (श्री मनीष सिसोदिया) : इसकी दूरी के बारे में अध्यक्ष महोदय, मेरे पास अभी अधिकारिक सर्वेक्षण सूचना नहीं है लेकिन माननीय सदस्या ऐसा कह रही हैं तो उसकी एक बार सर्वे कराकर देख लेते हैं कि जो स्कूल में शिफ्ट किया गया है क्योंकि 2015 में शिफ्ट कर दिया गया था और वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और यहाँ पर खेल सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव चल रहा है तो इसको एक बार एग्जामिन करा लेते हैं उसके बाद पूछ सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या–11, राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ता : ऊर्जा मंत्री प्रश्न संख्या 11 का जवाब देने की कृपा करें :

(क) क्या यह सत्य है कि माननीय ऊर्जा मंत्री ने डी.ई.आर.सी. द्वारा बढ़ाये गये लोड चार्जिज को वापिस लेने के आदेश जारी किए थे;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि माननीय उर्जा मंत्री ने फिक्स्ड चार्जिज भी वापिस लेने के आदेश दिए थे;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि टी.पी.डी.डी.एल. और बी.एस.ई.एस. ने लेट फीस चार्जेज और बढ़े हुए दामों के बिल न भरने के कारण बिलों में सुधार किए जाने तक डिसकनेक्शन के नोटिस रोक दिए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उनका विवरण क्या है?

माननीय ऊर्जा मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–11 का उत्तर इस प्रकार है :

(क) जी हाँ, ऊर्जा विभाग द्वारा इस संबंध में दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 के तहत दिनांक 25/06/2018 को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए हैं। आदेश की काफी संलग्नक–'क', संलग्न है।

(ख) जी नहीं; और

(ग) जी नहीं।

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF POWER)

DELHI SECRETARIAT, 8TH LEVEL, B-WING
NEW DELHI-110002

No. F.11 (62)/2018/Power/747 Dated : 25th June, 2018

ORDER

In exercise of the powers conferred by section 108 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification number U-11030/2/2003/UTL dated the 20th February 2004, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in view of policy involving larger public interest, hereby gives the directions to the Delhi Electricity Regulatory Commission to make the necessary amendments in Clause 20 and 21 of DERC Supply Code and Performance Standards Regulations, 2017 to restore the earlier provisions of clauses 20 and 23 to 25 of Performance Standards Regulations, 2007 in the new Regulation, 2017 for charging security

deposit for change in load, transfer of connections etc. only for increased load part, if any.

By order and in the name of the Lt. governor
of the National Capital Territory of Delhi,

(Mukesh Prased)
Spl. Secretary (Power)

To

The Member,
Delhi Electricity Regulatory Commission,
Viniyamak Bhawan shivalik,
Malviya Nagar, Delhi

माननीय अध्यक्ष : सप्लीमेंटरी राजेश जी।

श्री राजेश गुप्ता : अध्यक्ष जी, पहले तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्योंकि पिछले सत्र में इसके ऊपर बड़ा बवाल मच रहा था और अगर हो सके अगर यह संभव हो सके तो एक–दो दिन में या एक हफ्ते के अंदर ऊर्जा मंत्री जी ये बताने की कोशिश करें... क्योंकि मेरे पास ही ऐसे बहुत बिल आए हैं जो माइनस में आ गए हैं। माने 400 और 500 के बिल हमारे कार्यकर्ताओं के आए हैं टी.पी.डी.डी.एल. के एरिया के अंदर तो अगर हो सके तो आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी वो उपलब्ध करा सकें कि दिल्ली की जनता का कितना पैसा वापस हुआ है तो बहुत कृपा होगी, ये पहला है। अब मैं आगे...

माननीय ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें सारा इकट्ठा करने में

थोड़ा समय लगेगा। दो दिन में तो थोड़ा मुश्किल है इसको कंपाइल कराके एक हफ्ते के अन्दर कंपाइल कराके दे देते हैं, धन्यवाद।

श्री राजेश गुप्ता : सर, दूसरा ये कहना था कि जो प्रश्न 'ख' था कि जो फिक्स्ड चार्जेज बढ़ाये गये थे, उसमें भी शायद ऊर्जा मंत्री जी ने कहा तो है, उन पर कुछ करने के लिए तो उसमें कुछ क्लियरिटी आ जाए और सर, मैं एक बात और कह देता हूँ। एक तीसरी चीज सर, जो नीतिगत फैसले कि हाईटेंशन वायर की हो रही थी, उसमें नीतिगत चीज है जो मैं बता रहा हूँ इसमें वो जी.एस.टी. लगाते हैं सर, तो माननीय क्योंकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी यहीं पर बैठे हैं तो वो जी.एस.टी. जब सरकार का पैसा सरकार के पास में जा रहा है तो ये कृपा करें कि वो जी.एस.टी. न लगे। दो करोड़ के काम में बेमतलब 56 लाख रुपये जा रहे हैं सरकार के।

माननीय ऊर्जा मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं जी. एस.टी. के बारे में जवाब दूँगा के फाइनेंस मिनिस्टर साहब मान जाएं तो मैं तो पहले डिमांड करूँगा कि छोड़ दें। अब उसके बारे में मुझे पता नहीं है कितना लगता है; 28 परसेंट है या 12 परसेंट है। ये मुझे पता नहीं है। दूसरा जो फिक्स्ड चार्जेज की बात है, मेरे पास काफी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे जो 'क' का उत्तर है, मैंने उसमें कहा था; इसको हम इमीडियेटली डायरेक्शन देकर ठीक करा देते हैं। जो 'ख' वाला था, हमने कहा था कि जो नेक्स्ड पॉवर टैरिफ आएगा, उसके अंदर हम पूरी रिक्वेस्ट करेंगे ताकि उसको दोबारा से वापिस किया जा सके। हमने बात की थी और उनका कहना था कि जो रेट कम किए थे, रेट कम करने की वजह से कुछ उनको रेशनलाइज किया गया था तो दोबारा से जनता से बात करके उसको

ठीक कर दिया जाएगा और मैं अब सदन को बताना चाहूँगा कि लगभग दो हजार... दिल्ली के अंदर लगभग दो हजार मेगावाट के लोगों ने अपने कनेक्शन का लोड कम करा लिया है तो अब ये सदन को कई लोगों के 11 किलोवाट के कनेक्शन्स हैं। अब जब कि उनको जरूरत 4–5 किलोवाट की है तो अपनी एप्लीकेशन देकर उसको कम करा लीजिएगा, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा आसान है, आराम से हो रहे हैं तो अगर हजार, दो हजार और कम करा लेंगे तो वो वापस खुद ही कंपनी वाले कहेंगे, ये वापस कर दो।

माननीय अध्यक्ष : चलिए, गुलाब जी।

श्री गुलाब सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि डॉमेस्टिक और कमर्शियल में तो आपने किया लेकिन जो एग्रीकल्चर कनेक्शन हैं, मैं इसके बारे में चिट्ठी भी लिख चुका हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और पॉवर मिनिस्टर को भी। सबसे बड़ी दिक्कत आज किसानों को है कि जो ये फिक्स्ड चार्जेज बढ़े हैं, आज धान की खेती है, बारिश हो गई, सारे खेतों में पानी भरा है, उनकी मोटरें बंद हैं और बंद का भी वो 500 रुपया 700 रुपया, 800 रुपये उनका सिर्फ फिक्स्ड चार्ज की वजह से आ रहा है उनका बगैर बात का यानी कि किसान जो 15000 रुपये एकड़ में कमाएगा 10–12 हजार रुपये एकड़ में कमाएगा, चार महीने के अंदर, वो बेचारा चार महीने में करीबन साढ़े तीन चार हजार रुपये तो बेकार का बंद मोटर का बिल दे रहा है, इसके बारे में क्या कोई संज्ञान लिया जा रहा है?

माननीय ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं इस सदन में हमारी पॉलिसी आने के बाद पहला दिन है तो मैं बताना चाहूँगा कि

दिल्ली के किसानों की आय बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार एक पॉलिसी लेकर आई है कि एक कीला एक लाख। एक एकड़ के अंदर एक लाख रुपये आप अपने वहाँ पर सोलर पैनल लगवा लीजिए। सोलर पैनल लगाना भी कैसे होगा कि ऐसे पिलर लगेगा उसके ऊपर लगाएंगे और पूरे में नहीं 33 परसेंट एरिये में लगेगा तो किसान को जो कि उसकी आय साल में 20 से 30 हजार रुपये तक होती है पूरी मेहनत करने के बावजूद, वो अपनी खेती करता रहेगा और जो उसकी आय है, वो होती रहेगी। इसके अलावा एक कीले के ऊपर, एक एकड़ के ऊपर एक लाख रुपये उसको अलग से मिलेगा हर साल। जो हमारे देश में बात होती है कि किसानों की आय को डेढ़ गुना किया जाएगा या दोगुना किया जाएगा, हम सीधा चार गुना करने जा रहे हैं, इमीडियेटली करने जा रहे हैं और सबसे ज्यादा बेनिफिट गुलाब सिंह जीको होगा, सबसे ज्यादा। दूसरी बात, जहाँ तक है... फिक्स्ड चार्जेज वाली बात है, इसके बारे में इनकी मेरे से दो–तीन बारी बात हुई है, इसको अलग से बैठके देखा जाएगा किस तरह से साल्व किया जा सकता है और उसका सॉल्व निकालने के लिए हमने एक आधा कनेक्शन नहीं खत्म करा देंगे, जब आपको एक लाख रुपये देंगे साथ में हम कुछ यूनिट फ्री भी दे रहे हैं। तो उनको कनेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और उनका काम बिल्कुल फ्री में होगा।

माननीय अध्यक्ष : गुलाब जी, ठीक है?

श्री गुलाब सिंह : सर मैं ये कह रहा हूँ, ये लोन प्रोसेस हो सकता है... इसमें मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ; ये सच्चाई है हरियाणा सरकार ने एक एक एग्रीकल्चर कनेक्शन पर फिक्स्ड चार्ज कर रखे हैं 400 रुपये। अभी हालत ये हो रखी है, मैंने पहले भी सदन में

कई बार इस मुद्दे को उठाया है; दो एकड़ जमीन जिसके पास है, वो सिंचाई कर रहा है उसके ऊपर थेप्ट के 3–3, 4–4, 5–5 लाख रुपये के केस बना रखे हैं। आज वो धक्के खा रहे हैं बी.एस.ई.एस. के आफिस के अंदर। आप बताइए जिसके पास पूरे साल के अंदर 40 हजार रुपये इनकम हो और उसके ऊपर थेप्ट का केस बना दिया, निश्चित तौर पर मैंने पहले बताया था और आज इतना बड़ा इश्यू नहीं है दिल्ली में, दिल्ली के अंदर छः करोड़ रुपये का बिल किसान देते हैं और करीबन 50 परसेंट के अंदर बिजली की चोरी भी हो रही है, किसान कहते हैं मजबूरी में। दोनों को अगर मिला लिया जाए तो 10 से 12 करोड़ रुपये की सब्सिडी अगर दे दी जाए जहाँ 15 सौ करोड़ रुपये डोमेस्टिक में दे रहे हैं, हम अगर मात्र 10–12 करोड़ रुपये का एक छोटा सा पीनट्स किसानों के लिए दे दिया जाए तो दिल्ली के किसानों को टोटल बिजली फ्री कर सकते हैं और अगर आप चलिए पीनट्स भी न दीजिए आप 300 रुपये पर कनेक्शन के हिसाब से कर दीजिए ताकि ये जो बिजली के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जाता है, तीसरे दिन जो रेड डालता है किसानों के ऊपर, आज जाकरे देखिए, देहात में हमारे कपड़े फाड़ रहे हैं, हर गाँव के अंदर ये हालात हैं। मेरा मंत्री जी से ये निवेदन है, कृपा इसके विषय में आप गंभीरता से इसके बारे में सोचिये, कई बार सदन में बोल चुके हैं हम इसके बारे में।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दलाल जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, अनिल जी, ये उनका विषय है किसानों का।

श्री सुखवीर सिंह दलाल : मैं विधायक फण्ड से... मैं गारंटी के साथ ये कहता हूँ कि चार करोड़ रुपये पूरी दिल्ली को दिये मगर किसानों के लिए वो फ्री कर दें। मैं वो डेवलपमेंट के काम और कहीं से करा लूँगा। ये चार करोड़ रुपये जो मुझे विधायक फण्ड से मिलेगा, वो किसानों के लिए बिलकुल फ्री कर दिया जाए, सभी उसके लिए।

माननीय परिवहन मंत्री (श्री कैलाश गहलौत) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक मिनट आपकी परमीशन से कहना चाहूँगा किमेरी विधान सभा भी एक देहात की विधानसभा है और मैं बिलकुल सहमत हूँ, गुलाब भाई जो कह रहे हैं। इनफैक्ट शनिवार को मैंने बवाना विधान सभा और मुण्डका विधान सभा में कहा है।

माननीय अध्यक्ष : कैबिनेट की मीटिंग में कह दिया ना, आप केबिनेट की मीटिंग में करिए माननीय मंत्री जी।

माननीय परिवहन मंत्री : मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और पॉवर मिनिस्टर भी हैं जो भी गुलाब भाई कह रहे हैं, उसमें सच्चाई ये है। जो किसान के पास एक एकड़ जमीन है, जो पूरा परिवार और पूरा अपना घर संभाल रहा है, उस एक एकड़ में जो भी ये डायरेक्ट फिक्स्ड इस पर चार्जेज बढ़े हैं, वो बिलकुल वो किसान है, उसको सह नहीं पाएगा।

माननीय अध्यक्ष : कैलाश जी, अब बैठिए प्लीज। जैन साहब।

माननीय ऊर्जा मंत्री : पहले तो अध्यक्ष जी...

माननीय अध्यक्ष : इसकी तो घोषणा कर ही दो आज।

माननीय ऊर्जा मंत्री : देखिए, आज एक घोषणा कर सकता हूँ; किसी भी किसान के ऊपर अगर झूठा बिजली का चोरी का केस बन गया, तो बता देना उसको नहीं छोड़ेंगे, एक भी झूठा केस नहीं बनने देंगे, इसकी गारंटी लेते हैं। अभी सर, अध्यक्ष महोदय...

माननीय अध्यक्ष : दलाल जी, बैठिए। बैठिए आपका प्रश्न पढ़ रहे लगता है मुझे।

माननीय ऊर्जा मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन) : मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ डी.आर.एस.सी. से इस बारे में कि जो इससे पहले थे ना कि भई इन्होंने क्या कि बिजली के रेट आधे कर दिये और फिक्स्ड चार्जेज शायद 125 किलोवाट कर दिये। हम कह रहे हैं कि पुराने वाला कर दें। पुराने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी तो उसको हम करवा देंगे। क्योंकि जो पहले वाला था, वही करवा देंगे।

श्री गुलाब सिंह : स्टार्ट कर दो ना सर। हरियाणा सरकार ने भी कर रखे हैं। तीन सौ रुपये के हिसाब से चार सौ रुपये पर कनैक्शन कर दो सर। मैं बता रहूँ आपको एक पब्लिक मीटिंग गाँव में कर लीजिए। इतने किसान परेशान हैं इस इन्फोर्समेंट की वजह से। हमने किसानों को 20 हजार रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया। आज भी किसान अरविंद केजरीवाल जी को याद करते हैं और ये एक ऐसा काम है कि हर दिल में अरविंद केजरीवाल जी, सत्येन्द्र जैन जी को, मनीष जी हर महीने याद करेंगे अगर आपने ये काम कर दिया तो। हर महीने किसान याद करेगा और दूर तक मैसेज जाएगा। प्लीज ये कर दीजिए, इतना बड़ा नहीं है। दस बारह करोड़ रुपये क्या सब्सिडी है सर, आप सोलह सौ करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रहे हो।

माननीय उर्जा मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए मीटिंग इन्वाइट करूँगा। जो–जो एम.एल.ए. साहब हैं, वो सब आ जाएं। बस, रिक्वेस्ट यही है। अब यहाँ पर तो सभी कह रहे हैं उस मीटिंग में पता नहीं कितने आएंगे। हाँ, इसकी मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग में डिस्कस करेंगे। एक चीज और बता देता हूँ अभी। देखिएगा, मेरा ये कहना है; बिजली की बात हो रही है, हमारी सरकार बनी थी दिसम्बर 2013 में पहली बार। अब 18 है, लगभग पाँचवाँ साल चल रहा है तो मेरा ये फर्म बिलीफ है कि दिल्ली के अंदर बिजली के रेट दस साल नहीं बढ़ने चाहिए। पाँच साल हो गए हैं, अगले पाँच साल भी बिजली के रेट नहीं बढ़ने चाहिए। पाँच साल रेट बढ़ने नहीं दिये, बल्कि कम किए, आधे किए बिजली रेट हमने।

...(व्यवधान)

माननीय ऊर्जा मंत्री : अरे सर जी, आप चुप रहो।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ओम प्रकाश जी, मैंने रोका नहीं, आप सप्लीमेंटरी... आपने... मैंने रोका, सप्लीमेंटरी के हाथ उठाया है। आप ही ने हाथ उठाया है, बोल रहे हैं। सप्लीमेंटरी के लिए आपने हाथ उठाया है। बोलने की इजाजत माँगी। कुछ तो बोला आपने तभी तो बोले हैं लोग। तो आप हाथ उठाते ना। देखिए ओम प्रकाश जी, सप्लीमेंटरी के हाथ उठाते हैं, मैं समय नहीं देता तो कहते आप। बैठिए, प्लीज। जैन साहब, अब इसको कम्प्लीट करिए जो भी उत्तर देना है। एक दो क्वेश्चन और मैं ले लूँ।

माननीय ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष जी, एक दो सेकण्ड लगेगा बस। पहली बात इन्होंने टोका था। मैंने कहा सर जी, आप तो चुप रहिए। मुझे लगता है वो शब्दों का अब दोबारा देख सकते हैं इससे सभ्य शब्द नहीं होते, परन्तु उन्होंने जो भी बोला था, उनका ठीक नहीं था। मैं अध्यक्ष जी, से बात कर रहा हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : देखिए, ओम प्रकाश जी, आपको कुछ बोलना था सप्लीमेंटरी के लिए समय दिया मैंने पूरे सदन को। आप अपना हाथ उठाते। मैं समय नहीं देता तो कहते आप। नहीं आपने टोका बीच में। वो उत्तर दे रहे हैं, टोका आपने बीच में। बैठिए, अब।

...(व्यवधान)

माननीय उर्जा मंत्री : बिजली के बारे में कई लोगों को बड़ी तकलीफ होती है जब भी बात होती है। आपकी बात नहीं कर रहे, हम कई लोगों की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं दोबारा से कहना चाहूँगा कि जो किसान वाली समस्या है, उसके लिए अलग से मीटिंग बुलाकर उसको सॉल्व किया जाएगा, बैठ के बात करके, बातचीत करके खत्म करेंगे। जो मैंने अभी एक एकड़ और एक लाख रुपये वाली बात बताई है। मुझे लगता है, आदरणीय सदस्यों को उसके बारे में शायद जानकारी नहीं हुई या उनको समझ नहीं है ज्यादा। इसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं कि एक पैसा भी किसान से नहीं लिया जाएगा। उसकी खेती पूरी खेती ऐज इट इज

करते रहेंगे। एक लाख रुपये साल उसको हम अलग से मिलेगा और जो कि हर साल बढ़ता रहेगा। छः परसेंट हर साल बढ़ेंगे और पच्चीस साल में वो चार लाख रुपये साल के हिसाब से मिलने लगेंगे। तो दिल्ली के किसानों के लिए ये स्कीम हम लाने जा रहे हैं। केबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है, स्कीम लागू हो गई है। अगले 6–8 महीने के अंदर लगने चालू हो जाएंगे। हम किसानों के लिए जो काम करने जा रहे हैं ये देश के अंदर पहली बारी हो रहा है। और मैं तो कहूँगा कि बाकी राज्य भी जो है, इसको कॉपी कर लें।

माननीय अध्यक्ष : नहीं, सौर उर्जा के पैनल सरकार लगा कर देगी?

उर्जा मंत्री : सब कुछ सरकार करेगी। एक पैसा भी उन्होंने नहीं लगाना। कुछ भी नहीं लगाना है। एक पैसा नहीं देना है और उनको एक लाख रुपये महीना भी नहीं चार लाख रुपये महीना मिलेगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : भई अब नहीं, हो गया। मुझे आगे बढ़ने दीजिए। बारहवाँ प्रश्न श्री जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधान : अध्यक्ष जी मैं उप मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि प्रश्न, संख्या–बारह का उत्तर देने की कृपा करें।

क्या माननीय **उप मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार 400 अध्यापकों को ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेज रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इन अध्यापकों का चयन किस आधार पर किया गया है;

(ग) इस ट्रेनिंग प्रोग्राम पर कितना खर्चा आएगा;

(घ) इस ट्रेनिंग के बाद बच्चों को क्या फायदा होगा; और

(ङ) इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का पूर्ण विवरण दें?

माननीय उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या–बारह का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) 300 अध्यापक विकास समन्वयक (टी.डी.सी.) तथा 100 मैंटर शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, सिंगापुर (एन.आई.ई.) वित्त वर्ष 2018–19 में भेजे जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित हैं;

(ख) (टी.डी.सी.) अध्यापक चयन मापदंड/प्रक्रिया की प्रतिलिपि संलग्न है। सभी मैंटर शिक्षक भेजें जाएंगे;

(ग) इस प्रशिक्षण हेतु खर्च लगभग 5.5 करोड़ रुपये प्रस्तावित है;

(घ) राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान सिंगापुर (एन.आई.ई.) में प्रशिक्षणार्थी शिक्षकों को शिक्षण तथा अधिगम व सम्बन्धित क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर नवाचार, विकास, अंतः सांस्कृतिक शैक्षिक प्रक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवीन अनुसंधान तथा आनंदपूर्ण शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया व नेतृत्व क्षमता के विकास इत्यादि सम्बन्धित क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसका लाभ सीधे रूप में कक्षा–कक्षा के छात्रों के अधिगम पर सकारात्मक रूप से होगा; और

(ङ) वर्तमान प्रस्ताव एस.सी.ई.आर.टी. के द्वारा सरकारी शिक्षकों के व्यावसायिक उत्थान एवं नेतृत्व क्षमता के विकास हेतु दिये जाने वाले प्रशिक्षण के अन्र्तत है। अध्यापकों को प्रशिक्षण दिलाने से विद्यार्थियों का बहुमुखी विकास सम्भव होता है।

अनुलग्नक–1

TDC Selection Criteria Document

300 Teacher Development Coordinators (TDC) have tobe shortlisted for Capacity Builidng Program at NIEI, Singapore and they have to be selected based on the following criteria :-

Selection of TDCs will be done in two different rounds:-

Round 1 :-

The Block resource persons along with Mentor teacher will select around 75% of the total TDCs which will be interviewed in round two by the committee.

A. TDC period of work

B. Co-learning session attendance

C. Percentage of meeting completed.

D. Recommendation from HoS, (Mentor teachers and BRP need to confirm their name before sending list to committee.

E. Quality of Work as TDC

F. TDCs willingness to go to Singapore.

This round will act as an elimination round where 25% of total TDCs will be eliminated by Mentor Teachers and BRPs. 75% of total TDCs post recommendation from Principal will be sent to committee.

Round 2 : The final round of interview will be taken by a panel/committee of DIET facilitator, BRP and zonal DDEs.

- 40% of Total TDCs (414) in every zone will be shortisted by the committee which includes, DDE Zone, DIET Facilitators/TDC Nodal Officer, Progamme manager and BRP.
- We are expecting a dropout of 100 TDCs as per logistical constraints like passport unavallability, visa rejection etc.
- Here a formal interview will be conducted on the criteria mentional in the table below.
- The committee can take discretion on type of question to be asked on with respect to a particular criterion.
- The interview will have 3 levels coring rubric (0, 1 and 3).

0 repesents low,

1 represent medium and

3 represent high,

- Based on total score in last column the top 40% out of 75% in total TDCs will be selected.

Neme of TDC	School Level Contribu-tion	Ability to lead academic discourse	Content Understa-nding	School Vision for future (Leadership)	Total Score

माननीय अध्यक्ष : हाँ, सप्लीमेंटरी, जगदीश जी। ऐनी सप्लीमैंटरी? हाँ बताएं।

श्री सुरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, उप मुख्य मंत्री जी ने प्रिंसिपल को दो अध्यापकों की बदली करने की परमिशन दी। और जिस सब्जेक्ट का वो है ही नहीं अध्यापक, उसकी प्रिंसिपल ने बदली करा दी।

श्री सुरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक सरप्लस था, वह चला गया, अब टीचर हैं नहीं स्कूल में।

माननीय अध्यक्ष : नहीं, मैं ऐसे अलाउ नहीं करूँगा। नहीं, मैं अलाउ नहीं करूँगा, प्लीज। नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप साढ़े तीन साल पुराने हो गए हैं। नहीं प्लीज समय खराब होता है। अन्तिम प्रश्न श्री सोम नाथ जी।

श्री सोमनाथ भारती : I shall request to Minister of Law to respond to question no. 13.

(क) क्या यह सत्य है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बावजूद दिल्ली में पिछले 22 वर्षों से कोई मानवाधिकार आयोग नहीं है;

(ख) सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) आए दिन होने वाले पुलिस प्रताड़ना के दृष्टांतों से दिल्ली के नागरिकों को बचाने हेतु एंटी–टॉर्चर कानून बनाने की दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) दिल्ली में पिछले 10 वर्षों में मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को दिए गए मुआवजे के विवरण सहित मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा देने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) माननीय उपराज्यपाल अथवा दिल्ली सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सी.आर.पी.सी. एवं आई.पी.सी. में किए गए संशोधनों का विवरण क्या है;

(च) पिछले 10 वर्षों में दिल्ली विधान सभा द्वारा पास किए गए एवं दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल के माध्यम से केन्द्र सरकार को अग्रेषित किए गए सभी विधेयकों का उनकी वर्तमान स्थिति सहित विवरण क्या है;

(छ) एप्लीकेशन कानून के रूप में अभी तक अधिसूचित न किए गए कानूनों का विवरण क्या है;

(ज) केन्द्र सरकार अथवा उपराज्यपाल द्वारा इन्हें अभी तक क्लियर न किए जाने के क्या कारण हैं;

(झ) दिल्ली सरकार के विभागों द्वारा एवं उनके लिए एम्पैनल किए गए वकीलों का विवरण क्या है;

(ञ) वकीलों के एम्पैनलमैंट का निर्णय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का विवरण क्या है;

(ट) माननीय उपराज्यपाल अथवा मंत्री परिषद के अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में लंबित पड़े मामलों का विवरण क्या है;

(ठ) माननीय उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों का विवरण क्या है; और

(ङ) उनकी लीगल फीस पर खर्च की गयी राशि का विवरण क्या है और क्या इस राशि का भुगतान कर दिया गया है?

माननीय विधि एवं न्याय मंत्री (श्री कैलाश गहलोत) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या–13 का जवाब प्रस्तुत है :

(क–ख) जी हाँ, लेकिन दिल्ली में मानवाधिकार आयोग बनाने से सम्बन्धित प्रस्ताव माननीय उपराज्यपाल दिल्ली के समक्ष विचाराधीन है;

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है;

(घ) वांछित सूचना सम्बन्धित विभागों से एकत्रित की जा रही है जो कि प्राप्त होने पर उपलब्ध करवा दी जाएगी;

(ङ) कोई संशोधन नहीं किया गया है;

(च) वांछित सूचना सम्बन्धित विभागों से एकत्रित की जा रही है जो कि प्राप्त होने पर उपलब्ध करवा दी जाएगी;

(छ) उपरोक्त;

(ज) उपरोक्त;

(झ) विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा एम्पैनल किए गए वकीलों का विवरण संलग्न है (संलग्नक 1 से 17) भूमि एवं भवन विभाग तथा सेवा विभाग के अपने पैनल हैं तथा इन विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है;

(ञ) माननीय उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक बैंच के आदेश दिनांक 04/07/2018 के अनुसार दिल्ली सरकार वकीलों के एम्पैनलमैंट का निर्णय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं;

(ट) माननीय उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक बैंच के आदेश दिनांक 04.07.2018 के अनुसार निम्नलिखित मामले लम्बित हैं :

Appeal No. 2357 of 2017

Contempt petition (civil) No. 175 of 2016 in

Writ petition (criminal) No. 539 of 1986

Civil Appeal No. 2358 of 2017

Civil Appeal No. 2359 of 2017

Civil Appeal No. 2360 of 2017

Civil Appeal No. 2361 of 2017

Civil Appeal No. 2362 of 2017

Civil Appeal No. 2363 of 2017

Civil Appeal No. 2364 of 2017 And criminal Appeal no 277 of 2017.

(ठ) दिल्ली सरकार का पक्ष रखने वाले वकीलों में श्री गोपाल सुब्रहमण्यम, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चिराग एम. एवं श्री राहुल मेहरा हैं। इनके अलावा अन्य वकीलों का विवरण जी.ए.डी. द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना में उल्लिखित हैं। (संलग्नक–क)

(ड) जी.ए.डी. द्वारा दी गई सूचना संलग्न है (संलग्नक–क)

(To be published in Part-IV (Extraordinary) of Delhi Gazette)

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF LAW JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE.
NEW DELHI**

No. F.5(10)/Lit(10)/dy.secylaw/998-1010 Dated 28.06.2013

NOTIFICATION

No. F.5(10)/Lit/10- In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 7 of Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint the following advocates as Government Pleaders / Panel Advocates for the District Courts of Delhi, re-conducting any suit, appeal or other proceedings by or against the Government of NCT of Delhi and or Uoion of India in relation to the affairs of the National Capital Territory of Delhi and / or Public Officer(s) whose defence has been undertaker, by it, namely:-

Sl. No.	Name of Advocate
1.	Amit Dhaukar
2.	Amit Gupta
3.	Aukur Mittal

4. Ashu Arora
5. Baldev Singh
6. Gulshan Kumar
7. Kapil Yadav
8. Rajendra Prasad
9. Ram Raghvendra Kumar
10. R.V. Sinha
11. S.N. Kaul
12. V.K. Gupta
13. Vijay Kinger
14. Waris Ali

2. These appointments shall be subject to such terms and conditions as may be prescribed from time to time.

3. This notification shall come into force with immediate effect and shall remain in force till further orders.

By order and in the name of
Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

(A.S Yadav)

Principal Secretary (Law, Justice & L.A.)
Govt. of NCT of Delhi

Extraordinary

(To be published in Part II Section 1 of The Delhi Gazette)

GVERMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETATIAT, I.P. ESTATE,
NEW DELHI

No 1 /4/L&J/11DYSECY/707-721 Dated : 20-03-2012

NOTIFICATION

No. 1/4L&J/11/-In exercise of the powers conferred by sub-section(7) of section 2 of Code of Civil Procedure (5 of 1908), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of, Delhi, is pleased to appoint the following advocates as Government Pleaders/Panel Advocates for the District Court for conducting any suit, appeal or other proceedings by or against the Government of NCT of Delhi and/or Union of India in relation to the affairs of the National Capital Territory of Delhi and/ or Public Officer(s) whose defence has been under taken by it, namely.

Tis Hazari Courts

Sl. No.	Name of the Advocate	Father's Name
1.	Chandra Mohan, Sharma	Shri H.S Sharma
2.	Nidhi Pruthi Kakkar	Late Shri S.K. Pruthi
Rohini Courts		
1.	Lalita Gupta	Shri Chandra Prakash Gupta
2.	Rohit Bansal	Late Shri Prem Nath Bansal
Dwarka Courts		
1.	Gita Dhingra	Shri M.C. Dhingra

Patiaia House Courts

Sl. No.	Name of the Advocate	Father's Name
1.	Mrinalini Sen Gupta	Shri Vikramjit Sen
2.	Rinchen C. Bhutia (Expired)	Shri Pem Chozing Lama
Karkardooma Courts		
1.	Raj Kumar Mittal	Shri D.R. Mtttal
2.	Sneh Rekha Thakur	Shri R.S. Bhoria
Saket Courts		
1.	Ajay Gupta	Late Shri S.P. Gupta
2.	Rajiv Bhardwaj	Shri B. M. Bhardwaj
3.	Sakshi Popli	Dr. K.B. Ropli

2. These appointments shall be subject to such terms and conditions as may be prescribed from time to time.

3. This notification shall come into force with immediate effect and shall reman in force till further orders.

By order and in the name of the
Lt.Governor of the National
Capital Territory of Delhi

(Tarun Sahrawat)
Add). Secretary (Law, Justice & LA)
Govt. of NCT of Delhi.

No. 1/4/L&J/11/Dysec/707-721 Dated20/03/12

Copy forwarded to:

1. The Pr. Secretary to the Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi, Raj Niwas, Delhi
2. The Pr. Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sectt., Delhi.
3. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
4. The Registrar General, High Court of Delhi, New Delhi.
5. District & Sessions Judge, Delhi Tis Hazari Courts, Delhi.
6. All the District Judges of Concerned District Courts.
7. Divisional Commissioner, 5, Sham Nath Marg, Delhi.
8. Pr. Secretary (Home), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sectt. Delhi.
9. The Commissioner of Police, Police HQ., IP Estate, New Delhi.
10. All Pr. Secretaries/Secretaries, Govt of NCT of Delhi.
11. All Heads of Deoartments, Govt. of NCT of Delhi.
12. Pay & Accounts Officer-X, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sectt., Delhi.
13. The Addl. Secretary (GAD/Cord.), Govt. of NCT of Delhi, Delhi with one spare copy and Hindi version in duplicate for favour of publication in Delhi Gazette with a request to send 25 copies of Gazette for office use.
14. Concerned advocate with the request to submit the acceptance of the above appointment to the Special Secretary (Law, Justice and LA).
15. Guard File.

(Tarun Sahrawat)
Addl. Secretary (Law Justice & LA)
Govt. of NCT of Delhi

Extraordinary

(To be published in Part II Section 1 of the Delhi Gazette)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE,
NEW DELHI

No. F.5(10)/Lit/10/GW/359-369 Dated : 4th Feb. 2011

NOTIFICATION

No. F.5(10)Lit/10/- In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 2 of Code of Civil Procedure (5 of 1908), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint the following advocates as Government Pleaders/Panel Advocates for the District Courts for conducting any suit, appeal or other proceedings by or against the Government of NCT of Delhi and / or Union of India in relation to the affairs of the National Capital Territory of Delhi and / or Public Officer(s) whose defence has been undertaken by it namely:

Tis Hazari Courts

Sl. No.	Name of the Advocate
1.	Adarsh Sharma Kaushik
2.	Amit Sharma
3.	Ashok Popli
4.	Atul Kumar
5.	Atul Rathi
6.	Dheeraj Kr. Singh
7.	Dr. Renu Aggarwal

Sl. No.	Name of the Advocate
8.	Jasmeet Kaur
9.	K. Kiran
10.	Parvinder Chauhan
11.	R.K. Agnihotri
12.	Rajesh Kumar Gupta
13.	S.S. Mittal
14.	Sanjay Dewan
15.	Sudhir Chander Sood
16.	Surinder Kumar Pruthi
17.	Vijay Chawla
18.	Vivek Samuel
Rohini Courts	
1.	Bindiya Savara
2.	Brijesh Saini
3.	J.S. Rawat
4.	R.N. Vats
5.	Rajeev Aggarwal
6.	Surinder Kumar Suryan
Dwarka Courts	
1.	Dincor Bajaj
2.	Mayank Sharma

Sl. No.	Name of the Advocate
3.	Sanjeev Kr. Singh
4.	Shyam Sunder Dalal
Patiala House Courts	
1.	Neeraj Aggarwal
2.	Nischal Kumar Neeraj
3.	Rohit Shankar
4.	Shubhra Parashar
5.	Yeeshu Jain
Karkardoom Courts	
1.	Ajit Pratap Singh
2.	Ashish Sharma
3.	Jai Kumar Sinha
4.	KPS Tomar
5.	Mukesh Kumar
Saket Courts	
1.	Ajay Sharma
2.	Himanshu Bajaj
3.	Manish Makhija
4.	Richa Jindal
5.	Ujjwal Thakur - Expired

2. These appointments, shall be subject to such terms and conditions as may be prescribed from time to time.

3. This notification shall come into force with immediate effect and shall remain in force till further orders.
4. This notification shall supercede all earlier notifications on the subject with immediate effect.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi

(Tarun Sahrawat)

Addl. Secretary (Law, Justice &
Govt. of NCT of Delhi

Extraordinary

(To be published in Part II Section 1 of The Delhi Gazette)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS
8TH LEVEL C-WING, DELHI SECRETARIAT, I.P, ESTATE,
NEW DELHI.

No. F.5(10)/Lit/10/D52/aw/344-356 Dated the 4th Feb. 2011

NOTIFICATION

No. F. 5(10)/Lit/10/- The Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby appoints the following advocates as Government Counsels to conduct cases by or against the Government of NCT of Delhi and / or Union of India in relation to the affairs of the National Capital Territory of Delhi and / or Public Officer(s) whose defence has been under taken by it, before the Value Added Tax Appellate Tribunal, Delhi and the High Court of Delhi, namely:

Sl. No.	Name of the Advocate
1.	A.K. Babbar
2.	Anubha Aggarwal

Sl. No.	Name of the Advocate
3.	C.M. Sharma
4.	H.C. Bhatia
5.	Kailash Kumar Ahuja
6.	N.K. Gulati
7.	Pradeep Tara
8.	S.B. Jain
9.	Suresh Kumar Bagga
10.	Vineet Bhatia

2. These appointments shall be subject to such terms and conditions as may be prescribed from time to time.

3. This notification shall come into force with immediate effect and shall remain in force till further orders.

4. This notification shall supercede all earlier notifications on the subject with immediate effect

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi

(Tarun Sahrawat)
Addl. Secretary (Law, Justice & LA)
Govt. of NCT of Delhi.

Extraordinary

(To be published in Part II Section 1 of The Delhi Gazette)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS
8TH LEVEL C-WING, DELHI SECRETARIAT, I.P, ESTATE,
NEW DELHI.

No. F.5(10)/Lit/10/dy.seclaw/1024-1036 Dated 28.06.2013

NOTIFICATION

No. F.5(10)/Lit/10- The Lieutenant Governor of the National Capita. Territory of Delhi, hereby appoints the following advocates as Government Counsels to conduct cases by or against the Government of NCT of Delhi and or Union of India in relation !D the affairs of the National Capital Territory of Delhi and / or Public Officer(s) whose defence has been undertaken by it, before the Value Added Tax Appellate Tribunal Delhi and the High Court of Delhi, namely:-

S. No.	Name of Advocate
1.	Madan Lal Garg
2.	Suman Kapoor
3.	Zafar Moonis

2. These appointments shall be subject to such terms and conditions as may be prescribed from time to time.

3. This notification shall come into force with immediate effect and shall remain in force till further orders.

By order and in the name of
Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi.

(AS. Yadav)
Principal Secretary (Law, Justice & L.A.)
Govt. of NCT of Delhi.

No F.5(10)/Lit.(10) /dy.secylaw/1024-1036 Dated 28.06.2013

Copy forwarded to:-

1. The Principal Secretary to the Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi, Raj Niwas, Delhi
2. The Principal Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
3. The O.S.D. to Chief Secretary. Govt. of NCT of Delhi.
4. The Registrar General, High Court of Delhi, New Delhi.
5. The Divisional Commissioner (Revenue), 5, Sham Nath Marg, Delhi.
6. The Pr. Secretary (Home), Govt. of NCT of Delhi.
7. The Commissioner of Police, Police H.Q. IP Estate, New Delhi

(दिल्ली राजपत्र के भाग–4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)
आठवां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, प्लेयर बिल्डिंग, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नयी दिल्ली–110002

सं.फा. 5(246)/लिट्/2016/उपसचिव 2 विधि/2642–54 दिनांक 15.08.2015

अधिसूचना

सं.फा. 5 (246)/लिट्/2016/उपसचिव 2 विधि/2642–54, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली

उच्च न्यायालय के साथ प्रारामर्श के पश्चात्, निम्नलिखित अधिवक्ताओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में किसी भी अभियोजन, अपील अथवा अन्य कार्यवाहीयों के संचालन के लिए अगले आदेशों तक अतिरिक्त लोक अभियोजकों के रूप में नियुक्त करते हैः—

क्र. सं.	अधिवक्ता नाम
1.	श्री केवल सिंह
2.	श्री एम.एस. ओबरॉय
3.	सुश्री रंजनी गुप्ता
4.	सुश्री मीनाक्षी चौहान
5.	श्री रंजत कट्याल
6.	श्री कमल कुमार चई
7.	श्री अमित गुप्ता
8.	सुश्री अनिता अब्राहम (Resigned)
9.	श्री सत्यनारायण वरिष्ठ (Resigned)
10.	श्री अक्षय मलिक
11.	सुश्री राधिका कुल्लुरू
12.	श्री विनोद दिवाकर (Resigned)
13.	श्री रवि नायक
14.	श्री वरून गोस्वामी (Resigned)

15. सुश्री आशा तिवारी
16. सुश्री कुसुम ढल्ला
17. सुश्री अल्पना पांडे (Resigned)
18. श्री तरंग श्रीवास्तव
19. श्री हिरेन शर्मा
20. सुश्री मीनाक्षी दहिया
21. श्री पन्ना लाल शर्मा
22. सुश्री नीलम शर्मा
23. श्री अमित अहलावत
24. श्री जी. एम. फरूक्की
25. श्री रघुविंदर वर्मा
26. श्री अशीष दत्ता
27. श्री मुकेश कुमार
28. श्री इजहार अहमद
29. श्री संजीव सवरवाल
30. श्री सुदर्शन जून (Resigned)
31. श्री अशोक कुमार गर्ग
32. श्री अरूण कुमा शर्मा (Resigned)

33. सुश्री मंजित आर्या

34. श्री अमित चढ्ढा

35. श्री एम. पी. सिंह

1. ये नियुक्तियां समय–समय पर यथा निर्धारित शर्तों के अधीन होगी।

2. यह अधिसूचना तत्काल से प्रभावी होगी तथा यह आगामी आदेश तक प्रवृत रहेगी।

3. यह अधिसूचना इस संबंध में जारी सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदशोनुसार तथा उनके नाम पर

(आर किरण नत्य)
प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

सं.फा. 5(246)/लिट्/2015/उपसचिव 2विधि/2642–54 दिनांक 05.08.2015

प्रतिलिपिः

1. अतिरिक्त सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग/समन्वय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नई दिल्ली का हिन्दी अनुवाद की वो प्रतियों सहित दिल्ली राजपत्र में प्रकाशनार्थ। कृपया राजपत्र अधिसूचना की 25 प्रतियां कार्यालय प्रयोग हेतु भिजवा दें।

(आर किरण नाथ)
प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

(To be published in Part-IV (Extraordinary) of the Delhi Gazette)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS
8TH LEVEL C-WING, PLAYERS BUILDING
DELHI SECRETARIAT, I.P, ESTATE, NEW DELHI.

No. F.5(245)/Lit/2015/DS2Law/1755-1766 Dated : 27.05.2015

NOTIFICATION

No. F.5(245)/Lit./2015/DS2Law/1755-1766 dated 27.05.2015:- In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 24 of Criminal Procedure Code. 1973 (Central Act 2 of 1974) the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, after consultation with the High Court of Delhi, is pleased to appoint Mr. Ranui Mehra as Public Prosecutor / Standing Counsel (Criminal) for conducting prosecution, appeals or other proceedings in the High Court of Delhi till further orders.

2. The appointment will be subject to such terms and conditions as may be prescribed from time to time.

3. This notification will come into force with immediate effect and shali remain in force till further orders.

This Government's all previous notifications issued in this regard will, from the date of the commencement of this notification, stand superseded.

By order and in the name of
Lt. Goveror of the National
Capital Territory of Delhi

(Vikrant Vaid)

Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)

No. F.5(245)/Lit./2015/ Dated: 27.05.2015

Copy forwarded to:

1. The Principal Secretary to the Lt. Governor. Govt. of NCT of Delhi, Raj Niwas, Delhi.
2. The Principal Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi
3. The Registrar General, High Court of Delhi, New Delhi

(To be published in Part-IV (Extraordinary) of the Delhi Gazette)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS
8TH LEVEL C-WING, PLAYERS BUILDING
DELHI SECRETARIAT, I.P, ESTATE, NEW DELHI.

No. F.5(245)/Lit/2015/DS2Law/1742-1754 Dated : 27.05.2015

NOTIFICATION

No. F.5(245)/Lit./2015/DS2Law/1742-17255 dated 27.05.2015:- In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 24 of Criminal Procedure Code, 1973 (Central Act 2 of 1974) the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, after consultation with the High Court of Delhi, is pleased to appoint the following advocates as Additional Standing Counsel (Criminal) for conducting any prosecution. appeal or other proceedings in the High Court of Delhi till further orders.

Sl. No.	Name of Advocate
1.	Mr. Avninder (Avi) Singh
2.	Ms. Kamna Vohra
3.	Mr. Rajesh Mahajan
4.	Mr Sanjay Lao

5. Mr. Ashish Aggarwal

6. Ms Richa Kapoor

7. Mr. Ranbir Singh Kundu

8. Ms Nandita Rao

2. The appointment will be subject to such terras and conditions as may be prescribed from time to time.

3. This notification will come into force with immediate effect and shaii remain in force till further orders.

4. This Government's all previous notifications issued in this regard will, from the date of the commencement of this notification, stand superseded.

By order and in the name of
Lt. Goveror of the National
Capital Territory of Delhi

(Vikrartt Vaid)
Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)

4. The OSD to the Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi

5. All Principal Secretaries / Secretaries. Govt of NCT of Delhi.

6. All Heads of Departments, Govt. of NCT of Delhi.

7. The Commissioner of Police, Delhi Police HQ. New Delhi

8. The Pay and Accounts Officer - X. Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi

9. DDO. Deptt of Law, Justice & LA, Govt. of NCT of Delhi. Delhi Secretariat, New Delhi

10. The Addl. Secretary (GAD / Coord.), Govt. of NCT of Delhi with one spare copy and Hindi version in duplicate for favour of publication in Delhi Gazette with a request to send 25 copies of Gazette notification for office use.
11. Sh. Rahul Mehra, 216, Lawyers' Chambers, Delhi High Court, New Delhi
12. Guard File.

(Vikrant Vaid)
Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)

To be published in Part IV (Extraordinary) at Delhi Gazette

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS 8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI.

No.F.5(245)/Lit./2015/DS2Law/3313-21 Dated: 14-07-17

NOTIFICATION

No. F.5(245)/Lit/2015/DS2Law/3313-21:- In exercise of the powers conferred under sub-section (7) of section 2 of Code of Civil Procedure (5 of 1908) and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Mr. Ramesh Singh, Advocate as Government Pleader / Standing Counsel (Civil) for the High Court of Delhi in relation to any suit, wait petition, appeal or other proceeding by or against the Government of National Capital Territory of Delhi and / or Union of India in relation to the affairs of the National Capital Territory of Delhi and / or public officer(s) whose defence has been undertaken by it.

The appointment of the above named advocate shall be subject to such terms and conditions as may be prescribed from time to time.

This notification shall come into force with immediate effect and shall remain in force till further orders.

This notification shall supersede all earlier notifications on the subject with immediate effect.

By order and in the name of
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi

(Raj Kumar Chauhan)
Secretary (Law, Justice & LA]

No.F.5(245)/Lit/2015/DS2Law/3313-21 Dated: 14-07-17

Copy forwarded to :

1. Secretary to Hon'ble Lt. Governor, Raj Niwas, Delhi.
2. Additional Secretary to Hon'ble Chief Minister, Delhi Secretariat, New Delhi.
3. Secretary to Hon'ble Minister(Law), Govt. of NCT of Delhi.
4. Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
5. Registrar General, Delhi High Court, New Delhi.
6. Standing Counsel (Criminal), GNCTD, Chamber No. 422, Delhi High Court, New Delhi.
7. All Heads of Departments, Govt. of NCT of Delhi.
8. DDO, Deptt. of Law, Justice & LA, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. Sh. Ramesh Singh, Advocate, P-4, 2nd Floor, Green Park Extension, New Delhi -110016.

(To be published in Part-IV (Extraordinary) of the Delhi Gazette)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS
8TH LEVEL C-WING, PLAYERS BUILDING
DELHI SECRETARIAT, I.P, ESTATE, NEW DELHI.

No. F.5(245)/Lit/2015/DS2Law/1420-1429 Dated : 01.05.2015

NOTIFICATION

No. F.5(245)/Lit./2015/DS2Law/1420-1429 In exercise of the powers conferred under sub-section (7) of section 2 of Code of Civil Procedure (5 of 1908) and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following advocates as Government Pleaders / Addl. Standing Counsel (Civil) for the High Court of Delhi in relation to any suit, writ petition, appeal or other proceeding by or against the Government of National Capital Territory of Delhi and / or Union of India in relation to the affairs of the National Capital Territory of Delhi and / or Public Officer)s) whose defence has been undertaken by it, namely:

Sl. No.	Name of the Advocate
1.	Mr. Sanjoy Ghose
2.	Mr. Gautam Narayan
3.	Mr. Devesh Singh
4.	Mr. Satyakam
5.	Mr. Peeyoosh Kalra (Resigned)
6.	Mr. Anuj Aggarwal
7.	Mr. Naushad Ahmed Khan
8.	Mr. Santosh Kumar Tripathi

2. These appointments shall be subject to such terms and conditions as may be prescribed from time to time.
3. This notification shall come into force with immediate effect and shall remain in force till further orders.
4. This notification shall supersede all earlier notifications on the subject with immediate effect.

By order and in the name of
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi

(R. Kiran Nath)
Principal Secretary (Law, Justice & LA)

(To be published in Part-IV (Extraordinary) of the Delhi Gazette)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS
8TH LEVEL C-WING, PLAYERS BUILDING
DELHI SECRETARIAT, I.P, ESTATE, NEW DELHI.

No. F.5(390)/LJ&LA/27/228-249 Dated : 09-01-2018

NOTIFICATION

No. F.5(390)/LJ&LA/27/228-249:- In exercise of the powers conferred under sub-section (7) of section 2 of Code of Civil Procedure (5 of 1908) and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Mr. Ramesh Singh, Advocate as Government Pleader / Standing Counsel (Civil) for the High Court of Delhi in relation to any suit, wait petition, appeal or other proceeding by or against the Government of National Capital Territory of Delhi and / or Union of India in relation to the affairs of the

National Capital Territory of Delhi and / or public officer(s) whose defence has been undertaken by it namely.

Sl. No.	Name of the Advocate
1	Mr. Shadan Farasat
2	Mr. Himmat Singh Shergil
3	Mr. Sameer Vashisht
4	Mr. Anupam Srivastava
5	Ms. Hetu Arora Sethi
6	Mr. Rishikesh Kumar
7	Mr. Shobhna Takiar
8	Mr. Anjum Javed
9	Mr. Jawahar Raja

2. These appointments shall be subject to such terms and conditions as may be prescribes from time to time.

3. This notification shall come into force with immediate effect and shall remain in force till further orders.

4. This notification in in continutin to this Government's notification No. F.5(245)Lit./2015/DS2Law/1420-1429 dated 01-05-2015

By order and in the name of
Lt. Government of the National
Capital Territory of Delhi

(Anoop Kumar Mendiratta)
Principal Secretary (Law and Justice & LA)

No. F.5(390)Lit./LJ&LA/17/228-249 Dated: 9/1/18

Copy forwarded to:

1. The Principal Secretary to Hon'ble Governor, Govt. of NCT of Delhi, Raj Niwas, Delhi.
2. The Additional Secretary to Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
3. Secretary to Hon'ble Minister (Law, Justice & LA), Level, A-Wing, Delhi Secretariat, Delhi.
6. All Principal Secretaries / Secretaries/HODs, Govt. of NCT of Delhi.
7. The Registrar General Delhi High Court, Shershah Suri Marg, New Delhi - 110 003.
8. The Controller of Accounts, Govt. of NCT of Delhi.
9. The Principal Accounts Officer X, Govt of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
10. Drawing & Disbursing Officer, Department of Law, Justice & LA, GNCTD.
11. Sh. Ramesh Singh, Standing Counsel (Civil), Chamber No. 423, Lawyers' Chambers, Delhi High Court, New Delhi
12. Sh. Rahul Mehra, Standing Counsel (Criminal), Chamber No. 422, Lawyers' Chambers, Delhi High Court, New Delhi
13. Sh. Shadan Farsat, Advocate, J-14 (Basement), Jangpura Extension, New Delhi-14
14. Sh. Himmat Singh Shergil, 33, Babar Road, Bengali Market, New Delhi-01
15. Sh. Sameer Vashisth, B-27, IInd Floor, Defence Colony, New Delhi-110024
16. Mr. Anupam Srivastava, D-26, South Extension, Part-II, New Delhi-14
17. Ms. Hetu Arora Sethi, A-15/3, SFS Flats, Saket, New Delhi-17

18. Mr. Rishikesh Kumar, F-53, IInd Floor, Vaishali, Sector-3, Ghaziabad, U.P.-201010

21. Mr. Jawahar Raja, IIIrd floor, 64, Bhagwan Nagar, New Delhi-14.

(Anoop Kumar Mendiratta)
Principal Secretary (Law, Justice & LA)

(To be published in Part-IV (Extraordinary) of the Delhi Gazette)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
8TH LEVEL C-WING, PLAYERS BUILDING
DELHI SECRETARIAT, I.P, ESTATE, NEW DELHI.

No. F.5(390)/LJ&LA/27/228-249 Dated : 09-01-2018

NOTIFICATION

No. F.5(390)/LJ&LA/17/Pt-III/:- In exercise of the powers conferred under sub-section (7) of section 2 of Code of Civil Procedure (5 of 1908) and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Mr. Ramesh Singh, Advocate as Government Pleader / Standing Counsel (Civil) for the High Court of Delhi in relation to any suit, wait petition, appeal or other proceeding by or against the Government of National Capital Territory of Delhi and / or Union of India in relation to the affairs of the National Capital Territory of Delhi and / or public officer(s) whose defence has been undertaken by it namely.

Sl. No.	Name	Sl. No.	Name
1	Ankur Chhibber	3	Vipul Pankaj Sanghi
2	Mrinalini Sen	4	Sanjay Dewan

Sl. No.	Name	Sl. No.	Name
5	Jyoti Taneja	29	Mohit Agarwal
6	Vikas Shokeen	30	Angad Mehta
7	Warisha Farasat	31	Sumit Jidani
8	Sumit Agarwal	32	Dhruv Rohatgi
9	Raghvendra Pandey	33	Chirag Madan
10	Prateek Krishan Chadha	34	Rizwan
11	Barnali Basak	35	Pankaj Sharma
12	Amish Dabas	36	Tarveen Singh Nanda
13	Harpreet Singh Popli	37	Anya Singh
14	Abhinav Sharma	38	Pankaj Yadav
15	Sangita Rai	39	Dwapayan Gupta
16	Abhinav Singh	40	Saumya Tandon
17	Dhananjaya Mishra	41	Prabhsahay Kaur
18	Prateek Dahiya	42	Pramod Kumar
19	Satinder Singh Bawa	43	Shefali Vohra
20	Pravesh Thakur	44	Anand V Khatri
21	Sachin Nahar	45	Abhishek Kumar Singh
22	Mayank Bamniyal	46	Nidhi Raman
23	Kaustubh Anshuraj	47	Rakesh Kumar Agnihotri
24	Tara Narula	48	Rakesh Singh Kauramna
25	Kushagra Pandey	49	Kirat Randhawa
26	Ajay Kumar Pandey	50	Mohd Irsad
27	Mahima Gupta	51	Shlok Chandra
28	Rajneesh Bhaskar	52	Aditya Kumar Singhal

Sl. No.	Name	Sl. No.	Name
53	Ashish Uppal	57	Samaksh Goyal
54	Varun Kumar Tikmani	58	Mananjay Kumar Mishra
55	Bharat Singh Sisodia	59	Shekhar Kumar
56	Kamal Akhtar	60	Madhu Sudan Bhayana

2. These appointments shall be subject to the terms and conditions specified in this department's OM dated 18/03/2008, 03/12/2015 & Order dated 27/04/2010 and as may be prescribed from time to time.

3. This notification shall come into force with immediate effect and shall remain in force initially for a period of one year and shall be extended further after a review of the performance of panel counsels.

4. This notification supersedes this Government's notification No. F.5(245)/Lit./2015/DS2Law/2052-62 dated 16.06.2015.

By order and in the name of
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi

(Anoop Kumar Mendiratta)
Principal Secretary (Law, Justice & LA)

No. F.5(3903/Lit/LJ&LA/17/Pt-III/2791-2805 Dated: 27-04-2018

Copy forwarded to:

1. The Principal Secretary to Hon'ble Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi, Raj Niwas, Delhi
2. The Additional Secretary to Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
2. Secretary to Hon'ble Minister (Law, Justice & LA), 8t Level, A-Wing, Delhi Secretariat.

4. The OSD to the Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
5. All Principal Secretaries / Secretaries/HODs, Govt. of NCT of Delhi with the request to contact Standing Council (Civil) for reallocation of cases to new panel counsel.
6. Commissioner of Police, Delhi
7. The Registrar General, Delhi High Court, Shershah Suri Marg, New Delhi-110003
8. The Controller of Accounts, Govt. of NCT of Delhi.
9. The Principal Accounts Officer X, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
10. The Special Secretary(GAD/Cord.) Govt. of NCT of Delhi (in duplicate alongwith Hindi version of the same) for publication in Delhi Gazette (Extra-Ordinary Part-lV). It is requested that five copies of the Gazette may kindly be sent to this department for official record.
11. Drawing & Disbursing Officer, Department of Law, Justice & LA, GNCTD.
12. Sh. Ramesh Singh Standing Counsel (Civil), Chamber No. 423, Lawyers' Chambers, Delhi H. High Court New Delhi with the request to inform all previous Panel Counsels (Civil) and equitably assign/allocate all the cases handled by previous counsels' to new Panel Counsels Civil) accordingly, it may also be ensured that the files are timely handed over by the previous counsel to the new panel counsel as per allocation of case. A report in this regard be forwarded to this office within 2 weeks.
13. Sh. Rahul Mehra, Standing Counsel (Criminal), Chamber No. 422. Lawyers' Chambers, Delhi High Court, New Delhi.
14. Advocates concerned.
15. Guard File.

(Anoop Kumar Mendiratta)
Principal Secretary
(Law, Justice & LA)

(दिल्ली राजपत्र के भाग–2 खण्ड–1 में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)
8वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, प्लेयर बिल्डिंग,
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नयी दिल्ली–110002

सं.फा. 5(245)/वाद/2015/विधि सचिव/86–95 दिनांक 13.08.2015

अधिसूचना

सं.फा. 5(245)/वाद/2015/विधि सचिव/86–95 नागरिक प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) की धारा 2 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस संदर्भ में अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा/अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यों के संदर्भ में भारत सरकार तथा/अथवा जन अधिकारी/अधिकारीगण जिनका बचाव इसके द्वारा किया गया है, द्वारा या विरूद्ध किसी भी प्रकार के एम.ए.ए. ओ.ए., अपील या अन्य कार्यवाहियां चलाने के लिये राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दिल्ली हेतु सरकारी वकील/स्थायी अधिवक्ता के रूप में श्री तरूणवीर सिंह केहर को नियुक्त करते हैं।

ये नियुक्ति समय–समय पर यथा निर्धारित उन्हीं शर्तों के अधीन होगी जो स्थाई अधिवक्ता सिविल दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए इस विभाग के आदेश संख्या एफ 5(4)/वाद/2010/उपसचिव 2 विधि/576–580 दिनांक 27.04.2010 में निर्धारित की गई हैं एवं की जाएंगी।

यह अधिसूचना तत्काल से प्रभावी होगी तथा यह आगामी आदेश तक प्रवृत रहेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा
उनके नाम पर

(आर. किरण नाथ)
प्रधान सचिव (विधि, न्याय
एवं विधायी कार्य)

सं.फा. 5(245)/वाद/2015/विधि सचिव/86–95 दिनांकः 13.08.2015

1. अतिरिक्त सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग/समन्वय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नई दिल्ली को हिन्दी अनुवाद की दो प्रतियों सहित दिल्ली राजपत्र में प्रकाशनार्थ। कृपया राजपत्र अधिसूचना की 25 प्रतियां कार्यालय प्रयोग हेतु भिजवा दें।

(आर. किरण नाथ)
प्रधान सचिव (विधि, न्याय
एवं विधायी कार्य)

OFFICE OF MINISTER OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS, TRANSPORT, ADMINISTRATIVE REFORMS AND INFORMATION & TECHNOLOGY
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
8TH LEVEL, 'A' WING, DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI - 110002

Tel. No. 23392126, 23392127

No.Secy. to Min./2018/452-459 Dated : 18/01/18

ORDER

In continuation of the order No. Secy.to Min./2017/5036 dated 29.11.2017 Govt. of NCT of Delhi is pleased to empanel Shri Sudhir Nandrajog, Sr. Advocate for conducting cases on behalf of the Govt. of NCT of Delhi before High Court of Delhi and for giving legal opinion at fee mentioned in the above said order with immediate effect.

Vide earlier order dated 29.11.2017 referred above, thirteen Senior Advocates were empanelled. With the empanelment of Shri Sudhir Nandrajog, Senior Advocate the Senior Advocate empanelled by Govt. of NCT of Delhi are as under:-

Sl. No.	Name of the Senior Advocates
1	Mr. Indira Jaising
2	Mr. Colin Gonsalves
3	Mr. June Chaudhary
4	Ms. Rebecca Mammen John
5	Mr. Anoop George Chaudhary
6	Mr. Anand Grover
7	Mr. Sanjay R. Hegde
8	Mr. Meet Malhotra

9 Mr. Sudhanshu Batra

10 Mr. Ashwini Mata

11 Mr. Anil Sapra

12 Mr. Rajiv Bansal

13 Mr. Rajiv Dutta

14 Mr. Sudhir Nandrajog

The issues with the prior approval of the Hon'ble Chief Minister.

(Kailash Gehlot)
Minister (Law)

No. Secy.to Min/2018/452-453 Dated: 18/05/12

Copy to:

1. All the concerned Senior Advocates

Copy for information to:

1. Secretary to Hon'ble LG, Govt. of NCT of Delhi, Raj Niwas, Delhi-110054
2. Advisor to Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, 3rd Level, Delhi Secretariat, New Delhi
3. Pr. Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, 8th Level, Delhi Secretariat, New Delhi.
4. Secretaries to all Ministers, Govt. of NCT of Delhi with the request to inform all the Departments under the charge of the Hon'ble Ministers.
5. Standing Counsel (Criminal), Govt. of NCT of Delhi.
6. Standing Counsel (Civil), Govt. of NCT of Delhi.
7. PS to Minister (Law).

(G.P. Singh)
Secretary to Minister (Law)

OFFICE OF MINISTER OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS, TRANSPORT, ADMINISTRATIVE REFORMS AND INFORMATION & TECHNOLOGY
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
8TH LEVEL, 'A' WING, DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI - 110002

Tel. No. 23392126, 23392127

No.Secy. to Min./2017/ Dated :..................

The Government of NCT of Delhi is pleased to empanel the following Senior Advocates for conducting cases on behalf of the Government of NCT of Delhi before High Court of Delhi and for giving legal opinion, with immediate effect.

Sl. No.	Name of the Senior Advocates
1	Mr. Indira Jaising
2	Mr. Colin Gonsalves
3	Mr. June Chaudhary
4	Ms. Rebecca Mammen John
5	Mr. Anoop George Chaudhary
6	Mr. Anand Grover
7	Mr. Sanjay R. Hegde
8	Mr. Meet Malhotra
9	Mr. Sudhanshu Batra
10	Mr. Ashwini Mata
11	Mr. Anil Sapra
12	Mr. Rajiv Bansal
13	Mr. Rajiv Dutta

The professional fee for appearance in the High Court of Delhi and for giving legal opinion shall be as under:-

I.	Professional fee for appearance Clerkage @ 10%	Rs. 1,10,000/-
		Rs. 11,000/-
		Rs. 1,21,000/-
II.	Professinal fee for legal opinion	Rs. 55,000/-

Hon'ble Deputy Chief Minister/Minister (Finance) has approved the proposal in File No. F5(397)/Lit./LJ&LA/17(C.D No. 064454602).

This issue with the prior approval of the Hon'ble Chief Minister.

(Kailash Gahlot)
Minister (Law)

No.Secy.to.Min/2017/5037-43 Dated: 29/11/17

Copy to:

1. All the concerned Senior Advocates.

Copy for information to:

1. Secretary to Hon'ble LG, Govt. of NCT of Delhi, Raj Niwas, Delhi-110054
2. Advisor to Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, 3rd Level, Delhi Secretariat, New Delhi
3. Pr. Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, 8th Level, Delhi Secretariat, New Delhi
4. Secretaries to all Ministers, Govt. of NCT of Delhi with the request to inform all the Departments under the charge of the Hon'ble Ministers. Department may engage any Senior Advocate to represent the Department in the High Court of Delhi at the fee structure, given above, or to seek a legal opinion.

5. Standing Counsel (Criminal), Govt. of NCT of Delhi.
6. Standing Counsel (Civil), Govt. of NCT of Delhi.
7. PS to Minister (Law).

(G.P. Singh)
Secretary to Minister (Law)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS,

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI,

8TH FLOOR, C-WING DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No. F5/244/Lit/2015/DS2Law/4392-4415 Dated 11/12/15

ORDER

Sub: Advoeates-on-Record and Panel of Counsels for conducting / defending the cases in the Hon'ble Supreme Court of India.

1. Advocates on Record
   i) Shri Chirag M. Shroti
   ii) Shxi Atul Kumar
   iii) Shri Jagjit Singh Chhabra
2. Arguing Panel
   i) Shri Siddhartha Dave
   ii) Shri Manav Gupta
   iii) Shri Kuldip Singh
   iv) Shri Amariit Singh Bedi

v) Shri Gurmehar Singh Sistani

vi) Shri Yashvardhan

vii) Shri Sunil Sharma

viii) Ms. Karuna Nundy

ix) Ms. Aishwarya Rao

x) Shri Naveen R. Nath

xi) Shri Niraj Gupta

xii) Dr. Ms. Charu Walikhanna

FEE STRUCTURE

ADVOCATE-ON-RECORD

Advocate on Record shall be paid a fixed remmuneration of Rs.90,000/- (Ninety Thousand) per month. Advocates on Record may also be paid drafting fee of Rs.7500/- (Seven Thousand Five Hundred) only per case. If the Advocates on Record argue the matter themselves, they may be paid fee at the rates as approved by Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs, Govt, of India to Group-A Panel Counsels.

Arguing Panel

Arguing Panel shall be paid fees as applicable to Group-A Panel Counsels in the Hon'ble Supreme Court.

Other Terms and Conditions

(i) Set of cases where a common question of law is involved, should not be considered as one for the payment of fee if the facts are substantially different. However, one drafting fee will be payable in the main case and no separate drafting fee will be payable in connected cases with same facts.

It is also clarified that in connected matters, no separate appearance fee shall be paid.

(ii) Counsels as mentioned above shall be engaged with the prior approval of the Law, Justice and Legislative Department, Govt. of NCT of Delhi.

(iii) The fee bills of the panel counsels shall be verified by the in-charge AOR. And it shall be certified by him that tee being claimed is in accordance with scales of fee as mentioned above.

(iv) In special cases, the department concerned can engage any lawyer, other than the empanelled Advocates in consultation with AOR incharge. However prior approval of Minister incharge of that department shall be necessary.

(Ravi Dadhichi)
Addl. Secretary (Law)

Copy to:-

1. Shri Chirag M. Shroff
2. Shri Atul Kumar
3. Shri Jagjit Singh Chhabra
4. Shri Siddhartha Dave
5. Shri Manav Gupta
6. Shri Kuldip Singh
7. Shri Amarjit Singh Bedi
8. Shri Gurmehar Singh Sistani
9. Shri Yashvardhan
10. Shri Sunil Sharma

11. Ms. Karuna Nundy
12. Ms. Aishwarva Rao
13. Shri Naveen R. Math
14. Shri Niraj Gupta
15. Dr. Ms. Charu Walikhanna

Copy for information:-

1. Registrar (General), Hon’ble Supreme Court of India, New Delhi.
2. Registrar (General), Hon'ble High Court, New Delhi.
3. Senior Standing Counsel (Civil), Govt. of NCT of Delhi.
4. Pr. Secretary to Hon’ble L.G.
5. Pr. Secretary to Hon’ble CM.
6. Pr. Secretary (Finance).
7. Secretaries to all Ministers, Govt. of NCT of Delhi with the request to circulate this order to all the Principal Secretaries/Secretaries/HODs under the Hon’ble Minister.
8. Director of Prosecution, Govt. of NCT of Delhi.
9. DS (Litigation) with the request to upload this order on the website or the Department.

(Ravi Dadhichi)
Addl. Secretary (Law)

To be published in Part IV (Extraordinary) of Delhi Gazette

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
8TH LEVEL C-WING, PLAYERS BUILDING
DELHI SECRETARIAT, I.P, ESTATE, NEW DELHI.

No. F.5/244/Lit/2015/DS2/law/54-64 Dated : 06th January, 2018

NOTIFICATION

No.F.5/244/Lit/2015/DS2/law/54-64 In continuation of the order no. F.5/244/Lit/2015/DS2Law/4392-4415 dated 11/12/2015, the Government of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following Advocates on Record and Advocates for Arguing Panel for Hon'ble Supreme Court of India in relation to any suit, writ petition, appeal or other proceeding by or against the Government of National Capital Territory of Deihi and / or Union of India in relation to the affairs of the National Capital Territory of Delhi and / or public officer(s) whose defence has been undertaken by it. The said order is hereby published in Delhi Gazette for Public Information

Advocates on Record

i) Sh. Chirag M. Shroff

ii) Sh.Atul Kumar

iii) Sh. Jagjit Singh Chhabra

Arguing Panel

i) Sh. Siddhartha Dave

ii) Sh. Manav Gupta

iii) Sh. Kuldip Singh

iv) Sh. Amarjit Singh Bedi

v) Sh. Gurmehar Singh Sistani

vi) Sh. Yashvardhan

vii) Sh. Sunil Sharma

viii) Ms. Karuna Nundy

ix) Ms. Aishwarya Rao

x) Sh. Naveen R Nath

xi) Sh. Niraj Gupta

xii) Dr. Ms. Charu Walikhanna

The appointment of the above named Advocates shall: be subject to the such Terms and conditions as may be prescribed in order no. F.5/244/Lit/2015/DS2Law/ 4392-4415 dates 11/1272015 and those which may be fixed time to time in this regard.

This notification shall be deemed to have come in force on 11th December, 2015.

By order and in the name of
Government of the National
Capital Territory of Delhi

(Mani Bhushan Malhotra)
Deputy Secretary (Law, Justice & LA)

No. No. F.57244/Lit/2015/DS2law/:54-64 Dated: 6th January 2016

Copy to :

1. All AORs and Advocates on Arguing Panel Copy tor information to

Copy for information to:

1. The Registrar General. Hon'ble Supreme Court of India.
2. The Registrar General, Hon'ble High Court of Delhi.
3. Sh. Rahul Mehra, Senior Standing Counsel (Civil) and Standing Counsel (Criminal). Chamber No 422, Lawyers' Chambers, Delhi High Court, New Delhi.
4. Sh. Raman Duggal, Standing Counsel (Civil), Chamber No. 423, Lawyers' Chambers, Delhi High Court, New Delhi.
5. The Principal Secretary to the Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi, Raj Niwas, Delhi.
6. The Principal Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
7. The OSD to the Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
8. Secretaries to all Ministers, Govt. of NCT of Delhi with the request to circulate this order to all the Principal Secretaries/Secretaries/HODs under the Hon'ble Minister.
9. Director of Prosecution, Govt. of NCT of Delhi
10. The Special Secretary (GAD / Coord.), Govt. of NCT of Delhi with one spare copy and Hindi version in duplicate for favour of publication in Delhi Gazettewitn a request to send 25 copies of Gazette notification for office use
11. The Controller of Accounts, Govt. of NCT of Delhi.
12. Guard File.

(Mani Bhushan Malhotra)

Deputy Secretary (Law, Justice & LA)

ANNEXURE

Details of the fees paid to Advocates in respect of cases in Hon'ble Court and Hon’ble Supreme Court and Hon'ble High Court

Sl. No.	Court	Name of Counsel	Case & title	Amount Paid
1	2	3	4	5
1	In the Hon’ble Supreme Court	Sh. Naveen R. Nath, Sr. Advocate	CA No. 2357/2017 and connected matters titled Govt. of NCT of Delhi Vs. Union of India	Rs. 9,25,608/-
2		Sh. Rajeev Dhavan, Sr. Advocate	SLP (Civil) 26244/2016 and connected matters titled Govt. of NCT of Delhi Vs. Union of India	Rs. 48,40,000/-
3		Ms. Nitya Ramakrishnan, Advocate	CA No. 2357/2017 and connected matters titled Govt. of NCT of Delhi Vs. Union of India	Rs. 12,81,500/-
4		Sh. Shadan Farasat, Advocate	SLP No. 26200/2016, 26426/2016, 26470/2016 Govt. of NCT of Delhi Vs. Union of India & Ors.	Rs. 16,02,874/-
5		Ms Indira Jaising, Sr. Advocate	CA No. 2357/2017 and connected matters titled Govt. of NCT of Delhi Vs. Union of India	Rs. 57,20,000/-
6		Sh. P. Chidarnabram, Sr. Advocate	SLP No. 26200/2017 Govt. of NCT of Delhi Vs. Union of India & Ors.	Rs. 15 00,000/-
7		Sh. Shekhar Naphade, Sr. Advocate	CA No. 2357/2017 titled Govt. of NCT of Delhi Vs. Union of India	Rs. 7.50,000/-

1	2	3	4	5
	In the Hon'ble High Court			
1		Ms. Indira Jaising, Sr. Advocate	W.P. (C) No. 5888/2015 Govt. of NCTD Vs Union of India	Rs, 13,00,000/-
2		Ms. Indira Jaising, Sr. Advocate	W.P. (C) No. 8857/2015 Union of India Vs Govt. of NCT of Delhi	Rs. 7,00 000/-
3		Sh. Dayan Krishnan, Sr. Advocate	WP (C) No 5888/2015 Govt. of NCT of Delhi Vs. Union of India	Rs. 12.35,000/-
4		Sh. Dayan Krishnan, Sr. Advocate	WP (C) No. 8867/2015 Union of India Vs Govt. of NCT of Delhi	Rs 3,85,000/-
5		Sh. Rajeev Dhavan, Sr. Advocate	WP (C) No. 8867/2015 Union of India Vs. Govt of NCT of Delhi	Rs 3,30,000/-

माननीय अध्यक्ष : सोम नाथ जी।

श्री सोम नाथ भारती : ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं मंत्री से जानना चाहता हूँ कि जो सवालों के जवाब दिए गए हैं, क्या उससे वो खुद संतुष्ट हैं? क्योंकि सवालों का इस तरह से उन्होंने... एक तरह से उन्होंने पोस्ट मॉर्टम करके... पोस्ट मॉर्टम भी कहें तो एक तरह से सवालों का जवाब न देने का प्रयास किया है! मैं एक सवाल बताता हूँ। मैंने कहा कि भई अच्छा ये कुछ अपने विधान सभा से भी गलती हुई है मैंने सवाल पूछा था कि भई सी.आर.पी.सी. और आई.पी.सी. किस के अन्तर्गत किसके

ज्यूरिसडिक्शन में आता है? Whether it is falling under honourable LG or under elected Government. Question was that. The response is this कि हमने कभी ये 'ड' में माननीय उपराज्यपाल अथवा दिल्ली सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सी.आर.पी.सी. और आई.पी.सी. मेंकिए गए संशोधनों का विवरण क्या है। मैंने तो ये पूछा ही नहीं है कि भई किसके अन्तर्गत पड़ता है ये? Question was that यहाँ पे कुछ और आ गया है। फिर आप देखें 'क' से ही देख लें आप। क्या यह सत्य है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बावजूद दिल्ली में पिछले 22 वर्षों से कोई मानवाधिकार आयोग नहीं है? ये कह रहे हैं विचाराधीन है। भई कब से विचाराधीन है, कब तक हो जायेगा? फिर हमने ऐण्टी टॉर्चर बिल की बात करी, वो कह रहे हैं कोई विचाराधीन नहीं है। तो ये सवालों के जवाब जो हैं, इवेजिव हैं। they are not at all focussed to the question which I have asked. no. 1.

No. 2 I will also request to Secretary Assembly कि जो सवाल हम पूछते हैं, उसका ट्रांसलेशन कुछ और जाता है। या तो जो इंग्लिश के सवाल हम पूछते हैं वो इंग्लिश में भेज दिया करें there is no need to translate into Hindi. सार, हो क्या रहा है कि पहले हम इंग्लिश में पूछते हैं वो ट्रांसलेट करते हैं हिन्दी में फिर वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है। सो ये तीन बार ट्रांसलेशन में ये जो सारा तथ्य है, जो उसका मर्म है, वो सब खो जाता है।

माननीय परिवहन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो सोम भाई कह रहे हैं 'क' का जो एक्चुअली ये जो इश्यू है, ये होम डिपार्टमेंट के रिलेशन में है और जो जवाब दिया है ये भी होम डिपार्टमेंट मंत्री जी के अप्रूवल से दिया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, होम मिनिस्टर साहब जवाब दें सर।

माननीय गृह मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सी.आर.पी.सी. और आई..पी.सी. ये दोनों दिल्ली सरकार के अन्तर्गत आते हैं और इसी विधान सभा की इसमें पूरा अधिकार क्षेत्र है; इसके अंदर कानूनी चेंजिज करने या कानून बनाने सी.आर.पी.सी. और आई.पी.सी. दोनों के अंदर ये विधान सभा बना सकती है। स्टेट लिस्ट के अंदर दोनों आते हैं, दोनों के दोनों इसमें हैं। दूसरा जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात है; 2016 के अंदर दिल्ली के अंदर भी आदरणीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उन्होंने आदेश दिया था कि पूरे देश के अंदर सभी राज्यों के अंदर ह्यूमन राइट कमीशन बनाए जाएं। तो दिल्ली सरकार ने भी प्रपोजल इनिशिएट किया था तो ह्यूमन राइट कमीशन बनाने की जो मंजूरी उस समय पर एल.जी. साहब के पास भेजी गयी थी तो 2016 से लेकर वो मंजूरी की फाइल उन्हीं के पास है। मैंने उस फाइल को वापस मंगाने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को आदेश दिए हैं कि फाइल वापस मंगाई जाए। क्योंकि अब आदरणीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार अब इसके लिए शायद परमिशन की जरूरत नहीं एल.जी. साहब से, तो फाइल आने के बाद जल्द से जल्द उसको गठित किया जाएगा।

माननीय माननीय अध्यक्ष : हो गया सोम नाथ जी? चलिए। संक्षेप में क्वेश्चन करिएगा।

श्री सोम नाथ भारती : जी। जैसे इसमें पूछा है कि पिछले 10 वर्षों में दिल्ली विधान सभा द्वारा पाास किए गए एवं दिल्ली के उपराज्यपाल के माध्यम से केन्द्र सरकार को अग्रेसित किए गए सभी विधेयकों का उनके वर्तमान स्थिति सहित विवरण क्या है? तो कहा है; वांछित सूचना संबंधित विभागों से एकत्रित की जा रही है जो कि प्राप्त होने पर उपलब्ध

ा करा दी जाएगी। इसमें कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है ये? कौन कौन से यहाँ से लेजिस्लेशंस गए हैं? We must be having a list of it. Does it require too much of time? Can we have a date Sir, by which it will be available?

माननीय परिवहन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें जो 2008 से 2018 में जितने भी बिल्स गए और वो प्रेजिडेंट के असेंट आ के वापिस आ गए हैं, उसकी सूची ऑलरेड्डी है। We just wanted some time to confirm so that we donot give wrong answer in the assembly और जहाँ तक बात 2015 के बाद सभी जो बिल्स जिनकी असेंट प्रेजिडेंट को मिल गयी और लगभग 15 बिल जिनको असेंट नहीं मिली, उनकी भी सूची मेरे पास है। मैं अभी आपको उपलब्ध करा देता हूँ। सिर्फ 2008 से 2018 में जो बिल्स जिनको बाकी है, अदरवाइज 2008 से 2018 जितने भी बिल्स नोटिफाई हो गए, उसकी डिटेल्स ऑलरेड्डी है हमारे पास, We only wanted ato cross check and verify again.

श्री सोम नाथ भारती : क्या मिल जाएगा, इसी सत्र में बाकी सब?

माननीय परिवहन मंत्री : नहीं, Within a week we will give the information.

माननीय अध्यक्ष : सोम नाथ जी का ये क्वेश्चन है जो बिल थे, उनका बाकी जो अभी तक नोटिफाई नहीं हो पाए, उनका स्टेटस क्या है?

माननीय विधि एवं न्याय मंत्री : मैं स्पीकर सर, यही बता रहा हूँ 2008 से 2015 तक जो बिल्स नोटिफाई नहीं हो पाए, उसका डिटेल्स हम कंपाइल कर रहे हैं बिकॉज आई थिंक लॉ डिपार्टमैंट उस प्रकार से

कोई लिस्ट प्रेपेयर नहीं कर रहा था अभी तक, लेकिन 2015 से 2018 तक जितने भी बिल्स हैं, जिनकी असेंट मिल गयी है और नोटिफाई हो गए हैं, उनकी लिस्ट भी रेड्डी है, जो नहीं गए, उनकी भी रेड्डी है। 15 बिल जैसे हैं जो अभी तक जिनकी असेंट इंक्लूडिंग जो हमारे एम. एल.एज. की सेलेरीज हैं, व्हिप की जो सेलेरी के इश्यू हैं, मिनिस्टर की सेलेरीज हैं इंक्लूडिंग दोज बिल्स लगभग... नहीं, 15 बिल्स ऐसे हैं जो अभी तक नोटिफाई नहीं हो पाए क्योंकि उनका असेंट जो है, प्रजिडेंट से नहीं आया, वो सारे बिल जो हैं, एम.एच.ए. में पेंडिंग हैं आज भी।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

07. श्री मनजिंदर सिंह : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है टैगोर गार्डन स्थित जीजीएसएसएस नं. 1 (स्कूल आईडी 1515026) एक 50 वर्ष पुलिस बिल्डिंग में चल रहा है जोकि अत्यंत जर्जर अवस्था में है।;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि दिनांक 22 जुलाई, 2018 को उक्त स्कूल का छज्जा छात्रों के पानी पीने के स्थान पर गिर गया था;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि वर्ष 2015 में जब से यह स्कूल मॉडल स्कूल बना डीटीटीडीसी को इस स्कूल के पुराने भवन को गिराकर उसके स्थान पर नया भवन बनाने का कार्य सौंपा गया है जिसके लिए उन्होंने 20,55,51,000/— रुपये का बजट प्रस्तुत किया है;

(घ) डीटीटीडीसी शिक्षा निदेशक को फंड रिलीज करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और यह मामला नवम्बर 2015 से लटका हुआ है;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि डीटीटीडीसी ने दिनांक 4.8.2017 को 98,21.000 रुपये का प्रारंभिक अनुमान शिक्षा निदेशक को इस स्कूल में शिक्षिकों के प्रशिक्षण हेतु कॉफ्रेंस हॉल बनाने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति एवं एक्पेडिचर सैक्शन हेतु प्रस्तुत किया है; और

(च) यदि हां, तो छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) जी हाँ, यह स्कूल बिल्डिंग लगभग 50 वर्ष पुरानी है किन्तु जर्जर अवस्था में नहीं है।

(ख) छज्जा, छात्रों के पानी पीने के स्थान के नजदीक दिनांक 22 जुलाई 2017 को गिरा था। 22 जुलाई, 2018 को ऐसी कोई घटना नहीं घटित हुई।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) जी हां, उपरोक्त कार्य वित्त स्तर पर लंबित था। अंतिम बार जब वित्त विभाग ने प्रारंभिक आकलन में कमियों को पूरा करने के लिये फाइल को वापस भेजा तब DTTDC ने नया प्रारंभिक आकलन प्रस्तुत कर दिया जिसकी कीमत 24,84,67,000/– रुपये तय की गई है। इस प्रारंभिक आकलन को DTTDC को DSR-2006 पर दोबारा प्रस्तुत करने के लिये पत्र लिख दिया गया है, क्योंकि पुराना आंकलन DSR-2014 पर आधारित था, और

(च) छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए, विभाग प्रस्तावित निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न कराये जाने के लिए प्रयासरत है।

संलग्नक–'क'

OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR OF EDUCATION
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
DISTRICT CENTRAL/NEW DELHI
PLOT NO. 5, JHANDEWALAN, NEW DELHI

No. D.D.E./C&ND/2018/936-940 Dated: 12.07.2018

ORDER

1 Whereas, Gyan Devi Salwan Public School, Old Rajender Nagar, New Delhi is Private Unaided School recognized by the Directorate of Education, Govt of NCT of Delhi under the provisions of Delhi School Education Act & Rule, 1973

2 And whereas, a special inspection team under section 24(2) of DSEAR, 1973 was constituted vide order dated 03 02.2017 under the chairpersonship of DDE (South) with the direction to give special attention on the issues raised by the parents of the school in their complaints in addition to other relevant issues.

3 And whereas, DDE (South)/Chairperson of the Inspection team has submitted its report containing four parts (A, B, C & D) on 21 06 2017 As per rule 190(6) of DSEAR. 1973, a copy of inspection report was also provided to school vide mis office letter dated 18/07/2017 for their comments on inspection report and on receipt of the comments, the same is analyzed/scrutinized in accordance with the provisions of relevant Act & Rules and guidelines of the Department

4 And whereas, an order dated 03 02 2018 was issued by DDE (C/ND) to the said school to comply with the directions as mentioned in the said order and to furnish a compliance report within 30 days on receipt of the said order

5 And whereas, the school management has furnished the reply vide letter dated 13 03.2018 and district authority examined the reply of the school and comparative chart has been prepared viz -a-viz reply submitted by the school and observation of the DDE (C/ND), detail of which is as under -

Sl. No.	Details of deficiencies as per order/noted dated 03.02.2018	Reply of the school dated 13.03.2018	Observation of DoE
1	2	3	4
1	To merge the account of nursery school with the main school account as the students of Nursery school are being transferred in the main school.	The Nursery School was running as independent school as per affidavit given by the DoE which is a part of decision of the Hon'ble High Court of Delhi dated 26.09.2007 Now that the DoE has changed its earlier stand and we have not objections in following the new recommendation wef the next session *i.e.* 01 04 2018 onwards, therefore, this may please be withdrawn	The reply of the school may be considered by the Competent Authority as the school has agreed to merge the Accounts of Nursery School with the main school Account w e f 01.04.2018 School may be directed to merge the accourt wef 01 04.2015. May be asked to submit the compliance report in this regard
2	To provide Uniform/Books & Stationary free of cost to the EWS/DG students	The matter regarding providing uniform/books and stationary free of cost of EWS/DG students is pending for final	The pendency of CWPs does not grant any immunity to the school not to follow the lawful instructions of the DoE

1	2	3	4
		decision in the High Court of Delhi in the following petitions i) WP(C) 3684/2013 & CM No 7324/2014 9845/2014 8135/2016 ii) WP(C) 5570/2014 & CM No 13803/2011 17249/2014 iii) WP(C) 6499/2014 & CM No 15531-15532/2014 & 14260/2016 iv) WP(C) 5466/2017 The cases were last heard on 21/02/2018 and next date of hearing is 14 March 18 The DoE has issued a circular no fde 18 11/8/216-17/RTE/ Plg / 2633-2636 dated 09/10/2017 (Annexure A) regarding compliance by Private Un-aided Schools in respect	Hence the reply does not appear to be satisfactory The EWS/DG category children are admitted under the provisions of Section 12(1)(c) of RTE, 2009 Thereby school has violated Rule 8(1) of Delhi RTE Rules, 2011 which has not been stayed by any court of law School may be directed to provide the free of cos: of books writing materials & uniform to the EWS/DG category students

of supply of free text books writing material and uniform to the child attending school under EWS and DG category and reimbursement thereof under Right to Education Act 2009 Every year the list of eligible students, is sent and whenever cash amount is received, it is distributed to students However, as required in said circular dated 09/10/2017, no free text books, writing material and uniform was supplied to EWS/DG categories of students during 2014-15 and 2016-17.

The decision of Court of law, in this regard shall be complied It is submitted that RTE does not make it mandatory on unaided schools to provide free books, uniform etc It may

1	2	3	4
		please be noted that the money received from DoE in this regard is passed on in full to EWS students by the school. Hence, necessary compliance is already being done considering the matter being sub-judice	
3	To ensure that elections of PTA are held as per guidelines issued by this Directorate	The election of PTA was held on 13th May 16 as per guidelines issued by the DoE vide letter No 1913 dated 12.04.2010 (relevant records attached at Annexure "B") and the next election will be held on due date as per guidelines of DoE, therefore this may please be withdrawn.	School may be directed to submit the minutes of meeting of PTA election after the ' 3 May, 2016 and other supporting documents Further, the new PTA election must be conducted strictly as pet guidelines of DoE School should inform DoE regarding compliance of the same.
4	To use Development fund for Purchase. Up-gradation and	The school shall utilize in future the Development fund for	The school has giver its undertaking that it shall utilize in

	Replacement of Furniture Fixture and Equipment as prescribed in DoE order dated 11.02.2009	prescribed purpose in accordance with law and rules therefore, this may please be withdrawn	future the Development fund for prescribed purpose in accordance with law and rules, therefore the reply may be considered by the Competent Authority
5	To credit all the income on account of rent from Uniform shop, stationary shop, canteen Bank etc to the income of the school. Further school is directed to get back the amount paid as rent to society by these shops running inside school premises.	As complaining parents have raised a similar matter before Hon'ble Delhi High Court in the matter of WP (C) 21.03.2017 and the matter is sub-judice, we shall comply with this requirement once the above Writ Petition is disposed off by Hon'ble Delhi High Court. It is however, submitted that contracts in respect of different facilities the campus unaided schools are given on combined basis and the revenue is used for furtherance of educational activities only. There is no rule that the revenue from contracts	The pendency of WP(C) 2103/ 2017 does not grant any immunity to the school to not to follow the lawful instructions of the DoE Hence the reply is not satisfactory. School may be directed to calculate the amount paid by the Uniform shop, stationary shop, canteen, Bank etc to the society and get back the same to the school fund.

1	2	3	4
		awarded by the Society are to go to individual schools, however, the Trust has no hesitation in giving due credit to schools in respect such revenue based on number of students w.e.f. year 2018-19. Therefore, this may please be withdrawn.	
6	As per DSEAR, the Manager of the school is an honorary post and remuneration should not be paid to him out of the school fund. School is directed to get back the amounl paid to manager during last three years and credit it to the school fund.	DSEAR. 1973 nowhere state that the office of the Manager in an unaided school will be "Honorary" Rule 91 DSEAR 1973 reads as under 91 Grant not admissible on the salary of Manager. 1 "If the Manager of a school is a person other than the head of the school and such Manager is working on a salaried basis, no grant shall be admissible in relation to	The Statutory provisions aieunambiguous and do not leave any room for doubt or anyadverse interpretation. While it is clearly provided under the statutory provisions that nogrant shall be admissible inrelation to the salary of Manager, the school cannot beallowed to interpret the statutory provisions in a different manner against the intention and spirit of the

the salary to such manager 2 Whether the head of the school also function as the Manager thereof, no salary or other remuneration shall be payable to him functions as such Manager". It is therefore, clear that the office of the Manager is paid post, if it is not held by the Principal of the school. It is noteworthy that the post of Manager is a "paid" post even in aided schools except that no grant shall be admissible against salary so paid. Further DoE has hired advisors and professionals and are also paying them salaries/remuneration. It is our contention that for effective administration highly qualified and experienced professionals should be engaged	provision. The Grant heremeans a charge upon the School fund and this is not permissible. If the Manager is not entitled to any remuneration in Aided Schools the Public Schools are no different for the purpose of appointment of Manager as an Honorary post. Thus, by no stretch of imagination the post of Manager may be treated as paid post as stated by the School. The money of the school is public money & must be utilized on a legally permissible head. The school, may be directed to calculate the amount spent on salary of Manager for the period under revie ie 2013-14, 2014-15 and 2016-17 and get back the same from the society to the

1	2	3	4
		to maintain high standards of efficiency transparency and fairness in the organization Therefore, this matter is not tenable under law should be withdrawn.	school fund
7	Why the Montessori School is not treated as part of mam school i.e Gyan Devi Salwan Public School and justify the charging of Rs. 46, 750/- on account of Annual charges from students of Nursery class.	The charge of Rs. 46,750/- pa from a student is based on the following expenditure made out of it as per Annexure-C attached. As this matter is only academic, therefore, may please be withdrawn.	There is no proper justification for charging of hefty and unreasonable fee from the: students of Montessori School The contention of the school that it is an academic matter is not tenable in the eyes of law.i Charging of such a hefty fee by a school which-as per law is supposed to be a nonp-ofi: making organization, amounts to financial irregularity which must be rectified The school may be directed to reconsider the fee structure for the nursery and pre-

			primary classes.
8	To submit the relevant documents in support of the contentions of the school regarding fixation of pay of Mrs Mukul Jha	Ms. Mukul Jha who was working as vice-Principal in RB ill Grade Pay Rs 7600/- in sister Institution was deputed on promotion to the post of Principal in PB-IV Grade Pay of Rs 8700/- and her pay was fixed as per Rule 13 CCS (RP) 2008 reproduced Rule 13 of CCS (RP) under 2008 reproduced **Rule 13 of CCS (RP) under 2008** One increment equal to 3% of the sum of the pay in the pay band and the existing grade pay will be computed and rounded off to the next multiple of 10. This will be added to the existing pay in the pay band. The grade pay corresponding	The pay band for the post of Principal as per 6th C P C was 15600-39100 with Grade Pay of Rs 7600/- it is not understood as to how the Grade pay of Rs 8700/- has been allowed to the Principal. The money of the School is Public Money and may not be spent by the School arbitrarily as per their whims and fancies to facilitate their near and dear. The reply of the School is not satisfactory. School may be directed to re-fix the pay as per 10 (1) of DSEAR 1973 of the principal and get back the excess amount paid to the principal in the school fund.

1	2	3	4
		to the promotion post will thereafter be granted in addition to this pay in the pay band. In cases where promotion involves change in the pay band also, the same methodology will be followed. However, if the pay in the pay band after addinc the increment is less thar the minimum of the highei pay band to which promotior is taking place, pay in the pay band will be stepped to such minimum. Basic+GP (in Rs.) 1. Pay in the lower grade: 28710+7600 (as HOS (VP)) in the scale of pay of PB-III Rs.15600-39100 +7600 (GP) before promotion/opted for fixation.	

		2. Pay after adding one notional:29800+7600 Increment in the lower grade 3. Pay fixation in the next/ higher grade 37400+8700 stage minimum of the higher PB-IV in scale of PB-IV Rs.14300-400-18300+ 8700 (GP). Date of next increment if other wise 01.07.2016 admissible under the rules Therefore, this please be withdrawan.	
9	To clarify the transfer of school fund amounting to Rs 6 97,254 and Rs 2,39,478. During the FY 2013-14 and period April' 16 to January, 17 respectively to Salwan Boys Senior Secondary Schools as 5% Management Contribution.	The transfer of funds to sister Institution is permissible under rule 177(C) of DSEAR, 1973 and also allowed in the judgment of Hon'ble Supreme Court in Modern School case. Therefore, no further action is required as such transfer is in	The stand and stance of the School is not tenable in the eyes of law. It is settled as law that the funds of the School should be utilized strictly in accordance to Rule 177 of DSEAR, 1973. The school has failed to utilize the fund in

1	2	3	4
		accordance with DSFAR, 1973 and Apex Court's decision. Therefore, this matter may be withdrawn.	accordance with the provisions explained under Rule 177 of DSEAR, 1973 The school may be directed to get back the money transferred from the school to the society for the period under review
10	To clarify that why the school is enhancing fee every year despite having Surplus fund of Rs 10,454.774 (from 2013-14 to April 16 to January 17) and investment in form of Fixed Deposit amounting Rs 50,151,861/-	This matter was adequately explained in detail at S.No 14 of our reply dated 29.08.2017 to the Inspection Report of the Chartered Accountants The amount of Rs 5015 Lacs referred by you is provisional as of Jan.'17, while the accounts for financial year 2016-17 have since been audited and as per audited balance sheet the corresponding cash and bank balance (both in savings and fixed deposits)	On review of audited financial statements of the school, it was observed that total investments available with the school is Rs. 5,69,76,110/- Out of these investments, school has claimed to earmank: investments of Rs. 209 -8 Lakhs for depreciation reserve fundHowever, as per above 'Notes on accounts for the year 2016-17, school is claiming to follow para 99 of GN-21 in Accounting by schools' issued by ICAI for

amount is Rs. 569.76 Lakhs which represents various funds reserves and surpluses. We would like to bring to your attention that in terms of DSEAR, 1973 and Orders and Notifications issued thereunder, a recognized unaided school is under an obligation to set aside funds for mandatory reserves which cannot be utilized for general revenue expenditure or for payment of salaries. Thus after setting aside funds for such mandatory reserves, there is no surplus incremental establishment cost and other revenue expenditure. The status of funds as on 31.03.17 as shown in audited annual accounts is as under

Rs. lakh)

maintenance of DRF and has according y charging depreciation to the Income & Expenditure and transfer equivalent amount from development utilization account to income & expenditure account Thus, school has charged income & expenditure with depreciation and has transferred equivalent amount from development utilization account and thus, has negated the effect of depreciation Further, it is not clear by school if depreciation has already been negated n Income & expenditure accour; then from where it has created the investments against DRF It seems that these investments all created out of school fund and therefore can be utilized as free reserves.

1	2	3	4
		Cash and bank balance as of 31st March'17 569.76 Less amount reserved for Mandatory Funds a) Development Fund (As per DoE orderdated 15.12.1999) 236.10 b) Depreciation Reserve Fund (as per DoE order dated 15.12.1999) 209.48 c) Deposit with DoE in terms of recognition of school 12.34 d) Mandatory Reserved of 10% under rule 177(2)(e) 27.58 e) Gratuity under rule 177(2)(a) 17.18 f) Leave encashment 177(2)(a) 64.12 Total 566.80 Balance (A-B) 2.96 You would thus appreciate	Availability of funds as on 31.03.2016 to be considered before any fee hike for session 2016-17 is as follows Rs. (in lakh) Cash, bank balance and investments as of 31st March' 16. 542.53 Less amount reserved for Mandatory Funds a) Development Fund (As per DoE order dated 15.12.1999 224.75 b) Deposit with DoE in terms of recognition of school 12.34 c) Mandatory Reserved of 10% under rule 177(2)(e) 26.70 d) Gratuity under rule 177(2)(a) 97.37 e) Leave encashment 53.61

from the above that a very mearge balance is left for payment of current liabilities and other statutory dues amounting to more than Rs 60 Lacs which are outstanding as on 31/03/17 The school on the contrary is hard pressed to increase the fees beyond the acceptablej norm of 10%, though not been able to do so due to the pressure exercised by the parents DoE should take a considered view of the situation look into legal compliances, the' school is obligated to follow In so far as the Development Fund and Depreciation Reserved Fund is concerned the same is earmarked for purposes defined under DoE's order: No DE 15/act/DUGGAL COM/2 03/33/23039-23988 dated 15/12/1999 and no amount is	177(2)(a) Total (B) 414.77 Balance (A-B) 127.76 School is hereby directed to follow GN-21, accounting by school issued by ICAI, order dated 11.02.2009 & 15.12.1999 in letter and spirit and purpose it books of accounts accordingly. In view of the above, it clear that after considering all claims of school for maintaining of reserves, school is having sufficient funds/ reserves and therefore, do not require any increase in fee for session 2016-17.

1	2	3	4
		being spent for any other purpose Lately, the school to have eco-fnendly atmosphere has installed Solar panels worth Rs 38 lakhs approx, wherein has since energized and this will be credited to school fees there by reducing proportionate increase. Therefore, this matter has no merit and does not call for any further comment and should be withdrawn.	
11	To clarify why Income shown in the financial statements not corroborated with fee structure of the school and number of students	The observation of auditor that fee structure does not collaborate with financial statements was incorrect as was already explained in our reply S.No.9 to the Chartered Accountant's Report. The financial statements are in full agreement with fee structure except that while reconciling fee structure with the figure appearing in the	The school has not submitted the complete details for all years under question School is directed to submit the! reconciliation statement for FY 2013-14, 2015-16 and 2016-17 with clear explanations for reasons of differences.

Financial statement, one has to consider various factor such as students strength each month EWS students, differential fee rate applicable to classes etc. for this purpose, we earlier attached a reconciliation of fee structure as per Annex A viz a viz financial statements for year 2014-15 with our reply dated 29.8.17.The copy of the same is attached once again as Annexure 'D' to this letter duly certified by a Chartered Accountant. The same method is followed uniformly on yearly basis and therefore all our financial statements do collaborate with the fee structure Therefore this matter has no merit and does not call for any further comments and should be withdrawn. We hope you find the above in order.

In view of the above, in exercise of the powers conferred under Section 24 (3) cf DSFAR, 1973, the school is hereby directed to comply with the following directions and furnish a compliance report within 30 days on receipt of this order.

1 To refund the increased amount of fee charged from the students in the academic session 2016-17 or adjust the same in the subsequent academic session on the grounds mentioned in point 10 above.

2 School is directed to merge the account of the nursery wing the main school w.e.f 01.04.2015 and submit the compliance report in r/o merging of accounts of nursery wing with the main school account as the students of Nursery school are being transferred in the main school.

3 To provide Uniform/Books & Stationary free of cost to the EWS/DG category students with immediate effect.

4 School is directed to submit the minutes of meeting of PTA election after the 13 May, 2016 and other supporting documents Further, the new PTA election must be conducted strictly as per guidelines of DoE School should inform DoE regarding compliance of the same.

5 School is directed to calculate the amount paid as rent to society by the Uniform shop, stationary shop, canteen. Bank etc running inside school premises for the last three years i e period under the inspection & get back the same to the school fund Furtei the amount received hereinafter, as rent of Uniform shop stationary shop, canteen Bank etc shall be credited to the school fund.

6 School is directed to calculate the amount paid to manager during last three years and get back the same to the school fund.

7 Justification for charging of Rs 46,750/- on account of Annual charges from students of Nursery class is not proper School is directed to reconsider the fee structure for the nursery and pre-pnmary classes and submit a reasonable and modified structure of charges.

8 School is directed to re-fix the pay as per 10 (1) of DSEAR 1973 of the principal and get back the excess amount paid to the principal in the school fund.

9 To get back the amount transferred to society from the school fund amounting to Rs 6.97.254 and Rs 2 39.478 during the FY 2013-14 and period April 16 to January 17 respectively to Salwan Boys Senior Secondary Schools as 5% Management Contribution.

10 School is directed to follow "GN-21 Accounting by Schools" issued by ICAI, order dated 11.02.2009 & 15.12.1999 in letter and spirit and prepare its books of accounts accordingly.

11 To submit the reconciliation statement for FY 2013-14, 2015-16 and 2016-17 with clear explanations for reasons of differences in r/o claim of financial statements not corroborated with fee structure of the school and number of students.

12 Until the copy of allotment letter of the land in original is submitted to the department for verification the order dated 19.02.2016 and 16.04.2016 directing the schools to seek prior sanction of Director (Education) for increase in fee shall be binding on the school and the school shall not increase any fee without prior sanction of Director (Education).

This issues with the prior approval of the Competent Authority

DY. DIRECTOR OF EDUCATION
DISTRICT CENTRAL/NEW DELHI

To

HoS/Manager,

G.D. Salwan Public School,

Old Rajender Nagar, New Delhi

No. D.D.E./C&ND/2018/936-940 Dated: 12/09/18

Copy to

1 P S to Director (Education), Dte of Education, GNCT of Delhi

2 P A to Special Director (Education), PSB, Dte of Education, GNCT of Delh;

3 DDE.(PSB), Dte. of Education, GNCT of Delhi

4 Guard File

DY. DIRECTOR OF EDUCATION
DISTRICT CENTRAL/NEW DELHI

09. श्री विशेष रवि : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि क्षेत्रीय विधायक से नव हिन्द गर्ल्स सीनियर सेकेण्डरी स्कूल न्यू रोहतक रोड के ऑडिटोरियम में अवैध व्यावसायिक गतिविधियां चलाए जाने के विरुद्ध शिकायत पत्र संख्या 111491 दिनांक 28 मार्च 2018 विभाग को प्राप्त हुई है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि डीडीई सी एंड डी (सीडीसी) के विरूद्ध दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत पत्र संख्या 111490 दिनांक 28 मार्च, 2018 के अन्तर्गत की गयी है;

(ग) यदि हां, तो विभाग द्वारा इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गयी; और

(घ) इनका विस्तृत विवरण क्या है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग)

1. जिला कार्यालय द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 12.04.2018 को उप निदेशक जोन 28 ने विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रधानाचार्य एवं प्रबंधक ने अवगत कराया कि आडिटोरियम, शैक्षिक गतिविधि के लिए प्रयोग में लाया जाता है तथा उसमें कोई अवैध व्यवसायिक गतिविधि नहीं की जाती है। प्रधानाचार्य ने इस आशय का एक पत्र दिनांक 12.04.2018 को भी दिया।

   साथ ही उप निदेशक जोन 28 ने पत्र दिनांक 25.04.2018 के द्वारा विद्यालय को कठोर शब्दों में चेतावनी जारी करते हुये साफ किया कि विद्यालय के आडिटोरियम का उपयोग विद्यालय गतिविधियों के अतिरिक्त किसी अन्य उपयोग में न लाया जाये अन्यथा शिक्षा अधिनियम, 1973 के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही की जायेगी

2. शिक्षा प्राप्ति के उपरांत संबंधित शिकायत पत्र को क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक (मध्य) को आवश्यक जाँच हेतु निर्देश पत्र जारी किया गया। तदनुसार जिला उप शिक्षा निदेशक (मध्य) द्वारा विषयवार यह अवगत कराया गया कि :

   (अ) विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं माननीय विधायक महोदय के बीच सारी शिकायतों पर विस्तार से चर्चा की गई, जहाँ जिला उप शिक्षा निदेशक भी मौजूद रहे। प्रधानाचार्य को दिल्ली स्कूल

शिक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य संपादित करने हेतु निर्देशित किया गया था। स्कूल को यह भी निर्देश दिया गया कि नियमों की अवहेलना करके फीस से किसी प्रकार की वृद्धि न की जाये। साथ ही अभिभावकों को बढ़ी हुई फीस देने के लियेदबाव न बनाया जाये। जिला कार्यालय द्वारा विद्यालय को ईमेल दिनांक 26.04.2018 के माध्यम से अवगत कराया गया कि उनके फरीस वृद्धि का प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है।

(ब) सलवान पब्लिक स्कूल के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के उपरांत स्कूल के लेखा का जांच किया गया एवं संबंधित समिति के रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 03.02.2018 को आदेश जारी किये गये थे। विदित हो कि इस विद्यालय के पीटीए द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने उस जांच रिपोर्ट से संबंधित एक वाद विचाराधीन है। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी किये गये नवीनतम आदेश की प्रति संलग्नक 'क' पर संलग्न है।

(घ) उपरोक्तानुसार।

14. सरदार अवतार सिंह (कालकाजी) : क्या माननीय **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के गुरू हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों में अध्यापकों को वर्ष 2017–18 व 2018–19 में दिये गए वेतन का ब्यौरा क्या है;

(ख) गुरू हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों के अध्यापकों को वेतन कब से नहीं मिल रहा;

(ग) क्या सभी गुरू हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों का एफिलिएशन एक ही है;

(घ) यदि हां, तो गुरू हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों का फंड/एकाउंट एक जगह किया जा सकता है;

(ङ) यदि नहीं तो गुरू हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों का फंड/एकाउंट किस अधिनियम के अंतर्गत एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है; और

(च) 2013 से लेकर अब तक गुरू हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों की एफ. डी. व अन्य फण्ड का इस्तेमाल अभी तक कहाँ हुआ? इसका पूर्ण ब्यौरा दिया जाए?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) और (ख) इस संबंध में विभाग के पास अंडर रूल 180 डीईएआर की स्टाफ स्टेटमेंट 2017–18 मौजूद है;

स्कूल का नाम	2017–18	2018–19	बकाया वेतन
जीएचपीएस, वसंत विहार	124139796/–	21656601/–	शून्य
जीएचपीएस, निहाल विार	11362345/–	2731980/–	जून, 2018 से अब तक
जीएचपीएस, लोनी रोड	163541958/–	28028992/–	जून, 2018 से अब तक
जीएचपीएस, नानक प्याउ	94749616/–	7758963/–	मई, 2018 से अब तक

स्कूल का नाम	2017—18	2018—19	बकाया वेतन
जीएचपीएस, तिलक नगर	58073006/—	8914029/—	जून, 2018 से अब तक
जीएचपीएस, हरिनगर	6429693/—	1492234/—	जुलाई, 2018
जीएचपीएस, पंजाबी बाग	71055742/—	6664400/—	मई, 2018 से अब तक
जीएचपीएस, करोल बाग	59036886/—	10063111/—	जून, 2018 से अब तक
जीएचपीएस, पुराना किला	101102058/—	10036412/—	मई, 2018 से अब तक
जीएचपीएस, हेमकुंड कालोनी	90818522/—	15832007/—	जून, 2018 से अब तक
जीएचपीएस, कालकाजी एक्सटेंशन	83299248/—	14172818/—	जून, 2018 से अब तक
जीएचपीएस, हरगोबिंद इंक्लेव	79168507/—	13651095/—	जून, 2018 से अब तक

(ग) दिल्ली सरकार का शिक्षा विभाग निजी स्कूलों को मान्यता (Recognition)/पंजीकरण देने का काम करती है। मान्यता प्राप्त/पंजीकृत स्कूलों का एफिलिएशन सी.बी.एस.ई./अन्य संबंधित बोर्ड के द्वारा किया जाता है; वर्तमान दिल्ली के शिक्षा विभाग के अंतर्गत गुरू हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के 12 शाखायें चल रही हैं;

(घ) जी नहीं, DSEAR, 1973 के सेक्शन 18(3) के तहत प्रत्येक स्कूल का एक अलग स्कूल फंड एकाउंट होता है;

(ङ) जी नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस संदर्भ में विभाग ने दिनांक 04.05.2018 को एक आदेश जारी कर सभी गुरू हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों को अपने अपने स्कूलों को अलग एकाउंट सेक्शन 18(3) के अनुसार संचालित करने का आदेश जारी किया है; और

(च) संदर्भित अवधि के दौरान गुरू हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों के व अन्य फंडों के इस्तेमाल का आडिट अभी किया जाना है।

15. श्री संजीव झा : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा विभाग की दूसरी प्राथमिक सूची में बुराड़ी के विद्यालयों में निर्मित होने वाले कितने नए भवनों की स्वीकृति जारी की गई है;

(ख) विद्यालयों के नाम सहित सूची प्रदान करें जहां नए भवनों का निर्माण किया जाना है; और

(ग) बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा विभाग को आबंटित जमीन का विवरण उपलब्ध कराएं?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) शिक्षा विभाग की प्राथमिक–II सूची में बुराड़ी के एस.के.वी. जगतपुर (महावीर सिंह) में 24 कमरों व जी.जी.एस. एस. ब्लाक ई. जहाँगीरपुरी में 80 कमरों के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। यह प्रस्ताव केबिनेट से अनुमोदित हो गया है;

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त, कादीपुर में 5–6 विद्यालयों का हब बनाने की योजना विचाराधीन है। लोक निर्माण विभाग को भवन प्रारूप उपलब्ध करने के लिए पत्र प्रेषित कर दिया गया है;

(ग) शिक्षा विभाग को आवंटित जमीन का विवरण निम्नानुसार है–

1.	कादीपुर	–	62 बीघा 6 बिसवा
2.	कादीपुर	–	43 बीघा 16 बिसवा
3.	इब्राहिमपुर	–	05 बीघा
4.	सलीमपुर माजरा	–	09 बीघा 17 बिसवा

16. सुश्री भावना गौड़ : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले दिल्ली सरकार के विभिन्न स्कूलों में दिनांक 31.07.2013 तक पढ़ रहे बच्चों का विद्यालय वार विवरण क्या है;

(ख) अब दिनांक 31.07.2018 को उन्हीं स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की विद्यालय चार संख्या कितनी–कितनी है; तथा

(ग) जिन विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या कम हुई है, उसके कारणों सहित उनका विवरण क्या है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क)

विद्यालय आईडी	विद्यालय का नाम	31.07.2013 को विद्यार्थियों की संख्या
1821001	Palam Enclave No. 2, BSV	2038
1821004	Palam Village No. 1 SBV	1741
1821010	Palam Enclave No. 3, GBSSS	1183
1821018	Palam Enclave No. 1, SKV	2375
1821024	Palam Enclave No. 3, GGSSS	1338
1821025	Vijay Enclave, SKV	1895
1821028	Vijay Enclave, SBV	2400
1821029	Dwarka Sec. II, Govt. Co-ed SSS	2485
1821015	Palam Enclave No. 2, SKV	1941

(ख)

विद्यालय आईडी	विद्यालय का नाम	31.07.2018 को विद्यार्थियों की संख्या
1	2	3
1821001	Palam Enclave No. 2, BSV	1743
1821004	Palam Village No. 1 SBV	1307

1	2	3
1821010	Palam Enclave No. 3, GBSSS	710
1821018	Palam Enclave No. 1, SKV	1974
1821024	Palam Enclave No. 3, GGSSS	844
1821025	Vijay Enclave, SKV	2130
1821028	Vijay Enclave, SBV	1790
1821029	Dwarka Sec. II, Govt. Co-ed SSS	2398
1821015	Palam Enclave No. 2, SKV	1834

(ग) नये विद्यालय खुलने के कारण विद्यार्थियों की संख्या में कमी आई है। 31.07.2013 के बाद संबंधित जिले में 7 नये विद्यालय खोले गए हैं। जिनकी विद्यालय आई.डी. निम्नलिखित है–

विद्यालय आईडी	विद्यालय का नाम	31.07.2013 को विद्यार्थियों की संख्या
1821242	Govt. Co-ed SSS, Sector-16A, Dwarka	766
1821279	Govt. Co-ed SSS, Sector-17, Dwarka	1430
1821280	GBSSS, Samalka	2197
1821281	Govt. Co-ed SSS, Sector-13, Dwarka	835
1821282	School of Excellence, Sector-22, Dwarka	531
1821282	Vijay Enclave, SKV	706
1821285	Vijay Enclave, SBV	523

17. श्री पवन कुमार शर्मा : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि निजी विद्यालयों में प्रवेश को लेकर बहुत धांधली है;

(ख) क्या निजी स्कूलों में माता–पिता/अभिभावकों की स्कूल प्रबन्धन समिति गठित करने की कोई गाइडलाइन्स हैं;

(ग) यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) दिल्ली के निजी माध्यम प्राप्त विद्यालय, दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी सर्कुलर/गाइडलाइंस के आधार पर व समय–समय पर जारी माननीय न्यायालयों के आदेशानुसार छात्रों को प्रवेश देने के लिए बाध्य हैं। यदि किसी निजी विद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया में कोई शिकायत शिक्षा निदेशालय को प्राप्त होती है, तो उस विद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है;

(ख) जी हां;

(ग) निजी विद्यालय में स्कूल प्रबंधन समिति का गठन DSEAR, 1973 के नियम 59 के तहत किया जाता है, जिसमें अधिक से अधिक 21 सदस्य हो सकते हैं। इस स्कूल प्रबंधन समिति में एक सदस्य पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन (PTA) के द्वारा चुने जाते हैं; और

(घ) लागू नहीं होता।

18. श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में बिजली के बिलों में बेतहाशा वृद्धि से दिल्ली के उद्योग धन्धे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली में 01 अप्रैल, 2018 से पहले उद्योगों से 125 रुपए प्रति किलोवाट की फिक्स्ड दर से चार्ज वसूल किया जाता था और अब इसे बढ़ाकर 250 रुपए प्रति किलोवाट कर दिया है;

(ग) क्या यह सरकार के संज्ञान में है कि उद्योगों में लगभग प्रत्येक उद्योग को 90 से 250 किलोवॉट बिजली के मीटर की आवश्यकता होती है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि वर्तमान टैरिफ के अनुसार यदि किसी उद्योगपति के 90 किलोवॉट के तीन मीटर लगे हैं तो 67500/– रुपए फिक्स्ड चार्ज उसी अनुपात में सरचार्ज भी देना होगा;

(ङ) क्या सरकार के यह भी संज्ञान में है कि अधिकार उद्योग धंधे सीजनल होते हैं और उन्हें साल में 5 या 6 महीने बिजली की आवश्यकता होती है, परन्तु बढ़ा हुआ फिक्स्ड चार्ज 12 महीने का देना पड़ रहा है;

(च) क्या यह भी सत्य है कि बढ़े हुए फिक्स्ड चार्ज के कारण कई उद्योगपति अपने धंधे पड़ोसी राज्य हरियाणा में स्थानान्तरित कर रहे हैं; और

(छ) सरकार इसके समाधान हेतु क्या कदम उठा रही है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) जी नहीं;

(ख) जी नहीं;

(ग) प्रत्येक उद्योग अपनी आवश्यकतानुसार प्रभार स्वीकृत कराता है।

(घ) जी हां;

(ङ) टैरिफ आदेश के अनुसार फिक्सड चार्ज लागू होते हैं;

(च) क्या यह भी सत्य है कि बढ़े हुए फिक्स्ड चार्ज के कारण कई उद्योगपति अपने धंधे पड़ोसी राज्य हरियाणा में स्थानान्तरित कर रहे हैं; और

(छ) सरकार इसके समाधान हेतु क्या कदम उठा रही है?

18. श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में बिजली के बिलों में बेतहाशा वृद्धि से दिल्ली के उद्योग धन्धे बुरी तरह प्रभावित हुए है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली में 01 अप्रैल, 2018 से पहले उद्योगों से 125 रुपए प्रति किलोवाट की फिक्स्ड दर से चार्ज वसूल किया जाता था और अब इसे बढ़ाकर 250 रुपए प्रति किलोवाट कर दिया है;

(ग) क्या यह सरकार के संज्ञान में है कि उद्योगों में लगभग प्रत्येक उद्योग को 90 से 250 किलोवॉट बिजली के मीटर की आवश्यकता होती है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि वर्तमान टैरिफ के अनुसार यदि किसी उद्योगपति के 90 किलोवॉट के तीन मीटर लगे है तो उसे 67500/— रुपए फिक्स्ड चार्ज तथा उसी अनुपात में सरचार्ज भी देना होगा;

(ङ) क्या सरकार के यह भी संज्ञान में है कि अधिकतर उद्योग धंधे सीजनल होते हैं और उन्हें साल में 5 या 6 महीने बिजली की आवश्यकता होती है, परन्तु बढ़ा हुआ फिक्स्ड चार्ज 12 महीने का देना पड़ रहा है;

(च) क्या यह भी सत्य है कि बढ़े हुए फिक्स्ड चार्ज के कारण कई उद्योगपति अपने धंधे पड़ोसी राज्य हरियाणा में स्थानान्तरित कर रहे हैं; और

(छ) सरकार इसके समाधान हेतु क्या कदम उठा रही है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) जी नहीं;

(ख) जी नहीं;

(ग) प्रत्येक उद्योग अपनी आवश्यकतानुसार प्रभार स्वीकृत कराता है।

(घ) जी हां;

(ङ) टैरिफ आदेश के अनुसार फिक्सड चार्ज लागू होते हैं;

(च) यह प्रश्न उर्जा विभाग से सम्बन्धित नहीं है;

(छ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता;

19. श्री सुखवीर सिंह दलाल : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुण्डका विधान सभा के अन्तर्गत घेवरा मोड़, रोहतक रोड़ मुण्डका विधान सभा क्षेत्र पर खेल विश्वविद्यालय के निर्माण/स्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) हिरणकुदना गांव, घेवरा मोड़, रोहतक रोड मुण्डका विधानसभा दिल्ली–41 में सर्वोदय सहशिक्षा उच्चतम माध्यमिक विद्यालय में बनने वाले मिनी स्टेडियम के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) मुण्डका विधान सभा के अन्तर्गत आने वाले कितने स्कूलों में स्पोर्टस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है;

(घ) मुण्डका विधान सभा के अन्तर्गत आने वाले स्कूलों में कितने चौकीदार कार्यरत हैं, स्कूलवार विवरण दें, और

(ङ) मुण्डका विधानसभा में कितनी एन.जी.ओ. मिड डे मील दे रही हैं, उन स्कूलों के नाम और पते सहित उन एन.जी.ओ. की सूची प्रदान करें?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु उप कुलपति गुरू गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। कमेटी ने माननीय उपमुख्यमंत्री के सुझाव पर दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का संशोधित बिल प्रस्तुत किया है। संशोधित बिल सरकार की सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु विचाराधीन है;

(ख) हिरणकुदना गांव, घेवरा मोड़, रोहतक रोड़, मुण्डका विधान सभा दिल्ली–41 में सर्वोदय सहशिक्षा उच्चतम माध्यमिक विद्यालय में खेल शाखा,

शिक्षा विभाग द्वारा सर्वे किया गया। सर्वे के उपरांत इस विद्यालय की खाली जमीन को इस्तेमाल करने के लिए दो योजनाओं पर विचार किया गया–

1. वर्तमान स्थिति में वहां पर 200 मीटर का सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रेक बनाया जा सकता है। उस विद्यालय में एक अवांछित बिल्डिंग भी उपलब्ध है जिसको तोड़ने के उपरांत इस विद्यालय में कुश्ती और बॉक्सिंग का एक बहुउद्देशीय हॉल बनाया जा सकता है;

2. इस समय वहां पर कुश्ती और बॉक्सिंग का एक बहुउद्देशीय हॉल बना सकते हैं। इस विद्यालय में अवांछित बिल्डिंग को तोड़ने के उपरांत वहां पर एक हाकी या फुटबाल का मैदान बनाया जा सकता है;

   विचार विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान की स्थिति में वहां पर 200 मीटर का सिंथेटिक ट्रेक बनाया जाना उपयुक्त होगा। अतः इसके लिए बहुत जल्द प्रशासनिक अनुमति लेने के उपरांत लोक निर्माण विभाग को प्रारम्भिक अनुमान देने के लिये अनुरोध भेजा जायेगा;

(ग) मुण्डका विधानसभा के स्कूलों में स्पोर्टस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है;

(घ) विवरण निम्न प्रकार हैः

स्कूल का नाम	चौकीदारों की संख्या
सर्वोदय विद्यालय, घेवरा	4
को–एड एस.एस.एस., निजामपुरा	4
लाडपुर, जी.बी.एस.एस.	7
कंझावला एस.के.वी.	4
कराला एस.के.वी.	8
कराला जी.बी.एस.एस.एस.	
जी.टी. एस.के.वी.	4
सावदा (घेवरा) एस.के.वी. ए. ब्लॉक	3
सावदा (घेवरा) कालोनी एच ब्लाक एस.वी.	3
एस.बी.वी. सावदा (घेवरा) बी. ब्लॉक	3
सर्वोदय सर्वशिक्षा विद्यालय रानीखेड़ा	4
सर्वोदय को–एड विद्यालय, हीरनकूदना	4
सर्वोदय कन्या विद्यालय, टीकरीकलां	4
सर्वोदय कन्या विद्यालय, टीकरीकेलां	4
सर्वोदय कन्या विद्यालय, मुण्डका गाँव	4
जी.बी.एस.एस., मुण्डका गाँव	1

स्कूल का नाम	चौकीदारों की संख्या
एस.के.वी. निलोठी	7
जी.जी.एस.एस.एस. जे.जे. कॉलोनी, नांगलोई	5
जी.बी.एस.एस.एस. जे.जे. कॉलोनी, नांगलोई	1 ; और

(ङ) मुण्डका विधानसभा में निम्नलिखित एन.जी.ओ. मिड–डे मील दे रहे हैं;

स्कूल का नाम	एन.जी.ओ. का नाम
सर्वोदय विद्यालय, घेवरा	गुरू कृपा वूमन सोसायटी
को–एंड एस.एस.एस., निजामपुरा	
लाडपुर, जी.बी.एस.एस.	
कंझावला एस.के.वी.	
कराला एस.के.वी.	
कराला जी.बी.एस.एस.एस.	
जी.टी. एस.के.वी.	
सावदा (घेवरा) एस.के.वी. ए ब्लॉक	
सावदा (घेवरा) कालोनी एच. ब्लाक एस.वी.	
एस.बी.वी. सावदा (घेवरा) बी ब्लॉक	

स्कूल का नाम	एन.जी.ओ. का नाम
सर्वोदय सर्वशिक्षा विद्यालय रानीखेड़ा	मैत्री रिसर्च एवं डन्हलपमेंट फाउंडेशन
सर्वोदय कन्या विद्यालय, टीकरीकलां	श्री शक्ति एण्टरप्राईजेज
सर्वोदय कन्या विद्यालय, मुण्डका गाँव	
जी.बी.एस.एस.एस., मुण्डका गाँव	
एस.के.वी. निलोठी	
जी.बी.एस.एस.एस. जे.जे. कालोनी नांगलोई	
जी.बी.एस.एस.एस. जे.जे. कालोनी नांगलोई	
एस.बी.वी. निलोठी	
जी.बी.एस.एस. टिकरीकलां	
एस.वी. को–एड. हिरनकूदना।	

20. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दिल्ली सरकार द्वारा चलाये जा रहे व मान्यता प्राप्त कितने स्कूल हैं;

(ख) इनमें से कितने स्कूलों में लाइब्रेरी नहीं है;

(ग) सरकार ने इस वर्ष कितने स्कूलों में लाइब्रेरी खोलने का लक्ष्य रखा है तथा कितना बजट रखा है;

(घ) क्या जिन स्कूलों में लाइब्रेरी नहीं है उन स्कूलों के बच्चों का साथ वाले स्कूलों में लाइब्रेरी प्रयोग करने पर सरकार विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां तो कौन–कौन से स्कूलों को किस–किस स्कूल के साथ जोड़ा है; कृपया विवरण दें?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) दिल्ली सरकार के दिल्ली में कुल 1023 राजकीय विद्यालय हैं। दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या 1755 है (1344 विद्यालय ''दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट, 1973'' के अंतर्गत है व 411 विद्यालय 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009'' के अन्तर्गत है);

(ख) जिस समय मान्यता दी जाती है, तब यह सुनिश्चित किया जाता है कि विद्यालय में लाइब्रेरी हो। उपरोक्त सभी विद्यालयों में लाइब्रेरी है;

(ग) यद्यपि दिल्ली सरकार के सभी राजकीय विद्यालयों में कम से कम एक लाइब्रेरी पहले से है, तथापि;

1. 400 राजकीय विद्यालयों में मुख्य पुस्तकालय के अलावा, अतिरिक्त पुस्तकालय बनाने के लिये पी.डब्ल्यू.डी. को 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है;
2. वर्ष 2018–19 में हर प्राथमिक कक्षा में कक्षा–कक्ष पुस्तकालय के लिये 10 हजार रुपये प्रति सेक्शन की पुस्तकें खरीदने का प्रावधान है;
3. वर्ष 2018–19 में दिल्ली के सभी राजकीय विद्यालयों में 15 करोड़ रुपये की राशि की पुस्तकें एवं अन्य सामग्री खरीदने का बजट प्रावधान;

(घ) उपरोक्त ''ख'' के अनुसार लागू नहीं होता; और

(ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

01. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली छावनी विधान सभा के सी.बी. नारायणा गाँव में लोक निर्माण विभाग की 16.5 एकड़ जमीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस भूमि पर कोई शिक्षण संस्थान खोलने पर विचार कर रही है?;

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) रक्षा सम्पदा कार्यालय, दिल्ली सर्कल, दिल्ली कैंट से प्राप्त पत्र संख्या 3827 दिनांक 27.07.2018 के अनुसार उपरोक्त कार्यालय द्वारा प्रबंधित भूमि अभिलेखों के अनुसार दिल्ली छावनी के अंतर्गत स्थित नारायणा गांव में कोई भी भूमि लोक निर्माण विभाग के नाम पर अंकित है; और

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

02. श्री आदर्श शास्त्री : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सरकारी विद्यालय में किन–किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है/अध्ययन कराया जाता है;

(ख) इन भाषाओं के पाठ्यक्रम में शामिल करने का आधार क्या–क्या है;

(ग) क्या इसमें देश और विदेश में एक विशेष पहचान लिए, भोजपुरी भाषा को शामिल किया गया है;

(घ) भोजपुरी बोलने वाले लोगों की अच्छी खासी संख्या देखते हुए इसको लेकर कोई विशेष कार्ययोजना; और

(ङ) क्या द्वारका विधानसभा क्षेत्र में भोजपुरी भाषा बोलने वालों की बड़ी संख्या को देखते हुए यहां के स्कूलों में भोजपुरी को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने पर सरकार विचार कर रही है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) दिल्ली सरकार के अधीनस्थ सरकारी विद्यालयों में हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत भाषाओं को पाठ्यक्रम शामिल किया गया है;

(ख) त्रिभाषा सूत्र (थ्री लेंग्वेज फार्म्यूला) के अन्तर्गत उपरोक्त भाषाएं पढ़ाई जाती हैं;

(ग) जी नहीं;

(घ) जी नहीं; और

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

03. श्री आदर्श शास्त्री : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार और एम.सी.डी. के स्कूलों को स्पेशल एजूकेटर की भर्ती के लिए सी.टी.ई.टी. की योग्यता अनिवार्य है;

(ख) क्या यह उच्च न्यायालय के तत्संबंधी निर्देशों के प्रतिकूल हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या स्पेशल एजूकेटर की भर्ती के लिए सी.टी.ई.टी. की अनिवार्यता को समाप्त करने की कोई योजना है;

(घ) दिल्ली सरकार के तथा नगर निगम द्वारा परिचालिक विद्यालयों में स्पेशल एजूकेटकर के कितने स्वीकृत पद हैं और इनमें से कितने भरे हुए हैं;

(ङ) क्या यह सत्य है कि प्रशासनिक सुधार विभाग ने स्पेशल एजूकेटर के 1080 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति दी है; और

(च) यदि हां, तो इन अतिरिक्त 1080 पदों पर भर्ती के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

04. श्री आदर्श शास्त्री : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वारका विधानसभा के अंतर्गत आने वाले दिल्ली सरकार के स्कूलों में DTTDC & PWD विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) द्वारका विधान सभा के स्कूलों में अतिरिक्त यम एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए आवंटित बजट की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) द्वारका विधानसभा में कितने मोहल्ला क्लिनिक प्रस्तावित हैं एवं उनके निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) द्वारका विधान सभा के अंतर्गत आने वाले दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है एवं इसके लिए कितना फण्ड निर्धारित किये गये हैं?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) **DTTDC द्वारा किया गया कार्यः**

1. एस.के.वी., सागरपुर नं. 1 में 42 कमरें, 8 लैब, 4 हाल, 1 एम. पी. हाल और 12 टायलेट ब्लाक का नवीनीकरण किया गया है और 43 नये कमरे, 6 नये लैब और 4 टॉयलेट ब्लॉक का कार्य पूरा हो चुका है;

2. जी.जी.एस.एस.एस., द्वारका, सेक्टर 1, पाकेट–7 में 38 कमरे, 10 लैब/हॉल का नवीनीकरण हो चुका है। जगह की कमी के कारण पुराने भवन पर तीसरी मंजिल पर 8 लैब व 12 कमरों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है;

PWD द्वारा किया गया कार्यः

एस.के.वी., सागरपुर नं. 2 में 92 कमरों का निर्माण किया गया है।

इसके अलावा द्वारका विधान सभा के अन्य स्कूलों में भी EOR के माध्यम से PWD द्वारा निर्माण/मरम्मत के लिये किये गये हैं;

(ख)

1. एस.के.वी. सागरपुर नं. 1 में निर्माण कार्य के लिये डी.टी.टी.डी. सी. को 19,97,31,700/– रुपये की धनराशि अनुमोदित की गई थी जिसमें से रुपये 16,79,90,917/– की राशि जारी की जा चुकी है;

2. जी.जी.एस.एस.एस. द्वारका, सेक्टर 1, पाकेट–7 में निर्माण कार्य के लिये डी.टी.टी.डी.सी. को रुपये 15,13,74,000/– की राशि अनुमोदित की जा चुकी थी जिसमें से रुपये 11,47,79,343/– की राशि जारी की जा चुकी है;

3. एस.के.वी. सागरपुर नं. 2 में निर्माण कार्य प्राथमिकी–1 के अंतर्गत किया गया है जिसकी व्यय स्वीकृति लोक निर्माण विधान को समग्र रूप से की गई थी;

(ग) द्वारका विधान सभा में प्रस्तावित मोहल्ला क्लिनिकों की जगह की संख्या 05 है। जो कि दिल्ली जल बोर्ड की जगह है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा किये गये निरीक्षण में इन जगहों को मोहल्ला क्लिनिकों के लिये उपयुक्त पाया गया। उपरोक्त जगह पी.डब्ल्यू.डी. को एक सप्ताह में दी जायेगी; और

(घ) द्वारका विधान सभा के अंतर्गत आने वाले दादादेव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में बिस्तरों की संख्या 106 से बढ़ाकर 180 बिस्तर करने का प्रस्ताव है। इसके लिये अनुमानित व्यय 50 करोड़ रुपये है। नक्शा निर्धारित हो गया है। अनमोदित व्यय डी.एस.आर.–2016 के हिसाब से बनाकर वित्तीय विभाग को स्वीकृति के लिये भेजा जायेगा। वर्तमान में फाइल पी.डब्ल्यू.डी. प्रोजेक्ट के पास है।

05. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार का इस वर्ष स्कूलों में लगभग 12000 कमरे बनाने का लक्ष्य है;

(ख) जिन स्कूलों में ये कमरे बनाए जाने हैं, क्या वहां दाखिले की इतनी मांग है कि सरकार मांग को पूरा नहीं कर पा रही है, पूर्ण जानकारी दें;

(ग) यदि हां तो इन कमरों को बनाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा कोई सर्वे कराया गया;

(घ) यदि हां तो सर्वे की विस्तृत उपलब्ध करें;

(ङ) ये कमरे कितने स्कूलों में निर्मित किये जाएंगे;

(च) ये कमरे किस आधार पर बनाए जाते हैं;

(छ) क्या इनके लिए प्रधानाचार्य की सहमति ली जाती है;

(ज) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा अब तक 8000 अतिरिक्त नए कमरे बनाए जा चुके हैं; और

(झ) जिन विद्यालयों में ये नए कमरे बनाए गए हैं उन विद्यालयों में पहले कितने पढ़ते थे, अब कितने बच्चे पढ़ते हैं, विस्तृत विवरण दें?

(ञ) बनाए जाने वाले कमरों में किस प्रकार का बिल्डिंग मेटेरीयल प्रयोग किया जा रहा है;

(ट) क्या यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये कमरे भूकम्प रोधी हों;

(ठ) यदि हां तो यह सुनिश्चित किए जाने का आधार क्या है;

(ड) क्या यह भी सत्य है कि मोहन गार्डन के जी.बी.एस.एस.एस. नं. 1 स्कूल में कमरों की विशेष कमी है और जिसके कारण बच्चों को बालकानी व पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ रहा है;

(ढ) सरकार इस विषय पर क्या कर रही है; पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) स्कूलों में लगभग 12700 कमरे बनाने का कार्य प्रगति पर है;

(ख) से (घ) बढ़ती हुई मांग को दृष्टिगत इन कमरों के निर्माण की योजना बनाई गई है। शिक्षा विभाग, विभिन्न स्तरों पर जिसमें शिक्षकों, प्रधान अध्यापकों की मांग को ध्यान में रखते हुये, इसके अलावा विभिन्न पहलुओं जैसे दाखिले की मांग, विद्यार्थियों की संख्या विधायक की अनुशंसा, एस.एम.सी. की सहमति, स्थान की उपलब्धता इत्यादि के आधार पर निर्णय लेता है;

(ङ) ये कमरे 263 विद्यालयों में निर्मित किये जायेंगे। लेकिन यह संख्या कम या ज्यादा हो सकती है;

(च) उपरोक्त (ख) के अनुसार;

(छ) जी हाँ;

(ज) जी हाँ;

(झ) कमरे बनने से पहले 607659;

कमरे बनने के बाद 638384;

हालांकि स्कूलों में कमरे बनाये गये हैं, वहां कमरों की संख्या पहले से ही बहुत कम थी और एक–एक क्लास में क्षमता से कहीं ज्यादा बच्चे बैठने पर मजबूर थे। नये कमरे बनने से पहले से ही वहां पर पढ़ रहे बच्चों को सुविधापूर्वक बिठाने और बेहतर शिक्षा का वातावरण बनने में मदद मिलेगी;

(ञ) कमरों का निर्माण आर.सी.सी. चार मंजिला बीम और कालम (Beam and Column) फ्रेम के आधार पर हुआ है;

(ट) जी हाँ;

(ठ) लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार यह सुनिश्चित किया गया है;

(ड) विद्यालय भवन का नवीनीकरण/निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण कुछ कक्षाएँ फिलहाल बरामदें में ली जा रही हैं। जैसे ही निर्माण कार्य पूर्ण होगा, इन कक्षाओं को कमरों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा; और

(ढ) उपरोक्तानुसार।

06. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार की ओर से जारी तमाम आदेशों के बावजूद निजी स्कूल ई.डब्ल्यू.एस. कोटे की स्थिति साझा नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार इन स्कूलों के विरुद्ध क्या कार्रवाई कर रही है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इन स्कूलों द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अनेक बच्चों को किसी न किसी कारण प्रवेश नहीं दिया जाता तथा सरकार की लचीली नीति का फायदा उठाकर जरूरत मन्दों को प्रवेश न देकर पैसे लेकर खाली सीटों की सामान्य श्रेणी के बच्चों को प्रवेश दे दिया जाता है? इस पर विस्तार से स्थिति स्पष्ट करे;

(घ) चालू शिक्षा सत्र से अब तक कितनी सीटें ई.डब्ल्यू.एस. कोटे से भरी हुई है और कितनी खाली हैं;

(ङ) जरूरतमन्द बच्चे इस योजना का फायदा उठा सकें सरकार इस पर क्या कार्रवाई कर रही है;

(च) सरकार द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए स्कूलों पर कितना व्यय किया जा रहा है; और

(छ) प्राइवेट स्कूल प्रबंधन की इसमें क्या भूमिका है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) जी नहीं यह सत्य नहीं है;

(ख) लागू नहीं होता;

(ग) यह सत्य नहीं है कि ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया कि पैसे लेकर सामान्य श्रेणी के बच्चों को ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी में प्रवेश दिया गया हो। जहाँ स्कूल प्रबन्धन द्वारा किसी जरूरतमंद बच्चे के प्रवेश में कोई

कठिनाई पैदा की जाती है वहां संबंधित जिला के उप शिक्षा निदेशक कार्यालय द्वारा दाखिला सुनिश्चित कराया जाता है।

इस संदर्भ में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी.सी. ने 3358/2013 में जारी फैसले दिनांक 03/09/2013 के अनुसार सामान्य श्रेणी के अनुपात में दाखिले न होने पर निजी स्कूल ई.डब्ल्यू.एस./डी.जी. श्रेणी के बच्चों को 'इन वेटिंग' श्रेणी में रख देते हैं। इस स्थिति पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जारी आदेशानुसार शिक्षा निदेशालय ने दिनांक 25/04/2018 और 24/07/2018 को ज्ञापन जारी किये हैं तथा 'इन वेटिंग' आवेदकों को भी प्रवेश मिल जाये विभाग द्वारा इस बात का भी ध्यान रखा जाता है।

(घ) सत्र 2018–19 में कुल 43882 सीटों के लिये ड्रा किया गया था और अभी तक कुल 31526 सीटें भी गई हैं लगभग 9064 मामलों में स्कूलों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार आवंटित सीटों के लिये संबंधित अभिभावकों ने दाखिले हेतु आबंटित स्कूलों में संपर्क ही नहीं किया है। बाकी बची सीटों में दाखिले की प्रक्रिया अभी भी जारी है।

(ङ) इस योजना का लाभ सभी योग्य आवेदक उठा सके इसके लिये प्रवेश प्रक्रिया के दौरान काफी प्रचार किया जाता है ताकि इसकी जानकारी अधिक से अधिक अभिभावकों के पास पहुंच जाये जैसे कि–शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर ड्रा का पूर्ण विवरण दिया जाता है समय समय पर समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये जाते हैं। रेडियो जिंगल के द्वारा तथा हेल्पलाइन न के द्वारा भी प्रचार किया जाता है।

(च) दिल्ली द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिये विगत वर्षों में निजी स्कूलों पर व्यय का विवरण निम्नलिखित है—

वर्ष	व्यय (रु. लाखों में)
2011—12	161.39
2012—13	422.28
2013—14	1174.80
2014—15	2458.00
2015—16	3447.33
2016—17	3686.37
2017—18	5827.06

(छ) मान्यता प्राप्त निजी स्कूल शिक्षा निदेशालय के नियमानुसार आवंटित ई.डब्ल्यू.एस. उम्मीदवार को दाखिला देना।

07. श्री गिरीश सोनी : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रघुबीर नगर में चल रहे स्कूल के नवीनीकरण का कार्य प्रस्तावित है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण दिया जाये;

(ग) इस स्कूल में कुल कितने कमरे बनने प्रस्तावित हैं; और

(घ) स्कूल के नवीनीकरण का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) जी हां;

(ख) रघुवीर नगर के विद्यालयों में प्राथमिकी–II के अन्तर्गत नए कमरों का निर्माण होना है। यह प्रस्ताव कैबिनेट से अनुमोदित हो गया है। विवरण इस प्रकार है–

क्र.सं.	स्कूल का नाम	कमरों का निर्माण
1.	रघुवीरनगर, जे.जे. कालोनी, सह शिक्षा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	24
2.	रघुवीरनगर, जे.जे. कालोनी, जी.जी. कालोनी, जी.जी.एस.एस.	64

(ग) उपरोक्तानुसार

(घ) व्यय स्वीकृति के पश्चात् 16 माह में कार्य समाप्त हो जायेगा।

08. श्री पंकज पुष्कर : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र के जोन–7 व जोन–9 के अंतर्गत चल रहे विद्यालयों का गत दो अकादमिक सत्रों के एनुअल डेवलपमैंट प्लान की सूचना का पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) प्यूपिल वैलफेयर फंड के विगत दो वर्षों के व्यय की विद्यालयवार सूची का विवरण क्या है;

(ग) इन सभी विद्यालयों में विगत तीन वर्षों में संबंधित उच्च विभागीय अधिकारियों के कितने निरीक्षण हुए; और

(घ) उक्त निकायों की निरीक्षण रिपोर्ट तथा की गई कार्रवाई का विद्यालयवार विवरण उपलब्ध कराए?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र के जोन 7 के अंतर्गत 08 स्कूल एवं जोन 9 के अंतर्गत 05 स्कूल हैं जिनका एनुअल डेवलपमेंट प्लान जिन तथ्यों के आधार पर बनाया गया है उनका विवरण निम्नानुसार है—

कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या, अध्यापकों की संख्या, आधारभूत संरचना, मिड—डे, शिक्षकों की भर्ती एवं शिक्षण क्षेत्र के प्रगति, विषयवार परीक्षा परिणाम एवं भविश्य योजना तथा विद्यालय प्रबंधन कमेटी की दी गई सूचना।

(ख) प्यूपिल वेलफेयर फण्ड से विद्यार्थियों के हितों के अनुरूप विभिन्न मदों पर व्यय किया जाता है। जोन 7 एवं 9 के सभी विद्यालयों में इस फण्ड से प्रायः परीक्षा एवं खेल आयोजित करवाने हेतु पैसा खर्च किया गया जिसकी विस्तृत सूची संलग्न है;

(ग) जोन 7 में कुल 38 विद्यालय हैं जिसमें से तिमारपुर विधान सभा में 08 विद्यालय हैं। तिमारपुर विधान सभा में विगत तीन वर्षों में किए गए निरीक्षणों का विवरण निम्न प्रकार है—

वर्ष 2016—17 — 10 निरीक्षण

वर्ष 2017–18 – 41 निरीक्षण

वर्ष 2018–19 – 10 निरीक्षण

जोन 9 के कुल 58 विद्यालय हैं जिसमें से तिमारपुर विधान सभा में 05 विद्यालय हैं। तिमारपुर विधान सभा में विगत तीन वर्षों में किए गए निरीक्षणों का विवरण निम्न प्रकार है–

वर्ष 2016–17 – 09 निरीक्षण

वर्ष 2017–18 – 41 निरीक्षण

वर्ष 2018–19 – 09 निरीक्षण;

(घ) उपरोक्त निरीक्षणों के दौरान, जोन 7 के तिमारपुर विधानसभा में आने वाले सभी आठों विद्यालयों तथा जोन 9 के तिमारपुर विधानसभा में स्थित पाँचों विद्यालयों में निरीक्षण के दौरान मुख्यतः विद्यार्थियों के पठन–पाठन, अध्यापकों की कार्य कुशलता, प्रयोगशालाओं का रखरखाव, सभी 13 विद्यालयों में साफ–सफाई तथा अनुशासन की स्थिति, विद्यालय प्रबंध समिति की कार्य कुशलता, भवन का रखरखाव इत्यादि विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया। जहाँ कहीं कमी पाई गई, तत्काल प्रधानचार्य को जरूरी सुधार करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण की कई रिपोर्ट लिखित रूप से विद्यालय के निरीक्षण रजिस्टर में दर्ज की गई ताकि भविष्य में आने वाले अधिकारी पिछली निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन कर सकें।

Reply of un starred Q. NO. 08

PERFORMA FOR INFORMATION REGARDING EXPENDITURE ON PEOPLE WELFARE FUND for Session; 2016-17

Sl.No.	Name of the School with School ID	Examination (Total)	Library	Sports	MISC
1	2	3	4	5	6
1.	Govt. Sarvodaya Vidyalaya Lancer Road (1207032)	155526	1893	2085	42143
2.	Sarvodaya Kanya Vidyalaya Timar Pur (1207034)	99599	12051	14410	119690
3.	Sarvodaya Bal Vidyalaya Timar Pur (1207012)	97315	15059	3300	403196
4.	Govt. Boys Sr. Sec. School, Nehru Vihar (1207114)	142713	00	00	11500
5.	Sarvodaya Kanya Vidyalaya Nehru Vihar (1207004)	105202	3129	00	25725
6.	Sarvodaya Kanya Vidyalaya Kedar Building (1207033)	83756	21308	5020	129712

1	2	3	4	5	6
7.	Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Maika Ganj (1207035)	38329	00	9576	261188
8.	Sarvodaya Bal Vidyalaya, Roshanara Road (1207015)	8752	4117	00	24640
	Total	57557	34391	1017794	731192
Session-2017-18					
1.	Govt. Sarvodaya Vidyalaya Lancer Road (1207032)	147446	8802	44808	4314542143
2.	Sarvodaya Kanya Vidyalaya Timar Pur (1207034)	92363	16075	00	57006
3.	Sarvodaya Bal Vidyalaya Timar Pur (1207012)	117620	15847	5432	62934
4.	Govt. Boys Sr. Sec. School, Nehru Vihar (1207114)	15670	00	00	27304
5.	Sarvodaya Kanya Vidyalaya Nehru Vihar (1207004)	60391	2074	2500	54664

6.	Sarvodaya Kanya Vidyalaya Kedar Building (1207033)	105936	7771	2360	142715
7.	Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Maika Ganj (1207035)	28161	00	11035	230121
8.	Sarvodaya Bal Vidyalaya, Roshanara Road (1207015)	21000	6246	00	25565
	Total	588587	56815	66135	643454

09. श्री पंकज पुष्कर : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सर्वोदय कन्या विद्यालय ढका के स्कूल परिसर का खेल का मैदान विद्यालय से असम्बद्ध कर क्रिकेट अकादमी के नाम कर दिया गया है;

(ख) उक्त क्रिकेट अकादमी से गत तीन वर्षों में कितने खिलाड़ी प्रशिक्षित होकर राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं;

(ग) उक्त अकादमी में प्रशिक्षित सभी खिलाड़ियों का गत तीन वर्षों का विवरण क्या है; और

(घ) क्या सरकार उक्त अकादमी को खेल परिसर के अभाव से ग्रस्त ढका के सर्वोदय कन्या विद्यालय एवं जी.बी.एस.एस.एस. से पुनः संबंधित करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) जी नहीं। स्कूल परिसर में क्रिकेट की खेल सुविधा को ढका क्रिकेट काम्पलेक्स का नाम दिया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों में ढका क्रिकेट काम्प्लेक्स में कुल 19 खिलाड़ी प्रशिक्षित होकर राज्रू एवम् राष्ट्रीय स्तर पर खेल है;

(ग) गत तीन वर्षों से ढका क्रिकेट काम्प्लेक्स में 403 विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है;

(घ) उक्त क्रिकेट काम्प्लेक्स कभी भी सर्वोदय कन्या विद्यालय एवं जी.बी.एस.एस.एस. से असम्बद्ध नहीं किया गया;

इस क्रिकेट काम्पलेक्स में इन स्कूलों के साथ–साथ किसी भी स्कूल का विद्यार्थी प्रशिक्षण ले सकता है;

(ङ) उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह प्रश्न प्रयोज्य नहीं है; और

(च) उपरोक्त के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

10. श्री महेंद्र गोयल : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिनांक 19–03–2018 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं. 08 के उत्तर में विभाग ने रिठाला विधान सभा क्षेत्र के सेक्टर–16, सेक्टर–1 व रिठाला गांव के सरकारी विद्यालयों में कक्षा कक्षों के निर्माण की बात कही थी;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में अब तक हुई प्रगति का पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं में दाखिले की प्रक्रिया का पूर्ण विवरण क्या है;

(घ) क्या यह सत्य है कि शहीद सुखदेव कालेज में गवर्निंग बॉडी का निर्माण हो चुका है; और

(ङ) यदि हां, तो गवर्निंग बॉडी के सदस्यों की सूची, कार्यकाल व शक्तियों की विस्तृत जानकारी क्या है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) जी हाँ;

(ख) प्रस्ताव केबिनेट से अनुमोदित हो गया है। जल्द ही लोक निर्माण विभाग द्वारा यह कार्य शुरू किया जायेगा;

(ग) **प्लान एडमिशन**—दिल्ली के मान्यता प्राप्त स्कूलों के कक्षा 8 एवं कक्षा 10 पास करने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः कक्षा 9 एवं 11 में दाखिले के लिये वर्ष के प्रारम्भ में ही योजना तैयार कर ली जाती है तथा उसके अनुसार दाखिले किये जाते हैं।

नान प्लान एडमिशन—अन्य विद्यालयों के दाखिले के लिये विद्यार्थियों या अभिभावकों को विद्यालय के प्रधानाचार्य से संपर्क करना होता है। जो विद्यालय शाखा से इस संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 27.03.2018 एवं 21.05.2018 के अनुसार दाखिला करते हैं। सभी प्रकार के दाखिलों में पेश आने वाली किसी भी समस्या के निवारणार्थ हर जोन व हर जिले में समितियाँ गठित हैं जो इस कार्य में प्रार्थियों की सहायता व उचित मार्ग निर्देशन करती हैं;

(घ) जी हाँ;

(ङ) पत्र संख्या 3728 दिनाँक 01.08.2018 द्वारा उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी गई गवर्निंग बॉडी के सदस्यों की सूची कार्यकाल सहित संलग्न है। गवर्निंग बॉडी की शक्तियों व कर्तव्यों की जानकारी कॉन्स्टीटयूशन, रूल्स व रेगुलेशन ऑफ गवर्निंग बॉडी आफ कॉलेजेज (ई.सी. नम्बर 66 दिनांक 27.04.1963) के नियम 6 के अंतर्गत है जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

परिशिष्ट–1

SHAHEED SUKHDEVE COLLEGE OF BUSINESS STUDIES
(UNIVERSITY OF DELHI)
PSP AREA-IV, DR. K.N. KATJU MARG,
SECTOR-16, ROHINI, DELHI-110089

LIST OF GOVERNING BODY MEMBERS AS ON DATE
W.E.F. 08/03/2018 FOR A PERIOD OF ONE YEAR

SL. No.	Name	Designation
1	2	3
1.	Mr. R.R. Pathania	**Chairman,** Governing Body
2.	Mr. Praveen Gupta	**Treasurer,** Governing Body
3.	Mr. Aditya Minocha	Member
4.	Mr. Prashant Saxena	Member
5.	Dr. Ajay Gupta	Member
6.	Dr. Anil Kumar Singh	Member
7.	Dr. Manisha B. Thakur	Member
8.	Mrs. Pratima Tyagi	Member
9.	Dr. Sameer Dhari	Member
10.	Prof. Pankaj Sinha	University Representative
11.	Prof. Reetesh K. Singh	University Representative

1	2	3
12.	Ms. Shalini Prakash	Teacher Representative
13.	Name awaited from the University of Delhi	Teacher Representative (in less than 10 years service category)
14.	Mr. Jaiversh Anand	Non-Teaching Staff Represen tative (Special Invitee)
15.	Dr. Poonam Verma	Principal/Member Secretary, Governing Body

11. श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार मिड–डे–मील की गुणवत्ता को सुधारने में विफल रही है;

(ख) क्या यह सत्य है कि शिक्षा निदेशलय के द्वारा भेजे गए लगभग 90 प्रतिशत सैम्पल टैस्टिंग में फेल हो जाते हैं;

(ग) वर्ष 2013 के बाद मिड–डे मील के सैम्पल में से कितने फेल और कितने पास हुए; और

(घ) सरकार मिड–डे मील में हो रही गड़बड़ियों को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है पूर्ण विवरण दें?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) जी नहीं यह सत्य नहीं है;

(ख) जी नहीं यह सत्य नहीं है;

(ग) 2013 से जून 2018 तक कुल 3655 सेम्पल कलेक्शन किये गये। जिसमें से 3033 सेम्पल पास हुए तथा 622 सेम्पल फेल हुए; और

(घ) सरकार मिड–डे–मील में गड़बड़ियों को रोकने के लिए निम्न कदम उठा रही है–

1. मिड–डे–मील की गुणवत्ता चेक करने के लिये शिक्षा निदेशालय द्वारा अधिकृत लैब M/s. Ficci Research & Analysis Centre के द्वारा प्रत्येक एन.जी.ओ. के पके हुए खाने के चार सेम्पल (तीन स्कूल से तथा एक रसोई घर से) लिये जाते हैं तथा उनकी जांच की जाती है;

2. स्कूल मिड–डे–मील कमेटी जिसमें कि हेड ऑफ स्कूल शिक्षक प्रभारी (मिड–डे–मील) गृह विज्ञान शिक्षक कम से कम तीन अलग–अलग कक्षाओं के बच्चों की मातायें, डी.डी.ओ. और एक बी.के.एस. सदस्य होता है का भी गठन हर स्कूल में किया हुआ है;

3. स्कूल मिड–डे–मील कमेटी द्वारा बच्चों को मिड–डे–मील बांटने से पहले चख कर जांच की जाती है;

4. स्कूल मिड–डे–मील कमेटी यह सुनिश्चित करती है कि खाना ताजा साफ व स्वच्छ हो तभी बच्चों को मिड–डे–मील दिया जाता है। यदि खाना खाने लायक नहीं पाया जाता है तो खाना वापिस कर दिया जाता है और खाना बदलने के लिये कहा जाता है;

5. शिक्षा विभाग द्वारा खाना बनाने वाले कुक कम हेल्पर्स को FSSAI द्वारा मास्टर कुक का प्रशिक्षण दिलाया गया है;

6. यदि मिड–डे–मील में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो शिक्षा विभाग द्वारा संबंधित एन.जी.ओ. के खिलाफ समझौता शर्तों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाती है;

7. मिड–डे–मील रसोईयों के हर महीने दो निरीक्षण संबंधित जिले के उप शिक्षा निदेशक द्वारा किये जाते हैं; और

8. मिड–डे–मील के संबंध में स्कूलों एवं एन.जी.ओ. को समय–समय पर सुझाव (Advisory) जारी किये जाते हैं; और

12. श्री पवन कुमार शर्मा : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी विद्यालय के शिक्षकों के वेतन भुगतान संबंधित समस्याओं के निस्तारण हेतु कोई कमेटी या संबंधित समिति है;

(ख) यदि हां तो कृपया पूर्ण विवरण दें; और

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार की कोई ऐसी समिति बनाने का प्रस्ताव है?

माननीय शिक्षा मंत्री : (क) जी नहीं, इस प्रकार की कोई कमेटी या समिति नहीं बनाई गई। तथापि निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की वेतन भुगतान संबंधी समस्याओं के निस्तारण हेतु उप शिक्षा निदेशक (जोन एवं जिला), प्राइवेट स्कूल ब्रांच तथा सभी संबंधित अधिकारी ''दिल्ली स्कूल एजूकेशन एक्ट एवं रूल्स'' के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हैं।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(ग) संबंधित उप शिक्षा निदेशक (जिला/जोन) तथा प्राइवेट स्कूल ब्रांच एवं अन्य संबंधित अधिकारी इस तरह की शिकायतों के निपटान हेतु उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करते हैं।

13. श्री पवन कुमार शर्मा : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी विद्यालय प्रबंधन अपने विद्यालय में कक्षा से ड्रॉप–आउट हुए छात्रों की जगह नए छात्रों का नामांकन करते हैं;

(ख) क्या ऐसे नामांकन को लेकर दिल्ली सरकार की कोई गाइड–लाइन है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसका पूर्णतः पालन हो रहा है; और

(घ) क्या इसकी निगरानी कोई समिति या अधिकारी करता है; विवरण सहित उत्तर दें?

माननीय उप मुख्यमंत्री : (क) ऐसी कोई अधिकृत सूचना उपलब्ध नहीं है;

(ख) नियम 145, दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के अनुसार स्कूल के प्रधानाचार्य यह कार्य कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ई.डब्ल्यू. एस./डी.जी. श्रेणी के अंतर्गत तथा फ्रीशिप नियम के तहत भी ड्रॉप आउट छात्रों की जगह नये छात्रों का नामांकन करना चाहिए;

(ग) इस संबंध में कोई अधिकृत सूचना उपलब्ध नहीं है; और

(घ) संबंधित उप शिक्षा निदेशक (जोन एवं जिला) इस संबंध में प्राप्त सूचनाओं/शिकायतों पर कार्रवाई करते हैं।

14. सुश्री भावना गौड़: क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2015 से अब तक किन–किन विद्यालयों में कितने अतिरिक्त कमरे बनाए गए हैं; उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पालम विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों में और नए कमरों का निर्माण करने की सरकार की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो उन कमरों का निर्माण कार्य कब से आरम्भ किया जाएगा; उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पालम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नए स्कूलों के निर्माण की भी दिल्ली सरकार की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका पूरा विवरण क्या है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क)

1. एस.के.वी. 1 पालम एंकलेव–15 कमरे 8 लैब; और
2. जी.जी.एस.एस.एस. नं. 3, पालक एंकलेव–20 कमरे; और
3. एस.बी.वी., विजय एंकलेव,–24 कमरे 1 एम.पी. हाल।

(ख) जी हां। प्राथमिकता–II में पालम विधान सभा के अंतर्गत दिल्ली सरकार के स्कूलों में अतिरिक्त कमरों के निर्माण की योजना है। जिसका विवरण निम्न है:

क्र.सं.	स्कूल	कमरे
1.	एस.के.वी. पालम नं. 2	86
2.	एस.के.वी. पालम एंकलेव नं. 1	76
3.	जी.जी.एस.एस.एस. पालम एंकलेव नं. 3	94

आवश्यकतानुसार उप निदेशक से परामर्श कर स्कूलों व कमरों में परिवर्तन किया जा सकता है;

(ग) प्रस्ताव कैबिनेट से अनुमोदित हो गया है, लोक निर्माण विभाग द्वारा यह कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा;

(घ) जी हाँ; और

(ङ) सेक्टर 1, पाकेट 5, द्वारका में एक नया विद्यालय भवन बनाने की योजना है।

15. श्री : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि ई. ब्लॉक, जहांगीरपुरी के विद्यालय में नए भवनों के निर्माण के लिए विभाग की ओर से धनराशि जारी कर दी गई है;

(ख) यदि नहीं तो यहां भवनों के निर्माण के लिए कब तक धनराशि जारी कर दी जाएगी;

(ग) इस विद्यालय में भवनों के निर्माण पर सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की जायेगी; उसका पूर्ण विवरण दें;

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(ङ) कादीपुर में 60 बीघा जमीन में बनने वाले मॉडल स्कूल की निर्माण की क्या योजना है; पूर्ण विवरण दें; और

(च) विभाग द्वारा यहां कब तक विद्यालय निर्मित किया जाना है और विभाग ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) जी नहीं;

(ख) प्राथमिकता– के अंतर्गत इस विद्यालय में कमरों का निर्माण किया जाएगा। यह प्रस्ताव कैबिनेट से अनुमोदित हो गया है;

(ग) लोक निर्माण विभाग को व्यय स्वीकृति समग्र रूप से प्रेषित की जा रही है;

(घ) व्यय स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात् लगभग 18 माह में कार्य समाप्त होगा;

(ङ) कादीपुर में 5–6 स्कूलों का हब बनाने की योजना विचाराधीन है। लोक निर्माण विभाग को भवन का प्रारूप तैयार करने के लिये पत्र प्रेषित कर दिया गया है; और

(च) उपरोक्तानुसार।

16. श्री जगदीश प्रधान : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा सेनेटरी नेपकीन बांटने और स्कूलों की छात्राओं को मासिक धर्म के बारे में जागरूक करने के लिए वर्ष 2017–18 में कितना फंड दिया गया है;

(ख) सरकार ने इससे कुल कितने सैनेटरी नेपकिन बांटे हैं और इस पर कितनी धनराशि का उपयोग किया;

(ग) यदि फंड उपयोग नहीं किया गया तो उसके क्या कारण हैं;

उपमुख्यमंत्री : (क) सेनेटरी नेपकीन बांटने के लिये वर्ष 2017–18 में रुपये 4 करोड़ का फंड दिया गया है;

(ख) सरकार ने 20,94,573 सेनेटरी नेपकीन के पैकेट (10 पैड प्रति पैकेट) बांटे है और इस पर रुपये 1,95,06,000/– धनराशि का भुगतान किया गया है; और

(ग) शेष राशि का बिल इस वर्ष दिया गया है इसलिए शेष राशि का भुगतान इस वर्ष किया जाना है।

17. श्री जगदीश प्रधान : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सहायता प्राप्त कितने स्कूल हैं, सहायता राशि के प्रतिशत अनुसार इनका जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दिल्ली सरकार द्वारा इन स्कूलों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो यह निरीक्षण किस–किस स्तर के अधिकारियों द्वारा कब कब किया जाता है, ब्यौरा दें; और

(घ) अभी तक किस किस स्कूल में पानी और शौचालय की पूर्ण व्यवस्था नहीं है, पूर्ण विवरण दें;

(ङ) गत एक वर्ष के दौरान कितने स्कूलों से किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(छ) शिकायतों का पूर्णतः समाधान हो गया है, यह सुनिश्चित करने की क्या प्रक्रिया है?

उपमुख्यमंत्री : (क) शिक्षा निदेशालय से सहायता प्राप्त कुला 208 विद्यालय है। सहायता राशि का जिलेवार ब्यौरा निम्नानुसार है :–

जिला	95% सहायता	100% सहायता प्राप्त प्राप्त
1	2	3
पूर्व	14	01
उत्तर–पूर्व	05	03
उत्तर	40	01
उत्तर–पश्चिम 'ए'	08	01
उत्तर–पश्चिम 'बी'	02	01

1	2	3
पश्चिम 'ए'	14	00
पश्चिम 'बी'	06	00
दक्षिण–पश्चिम 'ए'	15	01
दक्षिण	04	00
दक्षिण–पूर्व	12	02
मध्य एवं नई दिल्ली	73	05
कुल	193	15

(ख) इन स्कूलों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है;

(ग) निरीक्षण प्रधानाचार्य, जोनल डी.डी.ई., जिला डी.डी.ई. तथा शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा समय–समय पर एवं आवश्यकतानुसार किया जाता है;

(घ) सभी स्कूलों में शौचालय और पानी की पूर्ण व्यवस्था है;

(ङ) गत एक वर्ष के दौरान प्रायः विद्यालय संचालन से संबंधित इमारतों की मरम्मत, खाली पदों को भरने, विद्यार्थियों के प्रवेश, कर्मचारियों की सेवाएं, डोनेशन लेने, व्यवसायिक गतिविधियों आदि से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) कोई भी शिकायत मिलने पर स्कूल को त्रुटि दूर करने का निर्देश दिया जाता है तथा नियमानुसार कार्रवाई की जाती है; और

(छ) प्रायः निरीक्षण के उपरांत सत्य पाई गई शिकायतों को दूर करने के लिये आदेश दिये जाते हैं। तदोपरांत, संबंधित अधिकारियों से समय–समय पर शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त कर समीक्षा की जाती है।

18. श्री कर्नल देवेन्द्र सहरावतः क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बिजवासन विधान सभा में एक खेल विद्यालय, हरियाणा के स्पोर्ट्स स्कूल राई के तर्ज पर बनाने का लिखित आग्रह कुछ समय पूर्व विभाग को प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसा स्पोर्ट्स स्कूल खोलने पर विचार कर रही है; विस्तृत विवरण दें?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) जी हां; और

(ख) यह आग्रह दिनांक 27.09.2017 को कर्नल देवेन्द्र सहरावत माननीय विधायक के माध्यम से समालखा गांव में ग्राम सभा की 32 बीघा जमीन पर खेल विद्यालय बनाने हेतु प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव को ग्राम विकास अधिकारी, मंडल दक्षिण पश्चिम, राजस्व विभाग को पत्र द्वारा भेजा गया था जिसमें कि उनसे गांव समालखा में माननीय विधायक द्वारा प्रस्तावित 32

बीघा जमीन के स्टेटस के बारे में बताने का आग्रह किया गया था। अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

19. **कर्नल देवेन्द्र सहरावत** : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भरथल गांव में स्थित स्कूल का नाम बिजवासन के नाम पर रखा है;

(ख) यदि हां तो क्या विभाग स्कूल का नाम बदलने पर विचार कर रहा है; और

(ग) यह नाम कब तक बदल दिया जायेगा?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) जी नहीं, यह सत्य नहीं है। विद्यालय का नाम राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय बिजवासन (भरथल), नई दिल्ली–110077 है; और

(ख) लागू नहीं होता।

20. **कर्नल देवेन्द्र सहरावत** : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में चल रहे दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत और सी.बी.एस.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों के नाम क्या हैं; और

(ख) क्या इन स्कूलों का और विशेषकर रैयान स्कूल बसंत कुंज का कोई सुरक्षा ऑडिट किया गया है, पूर्ण विवरण दें;

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में चल रहे दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत और सी.बी.एस.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या 30 है और इनके नाम निम्नलिखित हैं :—

1. सेंचुरी पब्लिक स्कूल, बिजवासन
2. दिल्ली इंग्लिश एकादमी, धूलसिरस
3. गुरू हरिकिशन मॉडल स्कूल, राजनगर
4. ज्ञान पब्लिक स्कूल, बिजवासन
5. ज्ञान सागर पब्लिक स्कूल, राजनगर
6. हीरा पब्लिक स्कूल, समालखा
7. करनदीप पब्लिक स्कूल, भरथल
8. केनेडी पब्लिक स्कूल, राजनगर
9. लक्ष्मण कांवेंट स्कूल, राजनगर
10. माउंट कारमेल स्कूल, सेक्टर 22, द्वारका
11. न्यू दिल्ली कांवेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राजनगर
12. न्यू ईरा पब्लिक स्कूल, पोचनपुर
13. प्रकाश पब्लिक स्कूल, सेक्टर 7, द्वारका
14. पूर्णिमा मॉडल स्कूल, सागरपुर

15. क्वींस वेली स्कूल, सेक्टर 8 द्वारका
16. राव गंगाराम पब्लिक स्कूल, कापसहेड़ा
17. संत श्री नंदलाल सरस्वती विद्या मंदिर,
18. श्रीराम पब्लिक स्कूल, धूलसरस
19. स्विस काटेज स्कूल, बिजवासन
20. वीर पब्लिक स्कूल, कापसहेड़ा
21. अमनदीप पब्लिक स्कूल, समालखा
22. सीएम कांवेंट स्कूल, कापसहेड़ा
23. दिल्ली नेशनल स्कूल, बिजवासन
24. हेप्पी चाइल्ड पब्लिक स्कूल, सेक्टर–7, द्वारका
25. एन.आर. पब्लिक स्कूल, राजनगर
26. परफेक्ट पाथ स्कूल, बिजवासन
27. राव बीर सिंह स्कूल, कापसहेड़ा
28. राव मंशाराम पब्लिक स्कूल, कापसहेड़ा
29. शोवीर विद्यालय निकेतन, कापसहेड़ा
30. श्रीराम शिक्षा विद्यालय, कापसहेड़ा; और

(ख) शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 07.11.2017 संख्या एफ 1(678) सी.टी.बी./स्कूल सेफ्टी 2017/901 के अनुसार प्रत्येक विद्यालय द्वारा मासिक आधार पर स्वयं सुरक्षा आंकलन किया जाना अपेक्षित है।

21. श्री जगदीप सिंह : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के स्कूलों में दिल्ली सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कौशल विकास पाठ्यक्रमों की सूची उपलब्ध कराएं; और

(ख) जिन केंद्रों पर ये पाठ्यक्रम उपलब्ध है, उनका संपूर्ण विवरण क्या है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) दिल्ली के स्कूलों में दिल्ली सरकार द्वारा प्रारम्भ किए गए कौशल विकास पाठ्यक्रम निम्नलिखित है–

1. आटो मोबाइल टेक्नालॉजी
2. बैंकिंग एंड इंश्योरेंस
3. आई.टी. एप्लीकेशन
4. इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी
5. इलेक्ट्रोनिक टेक्नोलॉजी
6. फेशन डिजाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी
7. फूड एंड बेवरेज सर्विस

8. फूड प्रोडक्शन
9. हेल्थ एंड ब्यूटी स्टडीज
10. होटरीकल्चर
11. लाइब्रेरी एंड इंफरमेंशन साइंस
12. आफिस सेक्रेटरीशिप
13. स्टेनोग्राफी इंग्लिश
14. स्टेनोग्राफी हिंदी
15. टेक्सटाईल डिजाइन
16. ट्रेवल एंड टूरिज्म

(ख) 273 विद्यालयों की सूची संलग्न है, जिनमें उपरोक्त पाठ्यक्रम उपलब्ध है।

List Of 273 Schools for Implementation of NSQF Scheme

Sl. No.	School ID	Name of School	Vocational Stream	Vocational Subject
1	2	3	4	5
1	1001026	GGSSS VIVEK VIHAR, PH -II	Information Technology	Security
2	1001104	RPW, SURAJMAl VIHAR	AUTOMOBILE	Financial Marketing Management
3	1002024	RSKV, BL0CK-27, TRILOK PURI	TRAVEL & TOURISM	Retail
4	1002032	RSKV, WEST VINOD NAGAR. DELHI	Information Technology	Travel & Tourism
5	1002177	RSBV, BLOCK-27, TRILOK PURI	AUTOMOBILE	Travel & Tourism
6	1002186	GGSSS, NEW KONDLI, DELHI	Information Technology	TRAVEL 8t TOURISM
7	1002191	GGSSS SCHOOL BLOCK SHAKARPUR	Information Technology	Financial Marketing Management
8	1002199	GGSSS, MAYUR VIHAR, PH - III	Information Technology	Retail
9	1003002	GSBV, RANI GARDEN	AUTOMOBILE	Information Technology
10	1003004	SBV, KAILASH NAGAR	AUTOMOBILE	Travel & Tourism
11	1003007	GBSSS, CHANDER NAGAR	RETAIL	Travel & Tourism

12	1003009	GBSSS, GFETA COLONY BLK.13	FINANCIAL MARKITING MANAGEMENT	Information Technology
13	1003013	GSBV, KRISHNA NAGAR, DELHI - 51	RETAIL	Travel 8. Tourism
14	1003033	GGSSS, KAILASH NAGAR	TRAVEL & TOURISM	Financial Marketing Management
IS	1003034	GGSSS. NO 2, GANDHI NAGAR	Information Technology	Travel 8. Tourism
16	1003035	GGSSS. GANDHI NAGAR NO 3	Information Technology	Retail
17	1003265	SBV. OLD SEELAM PUR	RETAIL	Travel & Tourism
18	1104005	GBSSS, GOKAL PURI	Information Technology	Financial Marketing Management
19	1104018	SKV, C 1. YAMUNA VIHAR, DELHI 53	TRAVEL & TOURISM	Information Technology
20	1104020	SKV, GOKAL PURI	Information Technology	Financial Marketing Management
21	1104400	GGSSS, EAST GOKAL PURI LONI ROAD	AUTOMOBILE	Information Technology
22	1104418	SV. BADAR PUR KADAR	AUTOMOBILE	Information Technology
23	1105002	SBV Gautampun Delhi S3	Information Technology	Travel & Tourism
24	1105006	GBSSS. G T ROAD, SHAHDARA	Information Technology	Travel & Tourism

1	2	3	4	5
25	1105008	SBV, JAFRABAD	Information Technology	Travel & Tourism
26	1105011	GBSSS, SHASTRI PARK	Information Technology	Automobile
27	1105018	SKV, JAFARABAD, DELHI, JLENAT MAHAL	Information Technology	Travel & Tourism
28	1105241	GBSSS, X-BLOCK, BRAHAMPURI	Information Technology	Financial Marketing Management
29	1106007	GBSSS, MS PARK NO 2	TRAVEL 8. TOURISM	Financial Marketing Manage Mr Nt
30	1106009	GBSSS, SEEMAPURI	Information Technology	Security
31	1106021	SKV, SEEMAPURI	Information Technology	Financial Marketing Managemen"
32	1106022	SKV, B BLOCK, NAND NAGRI	Information Technology	Security
33	1106113	SKV, E BLOCK, NAND NAGRI	SECURITY	Travel 8. Tourism
34	1106114	SKV, M S. PARK, NO 2	Information Technology	Retail
35	1207011	Shakti Nagar No 3 S (Coed) SS:	Information Technology	Retail
36	1207014	Gokhle Marg-SBV	Information Technology	Travel 8. Tourism
37	1207015	Roshanara Road SBV	AUTOMOBILE	Security
38	1207017	GBSSS Roop Nagar No.l	Information Technology	Travel & Tourism

39	1207019	GBSSS, SHAKTI NAGAR, NO 1, DELHI	Information Technology	Travel & Tourism
40	1207032	SV Lancer Road	TRAVEL & TOURISM	Financial Marketing Managemen1
41	1207034	TIMAR PUR SKV	Information Technology	Financial Marketing Management
42	1207035	SKV-MALKAGANJ	TRAVEL & TOURISM	Information Technology
43	1207038	GGSSS. SHAKTI NAGAR, NO 2	TRAVEL & TOURISM	Financial Marketing Management
44	1207107	SHAM NATH MARG, SHAHEED AMIR CHAND SV	FINANCIAL MARKITING MANAGEMENT	Information Technology
45	1207109	MAGAZINE ROAD-GBSSS	AUTOMOBILE	Security
43	1207111	GGSSS, NATHUPURA, DELHI	TRAVEL & TOURISM	Financial Marketing Management
47	1203112	SKV-MGAZINE ROAD	RETAIL	Security
48	1207114	LANCER ROAD-GBSSS	RETAIL	Information Technology
49	1208001	SBV-GULABI BAGH	Information Technology	Travel & Tourism
50	1208004	GB5SS-SARAI ROHILLA	TRAVEL & TOURISM	Security
51	1309005	SV, BT BLOCK, SHALIMAR BAGH	Information Technology	Automobile
52	1309007	GBSSS AP BLK, SHALIMAR BAGH	FINANCIAL MARKETING MANAGEMENT	Information Technology

1	2	3	4	5
53	1309008	GBSSS, GTB NAGAR	TRAVEL & TOURISM	Information Technology
54	1309022	GBSSS, DHAKKA	AUTOMOBILE	Financial Marketing Management
55	1309026	SKV, MODEL TOWN, NO. 1	Information Technology	Retail
56	1309030	GSKV, BL BLOCK, SHALIMAR BAGH	TRAVEL S TOURISM	Information Technology
57	1309037	GGSSS DHAKKA	Information Technology	Travel & Tourism
58	1309253	SBV, A-BLOCK, JAHANGIR PURI	AUTOMOBILE	Travel & Tourism
59	1309257	GBSSS, E BLOCK, JHANGIR PURI	AUTOMOBILE	Travel & Tourism
60	1309258	GGSSS, E-BLOCK, JHANGIR PURI	TRAVEL & TOURISM	Information Technology
61	1309269	GBSSS, PALLA MAJRA	TRAVEL & TOURISM	Information Technology
62	1309279	SKV Plot No. 5 A BLK Jahagirpuri	Information Technology	Retail
63	1310009	GBSSS, BADLI	AUTOMOBILE	Travels. Tourism
64	1310041	SKV KHERA KHURD	Information Technology	
65	1310042	SKV, RAVI SHANKAR, BAWANA	Information Technology	Retail
66	1310399	G Co-ed SSS, A BLK METRO VIHAR, HOLAMBI KA1 AN	FINANCIAL MARKITING MANAGEMENT	Automobile

67	1310431	GBSSS, SHAHBAD DAULATPUR	TRAVEL & TOURISM	Automobile
68	1411001	SBV Anandvas	TRAVEL & TOURISM	Financial Marketing Management
69	1411005	SV Kailash Enclave	Information Technology	Travel S Tourism
70	1411017	GBSSS SU Block Pitam pura Delhi 34	RETAIL	Travel & Tourism
71	1411028	GSKV, NO-1, KESHAV PURAM	Information Technology	Travel & Tourism
72	1411030	GSKV, NO-2, SHAKUR PUR	Information Technology	Travel S Tourism
73	1411031	SKV, BHARAT NAGAR	Information Technology	Travel & Tourism
74	1411035	SV, WAZIRPUR VILLAGE	Information Technology	Travel & Tourism
75	1411037	GGSSS, TRI NAGAR, NARANG COLONY	RETAIL	Information Technology
76	1411123	SV, BLOCK-C, SARASWATI VIHAR	Information Technology	Travel & Tourism
77	1411124	SV, SHARDA NIKETAN	Information Technology	Travels Tourism
78	1411178	G, Co-ed SSS, SAINIK VIHAR	Information Technology	Travel & Tour Sm
79	1412007	GSBV, POOTH KALAN	Information Technology	Travel & Tour.Sm
80	1412011	SBV R-BLOCK, MANGOL PURI, DELHI	Information Technology	Financial Marketing Management
81	1412026	SKV, C- BLOCK, SULTAN PURI	Information Technology	Retail

1	2	3	4	5
82	1413002	SV, SEC-3, ROHINI	AUTOMOBILE	Retail
83	1413010	GOVT. SV CO-ED, SEC-9, ROHINI	TRAVEL & TOURISM	Information Technology
84	1413028	SKV, QUTAB GARH	SECURITY	Travel & Tourism
85	1413028	GGSSS, BEGAMPUR	TRAVEL & TOURISM	Travel S Tourism
86	1514013	SKV NO 2 Khyala	Information Technology	Financial Marketing Managemet
87	1514017	SKV [DC], VIKAS PURI	Information Technology	Travels Tourism
88	1514018	GGSSS Ashok Nagar	Information Technology	Travel S Tourism
89	1514019	SKV B-BLK, JANAKPURI	FINANCIAL MARKITING MANAGEMENT	Travels Tourism
90	1514021	SKV, HARI NAGAR, CLOCK TOWER	Information Technology	Retail
91	1515005	GBSSS, RAJOURI GARDEN MAIN	RETAIL	Financial Marketing Management
92	1515019	G.Co-ed SSS, JJC RAGHUBIR NAGAR	Information Technology	Retail
93	1515022	SKV, RAJOURI GARDEN MAIN	Information Technology	Travel & Tourism
94	1515023	SKV NO. 2, PUNJABI BAGH	Information Technology	Travel S Tourism

95	1515024	SKV, NO. 2, MADIPUR	RETAIL	Information Tecrnology
96	1515029	GGSSS, NO. 1, SUBHASH NAGAR	TRAVEL & TOURISM	Information Technology
97	1516002	SBV, RAMESH NAGAR	Information Technology	Automobile
98	1516018	SKV, MOTI NAGAR	TRAVEL & TOURISM	Financial Marketing Management
99	1516019	SKV, BASAI DARAPUR	AUTOMOBILE	Information Technology
100	1516021	SKV, RANJIT NAGAR	RETAIL	Travel & Tourism
101	1516022	SKV, SHADI KHAMPUR	Information Technology	Travel & Tourism
102	116025	GGSSS, KIRTI NAGAR	Information Technology	Travel & Tourism
103	1617002	GSBV, NANGLOI	FINANCIAL MARKETING MANAGEMENT	Retail
104	1617008	G. Co-Ed. SSS, B-4, PASCHIM VIHAR	Information Technology	Retail
105	1617010	GSKV, NANGLOI	SECURITY	Travel & Tourism
106	1617011	GSKV, B-3, PASCHIM VIHAR	TRAVEL & TOURISM	Information Technology
107	1617013	GSKV, S.P. ROAD, NANGLOI	SECURITY	Travel & Tourism
108	1617014	GSKV, MUNDKA	Information Technology	Travel & Tourism
109	1617028	SKV PeeraGarhi Village	Information Technology	Financial Marketing Management

1	2	3	4	5
110	1617030	GCO-ED SSS, BAPROLA	Information Technology	Retail
111	1617035	GGSSS, JJ COLONY, NANGLOI	RETAIL	Information Technology
112	1617036	GSKV, AMALWAS	Information Technology	Travel & Tourism
113	1618009	Kakrola-SV	AUTOMOBILE	Security
114	1618017	SKV, NO. 1, C-BLK, JANAKPURI	IT	Travel & Tourism
115	1618019	SKV, G-BLOCK, VIKAS PURI	Information Technology	Retail
116	1618022	SKV, NO. 2.C-BLOCK, JANAK PURI	Information Technology	Financial Marketing Management
117	1618061	SKV, HASTSAL	RETAIL	Travel & Tourism
118	1618065	GBSSS, A-BLOCK, JANAKPURI	Information Technology	Financial Marketing Management
119	1719010	GBSSS Moti Bagh 1 N D	FINANCIAL MARKETING MANAGEMENT	Retail
120	1719022	SV, NO. 3, SEC-7, R.K. PURAM	Information Technology	Automobile
121	1719027	GGSSS No 3 Srojni Nagar	Information Technology	Travel & Tourism
122	1719030	GGSSS, SEC-4, R.K. PURAM, NEW DELHI	FINANCIAL MARKITING MANAGEMENT	Retail

123	1719069	SV, NO 1, SEC. 2 R.K. PURM	Information Technology	Travel & Tourism
124	1719103	GBSSS, SEC. 3, R.K. PURAM	TRAVEL & TOURISM	Automobile
125	1719104	G.Co-ED SSS, SEC-5, R.K. PURAM, NEW DELHI	AUTOMOBILE	Travel & Tourism
126	1719105	SV, CO-ED, SSS, NANAKPURA, MOTI BAGH	Information Technology	Travel & Tourism
127	1719125	SV |Co-ED)SSS, MUNIRKA, NEW DELHI	AUTOMOBILE	Travel & Tourism
128	1719130	G.Co-ed, SV, SECT0R-13, R.K. PURAM, NEW DELHI	Information Technology	Travel & Tourism
129	1720002	SBV, NARAINA, 1ST SHIFT	FINANCIAL MARKITING MANAGEMENT	Retail
130	1720005	GBSSS, IARI, PUSA	RETAIL	Travels Tourism
131	1720008	GBSSS NO. 2 D BLOCK, JANAK PURI	FINANCIAL MARKETING MANAGEMENT	Retail
132	1720015	INDERPURI, BUDH NAGAR, F-BLOCK SKV	Information Technology	Travel & Tourism
133	1720021	GGSSS D BLK Janak Puri	Information Technology	Travel & Tourism
134	1720024	SCOEDSS, VASANT VIHAR	Information Technology	Travel & Tourism
135	1720029	GBSSS, MAHIPALPUR	AUTOMOBILE	Travel & Tourism

1	2	3	4	5
136	1720032	SKV, MAHIPALPUR	Information Technology	Travel 8. Tourism
137	1720033	SKV, GITORNI	Information Technology	Travel & Tourism
138	1821016	SKV, NO. 1, SAGAR PUR, NEW DELHI	Information Technology	Travel & Tourism
139	1821022	SKV, SMALKA	Information Technology	Financial Marketing Management
140	1821029	GOVT. CO-ED, SSS SEC-2, DWARKA	Information Technology	Travel & Tourism
141	1821031	Co-ed SSS, SEC. 6, SITE 2, DWARKA	RETAIL	Travel & Tourism
142	1821039	G[Co-edl SSS, BAMNOLI	AUTOMOBILE	Security
143	1821041	GBSSS, SHAHBAD, MOHAMMADPUR	Information Technology	Automobile
144	1821136	Govt. Co-ed SS, Mahavir Enclave	AUTOMOBILE	Information Technology
145	1821203	GGSSS, SEC.31SITE-I1, DWARKA	TRAVEL & TOURISM	Retail
146	1821104	S Co-ed SSS, SBC 22 DWARKA	Information Technology	AUTOMOBILE
147	1821234	GBSSS,DWARKA SEC-1, PKT 7,	Information Technology	Automobile
148	1821242	G Co-ed SS Sec 16A Dwarka	Information Technology	Travels. Tourism

149	1822003	SV.RAO TULA RAM, SURHERA	Financial Marketing Management	Information Technology
150	1822004	MUNDELAKALAN, G[Co-ed] SSS	Information Technology	Automobile
151	1822014	GBSSS, DHANSA	Travel & Tourism	Financial Marketing Management
152	1822024	G. [Co-ed] SSS, RAWATA	Travel & Tourism	IT
153	1822028	GGSSS, GOELA KHURD	Information Technology	Financial Marketing Management
154	1822051	GGSSS, GHUMANHERA, NEW DELHI - 73	Travel & Tourism	Information Technology
155	1822057	GBSSS NO. 3, Najafgarh	Travel & Tourism	Security
156	1822059	GOVT. CO-ED, SSS, MALIK PUR, NEW DELHI	Information Technology	Financial Marketing Management
157	1822065	GBSSS, JHARODA KALAN, NAZAFGARH	Information Technology	Automobile
158	1923011	GBSSS, SEC-5, DR. AMBEDKAR NAGAR, NEW DELHI	Information Technology	Security
159	1923023	GGSSS, DERA VILLAGE	Travel & Tourism	Information Technology
160	1923037	SKV, CHIRAG DELHI, SAOMI NAGAR	Information Technology	Travel & Tourism

1	2	3	4	5
161	1923044	GGSSS, NO. 1, SEC. 4, DR. AMBEDKAR NAGAR	Information Technology	Travel & Tourism
162	1923047	GGSSS, SEC-5, DR AMBEDKAR NAGAR, NEW DELHI	Information Technology	Travel & Tourism
163	1923048	GGSSS, CHATTARPUR	Information Technology	Retail
164	1923055	GGSSS, MB ROAD, PUSHP VIHAR, SEC-1, [MORNING]	Information Technology	Travel & Tourism
165	1923058	GBSSS, MB ROAD, PUSHP VIHAR, SEC-1, [EVENING]	Retail	Travel & Tourism
166	1923061	SKV, SULTANPUR	Security	Retail
167	1923064	GGSSS, MANDI	Travel & Tourism	Retail
168	1923056	GBSSS, J-BLOCK, SAKET	Information Technology	Automobile
169	1923081	SBVAT, CHATTARPUR	Information Technology	Retail
170	1923351	SV, DAKSHINPURI, SEC-5	Information Technology	Travel & Tourism
171	1923357	SBV, J, BLOCK,SANGAM VIHAR	Information Technology	Travel & Tourism
172	1924005	GBSSS, HARI NAGAR, ASHRAM	Information Technology	Automobile
173	1924009	SBV, SADIQ NAGAR, ND	Information Technology	Automobile
174	1924041	G. Co-ed, SSS, NEHRU NAGAR, ND	Information Technology	Travel & Tourism

175	1925003	SBVKG, CHIRAG ENCLAVE	Information Technology	Travel & Tourism
176	1925006	SBVRK, MANDANPUR KHADAR, ND	Information Technology	Automobile
177	1925007	SVBP.SBV, TKD EXTN. ND	Information Technology	Travel & Tourism
178	1925009	SBV, N0.1, MOLARBAND	Information Technology	Security
179	1925020	GBSSS, NO. 2, TKD EST.	Information Technology	Travel & Tourism
180	1925029	SKVVS, NO. 1, KALKAJI, NEW DELHI	Information Technology	Travel & Tourism
181	1925031	SKVRJ, TKD, RAILWAY COLONY	Information Technology	Retail
182	1925039	GGSSS, NO. 3, KALKAJI, NEW DELHI	Information Technology	Travel & Tourism
183	1925040	SKV, TUGLAKABAD VILL, ND	Information Technology	Financial Marketing Management
184	1925054	GGSSS, NO. 2, BADARPUR, ND	Information Technology	Financial Marketing Management
185	1925059	SBV.SHKG,, LAJPAR NAGAR	Information Technology	Travel & Tourism
186	1925061	SKV, AAA.TKD EXTN, NEW DELHI	Information Technology	Financial Marketing Management
187	1925333	SV, Co-ed, SHAHPURJAT	Information Technology	Travel & Tourism
188	1925353	GBSSS, JASOLA VILLAGE	Information Technology	Automobile

1	2	3	4	5
189	2026002	SV Kitchner Road Delhi	Information Technology	Financial Marketing Management
190	2026003	GBSSS Pandara Road	Information Technology	Financial Marketing Management
191	2127001	SBV, ROUSE AVENUE	SECURITY	Travel & Tourism
192	2127002	SBV, NO.I, JAMA MASJID [UM], JAMA MASJID	Information Technology	Travel & Tourism
193	2127004	GBSSS, ZEENAT MAHAL, KAMLA MARKET	Information Technology	Travel & Tourism
194	2127005	GBSSS, MATA SUNDRI ROAD	Information Technology	Travel & Tourism
195	2127016	SKV Dayanad Road Delhi	Retail C1W	Travel & Tourism
196	2127021	SKV Bulbuli Khana	Travel & Tourism	Information Technology
197	2117024	SKV No- 1 Jama Masjid Delhi - 6	Retail	Travel & Tourism
198	2127025	GGSSS, CHASMA BLDG., DELHI	Information Technology	
199	2127026	GGSSS, BELA ROAD, DARYA GANJ, DELHI	Information Technology	Travel & Tourism
200	2127027	GGSSS Kalan Mahal	Travel & Tourism	Information Technology

201	2127179	SKV, NO. II, ZEENAT MAHAL, LAL KUAN	Retail	Information Technology
202	2128008	SBV, RANI JHANSI ROAD, DELHI	Information Technology	Travel & Tourism
203	2128019	SKV, OLD RAJENDER NAGAR	Information Technology	Travel & Tourism
204	2128020	SKV[BR], PRASAD NAGAR	Information Technology	Travel & Tourism
205	2128032	SV, RANA PRATAP GOVT. [SINDHI]	Information Technology	Travel & Tourism
206	1617254	SBV Peera Garhi Village	Information Technology	Emm
207	1002005	SBV, WEST VINOD NAGAR	IT	Security
208	1002034	Mayur Vihar, Phase 1, Pkt.ll-SKV (Janaki Devi)	IT	Retail
209	1104149	RPVV, YAMUNA VIHAR	IT	Automobile
210	1106019	SKV, MANDOLI, DELHI	IT	Retail
211	1207039	SKV, ROOP NAGAR, DELHI	Retail	It
212	1207022	GBSSS, NO. 1, MORI GATE	IT	Automobile
213	1309001	SBV, C.C. COLONY	IT	Security
214	1309034	GGSSS, ADARSH NAGAR	IT	Retail
215	1411008	SV, PITAMPURA FU BLOCK	IT	Automobile
216	1411043	GGSSS, RANI BAGH	IT	Retail

1	2	3	4	5
217	1514005	SBV, NO. A, TILAK NAGAR	IT	Automobile
218	1515026	GGSSS, NO. 1, TAGORE GARDEN	IT	Retail
219	1617009	RPVV, PASCHIM VIHAR	IT	Automobile
220	1618018	SKV, A-BLOCK, JANAKPURI	IT	Retail
221	1719102	SV(Co-ed), SSS, NETAJI NGR	IT	Security
222	1720031	RPVV, B-1, VASANT KUNJ	IT	Security
223	1821015	SKV, NO. 2, PALAM VILLAGE	IT	Retail
224	1821001	SBV, NO. 2, PALAM ENCLAVE	IT	Security
225	1924038	RPVV, LODHI ROAD, THYAGRAJ NAGAR	IT	Retail
226	1924004	GBSSS, JANGPURA	IT	Security
227	2026001	SV, PRESIDENT'S EASTATE	IT	Security
228	2026005	SBV, JOR BAGH	IT	Retail
229	1002004	Shakarpur, N0.2-SBV (Ishwar Chand)	Information Technology	Travel & Tourism
230	1002027	Dallupura-SKV	Retail	Travel & Tourisvi
231	1002183	New Ashok Nagar SKV	Retail	Travel & Tourism

232	1002193	Shakarpur, No.2-SKV	Information Technology	Travel & Tourism
233	1003025	Chander Nagar-SKV	Information Technology	Retail
234	1003036	Krishna Nagar-SKV	RETAIL	It
235	1003260	Lalita Park-GGSSS	Information Technology	Retail
236	1104406	Loni Road,East Gokul Pur.Govt. Boys Sr.Sec.School	Information Technology	
237	1105019	Babarpur-SKV	Information Technology	Retail
238	1105020	New Seelampur, No.l-SKV (C.R.Dass)	Security	Travel & Tourism
239	1105116	Brahmpuri-GGSSS	Retail	Travels Tourism
240	1106002	Dilshad Garden, Block C-SBV	Retail	Financial Market Management
241	1106025	Dilshad Garden, Block C-GGSSS	Travel & Tourism	Emm
242	1207009	Burari-SBV	Information Technology	Retail
243	1309002	Shalimar Bagh, Block BfAH) GBSSS	Information Technology	Travel & Tourism
244	1309125	Adarsh Nagar, No 2-GBSSS	Information Technology	Security
245	1310014	Alipur-GBSSS	Information Technology	Travel & Tourism
246	1310408	Narela Sector B-4, SV-1310408	Information Technology	Automobile Technology
247	1310420	Siraspur-GBSSS	Travel & Tourism	Security

1	2	3	4	5
248	1411014	Ashok Vihar, Block D-GBSS	Information Technology	Travel & Tourism
249	1411027	Ashok Vihar, Phase II-SKV	Information Technology	Retail
250	1411041	Pitampura, Block SU-	Information	Retail
251	1412033	Mangolpur Kalan-G (co-ed) SSS	Travel & Tourism	IT
252	1412082	Mangolpuri, Block-K 2, SV	Travel & Tourism	IT
253	112290	Govt. Co-ed SV, Sec-22, Rohini	Information Technology	Travel & Tourism
254	1516068	Karampura, Industrial Area-G (Co-ed)SSS	Information Technology	Retail
255	1516104	Karampura, Block H- G(Co-ed) Sarvodaya Vidyalaya	Travel & Tourism	
256	1617017	Nangloi, Sultanpuri Road-GBSSS	Information Technology	Retail
257	1617018	Mundka Village-GBSSS	Information Technology	Travel & Tourism
258	1617029	Bakkarwala-G(Co-ed)SSS	Security	Retail
259	1617137	Paschim Vihar, B 3-G(Co-ed)SSS	Information Technology	Travel & Tourism
260	1618003	Janakpuri Posangi pur B-l, SV (Co-ed)	Information	Automobile
261	1618064	Janakpuri, Block A, No.2-GGSSS	RETAIL	Information Technology

262	1719101	Laxmi Bai Nagar(Co-Ed)-SSS	Information Technology	Automobile
263	1720003	Mehram Nagar-S(Co-ed)V	Information Technology	Automobile
264	1720017	Pusa, IARI-SKV	Information Technology	Travel & Tourism
265	1822007	Shikar Pur-SV	Automobile Technology	Travel & Tourism
266	1822010	Ghumanhera-GBSSS	Automobile Technology	Retail
267	1822013	Ujwa-GBSSS	Information Technology	Financial Market Management
268	1822039	Dhansa-SKV	RETAIL	Travel & Tourism
269	1822061	Najafgarh, Dharampura-SKV	Information Technology	Retail
270	1923004	Mehrauli Qutab, Sarvodaya Bal Sr. Sec. Vidyalaya	Information Technology	Automobile Technology
271	1923057	Begumpur, MMTC/STC Colony-SKV	Information Technology	Retail
272	1923063	AYA NAGAR-SKV	Information Technology	Retail
273	1923071	Pushp Vihar, M.B.Road-SKV	IT	Travel & Tourism

22. **श्री सोमनाथ भारती** : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि किसी विद्यार्थी को 'डिस्कैलकुलिया' (गणित सीखने की असमर्थता) की बीमारी है तो दिल्ली सरकार तथा निजी स्कूल स्कूलों में ऐसे बच्चों की सहायतार्थ क्या व्यवस्था है;

(ख) ऐसे बच्चों के साथ उनके परीक्षा परिणाम में अंकों/ग्रेड के संबंध में भेदभाव न हो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं;

(ग) ऑटिस्टिक विद्यार्थियों के लिए सरकार तथा निजी स्कूलों में क्या विकल्प उपलब्ध हैं;

(घ) ऑटिस्टिक छात्रों तथा सामान्य छात्रों के बीच भेदभाव न होने देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ङ) शिक्षा विभाग में स्कूलिंग के कौन–से वैकल्पिक साधन स्वीकृत हैं तथा घर पर ही शिक्षण तथा ऑरबिंदो मार्ग स्थित मदर्स इंटरनेशनल द्वारा चलाए जा रहे 'मीरबिका' जैसे स्कूल दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत है;

(च) क्या सरकार की प्रारंभिक कानूनी शिक्षा तथा मानवाधिकारों की जानकारी को नियमित पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए जाने की कोई योजना है;

(छ) महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर अंकुश लगाने और बच्चों में महिलाओं के प्रति स्वस्थ मानसिकता के निर्माण हेतु महिला अधिकारों तथा

लैंगिक समानता को नियमित पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए जाने की क्या सरकार की कोई योजना है; और

(ज) तमिलनाडु जैसे अन्य राज्यों की तुलना में दिल्ली के विद्यार्थियों द्वारा सी.बी.एस.ई. परीक्षा में अपेक्षाकृत कम अंक आने की स्थिति में सरकार दिल्ली के सभी विद्यार्थियों के कॉलेज में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) डिस्कैलकुलिया तथा अन्य चुनौतियों वाले बच्चों को पढ़ाने के लिये दिल्ली सरकार के विद्यालयों में विशेष शिक्षक की नियुक्ति की गई है;

(ख) विभाग ने दिल्ली सरकार के विद्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों के अनुसार इन बच्चों के परीक्षा परिणाम में अंकों/ग्रेडों के संबंध में भेदभाव न करें;

(ग) ऑटिस्टिक विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए भी दिल्ली सरकार के विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है। विशेष शिक्षक इन बच्चों को परामर्शदाता विषय शिक्षक एवं अभिभावक की मदद से पढ़ाते हैं। निजी विद्यालयों में भी विशेष शिक्षकों की नियुक्ति को अनिवार्य कर दिया गया है;

(घ) ऑटिस्टिक छात्रों एवं सामान्य छात्रों के बीच भेदभाव न हो इसके लिए दिल्ली सरकार के विद्यालय प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वह स्कूल में समावेशी शिक्षा के सिद्धान्तों के अनुसार शिक्षा बिना भेदभाव किए प्रदान करें। आर.पी.डब्लू.डी. एक्ट 2016 में प्रावधानों को विद्यालय प्रमुख को पालन करने के लिये निर्देश दिया गया है;

(ङ) पत्राचार एवं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान उपलब्ध है। मदर्स इंटरनेशनल स्कूल द्वारा चलाए जा रहे 'मीरबिका', दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है।

(च) जी नहीं।

(छ) उपरोक्तानुसार; और

(ज) यह प्रश्न शिक्षा निदेशालय रा.रा. क्षेत्र, दिल्ली से संबंधित नहीं है। दिनांक 30.07.2018 को प्राप्त हुये उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्र संख्या 3680 के अनुसार उच्च शिक्षा निदेशालय में इस संदर्भ में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

23. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जी.बी.एस.एस.एस. नं.–1, टैगोर गार्डन (स्कूल आई.डी. 1515139) में दो सीढ़ियां और एक टॉयलेट ब्लॉक जर्जर स्थिति में है और इनका पुनर्निर्माण अपेक्षित है तथा इनके ई.ओ.आर. प्रस्ताव लो.नि.वि. (सिविल) में लंबित हैं;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि 10 टीनशेड वाले कमरों को तोड़कर 20 अर्धस्थाई ढांचों का निर्माण किया जाना है तथा इनके ई.ओ.आर. प्रस्ताव भी लो.नि.वि. (सिविल) में लंबित हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि एक अतिरिक्त सबमर्सिबल की तत्काल आवश्यकता है जिसके लिए प्रस्ताव लो.नि.वि. (सिविल) में लंबित हैं;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि प्रधानाचार्य की सबसे गंभीर शिकायत यह है कि अध्यापकों के 18 पद रिक्त हैं और ऐसी स्थिति में स्कूल को विधिवत चला पाना बहुत कठिन हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने जा रही है;

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) सीढ़ियों और टॉयलेट ब्लॉक की तुरंत आवश्यकतानुसार माइनर (minor) मरम्मत करा दी गई है। पुनर्निर्माण के लिए EOR, PWD के पास लम्बित है;

(ख) यद्यपि भूमि एवं सम्पदा शाखा, शिक्षा निदेशालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। परंतु, शीघ्र ही प्राथमिकता–II में नये कमरे बनाने का कार्य आरम्भ हो जायेगा;

(ग) सबमर्सिबल के लिए विद्यालय प्रधानाचार्य से हाल ही में पत्र प्राप्त हुआ है। सबमर्सिबल हेतु पत्र संबंधित शाखा को कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है;

(घ) जी नहीं; और

(ङ) उपरोक्तानुसार।

24. श्री मनजिंदर सिंह : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि एस.बी.वी. चांदनगर (स्कूल आई.डी. 1514110) का भवन चार वर्ष तक खाली रहा क्योंकि इसको खतरनाक

घोषित कर दिया गया था और स्कूल को समीपस्थ सर्वोदय कन्या विद्यालय संख्या–1, चांद नगर में स्थानांतरित कर दिया गया था;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि चार वर्ष के लंबे समयांतराल के बाद अंततः इस भवन को मई, 2015 में गिरा दिया गया है; और

(ग) इसके पुनर्निर्माण की क्या कार्ययोजना है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) जी हां;

(ख) इस भवन को अप्रैल, 2018 में गिराया गया है; और

(ग) इस भवन के पुनःनिर्माण के लिये 110 कमरों के निर्माण की योजना है।

25. श्री मनजिंदर सिंह : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि एस.के.वी. स्कूल नं. 2, खयाला (सुबह की पारी) तथा जी.बी.एस.एस.एस. नं.–2 (संख्या पारी) के भवन नीचाई पर बने हैं और समीपस्थ झुग्गियों से बहने वाला तथा सीवर मेन होल का पानी स्कूल में जमा रहता है, जिससे मच्छर पनप रहे हैं और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि सीवर व्यवस्था दोषपूर्ण है जिसके कारण स्कूल बिल्डिंग में सीलन व दरारें आ गई हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि स्कूल में 80 कमरों का पुनर्निर्माण होना है और स्कूल की चारदीवारी के समीपस्थ 18 पेड़ों की छंटाई करनी है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि स्कूल में केवल 6 'वॉटर टैंक' हैं और जब तक दूसरी पानी की शुरुआत होती है तब तक ये खाली हो चुके होते हैं;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि यद्यपि स्कूल के दो मुख्य द्वार हैं, परंतु एक स्थाई रूप से बंद रहता है और जब प्रथम पारी की बालिकाओं की छुट्टी होती है उस समय द्वितीय पारी के छात्र, जो द्वार पर होते हैं, बालिकाओं को परेशान करते हैं;

(च) क्या यह भी सत्य है कि स्कूल के अंदर फुटपाथ टूटे हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने जा रही है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) जी नहीं;

(ख) जी नहीं;

(ग) जी हां। स्कूल में 80 कमरों का पुनर्निर्माण होना है और स्कूल की चारदीवारी के समीपस्थ 18 पेड़ों की छंटाई करनी है;

(घ) जी नहीं। स्कूल में कुल 21 वाटर टैंक हैं;

(ङ) जी नहीं। जब प्रथम पारी की बालिकाओं की छुट्टी होती है उस समय दोनों द्वार पर दोनों पारी के सुरक्षा कर्मचारी तथा अध्यापक व अध्यापिकाएँ विशेष रूप से देखभाल हेतु खड़े रहते हैं;

(च) जी नहीं;

(छ) लागू नहीं होता।

26. श्री मनजिंदर सिंह : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जी.जी.एस.एस.एस. नं.–1 खयाला (सुबह की पारी) और जी.जी.एस.एस.एस. नं.–1, खयाला (संध्या पारी); स्कूल आई. डी. क्रमशः 154012 और 154003 की लगभग 2000 छात्राओं और 1500 छात्रों के लिए पेयजल हेतु दिल्ली जल बोर्ड का केवल एक ही कनेक्शन है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि स्कूल में बोरवेल ठीक से कार्य नहीं करता और इस कारण से विद्यार्थियों के बीमार पड़ने की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि स्कूल में एक बड़ा आर.ओ. संयंत्र लगाए जाने की अत्यंत आवश्यकता है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि स्कूल परिसर में कुछ कक्षाएं टीन शेडों में चल रही हैं जिन्हें तोड़कर भूतल, प्रथम तल व द्वितीय तल पर 64 कमरे बनवाए जाने हैं;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि इनके अतिरिक्त सीवर जाम होना, स्कूल के मुख्य द्वारा के पास कूड़ादान होना तथा स्कूल के बाहर भारी अतिक्रमण जैसी समस्याएं भी हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार इन समस्याओं के लिए क्या कदम उठाने जा रही है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) यह सत्य नहीं है, वर्तमान में जी.जी. एस.एस.एस. नं.–1 खयाला (सुबह की पाली) स्कूल आई.डी. 1514012 और जी.जी.एस.एस.एस. नं.–1, ख्याला (संख्या पाली) स्कूल आई.डी. 1514003 के छात्र–छात्राओं के लिये दिल्ली जल बोर्ड के दो कनेक्शन हैं। दोनों विद्यालयों में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध है;

(ख) बोरवेल ठीक से काम कर रहा है। बोरवेल की वजह से विद्यार्थियों के बीमार पड़ने का कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है;

(ग) आर.ओ. संयंत्र लगाये जाने की प्रक्रिया जारी है;

(घ) स्कूल परिसर में कुछ कक्षाएं टिन शेड में चल रही हैं। कुछ टिन शेड तोड़कर नये कमरे बनाने का प्रस्ताव है;

(ङ) जी नहीं; और

(च) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

27. श्री सुखवीर सिंह दलाल : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुंडका विधानसभा घेवरा मोड़, रोहतक रोड़, दिल्ली–41 में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय के बनाए जाने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) गाँव टीकरी कलां, नई दिल्ली–41 में बनाए जाने वाले पॉलीटेक्नीक के लिए भूमि–हस्तांतरण की क्या स्थिति है;

(ग) क्या मुंडका विधान सभा क्षेत्र में सरकार की कोई डिग्री कॉलेज खोलने की योजना है; और

(घ) यदि हाँ, तो कब तक?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु उपकुलपति, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। कमेटी ने माननीय उपमुख्यमंत्री के सुझाव पर दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का संशोधित बल प्रस्तुत किया है। संशोधित बिल सरकार की सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु विचाराधीन है;

(ख) भूमि हस्तांतरण का मामला राजस्व विभाग (कार्यालय निदेशक पंचायत) में विचाराधीन है;

(ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव इस निदेशालय में विचाराधीन नहीं है; और

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

28. श्री कर्नल देवेन्द्र सहरावत : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : बिजवासन विधानसभा क्षेत्र के विधायक के आग्रह पर इस विधानसभा क्षेत्र के बागडोला–राजनगर–2 क्षेत्र में उच्च शिक्षा संस्थान खोलने के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है, पूर्ण विवरण दें?

माननीय उपमुख्यमंत्री : इस निदेशालय में ऐसा कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।

29. श्री पवन कुमार शर्मा : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में डी.यू. के अंतर्गत आने वाले कितने कॉलेज अपने भवन व जमीन पर नहीं हैं बल्कि अन्य सकूलों के भवनों या अन्य उधार के भवनों में चल रहे हैं;

(ख) क्या दिल्ली सरकार ने ऐसे कॉलेजों के लिए डी.डी.ए. से जमीन लेने के प्रयास किये हैं;

(ग) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है;

(घ) क्या यह सत्य है ताकि बवाना में अदिति महाविद्यालय आज भी दिल्ली सरकार के स्कूल भवन में चल रहा है;

(ङ) क्या दिल्ली सरकार कॉलेज के लिए डी.डी.ए. से जमीन लेने की योजना है;

(च) यदि हाँ, तो कब तक जमीन उपलब्ध हो जाएगी;

(छ) यदि नहीं, तो कब तक प्रस्ताव भेज दिया जाएगा; और

(ज) कोई अन्य कॉलेज भी किसी अन्य भवन से चल रहा है तो उसकी स्थिति भी स्पष्ट करें?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में डी.यू. के अंतर्गत वित्तपोषित 8 कॉलेज ऐसे हैं जो अपने भवन व जमीन पर नहीं हैं, उनकी सूची संलग्न है; (देखें परिशिष्ट–1);

(ख) जी, हाँ;

(ग) उच्च शिखा कॉलेजों/संस्थानों के लिए डी.डी.ए. द्वारा आवंटित व उपलब्ध भूमि का विवरण निम्नांकित है :–

1. अनुमानित 6.3 एकड़ भूमि, पी.एस.पी. एरिया–4, सैक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली;
2. अनुमानित 7.44 एकड़ भूमि, सैक्टर–05, रोहिणी, दिल्ली।
3. अनुमानित 4 एकड़ भूमि, पी.एस.पी. एरिया–4 सैक्टर–16, रोहिणी।

(घ) यह सत्य है;

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है;

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता; और

(ज) उपरोक्त 'क' में दिए उत्तर अनुसार;

परिशिष्ट–1

दिल्ली में डी.यू. के अंतर्गत आने वाले कॉलेज जिनके भवन अथवा अपने हैं या उधार के भवन हैं।

क्र.सं.	कॉलेज का नाम (5% वित्तपोषित)	भवन की स्थिति
1	2	3
1.	अरबिंदो महाविद्यालय	भवन अपनी जमीन पर नहीं है। अरबिंद महाविद्यालय को डी.डी.ए.

1	2	3
		ने 2.9 हेक्टेयर जमीन आवंटित की है। डी.डी.ए. को जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार निवेदन किया जा चुका है;
2.	दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एण्ड कॉमर्स	कॉलेज दिल्ली सरकार की उच्च शिखा निदेशालय की भवन में चल रहा है;
3.	स्वामी श्रद्धानन्द कॉलेज	कॉलेज का अपना है किन्तु कुछ क्लास अस्थाई रूप से पी.डब्लू.डी. के भवन में चलाई जा रही है।
4.	कालिंदी कॉलेज स्कूल के भवन में	कॉलेज 1967 से दिल्ली गर्वमेंट चलाया जा रहा है।

क्र.सं.	कॉलेज का नाम (100% वित्तपोषित)	भवन की स्थिति
1	2	3
1.	महर्षि वाल्मिकी कॉलेज	भवन पुराने स्कूल बिल्डिंग, सर्वोदय बाल विद्यालय, झील कुरेंजा, विपरीत ब्लॉक–9 गीता कॉलोनी दिल्ली में है।

1	2	3
2.	अदिति महाविद्यालय	महाविद्यालय के पास अपनी जमीन व भवन नहीं है यह स्कूल भवन में चल रहा है;
3.	आचार्य नरेन्द्र देव कॉलेज	कॉलेज के पास अपनी जमीन व भवन नहीं है यह स्कूल भवन में चल रहा है;
4.	इंदिरा गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजीकल ऐजूकेशन एण्ड सोशल साइंसेज	यह एक स्कूल भवन में चल रहा है;

30. श्री आदर्श शास्त्री : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार की ओर से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली के छात्रों के कितने कॉलेज और कहाँ कहाँ खोले जाने की योजना है;

(ख) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले कॉलेजों में दिल्ली के स्कूल से निकले छात्रों के लिये विशेष सुविधा प्रदान की जाती है;

(ग) दिल्ली सरकार बेहतर उच्च शिक्षा के लिये अलग से कोई प्रावधान बनाने की सोच रही है;

(घ) यदि हाँ, तो अब तक इस हेतु क्या प्रयास किए गए, इसका पूर्ण विवरण दें;

(ङ) क्या यह सत्य है कि सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर मानदंड स्थापित करने वाले कुछ नए संस्थान बनाने और दिल्लीवासियों के लिये विशेष सुविधाएं प्रदान करने की योजना पर विचार कर रही है; और

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय का एक कैंपस सूरजमल विहार में निर्माणाधीन है;

इसके अतिरिक्त अम्बेडकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत रोहिणी और धीर पुर में कैंपस खोलने की योजना है;

एक खेल विश्वविद्यालय घेवरा में खोलने की योजना है;

(ख) जी नहीं;

(ग) जी हाँ; और

(घ) और (ङ)

1. दिल्ली सरकार द्वारा पत्र डी.ओ. दिनाँक 13/12/2016 (परिशिष्ट–1) तथा दिनाँक : 20/04/2018 के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम के नियम 5 उप नियम (2) में संशोधन किया जाये जिससे कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालय भी नए संस्थानों को सम्बद्धन प्रदान कर सके (परिशिष्ट–2)

2. दिल्ली विधान सभा द्वारा दिल्ली के छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय में 85% आरक्षण देने के लिए प्रस्ताव पास किया गया है।

3. दिल्ली सरकार ने पत्र दिनांक 23/08/2017 के माध्यम से उपकुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय को दिल्ली सरकार द्वारा वित्तपोषित 28 कॉलेज में 85% सीट दिल्ली के छात्रों के लिये आरक्षित करने का आग्रह किया है (परिशिष्ट–3)

(च) उपरोक्त।

(छ) द्वारका क्षेत्र में उच्च शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत कार्यरत विश्वविद्यालय/कॉलेज निम्नांकित हैं–

1. गुरू गोबिंद सिंह इन्द्र प्रस्थ विश्वविद्यालय।
2. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी;
3. भास्कराचार्य कॉलेज;
4. दीन दयाल उपाध्या कॉलेज;

इसके अतिरिक्त कोई नया प्रस्ताव द्वारका विधान सभा क्षेत्र हेतु विचाराधीन नहीं है।

MANISH SISODIA
मनीष सिसोदिया

विमकय तसचक

DEPUTY CHIEF MINISTER
GOVT. OF NCT OF DELHI
उप मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार
DELHI SECTT., I.P. ESTATE
दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट,
NEW DELHI-110002
नई दिलली–110002
Email: msisodia.delhi@gov.in

D.O. No. DYCM/2016/7158

Date : 13th December, 2016

Respected Shri Javadekar Ji

Kindly recall our conversation during the CABE meeting held on 25.10.2016 regarding the limited capacity of the Higher Educational Institutions in Delhi to cater the huge demand for undergraduate seats from students of Delhi.

Every year, over 2.5 lakh students pass out from Government and private schools in Delhi after giving the class XII examination. However, out of these neatly 1.8 lakh students do not get admission in UG courses in Delhi. This is because the total intake capacity of UG level courses in Delhi University is only:around 57,000 [of these only about 29,000 are from Delhi) and other State Universities in Delhi account for about 33,000 seats. (Details in Annexure-I)

The basic reason of this problem is section 5 sub-section (2) of the Delhi University Act, 1922 which limits opening of new affiliating Universities within Delhi's boundaries. It would be significant to mention that Delhi University Act was passed in 1922 by British Government, when the education was within the reach of limited citizens. Since then Delhi has grown as one of the most populated cities of the country. Its requirements have changed a lot. It would also be significant

to mention here that one time exemption in the provisions of the said Act was given to Guru Gobind Singh Indraprastha University. GGSIPU has already crossed the saturation limits and it is mandated to affiliate technical and management institutes only.

Considering the current demands of diversified and newly developed courses of graduation and post-graduation level, it has become important to amend the Section 5 Sub-Section (2) of the Delhi University Act, 1922, so that the State Universities that are presently existing or may be set up in future, can increase their own capacity and also affiliate educational institutions. The draft proposed amendment is attached as Annexure-II. This will help in requisite capacity expansion for higher education and allow more dynamic Universities and Colleges in Delhi. Request your urgent help in this matter.

With kind regards,

Yours sincerely

(MANISH SISODIA)

Shri Prakash Javadekar,

Hon'ble Minister of Human Resource Development,
Government of India
C-Wing, Shastri Bhawan,
New Delhi-110001

DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION
GOVT. OF NCT OF DELHI
B -WING, 2ND FLOOR, 5 SHAM NATH MARG, DELHI-54.
dtehedu@gmail.com

F.No. DHE-4(13)/Affl.Col.Instt./StateUniversities/2016-17/2151-55 Dated: 20.04.18

To

The Deputy Secretary - CU.I/II,
Central Universities Bureau,
Ministry of Human Resource Development,
Department of Higher Education,
Room No. 429, "C" Wing,
Shastri Bhawan, New Delhi-110001.

Sub:- Regarding amendment of University of Delhi, Act-1922 and addition of a proviso in sub-section(2) of Section 5.

Sir,

With reference to your email dated 13.02.2018 on the subject cited above, please Find enclosed herewith the detailed justification of the proposal regarding amendment of University of Delhi, Act-1922 and addition/deletion of Section 5(2) of the said act.

This issues after prior approval of the competent authority.

Yours faithfully,

Encl. As above.

(GARIMA GUPTA)
Director (HE)

F.No. DHE-4(13)/Affl.Col.Instt7StateUniversities/2016-17/2151-55 Dated: 2.4.18

Copy forwarded for information to:

1. The Secretary to Hon'ble Lt. Governor, Delhi, Raj Niwas, Delhi-110054.
2. The Secretary to the Hon'ble Dy. Chief Minister/Minister of Education, Govt, of NCT of Delhi, Delhi Sectt., New Delhi-110002.
3. The Registrar, University of Delhi, Chhatra Marg, Delhi-110007.
4. P.S. to the Pr. Secretary, Higher Education, Govt, of NCT of Delhi, Old Sectt., Delhi-110054.

(Garim Gupta)
Director (HE)

Justification for the proposal of the Delhi Govt, for amendment of Sub-Section (2) of Section 5 of Delhi University Act, 1922 for addition of an "Enabler Clause" to allow the Government of Delhi to open more affiliating Universities.

Background

The National Capital Territory of Delhi has two major Universities, which affiliate colleges for students pursuing under-graduate degree courses in Delhi, as under:-

1. Delhi University
2. Guru Gobind Singh Indraprastha University

As per data collected by the Directorate of Higher Education from time to time, the approximate total intake capacity of University of Delhi for under-graduate level degree courses is 57,000. Against these seats approximately 03 lakh students applied every year from Delhi and outside of Delhi. Approximately 2 lakh students

passed out the 12th Class Examination from Schools situated in Delhi Keeping in the view of the aforementioned facts there is huge demand of undergraduate seats in different courses in Delhi.

Further, there are 12 Colleges affiliated with Delhi University are 100% funded by Delhi Government and 16 Colleges affiliated with Delhi University are 5% funded by Delhi Government. These colleges are being funded through the revenue collected from 1 the tax payers of Delhi, whereas, only approximately 55% students, who have passed class 12th from Delhi Schools are admitted to these colleges and majority of them take admissions in colleges located in outskirt/rural areas of Delhi. In the main campus of Delhi University the ratio of students passed from Delhi Schools is less than 25% approximately.

Further it is submitted that the state Universities i.e. AUD, GGSIPU, UTU, NSIT, IIITD and IGDTUW have 85% seats reserved for students who have passed out class 12th from Delhi, whereas Delhi University gives 85% reservation of seats for Delhi Students for the MBBS/BDS Courses only. Besides this, College of Art, Neta Ji Subhash Institute of Technology (NSIT) and Delhi institute of Paramedical Science and Research (DIPSAR) which are under administrative control of Directorate of Training and Technical Education and are 100% Funded by Govt. of NCT of Delhi, have 85% reservation of seats for the students who have passed class 12th from Delhi and 15% quota for the students outside Delhi.

Since, admission to Delhi University colleges is based on the cut off marks obtained by students in Class 12th and also because there is no reservation for the students who pass out class 12th from Delhi in University of Delhi, therefore, very few students who have passed class 12lh from Delhi (Government as well as Private schools) are able to get admissions in the University of Delhi The reason for this is that all the schools in Delhi are affiliated to CBSE Board whereas the students from other States qualify class 12th from, different State Boards and there is no normalization of marks obtained in class 12th across different State Boards.

GGSIPU which was allowed to be opened as an affiliating University after an amendment in the Section 5 (2) of DU Act. 1992, is the only affiliating State University operational in NCT of Delhi till date.

As per the preamble of the GGSIPU, it is an affiliating and teaching University to that focuses on professional education :

"An Act to establish and incorporate an affiliating and teaching University at Delhi to facilitate and promote studies, research and extension work in emerging areas of higher education with focus on professional education, for example engineering, technology, management studies, medicine, pharmacy, nursing, education law etc. and also to achieve excellence in these and connected fields and other matters connected therewith or incidental thereto."

On an average, 2.5 Lakh students pass class 12th every year from the schools in Delhi. As can be observed from the data mentioned above there is a huge mismatch between the number of students who pass out class 12th from Delhi schools and the number of students who are able to get admissions to undergraduate degree courses in various colleges in Delhi.

In addition to the above mentioned universities, there are a number of Central Universities like JNU and Jamia Millia Islamiya but they majorly run Post-Graduate courses and Research Studies As a result of this the students who pass out class 12th from Delhi schools have to per force take admissions in the colleges outside Delhi.

Although, the GGSIPU has affiliated approximately 120 Self Financing institutes, but the total capacity of all the courses in these institutes is only around 30,000. Also as mentioned earlier the focus is mainly on professional education.

Other State Universities like Ambedkar University Delhi and the other Technical Universities running technical courses like DTU, IIITD, DPSRU & IGDTUW also have limited intake capacity.

The Delhi University Act 1992 prohibits educational institutions within the limits of NCT of Delhi to get affiliated to any other university except Guru Gobind Singh Indraprastha University.

As can be seen from the aforementioned clause, as on date no new affiliating University can be set-up in Delhi. In order to enhance avenues of Higher Education for the students of Delhi and to ensure availability of sufficient seats for students pursuing . under-graduate level degree courses, the Govt. of NCT of Delhi has proposed an amendment in the Sub-Section 2 of Section 5 of Delhi University Act, 1922. The proposal was initially mooted by Sh. Manish Sisodia, Hon'ble Dy. Chief Minister/MoHE, Delhi who had then written a letter to the Hon'ble Minister of MHRD, Govt, of India vide D.O. letter No. DyCM/2016/7158 dated 13-12-2016 (copy placed at page 13/C).

Subsequently, the Legistlative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in its sitting held on 29-06-2017 unanimously adopted the following two Governme resolution moved by Shri Manish Sisodia, Hon'ble Minister of Higher Education:-

Resolution No. 1

"Taking, note of the fact that there are over two lakh students who pass out from schools in Delhi, who are struggling to get admission in Institutions of Higher Education; Also noting the fact that twenty eight colleges affiliated to the University of Delhi are , funded partially or fully the Government of NCT of Delhi from the resources contributed by the tax payers of Delhi;

Hereby resolves that 85% of the total seats in the Institutions and college s of Higher Education affiliated to the University of Delhi that are funded by the Government of NCT of Delhi, be reserved for students belonging to Delhi"

Resolution No. 2

"Taking note of facts that there are over 2 lakh students who pass out from schools in Delhi, many of whom are struggling to get admission in Higher Education institutions;

Taking further note of the facts that as per the following provisions of the University Act. 1922 no other University in Delhi is legally authorized to grant affiliation to any college.

Sub-Section (2) of Section 5

"Notwithstanding anything in any other law for the time being in force, no educational institutions within the afore-mentioned limits shall be associated in any way with or be admitted to any privileges of any such other University incorporated by law in India, and any such privileges granted by any such other University to any educational institution within those limits prior to the commencement of this Act shall be deemed to be withdrawn on the commencement of this Act.

Provided that the Central Government may by order in writing, direct that the provisions of this sub- section shall not apply in the case of any institution specified in the order;

Provided further that provisions of the sub-section shall not apply in the case if any educational institution affiliated to the Indraprastha Vishwavidyalaya incorporated under the Indraprastha Vishwavidyalaya Act. 1998."

With the Govt. of NCT of Delhi in favour of increasing the number of institutions by way of opening a University that would also be authorized to affiliate college which would end the shortage of Higher Education institutions in Delhi:

Hereby resolves to recommend to the Central Government to amend the Delhi University Act (1992) and add another proviso in Sub-section (2) of Section 5 which would state:

"Provided further that provisions of this sub-section shall not apply in the case of any educational institution affiliated to the State Universities in Delhi, which presently exist or may be set- up in future."

The aforementioned Resolutions were also conveyed to the Vice-Chancellor, University of Delhi vide letter No.F.DHE-4(13)/Affl.Col.lnstt/State University/ 2016-17/3897 dated 23-08-2017 and the same was also conveyed to the Hon'ble Minister, MHRD by the Speaker, Delhi Legislative Assembly vide DO No 22(3)/ Resolutions/2015/LAS-IV/Leg./2935 dated 06-07-2017 (copy placed at page 31-32/C).

I In this regard the comments of GGSIP University has been sought on the following points:-

a. How has GGSIP University been able to keep a check on commercialization/profiteering by the private Self Financing Institutions of education if the proposal at No. 1 above is accepted.

b. How the quality of the education is being maintained by these private Self Financing Institutions.

Justification

In order to address the concern raised by Delhi University, forwarded by MHRD through mail dated 13.02.2018, placed opposite at page 62-65/C, following points are submitted for consideration:-

1. The standard and quality of education is maintained by GGSIPU, which is the only affiliating State University, through the following mechanism.

    (i) The proposed scheme and syllabi is deliberated upon by the Board ol Studies of the School where representation is from the faculty of the School and eminent scholars from outside the University are members Once approved by the Board of Studies of the School, the scheme and syllabi of studies for a specific programme of study is put-up to the Academic Council of the University for its consideration. After approval of the Academic Council of the University, the scheme and syllabi is implemented.

(ii) One aspect of quality monitoring of the academic standards of the University is the Annual Academic Audit of the affiliated institutions conducted by the University every year after the completion of the academic session. The academic audit takes in to consideration the availability and the academic qualifications of the teachers in the institutions; the availability of books and journals or the quality of the institution's library; the research output of the institution, the status ot annual admissions to the institution; the academic performance of the students of the institution in the University Examinations; the academic performance of the students passing from the institution; accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and / or National Assessment anu Accreditation Council (NAAC); institutional support to faculty for then development in the form of study leave grant, research grant and / or conference participation facility; status of classrooms (teaching aid), job placement of the students of the institution and feedback from the students, faculty and alumni of the Institution. The academic audit is conducted by a team of experts from the University and outside.

(iii) The affiliation process of the University is based on the assessment of the infrastructure, faculty, and the academic audit report for the institution. The assessment of the suitability of an institution for affiliation to the University is performed by a committee of senior persons from academics and administration (from outside as well as the University)

(iv) The University's examination question papers are set externally and evaluation is done at central evaluation centre under the supervision of the teachers of the University campus faculty.

2. In order to ensure that there is not commercialization of education by private self financing institutions and to keep a check on the practice of profiteering, following checks are observed:-

   (i) Most of the colleges / institutions affiliated to the University are self-financing institutions. The jurisdiction of the University extends to the National Capital Region (NCR) including the National Capital Territory of i Delhi (NCTD). For the self-financing institutions located in NCTD, the Government of NCTD has established a State Fee Regulatory Committee (SFRC). The SFRC recommends the fee for the self-financing institutons located in the NCTD. Based on the recommendations of the SFRC, on similar lines, the University decides the fee structure for the self-financing institutions located in NCR outside of NCTD.

By the above stated mechanism a stringent control over private self financing institutions is being maintained so that they do not indulge in any profiteering/ commercialization of Higher Education. Similar mechanism can be applied to prevent commercialization of education and control the quality the education, if any new affiliating university is allowed to be opened under Govt. of NCT of Delhi.

DIRECTOR OF HIGHER EDUCATION
GOVT. OF NCT OF DELHI
B-WING, 2ND FLOOR, 5 SHAM NATH MARG, DELHI-54
Email-dtehedu@gmail.com

F.No.DHE/ 4(13)/Affl.Col.Inst/State Universtiy/2016-17/ 3897 Dated: 23.8.17

To

Prof. Yogesh K. Tyagi,
Vice Chancellor,
University of Delhi,
Chhatra Marg,
Delhi-110007

Sub:- Government Resolution adopted by the Assembly regarding Reservation of 85% Seats in the Institutions of Higher Education funded by Government of NCT of Delhi for Students belonging tp Deihi and to recommend to the Central Government to amend the Delhi University Act 1922

Sir,

I am directed to invite your kind attention to the Government Resolution adopted by the Assembly Secretariat dated 5-7-2017 (copy enclosed). The Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi having its sitting in Delhi on 29th June, 2017 has taken note of the fact that there are over two lakhs students who pass out from schools in Delhi and are struggling to get admission in institutions of Higher Education of Delhi. Also, noting the fact, that twenty eight colleges affiliated to the University of Delhi are funded partially or fully by the Government of NCT of Delhi, from the resources contributed by the tax payers of Delhi, has resolved that 85% of the total seats in the institutions and Colleges of

Higher Education, affiliated to the University of Delhi, that are funded by the Government of NCT of Delhi, be reserved for students belonging to Delhi.

Therefore, it is requested that DU may kindly take necessary action to implement the above mentioned resolution at the earliest. Directorate of Higher Education, GNCTD may kindly be kept apprised of the action taken in the matter.

Yours faithfully,

End: As above.

(GARIMA GUPTA)
Director (Hr. Edn.)

परिशिष्ट–दो

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

DELHI LEGISIATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

No. F. 22(l)/R-90/2015/LAS-VI/Leg. Dated: /07/2017

To,

The Hon'ble Minister of Education,
Govt. of NCT of Delhi,
Delhi.

Sub.: Government Resolutions adopted by the Assembly regarding Reservation of 85% Seats in the Institutions of Higher Education funded by Government of NCT of Delhi for Students belonging to Delhi and to recommend to the Central Government to amend the Delhi University Act, 1922.

Sir,

The Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi unanimously adopted the following two Government resolutions moved by Shri Manish Sisodia. Hon'ble Minister of Education, in its sitting held on 29/06/2017:

The Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi having its sitting in Delhi on 29 June 2017;

Taking note of the fact that there are over two lakh students who pass out from schools in Delhi, who are struggling to get admission in Institutions of Higher Education; Also noting the fact that twenty eight colleges affiliated to the University of Delhi are funded partially or fully the Government of NCT of Delhi from the resources contributed by the tax payers of Delhi;

Hereby resolves that 85% of the total seats in the Institutions and colleges of Higher Education affiliated to the University of Delhi that are funded

by the Governmen of NCT of Delhi, be reserved for students belonging to Delhi."

II "The Legislative Assembly of NCI of Delhi having its sitting in Delhi on 29 June, 2017;

Taking note of fact that there are over 2 lakh students who pass out from schools in Delhi, many of whom are struggling to get admission in Higher Education institutions;

Taking further note of the fact that as per the following provisions of the Delhi University Act, 1922 no other University in Delhi is legally authorized to grant affiliation to any college.

Sub- Section (2) of Section 5.

"Notwithstanding anything in any other law for the time being in force, no educational institutions within the afore- mentioned limits shall be associated in any way with or be admitted to any privileges of any other University incorporated by law in India, and any such privileges granted by any such other University to any education, institution within those limits prior to the commencement of this Act shall be deemed to be withdrawn on the commencement of this Act:

Provided that the Central Government may by order in writing, direct that the provisions of this sub-section shall not apply in the case of any institution specified in the order;

Provided further that provisions of this sub-section shall not apply in the case if any educational institution affiliated to the Indraprastha Vishwavidyalaya incorporated under the Indraprastha Vishwavidyalaya Act, 1998".

With the Govt. of NCTof Delhi in favour of increasing the number of institutions by way of opening a University that would also be authorised

to affiliate college which would end the shortage of Higher Education institutions tn Delhi;

Hereby resolves to recommend to the Central Government to amend, the Delhi University Act (1922), and add another proviso in Sub-section (2) of Section 5 which woidd state:

'Provided further that provisions of this sub-section shall not apply in the case of any educational institution affiliated to the State Universities in Delhi, which presently exist or may be set-up in future."

Yours sincerely,

Prasanna Kumar Suryadevara
Secretary

No. F. 22(1)/R-90/2015/LAS-VI/Leg./2895 Dated: /07/2017

Copy for information and necessary action to:

1. The Secretary to Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi, Delhi.
2. OSD to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi.
3. Principal Secretary (Education), Govt. of NCT of Delhi, Delhi.

C. Velmurugan
Dy. Secretary (Legislation)

31. श्री राजेश ऋषि : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सूरजमल आई.पी. यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट कोटा क्या है और इस कोटे में कितनी सीटें हैं;

(ख) मैनेजमेंट कोटा जिस आधार पर दिया गया है इस कोटे में किस आधार पर और किन–किन लोगों को दिया गया है; पूर्ण विवरण दें;

(ग) क्या इस कॉलेज में कार एवं बस पार्किंग है;

(घ) भारती कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में कितने स्टूडेंटस के रहने की व्यवस्था है;

(ङ) इस नई बिल्डिंग में कितने स्टूडेंट्स के रहने की व्यवस्था है;

(च) क्या यह सत्य है कि भारती कॉलेज में क्रिकेट की प्राइवेट एकेडमी है;

(छ) यदि हाँ, तो एकेडमी के साथ कॉलेज के एग्रीमेंट की कॉपी उपलब्ध करें?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) और (ख) सूरजमल विहार में पूर्वी दिल्ली का गुरू गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी परिसर अभी निर्माणाधीन है तथा वर्ष 2018–19 में कोई भी प्रोग्राम/कोर्स चलाने के लिये तैयार नहीं है। इस विश्वविद्यालय में कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण की अनुमोदित योजना के अनुसार पार्किंग सुविधा का प्रावधान है;

(घ) भारतीय कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में 50 स्टूडेंटस के रहने की व्यवस्था है;

(ङ) भारती कॉलेज में केवल एक ही गर्ल्स हॉस्टल है। जिसमें केवल 50 स्टूडेंटस के रहने की व्यवस्था है;

(च) जी हाँ; और

(छ) मैसर्स एयरलाइन्स क्रिकेट एकेडमी के साथ कॉलेज द्वारा किए गए एग्रीमेंट एवं उनको जारी किए गए पत्रों की प्रतिलिपियों संलग्न है (देखें परिशिष्ट–1)

BHARATI COLLEGE
University of Delhi

C-4 Janak Puri, New Delhi-110058 Ph : 011-4327300 Fax : 43273040, 43273060
E-mail : principalbc@gmail. com Website: www.bharaticollege.com

BC/2017/1162 29th December 2017

Mr. Soni Kumar
Manager
Airliners Academy
A-51, Ist Floor
East Uttam Nagar
New Delhi-110059

Sir

This is to inform you that on the recommendation of the Sports Committee and approval of the Chairman, Governing Body, your contract has been extended for a further period of two years w.e.f. 01st December 2017. We hope that you will continue to maintain the high standards that you have displayed so far, over the next two years as well.

Your truly

Dr. Mukti Sanyal
Offtg. Principal

Copy to : Section Officer (Accounts)

: Convenor, Sports Committee

: Dr. Shubhra Kathuria, DPE

BHARTI COLLEGE
University of Delhi

C-4 Janak Puri, New Delhi-110 058 Ph.: 011-43273000 Fax : 43273040, 43273060
E-mail principalbc@gmail.com Website : www.bharaticollege.com

BC/2016/PO/32 01 December 2016

Mr. Soni Kumar
Manager
Airliners Academy
A -51, 1st Floor
East Uttam Nagar
New Delhi 110 059

Sir,

This is to inform you that on the recommendation of the Sports Committee and approvnl of the Governing Body in its meeting held on 29th November 2016. your contract has been extended for a further period of one year w.e.f. 01st December 2016 till 30th November 2017 on the same terms and conditions as before. We hope that you will continue to maintain the high standards that you have displayed so far over the next year as well.

Yours truly

Dr. Mukti Sanyal
Actg. Principal

Copy to : Section Officer (Accounts)
Conveaor Sports Committee

BHARTI COLLEGE
University of Delhi

C-4, Janak Puri, New Delhi-110 058 Ph.: 011-43273000 Fax : 43273040, 43273050
E-mail: principalbc©gmail.com Website www.bharaticollege.com

24th November 2014

Mr. Soni Kumar
Manager
Airliners Academy
A-51, 1st Floor
East Uttam Nagar
New Delhi - 110 059

Sir

This is to inform you that on the recommendation of the Sports Committee and approval of the Governing Body in its meeting held on 22nd November 2014, your contract has been extended for a further period of two years w.e.f. 01st December 2014 on the same terms and conditions as before. We hope that you will continue to maintain the high standards that you have displayed so far, over the next two years as well.

Your truly

Dr. (Mrs.) Promodini Varma
Principal

Copy to: Section Officer (Accounts)
Convenor, Sports Committee

BHARTI COLLEGE
University of Delhi

C-4, Janak Puri, New Delhi-110 058 Ph.: 011-43273000 Fax : 43273040
E-mail: principalbc©gmail.com Website www.bharaticollege.com

BC/2012/ 1264 04th December 2012

Mr. Soni Kumar
Manager
Airliners Academy
A-51, 1st Floor
East Uttam Nagar
New Delhi - 110 059

Sir

This is to inform you that on the recommendation of the Sports Committee and approval of the Governing Body in its meeting held on 29th November 2012, your contract has been extended for a further period of two years w.e.f. 01st December 2.012 on the same terms and conditions as before. We hope that you will continue to maintain the high standards that you have displayed so far, over the next two years as well.

Yours truly

Dr. (Mrs) Promodini Varma
Principal

BHARTI COLLEGE
University of Delhi

C-4, Janak Puri, New Delhi-110 058 Ph.: 011-25547380, 25547328
E-mail: principalbc©gmail.com

BC/2010/2383 09 March 2010

Mr. Soni Kumar
Manager
Airliners Academy
A-5, 1st Floor
East Uttam Nagar
New Delhi-110 059

Sir

This is to inform you that on the recommendation of the Sports Committee, your contract is being extended for a further two years on the same terms and conditions as before. We hope that you will continue to maintain the high standards that you have displayed so far. over the next two years as well.

Yours truly

Dr. (Mrs.) Promodini Varma
Principal

BHARTI COLLEGE
भारती कालेज
University of Delhi
दिल्ली विश्वविद्यालय

Phone : 25547328 (Office)
25547380 (Principal)
Telefax : 25547380

BC/2008/1859 26 December 2008

Mr. Soni Kumar
Manager
Airliners Academy
A-51, 1st Floor
East Uttam Nagar
New Delhi - 110 059

Dear Mr. Soni Kumar

The Governing Body of the College, in its meeting of 04 October 2008 has permitted you to run a Cricket Training Academy for boys under 19 years of age subject to the condition that all boys so enrolled in your academy will he issued I-cards mentioning their names, addresses, father's name & address etc., and that they will all be verified by the phone. Kindly see that the above conditions are duly fulfilled with regard to your boys academy and that due discipline is maintained during their stay in the College premises.

Yours sincerely

Dr. Promodini Varma
Principal

An Agreement made on the 07th day of November 2008 between the Principal, Bharti College, C-4 Janakpuri, New Delhi - 110 058 referred to as the Party of the First Part and M/s Airliners Cricket Academy, A-51, 1st Floor, East Uttam Nagar, New Delhi hereinafter referred to as the Party of the Second Part.

It is agreed as under :-

1. That the Party on the First Part will provide grounds at Bharati College C-4 Janakpuri, New Delhi to the Party of the Second Part, the premises belonging to the Party of the first part for training under 16 boys in cricket and for their matches to be played on Sundays and holidays only.

2. The College grounds will be available for use to the Party of the Second Pan before and after College hours.

3. The needs of the Party of the first part will always come first.

4. All the activities for which the College grounds will be provided to the Second Party will be organized with the prior permission of the Principal

5. The parly of the second Part will train students of Bharati College in cricket providing Coaches (1 male & 1 female) and playing equipments to the extent of | thirty thousand rupees (approx.) to the Bharati College Cricket Team.

6. The party of the second part will arrange for practice matches for the Bharati College cricket team under the guidance of the coach.

7. The party of the second part will engage 2 ground men to maintain the cricket grounds and other sports grounds of the College. They will also provide new cemented and turf wickets for practice of the cricket team.

8. The Party of the second part will give to the party of the fust part 10% share of its one time registration fee and 20% of its monthly fee collected from students at the Airliners Cricket Academy, (of boys under 16 that

they will train at Bharati College Cricket grounds). They will also pay 10% of the ground booking fees charged from all outside teams and 10% of its profits from the various tournaments and activities its organizers at the Bharati College Cricket grounds.

9. The Academy will have to provide the details/particulars of all the Coaches/Officials and all the students enrolled with the Academy who will be provided with an I-Card which they must show on demand. No outsiders will be allowed to enter without prior permission.

10. The initial contract will be for a period of one year. If the arrangement is to the satisfaction of both parties, it will be extendable by another 2 years.

11. Any dispute arising out of or in relation to this agreement shall be referred to arbitration as per the Indian Arbitration Act.

Signed by and on behalf with named
Party of the first part

Principal

Bharati College

Signed by and on behalf with named
Party of the second part

M/s Airliners Cricket
Academy

In the presence of

1. ....

2. ....

32. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में दिल्ली में कुल कितनी आई.टी.आई. कार्यरत हैं;

(ख) इन आई.टी.आई. में प्रतिवर्ष कुल कितने छात्रों को शिक्षित करने की क्षमता है;

(ग) इन संस्थानों में छात्रों को किन–किन क्षेत्रों में शिक्षित किया जाता है;

(घ) क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा जहांगीरपुरी में एक आई.टी. आई. संस्थान चलाया जा रहा है;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि उस संस्थान में समय से पहले ही छात्र आई.टी.आई. से बाहर होते हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) दिल्ली में 19 (उन्नीस) सरकारी आई. टी.आई. (01 हस्तसाल विस्तार काउंटर व एक एम.एस.डी.पी. नन्द नगरी समेत) तथा 45 प्राइवेट आई.टी.आई. कार्यरत हैं।

(ख) सरकारी आई.टी.आई. में कुल क्षमता लगभग 15000 प्रशिक्षु और निजी आई.टी.आई. में करीब 4000 प्रशिक्षु हैं;

(ग) इन संस्थानों में लगभग 50 विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसमें अवधि एस.सी.वी.टी./एन.सी.वी.टी. के संबद्ध होने के तहत 01 से 02 वर्ष तक होती है। ट्रेडों की सूची संलग्न है;

(घ) जी हाँ।

(ङ) जी नहीं; और

(च) और (छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Sl. No.	Name of the Trades (Alphabetically)	Duration	Currenty Entry Qualification	Strength/ unit	Engg / Non Engg
1	2	3	4	5	6
1	Architectural Assitant	1 Yr.	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with minimum of 40% independently in Science and Mathematics	20	Engg.
2	Basic Cosmetology	1 Yr.	Passed 10th class under 10+2 System of examination or its equivalent	20	Non-Engg.
3	Commercial Art	1 Yr.	Passed 10th class under 10+2 System of examination or its equivalent	20	Non-Engg.
4	Computer Hardware & Network Maintenance	1 Yr.	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent	20	Engg.
5	Computer Operator and Programming Assistant	1 Yr.	Passed 10th class under 10+2 System of examination or its equivalent	20	Non. Engg.
6	Desk Top Publishing	1 Yr.	Passed 10th class under 10+2 System of examination or its equivalent	20	Non Engg.
7	Digital Photographer	1 Yr.	Passed 10th class under 10+2 System of examination or its equivalent	16	Non Engg.

1	2	3	4	5	6
8	Draughtsman (Civil)	2 Yrs.	Passed 10th class under 10+2 System of examination or its equivalent	20	Non Engg.
9	Draughtsman (Mechanical)	2 Yrs.	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent.	16	Engg.
10	Dress Making	1 Yr.	Passed 10th class under 10+2 System of examination or its equivalent	16	Non Engg.
11	Electrician	2 Yrs/	Passed 10th Class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent	16	Engg.
12	Electronic Mechanic	2 yrs.	Passed 10th class under 10+2 System of examination or its equivalent	20	Engg.
13	Fashion Design & Technology	1Yr	Passed 10th .class Under 10+2 System of examination or its equivalent	16	Non Engg.
14	Fitter	2 Yrs	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent.	16	Engg.
15	Food & Beverages Service Assistant	1 Yr.	Passed 10th class Under 10+2 System of examination or its equivalent	16	Non Engg.

16	Food Production (General)	1 Yr.	Passed 10th class Under 10+2 System of examination or its equivalent	20	Non Engg.
17	General Carpenter	lYr.	8th class passed.	20	Engg.
18	Health Sanitary Inspector	lYr	Passed 10th class Under 10+2 System of examination or its equivalent	20	Non Engg.
19	Information & Communication Technology System Maintenance	2 Yrs	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent.	20	Engg.
20	Information Technology*	2 Yrs	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent.	20	Engg.
21	Instrument Mechanic	2 Yrs.	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent.	20	Engg.
22	Interior Design & Decoration	1 Yr	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent, minimum of 40% independently in Science and Mathematics	20	Engg.
23	Machinist	2 Yrs.	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent.	12	Engg.

1	2	3	4	5	6
24	Machinist (Grinder)	2 Yrs.	Passed i 0th ciass examination under 10+2 system ot education with Science and Mathematics or its equivalent.	12	Engg.
25	Mechanic Auto Body Painting	1Yr.	Passed 10th class examination under. 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent.	16	Engg.
26	Mechanic Auto Body Repair	1 Yr.	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent.	16	Engg.
27	Mechanic Auto Electrical & Electronics	1 Yr.	Passed 10th class examination under 10+2 system.of education with Science and Mathematics or its equivalent	16	Engg.
28	Mechanic Consumer Electronic Appliances	2 Yrs.	Passed 10th class Under 10+2 System of examination or its equivalent	20	Engg.
29	Mechanic Diesel	1 Yr.	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics ot its equivalent.	16	Engg.
30	Mechanic Medical Electronics	2 Yrs.	Passed 10th class examination under 10+2 systems of education with Science (Physics, Chemistry & Mathematics).	20	Engg.

31	Mechanic Motor Cycle	1 Yr.	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent.	16	Engg.
32	Mechanic Motor Vehicle	2 Yrs.	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent.	16	Engg.
33	Painter General	2 Yrs.	8th class passed	16	Engg.
34	Plumber	1 Yr.	Passed 10th class Under 10+2 System of examination or its equivalent	20	Engg.
35	Refrigeration and Air-Conditioning Mechanic	2 Yrs.	Passed 10th class Under 10+2 System of examination or its equivalent	20	Engg.
36	Sewing Technology	1 Yr.	8th class passed	16	Non Engg.
37	Stenographer & Secretarial Assistant (English)	1 Yr.	Passed 10th class Under 10+2 System of examination or its equivalent	20	Non Engg.
38	Stenographer & Secretarial Assistant (Hindi)	1 Yr.	Passed 10th class Under 10+2 System of examination or its equivalent	20	Non Engg.
39	Surface Ornamentation Techniques (Embroidery)	1 Yr.	8th class passed	16	Non Engg.

1	2	3	4	5	6
40	Surveyor	1 Yr.	Passed 10th class Under 10+2 System of examination or its equivalent	20	Engg
41	Technician Power Electronics Systems	2 Yrs.	Passed 10th class Under 10+2 System of examination or its equivalent	20	Engg.
42	Textile Designing	1 Yr.	Passed 10th class Under 10+2 System of examination or its equivalent	16	Non Engg.
43	Tool & Die Maker (Dies & Moulds)*	2 Yrs.	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent.	16	Engg.
44	Tool & Die Maker (Press Tools, Jigs & Fixtures)	2 Yrs	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent.	16	Engg.
45	Turner	2 Yrs.	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent.	12	Engg.
46	Welder	lYr.	8th class passed	16	Engg.
47	Wireman	2 Yrs.	8th class passed	16	Engg.
Trades under Dual System of Training (DST)**					
48	Fitter	2 Yrs.	Passed 10th class examination under 10+2	16	Engg.

			system of education with Science and Mathematics or its equivalent.		
49	Machinist	2 Yrs.	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent.	12	Engg.
50	Tool & Die Maker (Press Tools, Jigs & Fixtures)	2 Yrs.	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent.	16	Engg.

*Admission in the trade is not available in current session 2018.

** Admission to DST scheme is subject matter to the policy of concerned ITI.

Note: ITI/DTTE may admit 30% supernumerary seats in addition to strength of unit as given above.

33. श्री जगदीप सिंह : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तकनीकी एवं कौशल विकास पाठ्यक्रमों का संपूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तों का संपूर्ण ब्यौरा क्या है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) दिल्ली सरकार के अंतर्गत तकनीकी एवं कौशल विकास पाठ्यक्रम (तकनीकी और गेर तकनीकी) आई.टी.आई. पालिटेकनिक तथा विश्वस्तरीय कौशल केन्द्र (वर्ल्ड क्लास स्किल सेन्टर) में चलाये जाते हैं। विभिन्न तकनीकी एवं कौशल विकास पाठ्यक्रमों के ट्रेडों के संक्षिप्त विवरण की एक प्रति संलग्न है; और

(ख) इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता का विवरण संलग्न है।

Sl. No.	Name of the Trades (Alphabetically)	Duration	Currenty Entry Qualification	Strength/ unit	Engg / Non Engg
1	2	3	4	5	6
1	Architectural Assitant	1 Yr.	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with minimum of 40% independently in Science and Mathematics	20	Engg.
2	Basic Cosmetology	1 Yr.	Passed 10th class under 10+2 System of examination or its equivalent	20	Non-Engg.
3	Commercial Art	1 Yr.	Passed 10th class under 10+2 System of examination or its equivalent	20	Non-Engg.
4	Computer Hardware & Network Maintenance	1 Yr.	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent	20	Engg.
5	Computer Operator and Programming Assistant	1 Yr.	Passed 10th class under 10+2 System of examination or its equivalent	20	Non. Engg.
6	Desk Top Publishing	1 Yr.	Passed 10th class under 10+2 System of examination or its equivalent	20	Non Engg.
7	Digital Photographer	1 Yr.	Passed 10th class under 10+2 System of examination or its equivalent	16	Non Engg.

1	2	3	4	5	6
8	Draughtsman (Civil)	2 Yrs.	Passed 10th class under 10+2 System of examination or its equivalent	20	Non Engg.
9	Draughtsman (Mechanical)	2 Yrs.	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent.	16	Engg.
10	Dress Making	1 Yr.	Passed 10th class under 10+2 System of examination or its equivalent	16	Non Engg.
11	Electrician	2 Yrs/	Passed 10th Class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent	16	Engg.
12	Electronic Mechanic	2 yrs.	Passed 10th class under 10+2 System of examination or its equivalent	20	Engg.
13	Fashion Design & Technology	1Yr	Passed 10th .class Under 10+2 System of examination or its equivalent	16	Non Engg.
14	Fitter	2 Yrs	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent.	16	Engg.
15	Food & Beverages Service Assistant	1 Yr.	Passed 10th class Under 10+2 System of examination or its equivalent	16	Non Engg.

16	Food Production (General)	1 Yr.	Passed 10th class Under 10+2 System of examination or its equivalent	20	Non Engg.
17	General Carpenter	lYr.	8th class passed.	20	Engg.
18	Health Sanitary Inspector	lYr	Passed 10th class Under 10+2 System of examination or its equivalent	20	Non Engg.
19	Information & Communication Technology System Maintenance	2 Yrs	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent.	20	Engg.
20	Information Technology*	2 Yrs	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent.	20	Engg.
21	Instrument Mechanic	2 Yrs.	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent.	20	Engg.
22	Interior Design & Decoration	1 Yr	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent, minimum of 40% independently in Science and Mathematics	20	Engg.
23	Machinist	2 Yrs.	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent.	12	Engg.

1	2	3	4	5	6
24	Machinist (Grinder)	2 Yrs.	Passed i 0th ciass examination under 10+2 system ot education with Science and Mathematics or its equivalent.	12	Engg.
25	Mechanic Auto Body Painting	1Yr.	Passed 10th class examination under. 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent.	16	Engg.
26	Mechanic Auto Body Repair	1 Yr.	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent.	16	Engg.
27	Mechanic Auto Electrical & Electronics	1 Yr.	Passed 10th class examination under 10+2 system.of education with Science and Mathematics or its equivalent	16	Engg.
28	Mechanic Consumer Electronic Appliances	2 Yrs.	Passed 10th class Under 10+2 System of examination or its equivalent	20	Engg.
29	Mechanic Diesel	1 Yr.	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics ot its equivalent.	16	Engg.
30	Mechanic Medical Electronics	2 Yrs.	Passed 10th class examination under 10+2 systems of education with Science (Physics, Chemistry & Mathematics).	20	Engg.

31	Mechanic Motor Cycle	1 Yr.	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent.	16	Engg.
32	Mechanic Motor Vehicle	2 Yrs.	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent.	16	Engg.
33	Painter General	2 Yrs.	8th class passed	16	Engg.
34	Plumber	1 Yr.	Passed 10th class Under 10+2 System of examination or its equivalent	20	Engg.
35	Refrigeration and Air-Conditioning Mechanic	2 Yrs.	Passed 10th class Under 10+2 System of examination or its equivalent	20	Engg.
36	Sewing Technology	1 Yr.	8th class passed	16	Non Engg.
37	Stenographer & Secretarial Assistant (English)	1 Yr.	Passed 10th class Under 10+2 System of examination or its equivalent	20	Non Engg.
38	Stenographer & Secretarial Assistant (Hindi)	1 Yr.	Passed 10th class Under 10+2 System of examination or its equivalent	20	Non Engg.
39	Surface Ornamentation Techniques (Embroidery)	1 Yr.	8th class passed	16	Non Engg.

1	2	3	4	5	6
40	Surveyor	1 Yr.	Passed 10th class Under 10+2 System of examination or its equivalent	20	Engg
41	Technician Power Electronics Systems	2 Yrs.	Passed 10th class Under 10+2 System of examination or its equivalent	20	Engg.
42	Textile Designing	1 Yr.	Passed 10th class Under 10+2 System of examination or its equivalent	16	Non Engg.
43	Tool & Die Maker (Dies & Moulds)*	2 Yrs.	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent.	16	Engg.
44	Tool & Die Maker (Press Tools, Jigs & Fixtures)	2 Yrs	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent.	16	Engg.
45	Turner	2 Yrs.	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent.	12	Engg.
46	Welder	lYr.	8th class passed	16	Engg.
47	Wireman	2 Yrs.	8th class passed	16	Engg.
Trades under Dual System of Training (DST)**					
48	Fitter	2 Yrs.	Passed 10th class examination under 10+2	16	Engg.

			system of education with Science and Mathematics or its equivalent.		
49	Machinist	2 Yrs.	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent.	12	Engg.
50	Tool & Die Maker (Press Tools, Jigs & Fixtures)	2 Yrs.	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent.	16	Engg.

*Admission in the trade is not available in current session 2018.

** Admission to DST scheme is subject matter to the policy of concerned ITI.

Note: ITI/DTTE may admit 30% supernumerary seats in addition to strength of unit as given above.

5. COMMON ENTRANCE TEST (CET- 2018)

5.1 ELIGIBILITY CONDITIONS

Test No.	Programme	Minimum Eligibility for Admission*
1	2	3
Test-1	For candidates applying for Diploma Courses in Applied Art, Architectural Assistantship, Art for Drawing Teachers, Automobile Engineering, Cosmetology & Health, Chemical Engineering, Civil Engineering, Civil Engineering (Construction Technology), Civil Engg. (Public Health & Environmental Engineering), Computer Engineering, Electrical Engineering, Electronics & Communication Engineering, Electronics Engineering (Digital Electronics), Electronics Engineering (Medical Electronics), Fashion Design, Garment Fabrication Technology, Information Technology Enabled Services & Management (ITES&M), Interior Design, Instrumentation & Control,	The candidate should have passed 10th class or any other examination recognized as equivalent to 10th class examination, conducted by CBSE / other board with minimum 35% aggregate or 3.7 CGPA in Science, Mathematics & English The subjects Science, Mathematics and English are compulsory and the candidate should have passed in each of these three subjects. Note:1. Candidates passing / qualifying class 10th under the grading system should have obtained minimum pass grade in the compulsory subjects i.e., Science, Mathematics and English. 2. Any other criteria as prescribed by CBSE in new pattern.

1	2	3
	Library & Information Science, Mechanical Engineering, Mechanical Engg. (Maintenance Engg.) , Medical Laboratory Technology, Polymer Technology, Printing Technology, Production Engineering, Textile Design, Tool & Die Making.	
Test-2	For candidates applying for Modern Office Practice (English)	The candidate should have passed Senior Secondary School Certificate Examination (Class XII) of the Central Board of Secondary Education (CBSE), Delhi in any stream of 10+2 (Academic) or any other examination recognized as equivalent.to the Senior Secondary School Certificate with minimum 35% marks in aggregate of the best three subjects including English. The subject English is compulsory for Modern Office Practice (English) and the candidate should have obtained pass marks in this subject.
Test-3	For candidates applying for Modern Office Practice (Hindi)	The candidate should have passed Senior Secondary School Certificate Examination (Class XII) of the Central Board of Secondary Education

1	2	3
		(CBSE), Delhi in any stream of 10+2 (Academic) or any other examination recognized as equivalent to the Senior Secondary School Certificate with minimum 35% marks in aggregate of the best three subjects including Hindi/ Sanskrit. The subject Hindi/Sanskrit is compulsory for Modern Office Practice (Hindi).
Test-4	For candidates applying for Pharmacy	Passed 12th Std. examination with Physics and Chemistry as compulsory subjects along with one of the Mathematics / Biology (Botany and Zoology).
Test-5	For candidates applying for lateral entry (For Delhi region candidates only).	Passed 12th Std examination with Physics and Chemistry as compulsory subjects along with one of the Mathematics / Biology (Botany and Zoology) OR 12th Science (with Mathematics as one of the Subject) or 12th Science with Vocational OR 12th Science with Technical OR 10th + (2years ITI) with appropriate Trade in that order shall be eligible for admission to Second Year Diploma Course(s) of appropriate

1	2	3
		Programme. The ITI s/ ITCs must be from Institutes located only in Delhi and affiliated to DGE&T/BTE, Delhi.ITI student who had already appeared for his/her final exam has to submit their passed certificate / mark sheet on or before 30/11/2018 otherwise his / her provisional admission stands cancelled.
		10th + (2years ITI) with appropriate Trade against 20% supernumerary seats in analogous disciplines of Architectural Assistantship, Automobile Engineering, Civil Engineering, Civil Engineering (Construction Technology), Computer Engineering, Electrical Engineering, Electronics & Communication Engineering, Electronics Engineering (Digital Electronics), Electronics Engineering (Medical Electronics), Mechanical Engineering, Mechanical Engineering (Maintenance Engineering), -Polymer Technology, Production Engineering and Civil Engineering, (Public Health & Environmental Engineering),

1	2	3
		Information Technology Enabled Services & Management (ITES &M)
		Tool & Die Making

* As per the eligibility criteria for admission in Diploma courses, the candidate should have the minimum eligibility criteria and pass the subjects with or without grace marks for all courses.

NOTE: (a) If a candidate has passed his/her qualifying exam from board other than CBSE or State board (India), it will be sole responsibility of the candidate to produce equivalence certificate (CBSE) of qualifying exam (10th / 12th as applicable) at the time of counselling, failing which, the candidature will not be considered

(b) ITI student who has already appeared for his/her final exam has to submit his/her passed certificate/mark sheet on or before 30/11/2018 otherwise his/her admission stands cancelled

ANALOGOUS COURSES FOR ADMISSION IN SECOND YEAR / THIRD SEMESTER

2 YEARS ITI TRADES FOR WHICH MINIMUM QUALIFICATION IS 101H PASS (with Mathematics and Science) under NCVT/SCVT

Trade	Analogous Diploma Courses
Mechanic Motor Vehicle, Automobile Sector (COE). Instrument Mechanic, Ref. & Air-conditioning Mechanic, Draughtsman (Mechanical), Tool and Die Maker (Press Tools, Jigs and Fixtures), Tool & Die Maker (Die & Moulds), Turner, Fitter, Machinist, Machinist Grinder, Production and Mfg. Sector (CoE)* Tool & Die Maker (Die & Moulds)	Automobile Engineering. Mechanical Engineering. Mechanical Engineering (Maintenance Engineering), Production Engineering. Tool & Die Making

Trade	Analogous Diploma Courses
Electrician, Instrument Mechanic, Refrigeration & Air-conditioning Mechanic, Electrical Sector (CoE)*	Electrical Engineering
Surveyor, Draughtsman (Civil)	Civil Engineering, Civil Engineering (Construction Technology), Architectural Assistantship, Civil Engineering (PHEE)
Radio and TV Mechanic, Instrument Mechanic , Mechanic Medical Electronics, Information Technology & Electronic Maintenance System, Electronics Mechanic.	Electronics & Communication Engineering., Electronics Engineering. (Digital Electronics), Electronics Engineering (Medical Electronics)
Information Technology (CoE)*	Information Technology Enabled Services & Management (ITES&M), Computer Engg.

* Those who have passed all the three examinations i.e,
(1) Broad Based Basic Training (BBBT), (2) Advance Module, (3) Specialized Module.
As certified by the industries in Information Technology sector, Production and Manufacturing Sector, Electrical Sector, and Automobile sector are eligible for admission under Lateral Entry Scheme.
Abbr: CoE: Center of Excellence
Note :
1. All the candidates will have to produce the proof of having acquired minimum prescribed qualification at the time of admission otherwise their candidature will be cancelled. ITI student who has already appeared for his/her final exam has to submit his/her passed certificate / mark sheet on or before 30/11/2018 otherwise his / her admission stands cancelled.
2. Candidates who were earlier expelled or rusticated from any of the Institutes of Technology /Polytechnics / Institutes, are not eligible for fresh admission.
3. The subject “Science” is specific for the subjects of Physics, Chemistry and/or Biology /Natural Science but does not include Home Science, etc.

4. The criteria for deciding the State Code of Eligibility of the candidate for CET-2018, who have passed/appeared in the qualifying examination through National Institute of Open Schooling, will be the location of the study centre (school). The candidate must have got himself/herself registered with any school in Delhi for this purpose. The candidates who have passed/appeared in the qualifying examination through the schools located outside Delhi will be treated as outside Delhi candidates for admission for the year 2018-19.
5. The candidates who have passed their qualifying exam through Patrachar / Correspondence shall have to produce proof of residence for verifying the State Code of Eligibility.

B. VOC Programmes:-

Programme		Trades	Eligibility
B.VOC	1	Software Development	A. For Applied Arts and Interior Design Specialization Only for girl/ female candidates
	2	Construction Technology	Pass in 12th Class of 10+2 pattern of CBSE with English as a subject of study (core/elective/functional; in the qualifying examination. Provided the candidate has passed in each subject separately.
	3	Automobile	OR
	4	Power Distribution and Management	10+2 year ITI in relevant discipline
	5	Interior Design	OR
	6	Applied Arts	Three year diploma in any discipline
	7	Printing and Publishing	OR
			NSQF Level IV in relevant discipline
			B. For Automobile, Construction Technology, Power Distribution Management, Printing & Publishing, Software Development Specialization

Programme	Trades	Eligibility
		Pass in 12th Class of 10+2 pattern of CBSE with English as a subject of study (core/elective/functional) in the qualifying examination. Provided the candidate has passed in each subject separately. OR 10+2 year ITI in relevant discipline OR Three year diploma in any discipline OR NSQF Level IV in relevant discipline The admissions would be based on the merit list prepared on the basis of qualifying degree marks. Note: Candidates with Diploma in Architecture are not eligible.

World Class Skill Centre

VivekVihar, Delhi-110095
E-mail: wcscdelhi@hotmail.com
Tel: 011-22144897, 22144948

Sl. No.	Course Name	Eligibility
1	HOSPITALITY OPERATIONS	Passed Class XII under 10 + 2 system of education or its equivalent with. English as a subject and with at least, minimum passing marks in English and Knowledge of Microsoft Office, Equipped with at least basic communication and analytical skills.ANDPassed Class X with English and Mathematics as subjects with at least minimum passing marks in these subjects.
2	RETAIL SERVICES	Passed Class XII under 10+2 system of education or its equivalent with English as. a subject and with at least minimum passing marks in English and Knowledge of Microsoft Office, Equipped with at least basic communication and analytical skills.ANDPassed Class X with English and Mathematics as subjects with at least minimum passing marks in these subjects.Note: The candidate having Mathematics as a subject in 12th standard shall be given weightage of 10% of marks scored in Mathematics.
3	WEB DEVELOPER	Passed Class XII under 10+2 system of education or its equivalent with English and Mathematics as • subjects and with at least minimum passing marks in these subjects and Knowledge of Microsoft

Sl. No.	Course Name	Eligibility
		Office, Equipped with at least basic communication and analytical skills.ANDPassed Class X with English and Mathematics as subjects, with at least minimum passing marks in these subjects.Note: Applicants with Science background / Information Technology / Computer Science in class XII would be preferred
4	FINANCE EXECUTIVE	Passed Class XII under 10+2 system of education or its equivalent with English as a subject and with at least minimum passing marks in , English and Knowledge of Microsoft Office, Equipped with at least basic communication and analytical skills.,. AND '.Passed Class X with English and Mathematics as subjects, with at least minimum passing marks in these subjects.

34. श्री : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं तकनीकी विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या डूसिब के बस्ती विकास केन्द्रों का प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा के लिए उपयोग किया जा सकता है; और

(ग) अब तक इस विधानसभा क्षेत्र से कितने नागरिक लाभान्वित हुए हैं?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग वर्ष 2007 से स्थापित है जिसके अंतर्गत विभिन्न दीर्घकालिक और अल्पकालिक पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं। वर्ष 2017–18 में दीर्घकालिक पाठ्यक्रम (3 व 4 वर्ष डिप्लोमा) में कुल 138 प्रशिक्षुओं का दाखिला किया गया तथा वर्ष 2018–19 में अब तक कुल 142 प्रशिक्षुओं का दाखिला किया गया है। जिसमें से 85 प्रतिशत प्रशिक्षु दिल्ली (वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र समेत) से लिए गए हैं। अल्पकालिक पाठ्यक्रम में वर्ष 2017–18 में कुल 313 प्रशिक्षुओं तथा 2018–19 (जून, 2018 तक) में 90 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ अूल इंजीनियरिंग तथा सोसाइटी फॉर सेल्फ इम्प्लॉइमेन्ट के अंतर्गत कौशल विकास केन्द्र खोलने की योजना है;

(ख) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है; और

(ग) उपरोक्त (क) के अनुसार।

35. श्री सोमनाथ भारती : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विभाग की क्या योजनाएं हैं विगत दस वर्षों में किन योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू किया गया है और आगामी दो वर्ष में किन योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू किया जाना है;

(ख) कृपया उक्त के सम्बन्ध में सम्पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराएं, साथ ही यदि उक्त योजनाओं का कोई ऑडिट किया गया है तो उसका और

इन योजनाओं के लिए स्वीकृत बजट व व्यय की गयी धनराशि का विवरण क्या है;

(ग) स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों में कला—संस्कृति सम्बन्धी प्रतिभा की पहचान के लिए क्या विभाग की कोई योजना है, यदि हां तो विवरण दें;

(घ) दिल्ली में विभिन्न राज्यों के निवासियों के होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रश्नकर्ता सदस्य ने विभाग को दो वर्षों पहले सुझाव दिया था कि प्रति वर्ष एक दिन किसी एक—एक राज्य को समर्पित करके मनाया जाये, जैसे केरल दिवस आदि;

(ङ) क्या विभाग ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है; यदि हाँ तो विवरण दें;

(च) कृपया विभाग द्वारा चलाई जाने वाली सभी भाषा अकादमियों की सूची तथा उनकी परफॉरमेंस ऑडिट रिपोर्ट, वर्तमान कार्यसमिति तथा विगत दस वर्षों में इस अकादमियों द्वारा किये गए कार्यक्रमों के विवरण सहित सम्पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराएं।

(छ) वर्ष 2014 के बाद से कितनी नई भाषा अकादमियाँ बनाई गई हैं और उनके क्रियाकलापों तथा कार्यसमितियों के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है, क्या मैथिली, भोजपुरी और सराइकी भाषा की अकादमियां पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं;

(ज) यदि नहीं, तो ये कब तक स्थापित कर दी जाएगी और इनकी स्थापना में क्या रूकावटें हैं; और

(झ) समाज में शांति एवं सौहार्द के लिए बहुत पुराने समय से 'ध्यान' की भूमिका महत्वपूर्ण रही है और वर्ष 2013–14 में अपने मंत्रित्व काल में मैंने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सभी धर्मों व सम्प्रदायों के लोगों के लिए ध्यान केंद्र बनाये जाने का प्रस्ताव रखा था, क्या इस प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई हुई है।

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विभाग की पिछले दस वर्षों की योजनाओं का विवरण निम्न है किन्तु इन योजनाओं को पिछले वर्ष ही लाया गया है :

(1) एक भारत श्रेष्ठ भारत

(2) गैर सरकारी संस्थानों को वित्तीय सहायता

आगामी दो वर्षों की योजनाओं का विवरण निम्न है :

1. नयी भाषा अकादमियों का गठन;
2. सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए विधान सभा क्षेत्र के अनुसार निधि;
3. नुक्कड़ नाटक व प्रदर्शन कला;
4. नृत्य व गायन की राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज;
5. कार्यक्रम अधिकारियों की अनुबंध आधार पर नियुक्ति;
6. एक भारत श्रेष्ठ भारत;

7. गैर सरकारी संस्थानों को वित्तीय सहायता;

(ख) 1. एक भारत श्रेष्ठ भारत;

2. गैर सरकारी संस्थानों को वित्तीय सहायता;

योजनाओं के लिए स्वीकृत बजट वर्ष 2017–18 के लिए रु. 50–50 लाख व 2018–19 के लिए रु. 75–75 लाख है;

इन योजनाओं के लिए स्वीकृत बजट वर्ष 2018–19 के लिए निम्न है :

1. नयी भाषा अकादमियों का गठन–रु. 500.00 लाख;
2. सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए विधान सभा क्षेत्र के अनुसार निधि–रु. 1750.00 लाख;
3. नुक्कड़ नाटक व प्रदर्शन कला–रु. 600.00 लाख;
4. नृत्य व गायन की राज्य स्तीय प्रतिभा खोज – रु. 500.00 लाख;
5. कार्यक्रम अधिकारियों की अनुबंध आधार पर नियुक्ति – रु. 100. 00 लाख;

किन्तु योजनाएं लागू नहीं की जा सकी अतः व्यय, ऑडिट का प्रश्न ही नहीं है;

(ग) स्कूल जाने वाले विद्यार्थी भी निम्न योजनाओं में भाग ले सकते हैं : 1. नुक्कड़ नाटक व प्रदर्शन कला

2. नृत्य व गायन की राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज;

3. एक भारत श्रेष्ठ भारत;

(घ) से (च) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

क.सं. एवं भा. विभाग : हिंदी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, संस्कृत, मैथिली–भोजपुरी अकादमी

साहित्य कला परिषद् : सम्बन्धित नहीं है।

हिंदी अकादमी : हिन्दी अकादमी, दिल्ली का परफार्मेन्स ऑडिट नहीं किया गया है। वर्तमान संचालन समिति का विवरण संलग्न है। पिछले 10 वर्षों के कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न है।

उर्दू अकादमी : गत वर्षों में उर्दू अकादमी, दिल्ली का कोई परफॉरमेंस ऑडिट नहीं हुआ तथा वर्तमान में उर्दू अकादमी, दिल्ली की कोई कार्य समिति गठित नहीं है तथा विगत दस वर्षों में उर्दू अकादमी द्वारा किये गए कार्यक्रमों के विवरण सहित सम्पूर्ण ब्यौरा सूची संलग्न है;

पंजाबी अकादमी : पंजाबी अकादमी द्वारा गत 10 वर्षों में आयोजित किये गए कार्यक्रमों की सूची संलग्न है;

सिंधी अकादमी : वर्तमान कार्यसमिति की सूची (अनुलगंक–ख) में संलग्न है। पिछले दस वर्षों में सिंधी अकादमी द्वारा किए गए कार्यक्रमों का विवरण (अनुलगंक–ग) में संलग्न है।

मैथिली–भोजपुरी अकादमी : संलग्न है;

संस्कृत अकादमी : अकादमी का अभी तक कोई परफॉरमेंस ऑडिट नहीं कराया गया। अकादमी द्वारा पिछले 10 वर्षों में किये गए कार्यक्रमों द्वारा पिछले 10 वर्षों में किये गए कार्यक्रमों की सूची व वर्तमान कार्य समिति की सूची संलग्न है;

डा. गोस्वामी गिरधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम : पिछले दस वर्षों में किये गए कार्यक्रमों की सूची संलग्न है। वर्तमान कार्यसमिति की सूची संलग्न–1 है।

(छ) वर्ष 2014 के बाद से कोई भाषा अकादमी नहीं बनाई गई है; वर्ष 2008 में मैथिली–भोजपुरी अकादमी, दिल्ली की स्थापना हुई है। हालांकि विभाग द्वारा 15 नई अकादमियों का गठन विचाराधीन है। सराईकी भाषा की कोई अकादमी नहीं बनाई गई है;

(ज) उपरोक्तानुसार; और

(झ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

36. श्री पंकज पुष्कर : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार की भाषा अकादमियां अपनी–अपनी भाषा से सम्बन्धित अलग–अलग पुस्तकालयों का संचालन करती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार देश के बहुभाषीय स्वरूप के मद्देनजर नागरिकों को एक–दूसरे की भाषा, साहित्य और समाज से रूबरू करने

के उद्देश्य से सभी भाषाओं के संयुक्त पुस्तकालय चलाने की योजना पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हाँ, उसका पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय उपपमुख्यमंत्री : (क) जी हाँ। भाषा विभाग के अंतर्गत अलग–अलग भाषाओं की निम्नलिखित 06 अकादमियां बनी हैं जो तत्सम्बन्धी भाषाओं के पुस्तकालयों का संचालन करती हैं : हिंदी अकादमी, पंजाबी अकादमी, उर्दू अकादमी, संस्कृत अकादमी, सिंधी अकादमी, मैथिली–भोजपुरी अकादमीः

(ख) सभी पुस्तकालयों में विभिन्न भाषाओं की पुस्तकें उपलब्ध रहती हैं; और

(ग) सभी पुस्तकालयों में विभिन्न भाषाओं की पुस्तकें उपलब्ध रहती हैं।

37. श्री प्रवीण कुमार : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संस्कृत अकादमी द्वारा वर्ष 2011–12 से 2017–18 तक स्थायी और परामर्शदाता के पदों के लिए कुल कितने विज्ञापन कब–कब दिए गए, उन प्रचार माध्यमों के नाम जिनमें यह विज्ञापन दिए गए हैं;

(ख) वेतनमान सहित विज्ञापित पद के आर.आर. और पद के मानकों का विवरण क्या है;

(ग) प्रत्येक पद के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या और उनका पूर्ण विवरण क्या है;

(घ) उम्मीदवारों के चयन के आधार पर विवरण;

(ङ) उम्मीदवारों के चयन और उन्हें कार्य पर रखने की स्वीकृति देने वाले अधिकारियों के नाम;

(च) कुल भरे गए पदों की संख्या; और

(छ) रिक्त पड़े या समाप्त हो गए पदों की संख्या?

उपमुख्यमंत्री : (क) संस्कृत अकादमी द्वारा इस प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं दिया गया है;

(ख) लागू नहीं;

(ग) लागू नहीं;

(घ) लागू नहीं;

(ङ) लागू नहीं;

(च) लागू नहीं; और

(छ) संस्कृत अकादमी में रिक्त पदों की संख्या : 15

38. श्री प्रवीण कुमार : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोजपुरी–मैथिली अकादमी द्वारा वर्ष 2011–12 से 2017–18 तक स्थायी और परामर्शदाता के पदों के लिए कुल कितने विज्ञापन कब–कब दिए गए, उन प्रचार माध्यमों के नाम जिनमें यह विज्ञापन दिए गए हैं;

(ख) वेतनमान सहित विज्ञापित पद के आर.आर. और पद के मानकों का विवरण क्या है;

(ग) प्रत्येक पद के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या और उनका पूर्ण विवरण क्या है;

(घ) उम्मीदवारों के चयन के आधार पर विवरण;

(ङ) उम्मीदवारों के चयन और उन्हें कार्य पर रखने की स्वीकृति देने वाले अधिकारियों के नाम;

(च) कुल भरे गए पदों की संख्या; और

(छ) रिक्त पड़े या समाप्त हो गए पदों की संख्या?

उपमुख्यमंत्री : (क) **मैथिली–भोजपुरी अकादमी** द्वारा वर्ष 2011–12 से 2017–18 तक स्थायी और परामर्शदाता के पदों के लिए कोई भी विज्ञापन नहीं दिया गया था;

(ख) उपरोक्तानुसार;

(ग) उपरोक्तानुसार;

(घ) उपरोक्तानुसार;

(ङ) उपरोक्तानुसार;

(च) उपरोक्तानुसार; और

(छ) मैथिली–भोजपुरी अकादमी में रिक्त पदों की संख्या : 07

39. श्री प्रवीण कुमार : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्काइव्स द्वारा वर्ष 2011–12 से 2017–18 तक स्थायी और परामर्शदाता के पदों के लिए कुल कितने विज्ञापन कब–कब दिए गए, उन प्रचार माध्यमों के नाम जिनमें यह विज्ञापन दिए गए हैं;

(ख) वेतनमान सहित विज्ञापित पद के आर.आर. और पद के मानकों का विवरण क्या है;

(ग) प्रत्येक पद के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या और उनका पूर्ण विवरण क्या है;

(घ) उम्मीदवारों के चयन के आधार का विवरण;

(ङ) उम्मीदवारों के चयन और उन्हें कार्य पर रखने की स्वीकृति देने वाले अधिकारियों के नाम;

(च) कुल भरे गए पदों की संख्या;

(छ) रिक्त पड़े या समाप्त हो गए पदों की संख्या?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) आर्काइव्ज विभाग द्वारा वर्ष 2011–12 से 2017–18 तक स्थायी और परामर्शदाता के पदों के लिए कोई भी विज्ञापन नहीं दिया गया। हालांकि विभाग ने रिक्त पदों को भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को पत्र दिनांक 10.09.2015 को सूचित किया;

(ख) लागू नहीं;

(ग) लागू नहीं;

(घ) लागू नहीं;

(ङ) लागू नहीं;

(च) 03, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा; और

(छ) आर्काइव्ज विभाग में रिक्त पदों की संख्या : 19

40. श्री प्रवीण कुमार : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नुक्कड़ नाटक/स्ट्रीट आर्ट के लिए स्कालरशिप योजना की स्थिति क्या है;

(ख) इस स्कीम से कौन–कौन से कलाकार या समूह लाभान्वित हुए हैं;

(ग) नए कलाकारों को प्रशिक्षण देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के नाम?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) **साहित्य कला परिषद्** द्वारा इस पर कार्य किया जा रहा है;

(ख) उपरोक्तानुसार;

(ग) उपरोक्तानुसार; और

(घ) उपरोक्तानुसार।

41. श्री अनिल वाजपेयी : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी अकादमी द्वारा वर्ष 2011–12 से 2017–18 तक स्थायी और परामर्शदाता के पदों के लिए कुल कितने विज्ञापन कब–कब दिए गए, उन प्रचार माध्यमों के नाम जिनमें यह विज्ञापन दिए गए हैं;

(ख) वेतनमान सहित विज्ञापित पद के आर.आर. और पद के मानकों का विवरण क्या है;

(ग) प्रत्येक पद के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या और उनका पूर्ण विवरण क्या है;

(घ) उम्मीदवारों के चयन के आधार पर विवरण;

(ङ) उम्मीदवारों के चयन और उन्हें कार्य पर रखने की स्वीकृति देने वाले अधिकारियों के नाम;

(च) कुल भरे गए पदों की संख्या; और

(छ) रिक्त पड़े या समाप्त हो गए पदों की संख्या?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) हिंदी अकादमी द्वारा इस प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं दिया गया है;

(ख) लागू नहीं;

(ग) लागू नहीं;

(घ) लागू नहीं;

(ङ) लागू नहीं;

(च) हिंदी अकादमी में रिक्त पदों की संख्या : 15

42. श्री राजेश गुप्ता : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाबी अकादमी द्वारा वर्ष 2011–12 से 2017–18 तक स्थायी और परामर्शदाता के पदों के लिए कुल कितने विज्ञापन कब–कब दिए गए, उन प्रचार माध्यमों के नाम जिनमें यह विज्ञापन दिए गए हैं;

(ख) वेतनमान सहित विज्ञापित पद के आर.आर. और पद के मानकों का विवरण क्या है;

(ग) प्रत्येक पद के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या और उनका पूर्ण विवरण क्या है;

(घ) उम्मीदवारों के चयन के आधार का विवरण;

(ङ) उम्मीदवारों के चयन और उन्हें कार्य पर रखने की स्वीकृति देने वाले अधिकारियों के नाम;

(च) कुल भरे गए पदों की संख्या; और

(छ) रिक्त पड़े या समाप्त हो गए पदों की संख्या?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) पंजाबी अकादमी द्वारा वर्ष 2011–12 से 2017–18 तक स्थायी और परामर्शदाता के पदों के लिए कोई विज्ञापन नहीं दिया गया है;

(ख) लागू नहीं;

(ग) लागू नहीं;

(घ) लागू नहीं;

(ङ) लागू नहीं;

(च) लागू नहीं; और

(छ) पंजाबी अकादमी में रिक्त पदों की संख्या : 38।

43. श्री राजेश गुप्ता : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साहित्य कला परिषद् द्वारा लोक कला योजना के अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रमों की स्थिति क्या है;

(ख) पिछले 5 वर्षों में इन कार्यक्रमों में कार्य करने वाले कलाकारों की सूची क्या है;

(ग) पिछले 5 वर्षों में प्रत्येक लोक कला कार्यक्रम पर व्यय की गई धनराशि का विवरण क्या है; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उत्तर दायी अधिकारियों के नाम क्या हैं?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) साहित्य कला परिषद् पूरे वर्ष विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है;

(ख) लोक कला के कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए साहित्य कला परिषद् द्वारा सन् 2014 से कलाकार व कलाकार दलों को पैनल में लिया गया है जिसकी सूची संलग्न है;

(ग) प्रति कार्यक्रम प्रति कलाकार या कलाकार ग्रुप को रु. 10 से 25 हजार तक का भुगतान किया जाता है। साहित्य कला परिषद् द्वारा पिछले 5 वर्षों में लोक कला कार्यक्रमों पर व्यय की गई धनराशि का वर्षवार विवरण निम्नलिखित है :

1. वर्ष 2013—14—रु. 3913899/—
2. वर्ष 2014—15—रु. 8110180/—
3. वर्ष 2015—16—रु. 6200114/—
4. वर्ष 2016—17—रु. 9117654/—
5. वर्ष 2017—18—रु. 6619255/—

(घ) श्री विनीत पालीवाल, कार्यक्रम अधिकारी, साहित्य कला परिषद्

साहित्य कला परिषद्

43(ख)

List of Empanlled artists/troupes/agencies for engagement in cultural programmes under Lok Kala Vibhag by Sahitya Kala Parishad.

SI.No	Music (Folk)	Grade (A)
1.	Rehmat Khan Langa	
2.	Sania Musical Group	
3.	Sharmila Pandy	
4.	Anjuman Goyal	
	Dance (Folk)	
1.	Khushi Kala Manch	(A)
2.	Shaym Art	(A)
3.	Pratibha Kala Kendra	(A)
4.	Ravinder Kaur	(A)
5.	Kanika Creation	(A)
6.	Okneral Cultural Troupe	(A)
7.	Brai Lok Mauch	(A)
8.	Preeti	(A)
9.	Nupur Kala Kendra	(A)

SI.No	Music (Folk)	Grade (A)
10.	Bhartiya Kala Manch	(A)
11.	Manipuri Cultural Troupe	(A)
12.	Sukhvinder Singh	(A)
13.	Thiyam Manileima Devi	(A)
14.	Mayur Mudra	(A)
15.	Subhash Nagara	(A)
16.	Shruti Rangmanch	(A)
17.	Kuljeet Singh	(A)
18.	Naresh Singh	(A)
19.	Meeta Arts	(A)
20.	Charkula Arts Academy	(A)
21.	Natras Cultural Group	(A)
22.	Pushpanjali	(A)
23.	Sarswati Art	(A)
24.	T.H Sarat Chandra Singh	(A)
25.	Grace Entertainer	(A)
26.	Prachi Kala Sangam	(A)
27.	Shampa Art	(A)
28.	Annapurna’s Indian Ragaas	(A)

SI.No	Music (Folk)	Grade (A)
29.	Anshu Art	(A)
30.	Natraj Creatin	(A)
31.	Bhartiya Kala Mandai (6) Satvinder	(A)
32.	Subhash Goyal,	(A)
33.	Suresh Chandra Vyas	(A)
34.	Veena vyas	(A)
35.	Jaimala Art	(A)
36.	Badshah Art	(A)
37.	Himanshi Art	(B)
38.	Parikalpna Art	(B)
39.	Himalaya Art	(B)
40.	Saranga Art	(B)
	Music (Semi Classical)	
1.	Piyusha Kailash Anuj	(A)
2.	Sufi Bawra	(A)
3.	Sakha Creation	(B)
4.	Deepak Sharma	(B)
5.	Mahender pal	(B)
6.	Abdul Hamid Khan	(B)

SI.No	Music (Folk)	Grade (A)
	Dance (Classical Based)	
1.	Ras Raj Foundation (Swati Sinha)	Group
2.	Anjana Kumari	Group
3.	Aditi Bhattasali	Group
4.	Parveen Parihar	Group
5.	Deepti Gupta	Group
6.	Amit Khichi	Group
7.	Urvashi Dance, Music, Art, Social & Cultural Academy	Group
8.	Punita Sharma	Group
9.	Mahender Parihar	Group
	Others (Magic etc.)	
1.	M.S. Zimbo & Party	
2.	Choo Mantar & Party	
3.	Mayajaal,	

44. श्री सुखवीर सिंह दलाल : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में नालों के किनारे की सड़कों को पक्का क्यों नहीं किया जा रहा;

(ख) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा दिनांक 10–2–2014 के बाद कितनी लंबाई की सड़कों तथा गलियों का निर्माण किया गया है;

(ग) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा दिनांक 10–2–2014 के बाद कितनी लंबाई की नालियों का निर्माण किया गया है;

(घ) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा दिनांक 10–2–2014 के बाद कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ङ) क्या दिल्ली के सभी या कुछ पार्कों का हस्तांतरण दिल्ली नगर निगम को कर दिया गया है;

(च) यदि हां तो एतद् संबंधी आदेश की प्रति उपलब्ध कराएँ?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) इस विभाग ने कुछ स्थानों पर नालों की सफाई हेतु भारी मशीनरी की आवश्यकता होती है जिसके चलने से पक्की सड़क खराब हो जाती है एवं नाले से निकाली गई गाद को उठाने के लिए भी मशीन चलानी पड़ती है अतः पक्का करना उचित नहीं है।

(ख) इस विभाग द्वारा मुंडका विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 10–2–2014 के बाद विधायक निधि एवं ग्रामीण विकास विभाग फंड द्वारा लगभग 46677 मीटर लंबी सड़कों एवं गलियों का निर्माण किया गया है।

(ग) इस विभाग द्वारा मुंडका विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 10–2–2014 के बाद विधायक निधि एवं ग्रामीण विकास विभाग फंड द्वारा लगभग 25741 मीटर लंबाई की नालियों का निर्माण किया गया है।

(घ) इस विभाग द्वारा मुंडका विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 10–2–2014 के बाद विधायक निधि एवं ग्रामीण विकास विभाग फंड द्वारा लगभग 6174. 29 लाख रुपये खर्च किए गए।

(ङ) यह प्रश्न इस विभाग से संबंधित नहीं है।

(च) उपरोक्तानुसार।

45. श्री राजेश गुप्ता : क्या **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा वजीरपुर विधानसभा में जनवरी, 2015 से आज तक कौन–कौन से कार्य किए गए हैं;

(ख) वजीरपुर विधानसभा से निकले हुए नाले में सफाई के लिए विभाग ने क्या–क्या कार्य किया है; और

(ग) वजीरपुर गांव में पड़ने वाली अनाधिकृत गलियों को बनाने की सरकार की क्या कार्य योजना है?

माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री : (क) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में जनवरी, 2015 से आज तक कराए गए कार्यों का विवरण अनुलग्नक–क में संलग्न है;

(ख) इस विभाग द्वारा वजीरपुर विधानसभा निकले हुए नजफगढ़ नाले की सफाई एवं गाद निकालने का कार्य विभागीय मशीनों द्वारा किया गया;

(ग) वजीरपुर गांव अनाधिकृत कालोनी जिसका पंजीकरण नं. 98 है,

के विषय में डी.एस.आई.आई.डी.सी. ने सूचित किया है कि इस अनाधिकृत कालोनी का विकास कार्य 14–10–2016 को समाप्त हुआ है। स्टेटस रिपोर्ट की प्रतिलिपि अनुलग्नक–ख में संलग्न है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में और कोई योजना नहीं है।

अनुलग्नक–'क'

सिविल खण्ड–II

क्र.सं.	वित्त वर्ष		कार्य का नाम
1.	2015–16	1.	डी.टी.डी. कैनाल के कन्हैया नगर से डी.टी.डी. आखिरी बिन्दु तक साल 2015 में छट पूजा का इन्तजाम करना।
		2.	डी.टी.डी. कैनाल प्रेमबाड़ी पुल से कन्हैया नगर तक साल 2015 में छठ पूजा का इन्तजाम करना।
2.	2016–17	1.	डी.टी.डी. कैनाल के कन्हैया नगर से डी.टी.डी. आखिरी बिन्दु तक साल 2016 में छट पूजा का इन्तजाम करना।
		2.	डी.टी.डी. कैनाल प्रेमबाड़ी पुल से कन्हैया नगर तक साल 2016 में छट पूजा का इन्तजाम करना।
3.	2017–18	1.	डी.टी.डी. कैनाल के साथ, प्रेमवाड़ी पुल से इन्द्रलोक मेट्रो स्टेशन तक अस्थाई छट पूजा घाट का निर्माण कार्य।
		2.	वजीरपुर विधान सभा के जेलर पार्क, अशोक नगर में अस्थाई छठ पूजा घाट का निर्माण कार्य।

अनुलग्नक–'ख'

DELHI STATE INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE DEV. CORPN. LTD.
PLOT NO.74A, SECOND FLOOR
RING ROAD LAJPAT NAGAR-III, DELHI-110024
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (CD)-VII

No. DSIIDC/EE (CD-07)/2017-18/563 Dated: -20.02.2018

To

Sh. Sudheer Kumar Arya,
Executive Engineer (CD-II),
Irrigation & Flood Control Deptt.,
Manohar Park, East Punjabi Bagh,
New Delhi-110026.

Subject: Development work in Unauthorized Colonies.

Sir,

With reference to your letter no. EE/CD-II/W-27/2017-18/32 dated. 08.02.2018 and letter no. CEF/P&D/U.G. (UD)/2017-18/1303-11 dated 01.02.2018, the status of work, m following Assembly Constituencies are as under:-

Sl. No.	Assembly Constituencies	Name of Unauthorized Colony	Status/Remarks
1	2	3	4
1	Patel Nagar (AC-24)	Construction of Road & Strom water drain at Anand Parbat Delhi (Regn. 1094/1797). Construction of Road & Strom water drain at Baljeet Nagar Extn. (Regn. No. 1178)	No work ever taken by this division in Patel Nagar.

1	2	3	4
		Construction of Road & Strom water drain at Prem Nagar West Patel Nagar (Regn. No. 310).	
		Construction of Road & Strom water drain at Punjabi Basti (Regn. No. 266)	
		Construction of Road & Strom water drain at Rajesthani Colony (Regn No. 213).	
		Construction of Road & Strom water drain at Ranjit Nagar West Patel Nagar (Regn No.13941	
		Construction of Road & Strom water dram at Baljeet nagar West Patel Nagar (Regn. No. 21 LOP).	
2	Timarpur (AC-03)	Construction of Road & Strom water drain at Christian Colony, Patel Chest, Delhi-07 (Regn. No. 487).	No work ever taken by this division in Timarpur
3.	Model Town	Construction of Road & Strom water drain at Nanak Piao Factory owner Association (Regn No LOP-62).	No work taken by this division in Model Town
		Construction of Road & Strom water drain at Malikour Chhawni De!hi-09 Mahendru Enclave (Regn. No. ELD-10T).	

1	2	3	4
4	Chandni Chowk (AC-20)	Construction of Road & Strom water dram at Parvana lane under Hill Road Delhi 54 (Regn. No 795).	No work ever taken by this division in Chandni Chowk
5	Wazirpur (AC-17)	Construction of Road & Strom water drain at Wazirpur Extension (Village Ashok Vihar) (Regn. No. 346)	No work ever taken by this division in Wazirpur
		Construction ot Road & Strom water drain at Wazirpur Village Ashok Vihar Phase I (Regn. No. 98).	DSIDC has done the development work (Regd. No (ELD-98) and the work was completed on 14 10.2016 completion plan enclosed
6	Sultanpur Mazra (AC-10)	Construction of Road at Frineds Enclave (Regn. 567) Sultanpur Majra (AC-10)	No work ever taken by this division in Sultanpur Mazra
		Construction of Road ot Frineds Enclave West Sector-5 & 6 (Regn. 567-A) Sultanpur Majra (AC-10)	
		Raj Park Sultanpuri (Regn. No. 576)	
		Friends Enclave East Block	
		Friends Enclave Sultanpuri Extn. East-Block-A Sultanpuri	

Encl:

(1) Completion plan as above.

A.K. Sinha

EE(CD-07)

46. सुश्री भावना गौड़ : क्या **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा पालक विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2015 से 2018 तक कौन–कौन से कार्य किए गए हैं;

(ख) प्रत्येक कार्य पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा पालम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत किये जाने वाले कौन–कौन से कार्य पाइप लाइन में हैं; अनुमानित लागत सहित उन कार्यों का पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सत्य है कि द्वारकापुरी विजय एन्कलेव में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के दो बारातघर हैं;

(ङ) यदि हां, तो ये बारातघर कब बनाये गये थे और उन्हें किसके द्वारा चलाया जा रहा है;

(च) क्या ये बारातघर सरकार के नियमानुसार चलाए जा रहे हैं;

(छ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री : (क) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा पालम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2015 से 2018 तक कराये गए कार्यों का विवरण सूची–क में संलग्न है;

(ख) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा पालम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत किए गए कार्यों के व्यय का विवरण सूची–क में संलग्न है;

(ग) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा पालम विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य पाईप लाइन में है, उनका विवरण अनुमानित लागत सहित सूची–ख में संलग्न है;

(घ) जी नहीं;

(ङ) उपरोक्त घ के अनुसार;

(च) उपरोक्तानुसार;

(छ) उपरोक्तानुसार; और

(ज) उपरोक्तानुसार।

अनुलग्नक—क

List of work executed during of year 01.04.2015 to 31.03.2018 in Palam Assembly Constituency in respect of Civil Division No. 1

Sl. No.	Name of work	AA & E/S amount	Date	Award amount and agency	Stipulated date of start	Stipulated date of completion/ likely to be	Total upto date physical progress	Total upto date expdr. on the	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ms. Bhavna Gaur, Palam Assembly Constituency, (MLA LAD Fund)									
1	Providing and fixing 100 Nos stainless steel dustbin for various public places in Palam Assembly Constituency (AC-37).	7.21	22.11.16	M/s Shivam builders 6.04	31.01 17	01.03.17	100%	7.10	Work completed
2	Providing and fixing children play equipment at NPSC CGHS Ltd. & Mandakani Apartment Sector-2 Dwarka in Palam Assembly Constituency of District South-West	33.77	10.12.16	M/s Arihant Industrial Corp. Ltd. 26.95	22.03.17	20.05.17	100%	16.51	Work completed

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Providing and fixing children play equipment at Pragya Apartment & Joy Apartment Sector-2 Dwarka in Palam Assembly Constituency (AC-37).	33.77	10.12.15	M/s Arihant Industrial Corp. Ltd. 26.95	22.03.17	20.05.17	100%	1658	Work completed
4	Providing and fixing of stone benches (100 Nos.) in Rishi apartment, Kamal Vihar Society. Harkhush. Media society, Dada Dev Mandir, Palam Village, Air Force and Naval officers, NPSC CGHS Apparvnent	22.66	04.01.17	M/s DNP Const. Pvt. Ltd. 12.06	-	-	100%	11.18	Work completed
5	Providing and fixing of stone benches (100 Nos.) in Prayaga Society Joy Society, DDA SFS Flat Pocket 2 Sec. 1. SB Youth CGHS Apparvnent. NPSC CGHS Aptt. Mandakani Aptt. Pakoda Park Sadh Nagar. St. Columbas Aptt.	23.59	04.01.17	M/s DNP Const Pvt. Ltd. 12.15	08.03.17	06.05.17	100%	11.52	Work completed
6	Providing and fixing of garden	12.88	01.03.17	M/s Abhishek	02.06.17	01.08.17	100%	12.67	Work

bench (Victorian) for variousplaces at Sargoda Aptt. Sec 7, Shtv Bhole Housing Society, Sidharth Kunj. Asha Deep Society, Nav Nirman Society, Meghdoot Society. Brahma andKhattar Society in Palam AC-37	Enterprises 9.25	completed

List of works which is A/A & E/S Awaited, Ms. Bhavna Gaur 'MLA' Palam in respect of Civil Division No. 1

Sl. No.	Name of work	Amount (in lacs)	Date	Remarks
1	2	3	4	5
MLA LAD FUND				
1	Providing and fixing of main gate for Assembly Constituency Office AC-37 in existing premises of Veterinary Hospital at village Palam.	1.53	28.10.15	Scheme sent to Dy. Dir.(U.D) vide letter No. EE/ CD-l/Scheme/15-16/5578-79 dated 28.10.15. A/A & E/S awaited.
2	Providing and fixing of split AC in Harijan chaupal (Ambedkar Bhawan) in village Palam of Palam Assembly Constituency-37.	7.48	23.08.16	Scheme sent to the Chairman (DUDA) S/W vide letter No. EE/ CD-l/Scheme/ 16-17/4604-09 dated 23.08.16. A/A & E/S awaited.

1	2	3	4	5
3	Providing and fixing of stone benches of size 26"x76"x14" in various places in Palam Assembly Constituency-37.	23.69	28.09.16	Scheme sent to the Chairman (DUDA) S/W vide letter No. EE/ CD-l/Scheme/ 16-1 7/5605-06 dated 28.09.16. A/A & E/ S awaited.
4	Providing and fixing of stone benches for various places in Palam Assembly Constituency-37.	22.66	29.09.16	Scheme sent to the Chairman (DUDA) S/W vide letter No. EE/ CD-l/Scheme/ 16-17/5621-26 dated 29.09.16. A/A & E/S awaited.
5	Providing and fixing Open Gym equipment in the parks at (J.J. Colony, Sec- 1, Dwarka, New Delhi), (D.D.A Park, Sec-2, Dwarka, New Delhi), (D.D.A SFS Flat, Pocket-1, Sec- 1, Dwarka, New Delhi).	59.35	25.02.17	Scheme sent to the Chairman (DUDA) S/W vide letter No. EE/ CD-l/Scheme/ 16-17/12231-36 dated 25.02.17. A/A & E/S awaited
6	Providing and laying of stone Benches at various Parks in Palam Assembly Constituency (AC-37).	44.00	05.06.17	Scheme sent to the Chairman (DUDA) S/W vide letter No. EE/ CD-l/Scheme/ 2017-18/1240-45 dated 05.06.17. A/A & BS awaited.
7	Providing and fixing 200 Nos. stainless steel dustbin for various public places in Palam Assembly Constituency (AC-37).	21.00	09.06.17	Scheme sent to the Chairman (DUDA) S/W vide letter No. EE/ CD-l/Scheme/ 2017-18/1379-84 dated 09.06.17. A/A & E/S awaited.

8	Providing and fixing of open Gym equipment at parks at the "Dada Dev Mandir" Palam village AC-37.	20.00	18.08.17	Scheme sent to the Chairman (DUDA) S/W vide letter No. EE/ CD-l/Scheme/ 17-18/2421-26 dated 18.08.17. A/A & EJS awaited.
9	Providing and laying Children playequipment in Sarvodaya Bal/Vidayalaya No. 1 & 2 Palam Enclave, New Delhi-110045, Sarvodaya Kanya Vidayalaya, VijayEnclave, New Delhi-110045, and stainless steel dustbin Victoria bench in parks in Palam Constituency.	73.00	18.08.17	Scheme sent to the Chairman (DUDA) S/W vide letter No. EE/ CD-l/Scheme/ 17-18/2433 dated 18.08.17. A/A & E/S awaited.
10	Providing and laying Children play equipment in Govt. Co. Ed. School, Sector-2, Dwarka, New Delhi-110075, Sarvodaya Kanya Vidayalaya No. 1 & 2 Palam, New Delhi-110045. and Stainless steel dustbin victoria bench in parks in Palam Constituency.	73.00	18.08.17	Scheme sent to the Chairman (DUDA) SAA/ vide letter No. EE/ CD-l/Scheme/ 17-18/2427-32 dated 18.08.17. A/A & E/S awaited.
11	Providing and laying Children play equipment in Govt. Girls/Boys Sr.Sec School No. 3, Palam Vihar Enclave, New Delhi-110045, (i) J.J, Colony Sector 7, (ii) Dwarka DDA park, Sector-2 (iii) Dwarka DDA park,Pocket-B Sector-7 and stainless steel dustbin, Victoria bench in parks in Palam Constituency.	74.00	18.08.17	Scheme sent to the Chairman (DUDA) S/W vide letter No. EE/ CD-1/Scheme/ 17-18/2439-44 dated 18.08.17. A/A & E/S awaited.

1	2	3	4	5
12	Providing and fixing of Retro Reflective Overhead signage Board in Palam Assembly Constituency.	6.00	30.08.17	Scheme sent to the Chairman (DUDA) SAA/ vide letter No. EE/ CD-l/Scheme/ 17-18/2829-32 dated 30.08.17. A/A & E/S awaited.
13	Providing and fixing SS indicator boards (100 Nos.) streets in AC-37 Palam Assembly Constituency through the M LA LAD fund.	18.32	13.10.17	Scheme sent to the Chairman (DUDA) S/W vide letter No. EE/ CD-l/Scheme/ 2017-18/6436-41 dated 13.10.17. A/A & E/S awaited.
14	Providing and laying Children play equipment in (i) J.J. colony park Sector 7, (ii) Dwarka DDA park, Sector-2, (iii) Dwarka DDA park, Pocket-B Sector- 7 and Stainless steel dustbin, Victoria bench in parks in Palam Constituency.	62.00	01.11.17	Scheme sent to the Chairman (DUDA) SAA/ vide letter No. EE/ CD-1/Scheme/ 2017-18/6967-72 dated 01.11.17. A/A & E/S awaited.
15	Providing and fixing Security gates (50 Nos) streets in AC-37 Palam Assembly Constituency through the M LA LAD fund	44.00	23.03.18	Scheme sent to the Dy. Dir.(UD) vide letter No. EE/ CD-l/Scheme/2017-18/ 12616-17 dated 23.03.18. A/A & E/S awaited.
16	Construction of 5 Nos. Multi court in various societies/locations in Palam Assembly Constituency.	69.73	21.05.18	Scheme sent to the Dy. Dir.(UD) vide letter No. EE/ CD-l/Scheme/2018-19/ 1227-29 dated 21.05.18. A/A & E/S awaited.

17	Construction of 5 Nos. Badmintor court in various societies/locations in Palam Assembly Constituency.	33.20	28.05.18	Scheme sent to the Dy. Director (U.D) vide letter No. EE/ CD-l/Scheme/ 2018-19/1424-26 dated 28.05.18. A/A & E/S awaited.
18	Construction of 3 Nos. Indoor Gyms equipments in various societies/locations in Palam Assembly Constituency.	64.52	15.05.18	Scheme sent to the Dy. Director(U.D) vide letter No. EE/ CD-l/Scheme/ 2018-19/1061 -62 dated i 15.05.18. A/A & E/S awaited.
19	Providing and fixing S.S benches 15 Nos. at various locations in Palam Assembly Constituency. (AC-37)	2.78	15.05.18	Scheme sent to the Dy. Director(U.D) vide letter No. EE/ CD-l/Scheme/ 2018-19/1063-65 dated 15.05.18. A/A & E/S awaited.
20	Repairing of existing boundary wall of Evergreen CGHS in Palam Assembly Constituency, AC-37.	12.34	04.07.18	Scheme sent to the Dy. Director(U.D) vide letter No. EE/CD-l/Scheme/ 2018-19/2329-31 dated 04.07.18. A/A & E/S awaited.
21	Providing and fixing S.S. benches200 Nos. at various locations in Palam Assembly Constituency, AC-37	54.69	25.07.18	Scheme sent to the Dy. Director(U.D) vide letter No. EE/ CD-l/Scheme/ 2018-19/2905-07 dated 25.07.18. A/A & E/S awaited.
SC/ST (4225 Plan)				
1	Improvement/development of Shamshan Ghat (Harijan) at village Dabri.	15.99	08.09.16	Scheme sent to Dy. Director (SCP) vide letter No. EE/CD-l/Scheme/16-17/5059-

1	2	3	4	5
				62 dated 08.09.16 and return back from SC/ST Deptt. for revised as DSR-2016.
2	Demolishing of single storey chaupaland reconstruction as four Storey Julaha chaupal at Palam village AC-37.	100.53	13.01.17	Scheme sent to SE(FC-IV) vide letter No. EE/CD-l/Scheme/16-17/10981-83 dated 13.01.17 and return back from SC/ ST Deptt. for revised as DSR-2016.
3	Demolishing of existing Double storey chaupal and reconstructionas four storey Balmiki Harijan chaupal (Badiyal) in Palam village AC-37.	111.04	13.01.17	Scheme sent to SE(FC-IV) vide letter No. EE/CD-l/Scheme/16-17/10984-86 dated 13.01.17 and return back from SC/ST Deptt. for revised as DSR-2016.
4	Demolishing of existing Double storey chaupal and reconstruction as four Storey Balmiki Chaupal (Chotiyal) in Palam village AC-37.	98.72	30.07.18	Scheme sent to Dy. Dir.(SCP) vide letter No. EE/CD-I/ Scheme/18-19/3097-4000 dated 30.07.18 A/A & E/S awaited.
5	Demolishing of single storey chaupal and re-construction as three Storey Julaha chaupal at Palam village AC-37	55.00	22.07.17 23.01.18	Scheme sent to Dy. Director (SCP) vide letter No. EE/CD-l/Scheme/17-18/2477-78 dated 22.07.17 resubmitted the scheme sent to Dy. Dir. Vide letter No. EE/CD-l/ SC/ST/2017-18/9365-66 dated 23.01.18 and return back from SC/ST Deptt. for revised as DSR-2016.

6	Demolishing of existing double storey chaupal and reconstruction as three storey Balmiki Harijan chaupal (Badiyal) in Palam village AC-37.	77.05	30.07.18	Scheme sent to Dy. Director (SCP) vide letter No. EE/CD-l/Scheme/18-19/3090-93 dated 30.07.18 A/A & E/S awaited.
7	Demolishing of existing Double storey chaupal and reconstruction as four Storey Balmiki Harijan Chaupal (Badiyal) in Palam village AC-37.	55.44	16.01.18	Scheme sent to Dy. Director (SCP) vide letter No. EE/CD-l/Scheme/17-18/9178-79 dated 16.01.18 and return back from SC/ST Deptt for revised as DSR-2016.
8	Construction of additional floor on existing Julaha chaupal at Palam village AC-37.	18.00	24.02.18	Scheme sent to Dy. Director (SCP) vide letter No. EE/CD-l/Scheme/17-18/9943-44 dated 24.02.18 and return back from SC/ST Deptt. for revised as DSR-2016.
9	Construction of additional floor on existing Julaha chaupal at Palam village AC-37.	26.78	04.06.18	Scheme sent to Dy. Director (SCP) vide letter No. EE/CD-l/Scbeme/18-19/2315 dated 04.06.18 and return back from SC/ST Deptt. for revised as DSR-2016.
RDB (4515 Plan)				
1	Repair and improvement of Barat Ghar at village Palam in Palam Constituency	78.20	15.02.18	Scheme sent to the Dy. Director videletter No. EE/CD-l/Scheme/17-18/9656 dated 15.02.18. A/A & E/S awaited.

47. श्री आदर्श शास्त्री : क्या **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक कितने विधायकों को सरकारी कार्यालय दिये गये हैं;

(ख) माननीय विधान सभा अध्यक्ष के लिखित आदेश के बावजूद अभी तक आफिस अलॉट न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) प्रश्नकर्ता विधायक को मिले अस्थाई ऑफिस को आई.एफ.सी.डी. के द्वारा क्यों और किसके आदेश पर ताला लगाया गया था;

(घ) बिना सूचना, बिना नोटिस के नौ महीने पूर्व से चल रहे एक जन प्रतिनिधि के ऑफिस में अचानक ताला लगाने के दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है;

(ङ) क्या ऐसा कृत्य जानबूझकर विधान सभा अध्यक्ष के आदेश की सरासर अवहेलना और एक जन प्रतिनिधि का अपमान नहीं है; और

(च) जनता की सुविधाओं के लिये प्रदान किये गये कार्यालय का अचानक ताला बंद किये जाने से क्षेत्रीय जनता को हुई असुविधा के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है; और

(छ) इस मामले में दोषी के विरुद्ध कार्रवाई कब तक कर दी जायेगी?

माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री : (क) इस विभाग के अंतर्गत आने वाले कोई भी भवन किसी भी विधायक को सरकारी कार्यालय हेतु नहीं दिया है;

(ख) आफिस अलॉट का अधिकार इस विभाग के कार्यक्षेत्र में नहीं है;

(ग) उपरोक्त स्थान पर ताला लगाने हेतु कोई आदेश जारी नहीं किया गया, न ही इसकी कोई लिखित सूचना दी गई;

(घ) उपरोक्तानुसार;

(ङ) उपरोक्त ख के अनुसार;

(च) उपरोक्तानुसार; और

(छ) उपरोक्तानुसार।

48. श्री गिरीश सोनी : क्या **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाबी बाग और रघुबीर नगर को जोड़ने के लिए नजफगढ़ नाले पर पुल किस विभाग द्वारा बनाया गया है;

(ख) क्या यह सत्य है कि हाल ही में बनाये गये पुल को सीधे मेहता चौक से न जोड़ कर कुछ एक दो मोड़ देकर अस्थायी रूप देकर बनाया गया है;

(ग) क्या यह पुल आगे भी इस तरह बना रहेगा या फिर आगे का कार्य अभी होना बाकी है; और

(घ) पूर्ण रूप से यह सड़क कब तक मेहता चौक से जुड़ जाएगी?

माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री : (क) पंजाबी बाग और रघुबीर नगर को जोड़ने के लिए नजफगढ़ नाले पर पुल सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा बनाया गया है;

(ख) जी हां;

एवं इस पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा यह सड़क पूर्ण रूप से झुग्गियों के पुर्नस्थापन कार्य के संपन्न होने पर ही मेहता चौक से जुड़ सकती है, जिसके लिए दिल्ली शहरी शैल्टर सुधारीकरण बोर्ड को अनुरोध किया जा चुका है;

(ग) इस पुल का कार्य पूर्ण हो चुका है; और

(घ) उपरोक्त 'ख' के अनुसार।

49. श्री राजेश ऋषि : क्या **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंखा रोड ड्रेन का माप और नक्शे उपलब्ध करवाए;

(ख) इस ड्रेन पर हुए अतिक्रमण का पूर्ण विवरण दें और विभाग द्वारा इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कब कार्रवाई की गई, उसके दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध करें;

(ग) क्या यह सत्य है कि पंखा रोड ड्रेन के दोनों तरफ की दीवार जर्जर हालत में है;

(घ) यदि हां, तो इस ड्रेन के दोनों साइड की दीवारों के निर्माण की विभाग की क्या योजना है;

(ङ) इस ड्रेन पर बुनी पुलिया पर लाइट की व्यवस्था कब तक की जाएगी; और

(च) इस ड्रेन की सर्विस रोड बनाने की सकरार की क्या योजना है, पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री : (क) इस विभाग के अंतर्गत पंखा रोड ड्रेन की लंबाई लगभग 3600 मीटर है। नक्शे की प्रतिलिपि व माप संलग्न हैं;

(ख) इस नाले की भूमि का राजस्व रिकार्ड इस विभाग के पास उपलब्ध न होने के कारण अतिक्रमण की पहचान करने हेतु राजस्व विभाग को निशानदेही हेतु आग्रह किया गया है। निशानदेही की कार्यवाही राजस्व विभाग से अपेक्षित है;

(ग) जी हां, यह सत्य है कि दोनों तरफ की दीवार जर्जर हालत में है;

(घ) दोनों तरफ की दीवार बनाने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है;

(ङ) इस ड्रेन पर बनी पुलिया पर लाइट की व्यवस्था संबंधित कार्य बिजली विभाग द्वारा किया जाना है; और

(च) इस विभाग द्वारा इस ड्रेन पर सर्विस रोड़ बनाने की योजना प्रस्तावित नहीं है।

50. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि अवंतिका से कंझावला जाती हुई सड़क पर भारी जाम को देखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा यहां पर पुल निर्माण हेतु 28–5–2017 को पत्र लिखा गया था;

(ख) यदि हां, तो उस पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए;

(ग) दिनांक 28–05–2017 को पत्र मिलने के बाद सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा इस पत्र पर क्या कार्रवाई की गई पूर्ण विवरण दें;

(घ) वर्तमान में इस पुल को बनाने की सरकार की क्या कार्य योजना है;

(ङ) विभाग द्वारा बनाए गए पुलों के रख–रखाव की जिम्मेदारी किस विभाग की है; और

(च) इस वित्त वर्ष में मानसून से पहले रिठाला विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा सफाई किए गए नालों की सूची व प्रत्येक नाले की सफाई पर आई लागत का पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री : (क) जी हां, यह सत्य है एवं पत्र प्रतिलिपि अनुलग्नक–क में संलग्न है;

(ख) उपरोक्तानुसार;

(ग) उपरोक्त पत्र का लिखित उत्तर इस विभाग द्वारा दिया लोक निर्माण विभाग को दिया जा चुका है, जिसकी प्रतिलिपि अनुलग्नक–ख में संलग्न है;

(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की कोई योजना नहीं है;

(ङ) इस विभाग द्वारा निर्मित पुलों के रख–रखाव का कार्य सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा किया जाता है; और

(च) संबंधित जानकारी अनुलग्नक–ग में संलग्न है।

अनुलग्नक 'क'

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

GOVT. OF NCT OF DELHI

OFFICE OF THE ASSISTANT ENGINEER

CIVIL ROAD MAINTENANCE SUB-DIVISION NWR-25

WEST ENCLAVE, PITAMPURA DELHI

No.23(1)/M-3125/PWD/60 Dated:23/05/2017

To

The Executive Engineer,
I&FC Department CD-VII,
Sector- Rohini, Delhi.

Sub.:- Regarding proposal for widen of Drain Bridge at Y-Block Kanjhawia Road Delhi.

Sir.

With above subject , It is submitted that there is bridge connecting to Mangolpuri Y-block to Budh Vihar over the main drain on Kanjhawala Road which is under your jurisdiction. The width of the existing bridge is not sufficient because of that traffic congestion take place from Avantika to Budh Vihar. A letter has been also received from the office of the Dy.Commissioner of Police traffic Outer Range vide there letter no. (590/P.Sec/DCP/T-Outer Range Dated Delhi the, 12./05/2017 (Photo copy attached).

So, It is requested to that the width of the bridge at Y-block on Kanjhawala Road may be widened in order to avoid the traffic congestion at there.

Assistant Engineer

PWD, NW R-25
West Enclave, Delhi-34

Copy to:-

1. The Dy. Commissioner of Police Traffic Outer Range MACT Police Post, Pkt-7. Seector -15 Rohini Delhi w.r.t. your letter no. 690/P.Sec/DCP/T-Outer Range Dated Delhi tile, 12705/2017 for information please.
2. The Executive Engineer. PWD, NW R-2 for information, please.

Assistant Engineer

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER: CIVIL DIVISION-II
GOVT. OF NCT OF DELHI; MANOHAR PARK; EAST PUNJABI
BAGH, DELHI-26
PH.011 -28313170 E-MAIL:-IFCDII@GMAIL.COM

No.EE/CD-II/W-4/Rep./2018-19/3391 to 3397 Dated 3/7/18

To

The Assistant Engineer,
Civil Road Maintenance Sub-Division, PWD NW R-25
West Enclave, Pitam Pura, Delhi-110034

Sub: **Regarding proposal for widen of Drain Bride at Y-Block Kanjhawala Road, Delhi.**

Sir,

Kindly refer to your letter No.23(1)/M-3125/PWD/60 dated 23/05/2017 regarding the above subject. In this context, it is to inform you that the road on both side of the above bridge is under your jurisdiction; therefore the widening of bridge may also oe taken up by your department. The same issue has also been discussed in the District Development Committee meeting neid in the Conference Hall of D.M.(North West) on dated 27/07/2018 under the chairmanship of Hon'ble MLA Shri Rituraj Govind, wherein it was decided that the widening of the said Dridge shall be taken up by PWD and the same was acknowledged by the representative of PWD.

It is therefore requested to take up the matter at your end.

Yours faithfully,
(Sudheer Kr. Arya)
Executive Engineer
Civil Division

No.EE/CD-II/ W-4/Rep./2018-19/3391-3397 Dated : 31/07/2018

Copy for information to:

(i) Sh. Mohinder Goei, Hon'ble MLA, Rithala, Assembly Constituency.

(ii) Chief Engineer(l&FC) Zone-il, l&FC Department, Govt.of NCT of Delhi.

(iii) Dy. Commissioner of Police, Traffic, Outer Range, Delhi, MACT Police post, Pkt-7 F Block, Sector-15, New Delhi-110085.

(iv) The Superintending Engineer, FC-III, l&FC Department, Govt.of NCT of Delhi, Rohini Office Complex, Sector-15, Delhi.

(v) The Executive Engineer, CRMD, M-312, PWD, GNCTD, Road No.43, Sainik Vihar, Delhi.

(vi) The Assistant Engineer, Sub-Division-I, CD-H, I&FC Deptt., Govt. of NCT

EXECUTIVE ENGINEER
CIVIL DIVISION-II

अनुलग्नक (ग)

क्र. सं.	नालों की सूचि	लागत	विवरण
1.	पूरक नाला आर.डी. 12418मी. से आर.डी. 19362 मी. तक।	–	सफाई का कार्य विभागीय मशीनों द्वारा किया गया है।

अधिशासी अभियन्ता–
सिविल खण्ड–दो

51. श्री पंकज पुष्कर : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक विभाग के पास कुल कितने बिजली के कनेक्शन के आवेदन लम्बित हैं, कारण बताते हुए वरीयता क्रय में पूर्ण विवरण सहित सूची उपलब्ध करें;

(ख) 1 अप्रैल, 2015 से 30 जून, 2018 तक दिए गए बिजली के टम्परेरी कनेक्शन का विवरण देते हुए अभी तक इन्हें स्थायी कनेक्शन न दिए जाने के कारण स्पष्ट करें; और

(ग) कितने बिजली के खम्भों पर अवैध केबल जा रही हैं;

(घ) इनसे होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए इन अवैध केबल्स को हटाने की सरकार की क्या कार्य योजना हैं; और

(ङ) इन अवैध केबल्स को कब तक हटा दिया जायेगा?

माननीय ऊर्जा मंत्री : (क) इस प्रश्न के उत्तर में डिस्कॉम ने सूचित किया है कि निम्नलिखित कनेक्शन लम्बित है;

बी.वा.ई.पी.एल–1250

बी.आर.पी.एल–1896

टी.पी.डी.डी.एल.–6194

डिस्कॉम ने सूचित किया है कि यह सारे कनेक्शन डी.ई.आर.सी गाइडलाईन के समयनुसार लगा दिए जाएंगे;

(ख) 1 अप्रेल, 2015 से 30 जून, 2018 तक डिस्कॉम द्वारा दिए गए बिजली के टम्परेरी कनेक्शन निम्न प्रकार है–

टी.पी.डी.डी.एल.–10266

बी.वाई.पी.एल.–6584

बी.आर.पी.एल.–15791

डी.ई.आर.सी. के नियमों के अनुसार औपचारिकताओं के पूरा होने बाद आवेदको से प्राप्त अनुरोधों पर स्थायी कनेक्शन दिया जाता है। अस्थायी कनेक्शनों के सु–मोटो रूपांतरण का कोई प्रावधान नही है;

(ग) वी.वा.ई.पी.एल. द्वारा सूचित किया गया है कि उन्होंने केवल 10658 खम्भों पर टी.वी./इंटरनेट केवल तारों के लिए अनुमति दी है; और

(घ) और (ङ) यह प्रश्न डिस्कॉम से सम्बन्धित है, डिस्कॉम ने सूचित किया है कि समय समय पर अनाधिकृत केबलों को हटाने के लिए नियमित

जांच करता है तथा किसी भी एजेंसी यानी आर.डब्ल्यू.ए.आई.डब्ल्यू.ए. या टेलिफोनिक रूप से प्राप्त किसी भी व्यक्तिगत शिकायत होने पर नियमित रूप से हटा दिया जाता है।

52. श्री पंकज पुष्कर : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगम बिहार कालोनी में हाई टेंशन तारों के नीचे कितने स्थाई और अस्थाई कनेक्शन दिये गये हैं नाम, पते सहित पूर्ण विवरण दे;

(ख) क्या यह सत्य है कि लोक निर्माण विभाग की ओर से टाटा पावर को बी.बी.एम. रोड पर (हकीकत नगर के पास) रखे ट्रासफार्मर हटाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां तो कब और उसमें अब तक क्या प्रगति हुई;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा नजफगढ़ ड्रेन के साथ (तिमारपुर में) एवं जहांगीर पुरी के साथ की सड़क (नेहरू विहार के साथ) की सड़को पर मार्ग प्रकाश की व्यवस्था करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था;

(ङ) यदि हाँ तो अब तक इस मामले मे हुई प्रगति का विवरण क्या है; और

(च) इस क्षेत्र में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण कोई दुर्घटना न हो, इसके लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

ऊर्जा मंत्री : (क) टी.पी.डी.एल. ने सूचित किया है कि संगम विहार क्षेत्र में 220 केवी लाइन गुजर रही है। सुरक्षा चिंताओं के कारण इस लाइन

के अंतर्गत आने वाले परिसर में टी.पी.डी.एल. द्वारा कोई नया कनेक्शन जारी नहीं किया गया है;

(ख) जी हाँ।

(ग) लोक निर्माण विभाग के पत्र दिनांक 24.12.2012 के द्वारा पी.डब्ल्यू. डी. से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था और उसके तहत पंजीकरण तथा प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में रुपये 10000/— लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्च 2013 मे जमा किये गए थे। इस सम्बन्ध में टी.पी.डी.डी.एल. द्वारा रूपये 2473247/— का अनुमान तैयार किया गया था लेकिन पी.डब्ल्यू.डी. इस विषय में अभी तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। राशि प्राप्त होने के उपरान्त कार्य का पूरा किया जाएगा।

(घ) जी हाँ। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के पत्र दिनांक 12. 10.2010 के द्वारा माल रोड से तिमारपुर तक दाये किनारे में तथा राइफल रेंज ब्रिज से गोपाल नगर ब्रिज व नजफगढ़ नाले तक बाये किनारे मे स्ट्रीट लाईट लगाने हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ङ) और (च) उपरोक्त क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना की फिजिबिलिटी की जांच के लिए साईट का संयुक्त निरीक्षण आयोजित किया गया था और स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य फिजिबल नहीं है इसकी सूचना कार्यकारी इंजीनियर, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को पत्र दिनांक 11. 01.2018 को दी जा चुकी है।

53. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली छावनी परिषद् द्वारा सील किये गये मकान में एन.डी.पी.एल. द्वारा बिजली का कनेक्शन दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो यह कनैक्शन किसकी अनुमति से दिया गया है; और

(ग) इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

ऊर्जा मंत्री : (क) टी.पी.डी.डी. (एन.डी.पी.एल.) ने सूचित किया है कि दिल्ली छावनी परिषद् द्वारा सील किये गए किसी भी मकान में कनेक्शन नहीं दिया गया; और

(ख) और (ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

54. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धौला कुआँ रोड के साथ पी.डब्ल्यू.डी. की जमीन पर बनी झुग्गियों और दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के पास बनी झुग्गियों में अब तक बिजली के कनैक्शन न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) इन झुग्गियों को बी.एस.ई.एस. द्वारा बिजली के कनैक्शन कब तक दिये जाएंगे?

माननीय ऊर्जा मंत्री : (क) यह क्षेत्र दिल्ली छावनी बोर्ड से संबंधित है जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है और दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आता है;

(ख) यहां पर बिजली की आपूर्ति Military Engineering Service (MES) द्वारा की जाती है जो कि Delhi Cantonment Board के नियंत्रण में है; और

यह प्रश्न को MES भेजा गया था और उन्होंने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान में वे इन जे.जे. कलस्टर को बिजली आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं होंगे और उन्हें इसके लिए रक्षा मंत्रालय की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

55. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली कैंट के बारस्क्वैयर झुग्गी, क्रिबी प्लेस झुग्गी व केन्द्रीय विद्यालय नम्बर–1 के पास कुछ घरों में बिजली कनैक्शन उपलब्ध करवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग बुलवा कर बिजली कनैक्शन देने के आदेश दिये थे;

(ख) उपरोक्त को कनैक्शन देने हेतु अब तक क्या प्रयास किए गए हैं; पूर्ण विवरण सहित अब तक किए गए पत्राचार की प्रतियां उपलब्ध करें; और

(ग) गलियों में सोलर ऊर्जा लगाने की क्या प्रक्रिया है; पूर्ण विवरण दें?

माननीय ऊर्जा मंत्री : (क) यह क्षेत्र दिल्ली छावनी बोर्ड से संबंधित है जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है और दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आता है;

(ख) यहां पर बिजली की आपूर्ति Military Engineering Service (MES) द्वारा की जाती है जो कि Delhi Cantonment Board के नियंत्रण में है; और

यह प्रश्न को MES भेजा गया था और उन्होंने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान में वे इन जे.जे. कलस्टर को बिजली आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं होंगे और उन्हें इसके लिए रक्षा मंत्रालय की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

(ग) गलियों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना प्रायः/साधारणतया कठिन होता है। इसका कारण दोनों तरफ के मकानों तथा इससे उत्पन्न छाया सौर ऊर्जा संयंत्र से अपेक्षित उत्पादन को बाधित करती है। इसलिए इस विषय में अभी तक विचार नहीं किया गया है।

56. श्री सही राम : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तुगलकाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लाल कुआँ चुंगी नम्बर–2 पर कमर्शियल मीटर देने का आधार क्या है; पूर्ण विवरण दें;

(ख) बी.एस.ई.एस. ने उपरोक्त स्थान पर कब से नए कनेक्शन देने बन्द किए हैं;

(ग) बी.एस.ई.एस. की उपरोक्त स्थान पर अब नए कनेक्शन देने क्या स्थिति है;

(घ) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त स्थान पर चल रहे कमर्शियल मीटर 15 और 8 रुपया प्रति यूनिट वसूला जा रहा है; और

(ङ) उपरोक्त स्थान के लोगों को नए बिजली कनेक्शन देने में अपनाये जा रहे दोहरे बर्ताव को समाप्त करने की सरकार की क्या योजना है; पूर्ण विवरण दें?

माननीय ऊर्जा मंत्री : (क) बी.आर.पी.एल. ने सूचित किया है कि बी.आर.पी.एल. के लाईसेसिंग क्षेत्र में सभी घरेलू कमर्शियल और औद्योगिक नए कनेक्शन डी.ई.आर.सी. आपूर्ति कोड 2017 के अनुसार जारी किये गए हैं जिसकी कॉपी संलग्न है; (संलग्नक 'क')

(ख) और (ग) बी.आर.पी.एल. ने सूचित किया है कि उपरोक्त स्थान पर नए कनेक्शन दिनांक 15.06.2016 डी.डी.ए. बागवानी विभाग के अनुरोध पर बन्द कर दिए गए हैं जिसकी कॉफी संलग्न है। (संलग्नक 'ख')

(घ) बी.आर.पी.एल. ने सूचित किया है कि डी.ई.आर.सी. के टेरिफ ऑर्डर वर्ष 2018–19 के अनुसार ही विद्युत शुल्क लिया जा रहा है जिसकी कॉपी संलग्न है। (संलग्नक 'ग'); और

(ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

संलग्नक 'क'

CHAPTER - III

NEW AND EXISTING CONNECTIONS

10. New and Existing Connections:-

(1) General:-

(i) The Licensee shall upload all the forms and formats prescribed under these Regulations on its website.

(ii) The Licensee shall make appropriate arrangements for filing and accepting the application by the applicant both in hard copy as well as online.

(iii) The applicant may file the application either online or in hard copy:

Provided that where the hard copy of application is submitted by hand, the Licensee shall verify the application on the spot and if found in order, acknowledge through dated receipt, and if found deficient, issue a written note regarding shortcomings in the application:

Provided further that where application is sent by registered post or speed post at correct postal address, the deficiency if any, shall be sent to the applicant within 2(two) days of receipt of application through registered post or speed post at correct postal address or on registered mobile number through SMS:

Provided also that where the application is submitted online, a system generated acknowledgement shall be issued forthwith and in case of any deficiency same shall be intimated to the applicant within 2 (two) days of the receipt of the application on registered mobile number through SMS or registered e-mail address, as the case may be.

(iv) The Licensee shall prominently display consumer related information at its website and all its offices:

Provided that no other document or the-charges, which have not been listed, shall be required from the applicant.

(v) On the request of applicant, an independent electric connection shall be given to the owner/lawful occupant on each floor of the premises.

(vi) Wherever, one dwelling unit has been sub-divided and separate kitchen as well as separate entry is available, second electric connection may be given to the lawful occupant

(vii) The electricity bill shall be only for electricity supply to the premises occupied by the consumer and shall not be treated as having rights or titles over the premises.

(2) Proof of identity of the applicant:-

Any of the following documents shall be accepted as proof of identity:-

(i) electoral identity card;

(ii) passport;

(iii) driving license;

(iv) ration card having photograph;

(v) Aadhar card;

(vi) PAN card;

(vii) Photo identity card issued by any Government agency;

(viii) If the applicant is an organization, certificate of incorporation/ registration issued by the Registrar and proof of authorization / resolution of Board for authorizing the person.

(3) Proof of Ownership or occupancy of the premises:-

Any of the following documents shall be accepted as the proof of ownership or occupancy of premises:-

(i) certified copy of linefeed;

(ii) certified copy of registered conveyance deed;

(iii) General Power of Attorney (GPA);

(iv) allotment letter/possession letter;

(v) valid lease agreement alongwith undertaking that the lease agreement has been signed by the owner or his authorized representative;

(vi) rent receipt not earlier than 3 (three) months alongwith undertaking that the rent receipt has been signed by the owner or his authorized representative;

(vii) mutation certificate issued by a Government body such as Local Revenue Authorities or Municipal Corporation or land owning agencies like DDA/L&DO;

(viii) sub-division agreement;

(ix) For bonafide consumers residing in JJ clusters or in other areas with no specific municipal address, the licensee may accept either ration card or electoral identity card mandatorily having the same address as a proof of occupancy of the premises.

(4) Sub-divided Property:-

(i) Where property/premises have been legitimately sub-divided, the owner/occupier of the respective portion of such sub-divided property shall be entitled to obtain independent connection in his name.

(ii) The Licensee shall provide the connection, to the applicant of respective portion of tire legitimately sub-divided property, on payment of outstanding dues on pro-rata basis for that portion, based on the area of such sub-division or as mentioned In sub-division agreement, and the Licensee shall not deny connection to such applicant on the ground that dues on the other portion(s) of such premises have not been paid, nor shall the Licensee demand record of last paid bills of other portions) from such applicants).

(5) Reconstruction of Existing Property:-

In case of complete demolition and reconstruction of the premises or the building following shall apply:

(i) Supply of electricity from existing connection shall not be allowed to be used and same shall have to be essentially surrendered by the owner/occupier/developer of the premises.

(ii) Meter and service line shall be removed, and the agreement shall stand terminated only after realizing all dues payable to the Licensee and thereafter the security deposit of the consumer shall be duly returned by the Licensee as per the Regulations.

(iii) The owner, occupier, developer of the premises, as the case may be, shall apply for temporary connection and the Licensee shall give such temporary connection subject to Regulation 16:

THAT the Applicant has requested the licensee to provide a service connection at the above-mentioned premises in the Applicant's name for the purpose mentioned in the application form.

THAT in furnishing the present Declaration, the Applicant has clearly understood that should any of the statements in this declaration prove to be false or incorrect at any later stage, the licensee shall

be within his lawful rights to disconnect supply to the premises without any prior notice and proceed to adjust electricity supply dues payable by the applicant against consumer security deposit and /or recover the same In accordance with Law.

THAT the Applicant has complied with all requirements under all statute for the time being in force and the Applicant himself/herself shall be held legally responsible for any issue arising out of any such noncompliance for which the licensee may initiate action in accordance with applicable law.

THAT I, the Applicant hereby agrees and undertake:

1. That in case the applicant Is not the sole owner of the premises, no objection certificate for seeking electricity connection from the co-owner has been obtained.

2. To Indemnify the licensee against all proceedings, claims, demands, costs, damages, expenses that the licensee may incur by reason of a fresh service connection given to the Applicant.

3. That to the best of applicant's knowledge, all electrical works done within the premises are as per Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010 as amended from time to time.

4. That the Internal Wiring at the premises has been tested by a Licensed Electrical Contractor and the test certificate is available with the applicant:

   Provided that In case of Government quarters/ offices, the certificate issued by the designated officer of the Government may be accepted by the distribution licensee.

5. *That the building has been constructed as per prevalent building Bye-Laws and the total , height of the building

   (i) does not exceed 15 (fifteen) meters on the date of seeking service connection; Or (II) Is more than 15 (fifteen) meters and Fire Clearance certificate Is available with the applicant.

6. That there is a provision of lift in premises and the applicant has obtained the lift fitness certificate from the Electrical Inspector for the lift in the said premises and the same Is available with the applicant.

7. That the applicant has applied for the correct category of tariff as per the applicable tariff schedule. For either of the following categories of connection, the applicant has the relevant documents available with him.

   * Applicable for selected consumer category

a. Industrial

Valid Industrial License/Factory License/Lai Dora Certificate in case of rural village

b. Agricultural Consumers

i. Certificate of Residence From Block Development Officer

ii. No Objection Certificate from Development Commissioner/Block Development Officer Delhi Jal Board for tube wells

c. Non-domestic for Khokhas and Temporary Structure

i. Teh Bazaari Receipt Number

ii. No Objection Certificate for Khokha/Temporary Structure for single delivery supply

d. Charging station for electric vehicles

An undertaking by the applicant that the charging station for electric vehicles is as per the specifications as may be specified by Central Electricity Authority or Bureau of Indian Standards from time to time.

8. The above referred applicable documents/certificates Indicated at various points are available with me and can be inspected by the Licensee at any time. In case of any failure to produce the same, the licensee may disconnect the connection granted owing to such failure, reluctance on my part to produce/allow the inspection of said documents/ certificates.

9. That I will provide a copy of any of above applicable documents to the licensee pursuant to request of any external government agency, judicial forum or any other authority seeking such Information.

10. That my industry/trade has not been declared to be releasing obnoxious hazardous/pollutant by any government agency and that no orders of any court or judicial authority would be breached by running of my Industry/trade or granting any electricity connection to the same. The licensee is indemnified against any loss accrued by the applicant on this account.

11. The applicant further agrees to indemnify and hold harmless, the licensee, in case of any injury or Incident on account of any fault in electrical work in the premises. The licensee shall not be liable for any mishap or incident occurring at the premises to the applicant on account of any faulty/defective/ inferior quality wiring at the premises for which the connection is being applied.

12. To pay the electricity consumption, bills and all other charges at the rates set out in the licensee's Tariff Schedule and

miscellaneous charges for supply as may be in force from time to time, regularly as and when the same becomes due for payment.

13. To deposit the additional security deposit and additional service line cum development (SLD) charges, if any from time to time based on the prevailing Orders/rules, directions and Regulations of the Commission.

14. To abide by the provisions of the Electricity Act, 2003, all applicable laws, conditions of 5upply/Tariff Orders and any other Rules or Regulations as may be notified by the Commission, as applicable from time to time.

15. That licensee shall be at liberty to adjust the electricity consumption charges due/outstanding along with any other charges against the Consumer Security Deposit paid by the Applicant, in the event of termination of the agreement prior to expiry of the contracted period or in case of any contractual default as per provisions of regulations/rules/orders/directions of the Commission.

16. That as per Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017 or as amended from time to time, I shall provide suitable and adequate space for installation of the meter/electrical equipments where the licensee may have ready access to the same.

17. To allow clear and un-encumbered access to the meters for the purpose of meter reading and It's checking etc.

18. That the Applicant would let the licensee disconnect the. service connection under reference, in the event of any default, non-compliance of statutory provisions and in the event of a legally binding directive by Statutory Authority (les) to effect such an order.

ANNEXURE-I

Format of application form - New Connection

Licensee name M/s.....

Application No.________________

Photograph

1.	Name of the applicant/organization:	
2.	Name offather/husband/dlrector/ partner/trustee:	
3.	Address:	
(a)	For communication	House/plot/premises no.
		Street
		Area/colony
		Pin Code
		Telephone No.:
		Mobile:
		E-mail:
(b) -	Where supply is required	House/plot/premise no.

		Street
		Area/colony
		Pin Code
		Telephone No.: Mobile: E-mail:
(c)	Indicate landmarks (Pole No./Feeder Pillar No./Nearest House No.) to identify the location	
4.	Category for Electricity Usage (As per applicable Tariff Schedule)	(i) Domestic Category - Residential/Hostels/Hospitals*/ Educational institutions*/ Religious/charitable/others (ii) Non domestic-Banks/petrol pumps/cinemas/shops/chemist/ tailors /others (iii) Industrial (iv) Agricultural (v) Mushroom (vi) Public Lighting (vii) DJB (viii) DIAL (ix) Railway Traction (x) DMRC (xi) Advertising/ Temporary Supply
	Note: the applicant shall refer the applicable tariff schedule for correct tariff category. In case of any doubt, the applicant shall seek help of the licensee. *based on the funding pattern as per tariff schedule.	
5.	PAN No. (For correct deduction of TDS, if any)	

6.	Purpose of supply	
7.	Total load applied for (in kW)/ (in kVA)	
8.	Please indicate whether you want to purchase your own CEA approved meter having additional features as approved by the Commission (Yes/No)	
9.	List of documents attached: (i) Identity proof submitted along with this application form (ii) Proof of ownership or occupancy of premises for which electricity connection is required	
	(iii) If applicant is an organization (tick applicable)	Certificate of incorporation/ registration issued by the Registrar
10.	Declaration Form	

Date: Signature of the applicant/ authorized signatory along with company seal:

Place: Name:

Declaration

I,____________________________Son/Dauqhter of____________________ Resident of (hereinafter referred to as “Applicant”, which term shall mean and Include executors, administrators, heirs, successors and assigns), do hereby swear and declare as under:

Or

The ________________, a comoanv incomnrated under the Drovisions of the Companies Act, 1956 or as amended, having Its registered office at ____(hereinafter referred to as "Applicant", which expression shall, unless repugnant to the context or meaning thereof, Include its successors and assigns), through its Authorised representative Mr. _________________, do hereby swear and declare as under:

Or

A Sole proprietorship/ a partnership firm having its office at _______________ (hereinafter referred to as the applicant which unless the context otherwise provides includes Its successors and assigns), through Mr. _________________, who Is a partner or an authorized representative do hereby swear and declare as under:

THAT the Applicant is a lawful occupant of the premises at _______________ (hereinafter ths "Premisss").

THAT the Applicant has requested the licensee to provide a service connection at the above-mentioned premises in the Applicant's name for the purpose mentioned in the application form.

THAT in furnishing the present Declaration, the Applicant has clearly understood that should any of the statements in this declaration prove to be false or Incorrect at any later stage, the licensee shall be within his lawful rights to disconnect supply to the premises without any prior notice and proceed to adjust electricity supply dues payable by the applicant against consumer security deposit and /or recover the same In accordance with Law.

THAT the Applicant has complied with all requirements under all statute for the time being in force and the Applicant himself/herself shall be held legally responsible for any issue arising out of any such noncompliance for which the licensee may initiate action in accordance with applicable law.

THAT I, the Applicant hereby agrees and undertake:

1. That in case the applicant is not the sole owner of the premises, no

objection certificate for seeking electricity connection from the co-owner has been obtained.

2. To indemnify the licensee against all proceedings, claims, demands, costs, damages, expenses that the licensee may incur by reason of a fresh service connection given to the Applicant.

3. That to the best of applicant's knowledge, all electrical works done within the premises are as per Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010 as amended from time to time.

4. That the internal Wiring at the premises has been tested by a Licensed Electrical Contractor and the test certificate is available with the applicant:

   Provided that In case of Government quarters/ offices, the certificate issued by the designated officer of the Government may be accepted by the distribution licensee.

5. *That the building has been constructed as per prevalent building Bye-Laws and the total . height of the building

   (i) does not exceed 15 (fifteen) meters on the date of seeking service connection; Or

   (ii) Is more than 15 (fifteen) meters and Fire Clearance certificate is available with the applicant.

6. *That there is a provision of lift, in premises and the applicant has obtained the lift fitness certificate from the Electrical Inspector for the lift in the said premises and the same is available with the applicant."

7. That the applicant has applied for the correct category of tariff as per the applicable tariff schedule. For either of the following categories of connection, the applicant has the relevant documents available with him.

   *applicable for selected consumer category

a. Industrial

Valid Industrial License/Factory License/Lal Dora Certificate in case of rural village

b. Agricultural Consumers

i. Certificate of Residence from Block Development Officer

ii. No Objection Certificate from Development Commissioner/ Block Development Officer Delhi Jal Board for tube wells

c. Non-domestic for Khokhas and Temporary Structure

i. Teh Bazaari Receipt Number

ii. No Objection Certificate for Khokha/Temporary Structure for single delivery supply

संलग्नक 'ख'

DELHI DEVELOPEMENT AUTHORITY
HORTICULTURE DIVISION NO. VI

(Sheikh Sarai, Phase-I, New Delhi)
Phone No. 011-26014530

No. F5(3)16-17/Hort. VI/DDA/ 632 Dated: 14/06/2016

To

The Manager (Pulprehladpur)
BSES Rajdhani Power Limited
New Delhi

Sub: Regarding carrying out demolition programme for removal of encroachment on 30.6.15 Pulpehladpur, Ph-II (Lalkuan) by DDA.

A demolition programme has been fixed for 30.6.16 to remove the unauthorized encroachments from DDA (Govt.) land of Pulpehladpur, Ph-II (Lalkuan).

You are, requested to disconnect the electric supply from the following encroached sites of Lalkuan/ Pulprehladpur, Ph-II:-

1. 'A' Block, Lal Kuan.
2. 'B'Block, Lal Kuan.
3. 'C' Block, Lal Kuan.
4. 'D' Block, Lal Kuan.
5. Prem Nagar, Lal Kuan.
6. Nardan Bastl, Lal Kuan.

(R.D. Bhardwaj)
Deputy Director (Hort.)
Horticulture Division No. VI

Copy to:-

1. ADIII/HortVI to pursue the matter with BSES.

Deputy Director (Hort.)
Horticulture Division No. VI

ANNEXURE-B

DELHI DEVELOPEMENT AUTHORITY
OFFICE OF DEPUTY DIRECTOR (HORT.)
HORTICULTURE DIVISION NO. VI/DDA
SHEIKH SARAI, PHASE-I, NEW DELHI
PHONE NO. 011-26014530

No. F5(3)16-17/Hort. VI/DDA/ 628 Dated:- 14/06/2016

To

The Manager
B.S.E.S. Ltd.
Pul Prehlad Pur
New Delhi-110044

Sub: Reg – Allotment un-authorlzed new connection of Electricity without relevant legal document in the southern ridge area at Lal Kuan Pul Prehladpur.

In continuation of this office even letter No. F5(3)15-16/Hort. VI/DDA/132 dated 28/01/2016. As you well aware about that Hon'ble Supreme Court of India have directed that no any type of constructions are allowed in the Ridge area in Delhi Lal Kuan this area under the control of DDA. In this area daily complaints are coming to enchroched the land by the persons from surrounding locality. Despite of BSES Ltd. Have sanctioned the electricity connection without proper examine papers of the Illegal encrochers. Lal Kuan, Prem Nagar & Nardan Basti is DDA Land pertain to Horticulture- Division-VI/DDA. You are hereby direcected to take the NOC from DDA be for issuing new connection or shifting the connection.

You are requested to stop the new connection to such type of ellegal encrochers. Othervise it will confermed that you are mixedup with the land mafia/ encroachers in this area. If you will be the new connection you will responsible to reply will made Hon'ble Supreme Court of India.

(R.D. Bhardwaj)
Dy. Director (Hort.)
Hort. Divn.6

Copy to:-

1. CE/SZ/DDA for information please.
2. Dir. (Hort.) SE/DDA for information please.
3. A.D-III (Hort)HD-6/DDA

Dy. Director (Hort.)
Hort. Divn.6

Delhi Developement Authority
Horticulture Division No. VI

(Sheikh sarai, Phase-I, New Delhi)
Phone No. 011-26014530

No. F5 (3)16-17/Hort. VI/DDA/632 Dated:-14/06/2016

To

The Manager (Pulprehladpur)
BSES Rajdhani Power Limited
New Delhi

Sub:- Regarding carrying out demolition programme for removal of encroachment on 30.6.16 Pulpehladpur, Ph-II (Lalkuan) by DDA.

A demolition programme has been fixed for 30.6.16 to remove the unauthorized encroachments from DDA (Govt.) land of Pulpehladpur, Ph-II (Lalkuan).

You are, requested to disconnect the electric supply from the following encroached sites of lalkuan/ Pulprehiadpur, Ph-II :-

1. 'A' Block, Lal Kuan.
2. 'B'Block, Lal Kuan.
3. 'C Block, Lal Kuan.
4. 'D' Block, Lal Kuan.
5. Prem Nagar, Lal Kuan.
6. Nardan Basti Lal Kuan.

(R.D. Bhardwaj)
Deputy Director (Hort.)
Horticulture Division No. VI

Copy to:-

1. ADIII/HortVI to pursue the matter with BSES.

Deputy Director (Hort.)
Horticulture Division No. VI

DELHI DEVELOPEMENT AUTHORITY
AND MANAGEMENT: SOUTH EAST
NEW DELHI, PHONE NO. 248584
C-1/7. GROUND

No. F5(3)/16-17/HD-6/DDA/ Dated 01/06/2016

To

The Dy. Commissioner of Police,
South East District, Sarita Vihar,
New Delhi

Sub : Regarding providing police assistance to DDA Staff to carryout Demolition Programme for removal of unauthorized construction/ encroachment on DDA/Govt. Land.

Sir,

It has been decided to organize a major/minor demolition programme for removal unauthorized construction/encroachment from Pul-Prahladpur Phase-II (Lal Kuan), New Delhi from Govt/DDA land, area falling under the jurisdiction of Police Station Pul Prahladpur. This operation would be held on 30/06/2016 under the supervision of AE&JWSEZ and as per identification of AD/HD-6, DDA.

You are, therefore, requested to kindly make available necessary Police Assistance along with Ladies Police and tear Gas Squad to the staff of the DDA In order to maintain Law and Order situation during the Demolition operation.

The meeting point will be Police Station. Pul Prahladpur at 10.00 A.M.

Yours faithfully
(Paramjeet Singh)
Dy. Director (LM)
South East Zone

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. Commissioner (LM) DDA.
2. Director (LM)-I, DDA - with the request that he may also kindly take up the matter with DCP (South East) for providing police assistance on the foresaid date and time.
3. The DCP (Control Room) IIIrd Floor PHQ, New Delhi.
4. Dy Commissioner (Task Force) South East Zone. With the request that sufficient police force may be provided by the concerned DGP;
5. SE(HQ) South Zone, DDA, Khelgaon, Sahahpur Jat, New Delhi with request to direct concerned staff for removal of malba fencing the area after demolition and installation of board displaying DOA land.
6. Deputy Director, HD-6, DDA, with the request to:

   (a) Depute concerned officer for identification and demarcation of the encroachment/unauthorized construction to be removed:

   (b) Confirm court-order, stay etc. If any/before demolition.

   (c) Depute concerned officer to show the site to the area S.H.O. at least three days before the date of demolition.

   (d) Depute concerned officer/official to contact the BSES to disconnect the electricity supply form the demolition site.

   (e) Kindly direct the concerned AE/Asstt Director/Tehsildar to fill the Demolition Diary after completion of Demolition Programme.
7. A.C.P., Ambedkar Nagar.
8. S.H.O. Police Station. Pul Prahladpur - with the request to arrange sufficient police force.

9. Shri N K Aggrawal, Asstt Vice President (O & M) South. Room No-203, B.S.E.S. Building. Adhchani, Arvindo Marg, New Delhi-110017 (Mob - 9350261573) with request to kindly depute concerned officials to disconnect the electric supply and to assist in electricity related matters for safe demolition operation.

10. AE/LM/SEZ.

11. M/s. Uttam Prakash & Sons, Head Office: T-1861, DB Gupta Road, Near Naaz Cinema, New Delhi -110055, with the request to provide one Mini Truck for staff One JCB, and 5 labors with hammer and also to provide one cameraman at-site as per the terms and conditions.

12. Guard File.

13. Office Copy.

Dy. Director (LM) SEZ

ANNEXURE (V)

Division	Month	Breakdown	PSD	ESD	Total
Hauz Khas	Apr-17	0	4	0	4
	May-17	1	7	0	8
	Jun-17	0	5	1	6
	Jul-17	6	7	2	15
	Aug-17	1	6	2	9
	Sep-17	1	8	1	10
	Oct-17	0	20	0	20
	Nov-17	2	22	0	24
	Dec-17	0	32	0	32
	Jan-18	1	23	2	26
	Feb-18	2	30	1	33
	Mar-18	0	53	0	53
	Apr-18	2	7	0	9
	May-18	2	18	1	21
	Jun-18	2	8	0	10
Total		20	250	10	280
Saket	Apr-17	0	32	0	32
	May-17	0	38	0	38
	Jun-17	0	21	0	21
	Jul-17	2	44	0	46

Division	Month	Breakdown	PSD	ESD	Total
	Aug-17	1	32	0	33
	Sep-17	0	23	4	27
	Oct-17	1	53	1	55
Saket	Nov-17	0	84	2	86
	Dec-17	0	117	0	117
	Jan-18	0	117	1	118
	Feb-18	0	131	0	131
	Mar-18	2	211	3	216
	Apr-18	0	62	0	62
	May-18	0	48	9	57
	Jun-18	0	19	6	25
Total		6	1032	26	1064

संलग्नक 'ग'

Electricity Tariff Schedule for FY201B-19 BRFL, BYPL, TPDDL & NDMC

Sl. No.	Category	Fixed Charges	Energy Charges				
1	DOMESTIC						
1.1	INDIVIDUAL CONNECTIONS		0-200 Units	201-400 Units	401-800 Units	801-1200 Units	>1200 Units
A	Upto 2 kW	125 Rs./kW/month	3.00 Rs./ kWh	4.50 Rs./ kWh	6.50 Rs./ kWh	7.00 Rs./ kWh	7.75 Rs./ kWh
B	> 2kW and < 5 kW	140 Rs./kW/month					
C	> 5kW and < 15 kW	175 Rs./kW/month					
D	>15kW and <25 kW	200 Rs./kW/month					
E	>25kW	250 Rs./kW/month					
1.2	Single Point Delivery Supply at 11kV for GHS	150 Rs./kW/month	4.50 Rs./kWh				
2	NON-DOMESTIC	250 Rs./kVA/month	8.00 Rs./kVAh				
3	INDUSTRIAL	250 Rs./kVA/month	7.25 Rs./kVAh				
4	AGRICULTURE & MUSHROOM CULTIVATION	125 Rs./kW/month	1.50 Rs./kWh				
5	PUBLIC UTILTIES	250 Rs./kVA/month	5.75 Rs./kVAh				
6	DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD. (DIAL)	250 Rs./kVA/month	7.25 Rs./kVAh				

Sl. No.	Category	Fixed Charges	Energy Charges
7	ADVERTISEMENTS AND HOARDINGS	250 Rs.AVA/month	8.00 Rs./kVAh
8	TEMPORARY SUPPLY		
8.1	Domestic Connections including Group Housing Societies	Same rate as that of relevant category	Same as that of relevant category without any temporarysurcharge
8.2	For threshers during the threshing season	Electricity Tax of MCD : Rs. 270 per connection per month	Flat rate of Rs. 5,400 per month
8.3	All other connections including construction projects	Same rate as that of the relevant category	1.30 times of the relevant category of tariff
9	CHARGING STATIONS FOR E-RICKSHAW/ E-VEHICLE ON SINGLE POINT DELIVERY		
9.1	Supply at LT	-	5.50 Rs./kWh
9.2	Supply at HT	-	5.00 Rs./kVAh

Notes:

1. For all categories other than Domestic, Fixed Charges are to be levied based on billing demand per kW/kVA or part thereof. Where the Maximum Demand (MO), as defined in DERC (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017, reading exceeds sanctioned load/contract demand, a surcharge of 30% shall be levied on the fixed charges corresponding to excess load in kW/kVA for such billing cycle only. Wherever, sanctioned load/contract demand is in kW/HP, the kVA shall be calculated on basis of actual power factor of the consumer, for the relevant billing cycle and in case on non-availability of actual Power Factor, the Power Factor shall be considered as unity for sanctioned load/contract demand upto 10kW/11kVA.

2. Time of Day (Top) Tariff

a. ToD tariff shall be applicable on all consumers (other than Domestic) whose sanctioned load/MDI (whichever is higher) is 10kW/11kVA and above.

b. Optional for all three phase (30) connections including Domestic connections. If the consumer who has opted for ToD, the charges for up-gradation of meters, if any, shall be borne by respective consumers.

c. The Commission has decided to retain the Rebate during the Off Peak hours and Peak hours Surcharge at 20%. Optional ToD Consumers will have the option to move back to non-ToD regime only once within one Financial Year.

d. For other than Peak and Off-Peak hours normal Energy Charges shall be applicable.

e. Further, the Commission has reviewed the latest available Demand and Supply of Delhi and has revised the time slots for Peak and Off-Peak hours as follows:

Months	Peak Hours	Surcharge on Energy Charges	Off-Peak Hours	Rebate on Energy Charges
May-September	1400 Hrs-1700Hrs & 2200Hrs-0100Hrs	20%	0400 Hrs-1000 Hrs	20%

3. Rebate of 3%, 4% & 5% on the Energy Charges for supply at llkV, 33/66 kV and 220 kV shall be applicable.

4. Maintenance Charges on street lights, wherever maintained by DISCOMs, shall be payable @ Rs. 84/light point/month and material cost at the rate of Rs. 19/light point/month as per the Commission's Order dated 22na

September 2009 in addition to the specified tariff. These charges are exclusive of applicable taxes and duties.

5. The valid Factory Licence shall be mandatory for applicability of Tariff under Industrial category: Provided that in case where the Factory Licence has expired and its renewal application is pending with the concerned authority, the DISCOMs shall bill such consumers as per Tariff applicable under Non Domestic category;

   Provided further that on renewal of the Factory Licence, the DISCOMs shall adjust the bills of such consumers as per applicable Tariff under Industrial category from the effective date of renewal of such Licence.

6. The above tariff rates shall be subject to following additional surcharges to be applied only on the basic Fixed Charges and Energy Charges excluding all other charges e.g., LPSC, Arrears., Electricity Tax/Duty, PPAC, load violation surcharge, etc.:

   (a) 8% towards recovery of past accumulated deficit to the consumers, and,

   (b) 3.80% towards recovery of Pension Trust Charges of erstwhile DVB Employees /Pensioners as recommended by GoNCTD.

7. The Distribution Licensee shall levy PPAC after considering relevant ToD Rebate/Surcharge on energy charges applicable to the consumers.

8. For prepaid consumers, the additional rebate of 1% shall be applicable on the basic Energy Charges, Fixed Charges and all other charges on the tariff applicable.

9. The Single Point Delivery Supplier (Group Housing Societies) shall charge the Domestic tariff as per slab rate of 1.1 to its Individual Members availing supply for Domestic purpose and Non Domestic Tariff for other than domestic purpose. Any Deficit/Surplus due to sum total of the billing to the Individual

Members as per slab rate of tariff schedule 1.1 and the billing as per the tariff schedule 1.2 including the operational expenses of the Single Point Delivery Supplier shall be passed on to the members of the Group Housing Societies on pro rata basis of consumption.

10. Individual Domestic Consumers availing the supply at single point delivery through Group Housing Society, shall claim the benefit of subsidy, applicable if any, as per the Order of GoNCTD. Group Housing Society shall submit the details of eligible consumers with consumption details and lodge claim of subsidy on behalf of individual members from DISCOMs.

11. The Single Point Delivery Supplier availing supply at HT & above shall charge the tariff to its LT consumers and in addition shall be entitled to charge an extra upto S% of the bill amount to cover losses and all it's expenses.

12. The Commercial Consumers of DMRC and DIAL who have sanctioned load above 215 kVA but served at LT (415 Volts) shall be charged the tariff applicable to Non-domestic LT (NDLT) category greater than 140kW/ 150kVA (415 Volts).

13. The rates stipulated in the Schedule are exclusive of electricity duty and other taxes and charges, as levied from time to time by the Government or any other competent authority, which are payable extra.

14. In the event of the electricity bill rendered by the Distribution licensee, not being paid in full within the due date specified on the bill, a Late Payment Surcharge (LPSC) @ 1.5% per month shall be levied. The LPSC shall be charged for the number of days of delay in receiving payment from the consumer by the Distribution Licensee, until the payment is made in full without prejudice to the right of the licensee to disconnect the supply after due date, in the event of non-payment in accordance with Section 56 of Electricity Act, 2003. This will also apply to temporary connections and enforcement cases, where payment of final bill amount after adjustment of amount as per directions of the Court and deposit, is not made by due date.

15. No payment shall be accepted by the Distribution Licensees from its consumers at its own collection centres/mobile vans in cash towards electricity bill exceeding Rs. 4,000/- except from blind consumers, for court settlement cases & payment deposited by the consumers at designated scheduled commercial bank branches upto Rs. 50,000/-. Violation of this provision shall attract penalty to the level of 10% of total Cash collection exceeding the limit.

16. Wherever the Fixed or Energy Charges are specified in Rs. per kVAh, for the purpose of billing, the kVAh as read from the meter in the relevant billing cycle shall be used.

OTHER TERMS AND CONDITIONS

1. DOMESTIC CATEGORY

1.1 **Domestic Lighting, Fan and Power (Single Point Delivery and Separate Delivery Points/Meters)**

Available to following:

a. Residential Consumers

b. Hostels of recognized/ aided institutions which are being funded mote than 90% by Municipal Corporation of Delhi or Government of the NCT of Delhi or any other Government/local bodies [local bodies include NDMC and MCDs (North, South & East)].

c. Staircase lighting in residential flats separately metered,

d. Compound lighting, lifts and water pumps etc., for drinking water supply and fire-fighting equipment in residential complexes, if separately metered.

e. In group housing societies etc. for bonafide use of lighting/fan and power, subject to the provision that the supply is at single point delivery for combined lighting/fan & power.

f. Dispensary/Hospitals/Public Libraries/School/College/ Working Women's Hostel/ Orphanage/ Charitable homes run and funded by more than 90% by Municipal Corporation of Delhi or Government of the NCT of Delhi or any other Government/local bodies.

g. Small Health Centres approved by the Department of Health. Government of NCT of Delhi for providing Charitable Services only,

h. Recognized Centres for welfare of blind, deaf and dumb, spastic children, physically handicapped persons, mentally retarded persons, as approved by the Government of NCT of Delhi and other Government,

i. Public parks except temporary use for any other purpose.

j. Bed and Breakfast Establishments (Residential Premises) registered u/ s 3 of the National Capital Territory of Delhi (Incredible India) Bed and Breakfast Establishments (Registration & Regulations) Act, 2007.

k. Places of worship.

l. Cheshire homes/orphanage.

m. Shelter Homes (including Night Shelters) approved by Delhi Urban Shelter Improvement Board, GoNCTD,

n. Electric crematoriums,

o. Gaushala Registered under GoNCTD.

p. Professionals i.e. individuals engaged in those activities involving services based on professional skills, viz Doctor, Lawyer, Architect, Chartered Accountant, Company Secretary, Cost & Works Accountant, Engineer, Town Planner, Media Professional and Documentary Film Maker may utilize the domestic connection at their residence for carrying out their professional work in the nature of consultancy without attracting non-domestic tariff for the electricity consumed, provided that the area used

for professional activity does not exceed the area permitted to be used for such activity in residential area under the Master Plan for Delhi, 2021 (MPD-2021), which as per MPD-2021 is permissible on any one floor only but restricted to less than 50% of the permissible or sanctioned FAR whichever is less on that plot or dwelling unit.

q. Available, for loads up to 21 kW, to farm houses for bonafide domestic self use.

r. The consumers running small commercial establishments including Paying Guest from their households having sanctioned load upto 5kW under domestic category, shall be charged Domestic Tariff.

s. Cattle Farms / Dairy Farms / Dhobi Ghat with a total consumption of not more than 1000 units/month.

1.2 Domestic Connection on 11 kV Single Point Delivery

Same as 1.1 - For GHS flats and for individuals having sanctioned load above 100 kW/108kVA Group Housing Society (GHS) shall mean a residential complex owned/managed by a Group Housing Society registered with Registrar, Cooperative Societies, Delhi / registered under Societies Act, 1860 and for sake of brevity the definition shall include residential complex developed by a Developer and approved by appropriate authority.

2. NON-DOMESTIC

Available to all consumers for lighting, fan & heating/cooling power appliances in all Non-Domestic establishments as defined below:

a. Hostels/Schools/Colleges/Paying Guests (other than that covered under Domestic Category)

b. Auditoriums, Lawyer Chambers in Court Complexes, nursing homes/ diagnostic Centres other than those run by Municipal Corporation of

Delhi or the Government of NCT of Delhi (other than that covered under domestic category).

c. Railways (other than traction), Hotels and Restaurants

d. Cinemas

e. Banks/Petrol pumps

f. All other establishments, i.e., shops, chemists, tailors, washing, dyeing etc. which do not come under the Factories Act.

g. Fisheries, piggeries, poultry farms, floriculture, horticulture, plant nursery

h. Farm houses being used for commercial activity

i. DMRC for its commercial activities other than traction.

j. DIAL for commercial activities other than aviation activities, k. Ice-cream parlours

I. Single Point Delivery for Commercial Complexes supply at 11 kV or above m. Pumping loads of DDA/MCD

n. Supply to Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) Ltd. for their on-going construction projects etc. and for commercial purposes other than traction

o. Any other category of consumers not specified/covered in any other category in this Schedule

3. INDUSTRIAL

Available to Industrial consumers & Hospitals (other than that covered in Domestic Category) including lighting, heating and cooling load.

4. AGRICULTURE & MUSHROOM CULTIVATION

Available for load up to 20 kW for tube wells for irrigation, threshing, mushroom growing/cultivation and kutti-cutting in conjunction with pumping load for irrigation purposes and lighting load for bonafide use in Kothra.

5. **PUBLIC UTILITIES**

a. DELHI JAL BOARD: Available to DJB for pumping load & Water Treatment Plants.

b. RAILWAY TRACTION: Available for Indian Railways for Traction load.

c. DELHI METRO RAIL CORPORATION : Available to Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) for traction load

d. PUBLIC LIGHTING: Street lighting, Signals & Blinkers

- All street lighting consumers including MCD, DDA, PWD/CPWD, Slums depts./ DSIIDC /MES / GHS etc.
- Traffic signals and blinkers of Traffic Police
- Unmetered Public lighting shall be charged Energy Charge Rate at 1.10 times of applicable Tariff.

6. **DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED:** Available to DIAL for Aviation activities.

7. **ADVERTISEMENT/ HOARDINGS**

Electricity for lighting external advertisements, external hoardings and displays at departmental stores, malls, multiplexes, theatres, clubs, hotels, bus shelters, Railway/Metro Stations, airport which shall be separately metered and charged at the tariff applicable for "Advertisements and Hoardings" category, except such displays which are for the purpose of indicating/displaying the name and other details of the shop, commercial premises itself. Such use of electricity shall be covered under the prevailing tariff for such shops or commercial premises.

8. TEMPORARY SUPPLY

a. Available as temporary connection under the respective category

b. Domestic tariff without temporary surcharge shall be applicable for Religious functions of traditional and established characters like Ramlila,

Dussehra, Diwali, Holi, Dandiya, lanmashtami, Nirankari Sant Samagam, Gurupurb, Durga Puja, Eid, Christmas celebrations, Easter, Pageants and cultural activities like NCC camps, scouts & guides camps etc.

9. CHARGING OF E-RICKSHAW/ E-VEHICLE

a. Charging Stations for E-Rickshaw/ fcVehicle on Single Point Delivery: Available to charging stations as per the provisions of DERC SOP Regulations, 2017.

b. Tariff applicable for charging of batteries of E-Rickshaw / E-Vehicle at premises other than at Charging Stations meant for the purpose shall be the same as applicable for the relevant category of connection at such premises from which the E-Rickshaw / E-Vehicle is being charged.

INTERPRETATION/CLARIFICATION

In case of doubt or anomaly, if any, in the applicability of tariff or in any other respect, the matter will be referred to the Commission and Commission's decision thereon shall be final and binding.

57. श्री महेंद्र गोयल : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि विभाग के पास रिठाला विधान सभा क्षेत्र में विजय विहार चूना मण्डी रोड के पास के मकानों के ऊपर से गुजर रही खतरनाक हाई–टेन्शन तार को अंडर ग्राउन्ड करने का कार्य प्रस्तावित है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इसमें देरी के क्या कारण हैं;

(घ) विभाग कब तक इस कार्य की राशि एन.डी.पी.एल. को दे देगा;

(ङ) अनाधिकृत कालोनियों में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए संबंधित एजेंसी को धनराशि किस विभाग द्वारा दी जायेगी;

(च) इस वित्त वर्ष में विभाग के पास इस मद में कुल कितनी धनराशि उपलब्ध है;

(छ) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली की अनाधिकृत कालोनियों में लगी स्ट्रीट लाईटों के बिल भुगतान बिजली कम्पनियों को दिल्ली नगर

(झ) यदि हां, तो क्या दिल्ली सरकार इस भुगतान के लिए दिल्ली नगर निगमों को कोई अतिरिक्त फण्ड देता है; इसका पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय ऊर्जा मंत्री : (क) जी हाँ।

(ख) इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव टी.पी.डी.डी.एल. से 20.10.2017 को प्राप्त हुआ था और उचित कार्यवाही के बाद अरबन डवलपमेंट डिपार्टमेंट को पत्र दिनांक 25.05.2018 के द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है। पत्र की कॉपी संलग्न है; (संलग्नक 'क')

(ग) ऊर्जा विभाग की तरफ से कोई देरी नहीं हुई है;

(घ) अरबन डवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा आवश्यक कार्यवाही पूर्ण होने के बाद इस सम्बन्ध में उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी;

(ङ) अनाधिकृत कालोनियों में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए संबंधित एजेंसी को धनराशि अरबन डवलपमेंट विभाग द्वारा जारी की जाती है;

(च) यह प्रश्न ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित नहीं है;

(छ) जी हाँ; और

(झ) जी नहीं।

संलग्नक 'क'

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF POWER)
DELHI SECRETARIAT 8th LEVEL, B-WING,
I.P. ESTATE NEW DELHI-110002

No. F.11/94/2017/Power/1404 Dated : 25-5-18

To,

Dy, Secretary (UC),
UD Deptt., GNCTD

Sub : Shifting of 11KV O/H lines at Chunna Bhatti & 40 Foota Road, Vijary Vihar, Rohini.

Sir,

This is with reference to letter No. 372/DS/UC/2008/679 dated 14.05.2018 on the above cited subject vide which it has been intimated that proposed shifting of HT/LT lines beyond the boundaries of the unauthorized colony, whereas, as per the guideline/instructions issued by the UD Deptt., the funds for shifting of HT/LT lines can be utilized only for the proposal which are within the boundaries of unauthorized colonies, as such the said proposal can't considered. UD Deptt, has also forwarded the GSDL map for signature/ certifiction.

The matter was taken up with TPDDL. Manager (Govt. Affairs), TPDDL has informed that the end point of this shifting of lines is inside the UC 'Gopal Vihar' (263). The line ends at Gopal Vihar Sub-station No. 1. The line has been marked in both the colonies i.e. Vijay Vihar Ph-2 (Regn. No. 372) and Gopal Vihar (Regn. No. 263). The map of Gopal Vihar has been downloaded from the website of UD Deptt.

Map of Vijay Vihar Ph-2 (Regn. No. 372) and Gopal Vihar (Regn. No. 263) duy marked and signed is enclosed.

As the matter related to unauthorized colony, it is requested to kindly examine the matter as per your policy for unauthorized colony.

Yours faithfully,

Encl: map (in original)*

(Sudhir Sharma)
Dy. Secretary (Power)

Copy to :-

1. Shri Mohinder Goyal, Hon'ble MLA, 19, Sawastik Kunj, Appartment, Sec-13, Rohini, New Delhi-110085.

58. श्री राजेश ऋषि : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की जनकपुरी में बिजली की सुचारू आपूर्ति करने की क्या योजना है;

(ख) जिन स्थानों पर ट्रांसफार्मर लगाने की जगह नहीं है, वहां बिजली आपूर्ति की क्या योजना है;

(ग) क्या ट्रांसफार्मर लगाने के लिए विभाग द्वारा जमीन खरीदने की कोई योजना है;

---

*www.delhi assembly.inc.in पर उपलब्ध।

(घ) क्या सरकार की जनकपुरी में बिजली के खंभों पर लगे इंटरनेट और डिश (केबल टी.वी.) के तारों के जालों को हटाने की कोई योजना है;

(ङ) क्या बिजली की तारों के ड्रेसिंग की भी कोई योजना है; और

(च) यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय ऊर्जा मंत्री : (क) जनकपुरी बी.आर.पी.एल. के लाईसेंस क्षेत्र में आता है इसलिए प्रश्न को बी.आर.पी.एल. को भेजा गया था। बी.आर. पी.एल. ने सूचित किया है कि नेटवर्क के उन्नयन एवं वृद्धि की विभिन्न योजनाएं बनाई गई है;

(ख) जी नहीं; और

(ग) और (च) जी नहीं, यद्यपि डिस्कॉम ने सूचित किया है कि समय–समय पर अनाधिकृत केबलों को हटाने के लिए नियमित जांच करते हैं तथा किसी भी एजेंसी यानी आर.डब्ल्यू.ए., आई.डब्ल्यू.ए. या टेलिफोनिक रूप से प्राप्त किसी भी व्यक्तिगत शिकायत होने पर नियमित रूप से हटा दिया जाता है।

59. श्री जगदीप सिंह : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी औद्योगिक क्षेत्र में बिजली को कनेक्शन लेने के लिए आवेदक का लाइसेंसधारी होना अनिवार्य है; और

(ख) यदि हां, तो इस नियम को कब से लागू किया गया है?

माननीय ऊर्जा मंत्री : (क) इस प्रश्न का सन्दर्भ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से है, इसलिए इस प्रश्न को आयोग को भेजा गया था आयोग द्वारा भेजा गया जवाब इस प्रकार है :

डी.ई.आर.सी. (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियमन, 2017 के विनियमन 11 में निर्दिष्ट समय सीमा और क्षेत्र के प्रकार के आधार पर और आवेदकों द्वारा आयोग का आदेश दिनांक 31.8.2017 के प्रावधानों के अनुसार, प्रासंगिक दस्तावेजों को जमा करने पर, वितरण लाइसेंसधारक द्वारा बिजली कनेक्शन जारी किया जाता है। (प्रतिलिपि संलग्न) है–

अनुलग्नक–I आयोग का आदेश दिनांक 31.8.2017 के अनुसार, औद्योगिक कनेक्शन प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता के पास निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए :

ए औद्योगिक (टिक जो भी उपलब्ध है)

ए.

(i) वैध औद्योगिक लाइसेंस; या

(ii) फैक्टरी लाइसेंस; या

(iii) घरेलू लाइसेंस; या

(iv) ग्रामीण गांव के मामले में लाल डोरा सर्टिफिकेट; या

(v) उद्योग चलाने के लिए आवेदक को अधिकृत करने वाला कोई भी अन्य दस्तावेज

(ख) औद्योगिक कनेक्शन प्राप्त करने के लिए वैध औद्योगिक लाइसेंस/ग्रामीण गांव के मामले में लाल डोरा सर्टिफिकेट रखने का प्रावधान दिल्ली विद्युत आपूर्ति संहिता और प्रदर्शन मानक विनियम, 2007 के तहत भी लागू था और इससे पहले भी लागू था।

60. श्री सोमनाथ भारती : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीमती शीला दीक्षित नीत कांग्रेस सरकार के 15 वर्षीय कार्यकाल के दौरान बिजली के दामों में कितनी बार और कितनी–कितनी बार वृद्धि की गई;

(ख) श्री अरविंद केजरीवाल नीत आम आदमी पार्टी सरकार के दोनों कार्यकालों के दौरान बिजली के दामों में कितनी बार और कितनी–कितनी वृद्धि की गई;

(ग) बिजली के बिल में दर्शाए गए 'फिकस्ड चार्जेज' में वृद्धि के लिए कौन उत्तरदायी है और इनमें वृद्धि के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी;

(घ) 'फिकस्ड चार्जेज' की गणना स्वीकृत लोड के आधार पर की जाती है या एम.डी.आई. के आधार पर;

(ङ) क्या यह सत्य है 'फिकस्ड चार्जेज' में वृद्धि के कारण उपभोक्ताओं के बिजली बिल की कुल राशि में बड़ी वृद्धि हो गई है;

(च) यदि हां, तो सरकार इस वृद्धि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्या उपाय करने जा रही है;

(छ) क्या यह सत्य है कि 400 यूनिट से अधिक का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार की सब्सिडी योजना का लाभ नहीं मिलता है,

(ज) क्या यह सत्य है कि अन्य राज्यों की तुलना में दिल्ली में बिजली की दरें सबसे कम हैं।

(झ) दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियां लाभ में चल रही हैं या घाटे में;

(ञ) दिल्ली में जब से बिजली वितरण का निजीकरण हुआ है तब से अब तक का दिल्ली की सभी बिजली वितरण कंपनियों का विवरण उपलब्ध कराएं। तीनों बिजली वितरण कंपनियों के पिछले पांच वर्षों के लाभ–हानि तथा बैलेंसशीट उपलब्ध कराएं,

(ट) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में पिछले दो वर्षों में बी.एस.ई.एस. में दर्ज कराई गई अथवा बी.एस.ई.एस. द्वारा स्वयं दर्ज कीगई बिजली की कटौती का ब्यौरा उपलब्ध कराएं;

(ठ) क्या यह सत्य है कि 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों को बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है; और

(ड) यदि हां, तो ऐसे भवनों के लिए क्या व्यवस्था होगी और मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के ऐसे कितने आवेदन बी.एस.ई.एस. में लंबित हैं?

माननीय ऊर्जा मंत्री : (क) से (ङ) इन प्रश्नों का सन्दर्भ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से है, इसलिए इस प्रश्न को आयोग को भेजा गया था। आयोग द्वारा भेजा गया जवाब संलग्न है। (संलग्नक 'क');

(च) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है;

(छ) जी हां;

(ज) जी हां;

(झ) और (ञ) डिस्कॉम की बैलेंसशीट संलग्न है। (संलग्नक 'ख');

(ट) यह क्षेत्र बी.आर.पी.एल. के अधीन आता है, बी.आर.पी.एल. ने सूचित किया है कि इस अवधि के दौरान कोई बिजली कटौती नहीं हुई थी, सुरक्षा मुद्दों के कारण और निवारक रखरखाव के कारण बिजली कटौती की सूची संलग्न है। (संलग्नक 'ग')

(ठ) और (ड) 15 मीटर से ऊँची इमारतों के लिए डी.ई.आर.सी. (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम, 2017 के अनुच्छेद 7(2) के अन्तर्गत कनेक्शन दिए जाते हैं (संलग्नक 'घ')

मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र के लम्बित कनेक्शनों की सूची संलग्न है (संलग्नक 'ड')।

61. श्री सुखवीर सिंह दलाल : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को 3—फेज कनेक्शन की स्वीकृति देने के लिए टी.पी.डी.डी.एल. तथा बी.एस.ई.एस. ने किस नियम के अंतर्गत सिक्योरिटी डिपोजिट की राशि बढ़ाई है;

(ख) टी.पी.डी.डी.एल. तथा बी.एस.ई.एस. बिना संबंधित प्राधिकरण की

अनुमति के केबल बिछाने तथा ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य किस नियम के अंतर्गत करते हैं;

(ग) क्या इस प्रकार बिना अनुमति के केवल बिछाने और ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य वैध हैं;

(घ) क्या नियम 81 के अंतर्गत ग्रामसभा की भूमि के साथ मिला दी गई भूमि के विद्युतीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना आवश्यक है;

(ङ) ट्रांसफार्मर लगाने हेतु भूमि चिन्हित करने की नीति क्या है;

(च) अनधिकृत तथा अन्य विद्युतीकृत कॉलोनियों के विद्युतीकरण की नीति क्या है;

(छ) मीटर का लोड बढ़ाए जाने की नीति क्या है, 5 कि.वॉ. के मीटर का लोड 15 कि.वॉ. करने के आवेदन पर 20 कि.वॉ. का शुल्क क्यों देना पड़ता है;

(ज) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में टी.पी.डी.डी.एल. ने 1 जनवरी, 2015 से अब तक कितनी सी.एस.आर. गतिविधियां की हैं व इनके लिए उन कंपनियों ने कितना व्यय किया है;

(झ) विधानसभा में मुंडका विधानसभा क्षेत्र के विधायक द्वारा पूछे गए कितने प्रश्नों का उत्तर टी.पी.डी.डी.एल. ने दिया है;

(अ) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 10.02.2015 के बाद से टी.पी.डी.डी.एल. तथा बी.एस.ई.एस. द्वारा किए कार्यों की अनुमानित लागत क्या है;

(ट) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न शिकायत केंद्रों पर विभिन्न पदों पर वांछित स्टाफ–क्षमता तथा उपलब्ध स्टाफ–क्षमता क्या है; और

(ठ) टीकरी कलां बी.एस.ई.एस. शिकायत केंद्र द्वारा निर्धारित समय में निपटाई गई शिकायतों की संख्या तथा निर्धारित समय में निपटाई गई शिकायतों की संख्या तथा निर्धारित समय में न निपटाई जा सकी शिकायतों की संख्या; विलंब के कारण सहित, क्या है?

माननीय ऊर्जा मंत्री : (क) इस प्रश्न का सन्दर्भ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से है, इसलिए इस प्रश्न को आयोग को भेजा गया था आयोग द्वारा भेजा गया जवाब इस प्रकार है;

डी.ई.आर.सी. (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम, 2017 में, विनियम 20 के प्रावधानों के अनुसार और डी.ई.आर.सी. आदेश दिनांक 31. 8.2017 के खंड 3 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारक द्वारा सुरक्षा जमा लगाया जाता है (प्रति संलग्न अनुलग्नक–1)।

(ख) डिस्कॉम द्वारा सूचित किया है कि ट्रांसफार्मर लगाने व केवल बिछाने के कार्य के लिए योजनाएं हमारे द्वारा तैयार की जा रही है और डी.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित की जा रही है। (डी.टी. स्थापना और केबल बिछाने का कार्य स्थान की उपलब्धता तथा सम्बन्धित उपभोक्ता/आर.डब्ल्यू. ए./सड़क मालिकाना एजेन्सी/विभाग की अनमति से और सम्बन्धित पार्षद/विधायक की मदद से किया जा रहा है)।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता है।

(घ) इस प्रश्न का सन्दर्भ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से है,

इसलिए इस प्रश्न को आयोग को भेजा गया था आयोग द्वारा भेजा गया जवाब इस प्रकार है :

''विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 के अनुसार, आपूर्ति के क्षेत्र में, एक कुशल, समेकित और आर्थिक वितरण प्रणाली को विकसित और बनाए रखना, वितरण लाइसेंसधारक का कर्तव्य है।

ग्रिड–सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर, सर्विस लाइन, मीटर और अन्य उपकरणों की स्थापना के लिए, भूमि स्थान की आवश्यकता, डी.ई.आर.सी. (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम, 2017 के विनियमन 22 के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाता है। (प्रति संलग्न–अनुलग्नक–II)

जहां कोई विशिष्ट डेवलपर नहीं है, वहां वितरण लाइसेंसधारी को भूमि स्थान के आवंटन के लिए, दिल्ली सरकार, जी.ओ.एन.सी.टी.डी., से संपर्क करने की आवश्यकता है। ऊर्जा विभाग, जी.ओ.एन.सी.टी.डी., अपनी नीति के अनुसार भूमिगत एजेंसियों से, भूमि खरीदने के बाद, 'उपयोग करने का अधिकार', के आधार पर वितरण लाइसेंसधारी को जमीन आवंटित करता है।

(ङ) इस प्रश्न का सन्दर्भ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से है, इसलिए इस प्रश्न को आयोग को भेजा गया था आयोग द्वारा भेजा गया जवाब इस प्रकार है–

''विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 के अनुसार, आपूर्ति के क्षेत्र में, एक कुशल, समेकित और आर्थिक वितरण प्रणाली, को विकसित और बनाए रखना, वितरण लाइसेंसधारक का कर्त्तव्य है।

ग्रिड–सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर, सर्विस लाइन, मीटर और अन्य उपकरणों की स्थापना के लिए, भूमि स्थान की आवश्यकता, डी.ई.आर.सी. (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम, 2017 के विनियमन 22 के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाता है। **(प्रति संलग्न–अनुलग्नक–2)**

(च) इस प्रश्न का सन्दर्भ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से है, इसलिए इस प्रश्न को आयोग को भेजा गया था आयोग द्वारा भेजा गया था आयोग द्वारा भेजा गया जवाब इस प्रकार है :

''वितरण लाइसेंसधारक द्वारा, विद्युतीकृत क्षेत्रों में विद्युतीकरण, डी.ई. आर.सी. (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम, 2017 के विनियमन 11 (4) (ii) के अनुसार और गैर–विद्युतीकृत क्षेत्रों में विद्युतीकरण विनियमन 11(4)(iii) के अनुसार किया जाता है, (प्रति संलग्न–अनुलग्नक–3)।''

(छ) इस प्रश्न का सन्दर्भ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से है, इसलिए इस प्रश्न को आयोग को भेजा गया था आयोग द्वारा भेजा गया जवाब इस प्रकार है :

''डी.ई.आर.सी. (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम, 2017 के विनियमन 17(4) के प्रावधानों के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारक द्वारा भार की समीक्षा की जाती है। (प्रति संलग्न–अनुलग्नक–4)''

(ज) टी.पी.डी.डी.एल. ने सूचित किया है कि सी.एस.आर. के तहत उनके द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं :

1. टी.पी.डी.डी.एल. ने धनपत मल विरमारी शैक्षिक ट्रस्ट के माध्यम

से 1 जुलाई 2017 से 03 महिला साक्षरता केन्द्र चला रहे हैं जिसपर कुल व्यय रुपये 217338/– हुआ है।

2. टी.पी.डी.डी.एल. ने जे.जे. कलस्टर में मोबाईल डिस्पेंसरी अक्टूबर, 2017 तक 4 बार चलाई है इसमें कुल व्यय रुपये 125000/– हुए हैं।

(झ) टी.पी.डी.डी.एल. द्वारा उनसे सम्बन्धित पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है;

(अ) टी.पी.डी.डी.एल. तथा बी.एस.ई.एस. द्वारा सूचित किया गया है कि मुंडका विधानसभा क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों की अनुमानित लागत इस प्रकार है :

टी.पी.डी.डी.एल. – 148.12 करोड़ रुपये

बी.आर.पी.एल. – 17.31 करोड़ रुपये

(ट) यह प्रश्न बी.आर.पी.एल. और टी.पी.डी.डी.एल. से सम्बन्धित है उनके द्वारा भेजा गया जवाब संलग्न है। (अनुलग्नक 5); और

(ठ) बी.एस.ई.एस. द्वारा सूचित किया गया है कि जनवरी 2018 से 15 जुलाई, 2018 तक 2995 शिकायतें दर्ज की गई थी तथा सभी शिकायतें समय सीमा के भीतर निपटझ दी गई है।

अनुलग्नक–एक

DRRC (Supply code and performance Standards Regulations (2017)

(4) On receipt of the payment of the final bill, the Licensee shall issue receipt with ,,Final Bill' stamped on it. This receipt shall be treated as ,,No dues certificate'.

(5) On termination of the agreement, the Licensee shall be entitled to remove the service line and other equipment of the Licensee from the premises of the consumer.

(6) During the period of temporary disconnection, the consumer shall be liable to pay the fixed charges to the Licensee.

(7) Any application for revival of the connection after permanent disconnection shall be treated as an application for new connection and would be processed only after clearance of all outstanding dues applicable, if any:

Explanation:- For the purpose of this Regulation, permanent disconnection shall mean, a case of Termination of agreement or where power supply to a consumer remains disconnected for a continuous period of more than 6 (six) months and the Licensee shall be entitled to remove the service line and other equipment of the Licensee from the premises of consumer.

{Temporary disconnection shall mean when the premises of a consumer has been disconnected due to non-payment of bills of the Licensee upto a period of 6 (six) months and during period of Temporary Disconnection, the Licensee shall not remove its service line and other equipment upto a period of 6 (six) months}.

20. Security Deposit:-

(1) Applicant/consumer shall pay security deposit towards supply of electricity corresponding to the sanctioned load or contract demand as the case may be, as per the rates and mode notified in the Commission's Orders:

Provided that subject to sub-regulation (5) & (7), if there is no change in the load of the existing consumer, no additional security deposit shall be charged from the consumer:

Provided further that the Licensee shall accept the security deposit in the form of Bank Guarantee issued by any scheduled bank, from the interested applicant having contract demand of 1MVA and above:

Provided also that the consumer shall keep such Bank Guarantee alive throughout the period during which supply of electricity is availed:

Provided also that such existing consumers, if so desire, may furnish security deposit in the form of bank guarantee and the amount of security already deposited shall be adjusted/refunded by the Licensee in 12 equal installments in the bill(s).

(2) Where pre-payment meters are used to supply power, security deposit for supply of electricity shall not be collected.

(3) The Licensee shall pay to the consumer interest on the security deposit at the rate and as per the procedure notified in the Commission's Orders:

Provided that no interest shall be paid to the consumer who has furnished security deposit in the form of bank guarantee.

(4) The interest accrued during the year shall be adjusted in the bill for the first billing cycle of the ensuing financial year.

(5) In cases of load reduction, the Licensee shall refund the excess security deposit by adjusting the same in energy bill issued in next billing cycle:

{Explanation: The excess security deposit shall be the difference of the security deposit computed based on reduced load corresponding to prevailing rates of security deposit on the date of load reduction and the actual security deposited by the consumer. In case the difference is negative, no additional security deposit shall be taken from the consumer.}

(6) In case the refund of security deposit is in excess of the energy bill, the security deposit shall be refunded in the next energy bill(s). However, the Licensee shall also adjust the interest accrued on the amount left with Licensee at the interest rate notified for interest on security deposit.

(7) In case of transfer of connection, the security deposit in the name of preceding consumer shall stand transferred in the name of new applicant:

Provided that if the existing security deposit is less than the security deposit computed based on the load corresponding to prevailing rates of security deposit on the date of transfer of connection, the new applicant shall remit the balance security deposit.

(8) In case of upward revision of sanctioned load or contract demand of consumer, the consumer shall remit the enhanced security deposit.

{Explanation: The enhanced security deposit shall be the difference of the security deposit computed based on total load after enhancement corresponding to prevailing rates of security deposit on the date of load enhancement and the actual security deposited by the consumer.}

(9) On termination of the agreement and after settlement of all the dues payable to the Licensee, the Licensee shall refund to the consumer the balance security deposit along with accrued interest up to the date of such termination within 15 (fifteen) days after the settlement of all dues payable to the Licensee through demand draft or electronic clearance system:

Provided that the consumer may opt for settlement of outstanding dues against the security deposit:

Provided further that in case of Bank Guarantee, Bank Guarantee shall be returned to the consumer within 7 (seven) days of payment of final bill.

21. Service Line cum Development (SLD):-

(1) Such cases where any area to be developed is sponsored by a developer, the electrification shall be carried out by the Licensee on payment of the applicable cost upto the point of supply by

(2) The applicant having load exceeding 100kW/108 k'VA and upto 200kW/215kVA shall have the choice to opt for receiving supply at low tension or high tension.

(3) The developer shall have the option to receive supply at lower voltage levels for its members as per applicable classification of supply - irrespective of whether the aggregated demand of developer requires supply at high tension or extra high tension level.

(4) In case where supply, depending upon the technical conditions of the system, has to be given at voltage other than those specified above, the Licensee may give the same-subject to the approval of the Commission.

2. Forms under Supply Code Regulations:

(1) The forms required to be filled as: per the Supply Code Regulations for various applications shall be as under:

Sl. No.	Annexure No.	Description	Reference Regulation Number of Supply Code Regulations
1	2	3	4
1.	Annexure-I	Application for New Connection	11 (1) (i)
2.	Annexure-II	Application for Temporary Connection	16(2)
3.	Annexure-III	Application for Change of Registered Consumer	17 (1) (i)
4.	Annexure-IV	Application for Load Enhancement	17 (2) (i)
5.	Annexure-V	Application for Load Reduction	17 (3) (11)

1	2	3	4
6.	Annexure-VI	Application for Change of Category	17 (5) (I)
7.	Annexure-VII	Meter Testing Report	32
8.	Annexure-VIII	Application for Disconnection	53 (1).
9.	Annexure-IX	Inspection Report	57 (1), 61 (1)

(2) The distribution licensee shall establish separate counters for senior citizens, women and differently abled persons for submission of application and for receipt of payments:

Provided that the distribution licensee shall also provide the requisite infrastructure facilities as required for differently abled persons.

3. Security Deposit under Regulation 20 (1) of Supply Code Regulations:

(1) The applicant shall pay security deposi,tas under, corresponding to the sanctioned load. However, in case of contract demand, the security deposit shall be taken as per contract demand.

Sl. No.	Tariff Category (as per Tariff Order)	Security Deposit for Permanent Connection (Rs. Per kW or per kVA as the case may be)
1	2	3
i	Domestic	
(i)	Upto 2kW	600
(ii)	Above 2kW upto 5kW	900
(iii)	Above 5kVV	1200
(iv)	Non-Domestic	4500
3	Industrial	4500
4	Agriculture	300

1	2	3
5	Public Lighting	3000
6	Railway, DMRC, DIAL, DJB	3000
7	Mushroom-Cultivation	600
8	Advertlsement.and Hoardings	4500
9	Any other category not specified above	To be decided by the Commission

(2) in case if Bank Guarantee is furnished by the applicant for security deposit, the Bank Guarantee shall be valid for a period of atleast one year from the date of its opening:

Provided that the Bank Guarantee shall be renewed atleast one month in advance from the date of its expiry:

Provided further that if the Bank Guarantee is not renewed one month prior to its date of expiry, the distribution licensee may encash the bank guarantee and keep the money received as security deposit.

4. Interest on Security Deposit under Regulation 20(3) of Supply Code Regulations:

(1) The -distribution licensac shall pay interest on security deposit annually to/the consumer from the date of such security deposit at Marginal Cost of Fund based Lending Rate (MCLR) as notified bv State Bank of India prevailing on the 1st (first) April of that financial year.

Provided that for the period prior to the date of applicability of this Order, the interest on security deposit shall be payable as per Delhi Electricity Supply Code and Performance Standards Regulations, 2007.

5. Service line cum Development (SLD) Charges under Regulation 21 of Supply Code Regulations:

(1) Payable by the Developer to the distribution licensee in both electrified and un-electrified Areas under Regulation 21 (1) of Supply Code

Sl. No.	Load Applied	Supply Voltage	EHT Cost	HT Cost	LT Cost	Supervision Charge	Load (Restoration Charges	Total
1	2	3	4	5	7	8	9	10
(i)	Above 4MVA	EHT	Actual cost and the	Not applicable	Not applicable	15% cost of Labour &	Actual	4+7
(ii)			More than 150kW to 200 kW/215kVA	Rs. 25000+Rs.400 per kW or per kVA as the case may be for load beyond 150 kW		Actual RR charges for service line		4+5
(i)	Un Electrified Area as on 31.7.2017*		Load upto 4kW other than agriculture connection	Rs.8000 per kW		Actual RR charges for service line		4+5
(ii)			Load above 4kW and upto 10 kW, other than agriculture connection	Rs. 12,000 per kW		Actual RR charges for service line		4+5
(iii)			Load above 10kW and upto 200 kW/ 215 kVA, other	Rs.20,000 per kW or per kVA or the case may be		Actual RR charges for service line		4+5

1	2	3	4	5	7	8	9	10
			than agriculture connection					
(iv)			Agriculture connectin	20% charges per kW for respective slab of load mentioned at point (i), (ii) & (iii) of un-electrified area		Actual RR charges for service line		4+5

* These charges shall be applicable for release of connection or load enhancement as per applicable Regulations in the area which are declared as un-electrified by the License on 31.7.2017 till further orders of the Commission.

(ii) The applicant taking load upto 10 kW in un-electrified areas shall have the option to pay the SLD charges in twelve equal montly installments.

6. Space for Installation of Grid sub-station, transformers, service line, meter and other equipment under Regulation 22 of Supply Code Regulations :-

(1) In case the load demanded by the developer/applicant is 1MVA or above, at High Tension level or at Low Tension Level, as the case may be, the developer/applicant, in addition to the space required at sub clause (3) & (4) below, shall provide the space for installation of grid sub-station as under:

Sl. No.	Sub-station Type	Size (Meters)
(i)	Air- Insulated Sub-station-66/11 Grid substation with 2PTR	80Mx60M kV
(ii)	Air- Insulated Sub-station-66/11 Grid substation with 3PTR	90Mx80M kV
(iii)	Air- Insulated Sub-station-33/11 Grid substation with 2PTR	45Mx35M kV
(iv)	Gas Insulated Sub-station- 66/11kV or 33/11kV	50Mx30M

Provided that in case if the grid sub-station can be installed in less space, the distribution licensee may accept the lesser space as agreed mutually between the distribution licensee and the developer/applicant.

(2) In cases where space is to be provided by the Government of NCT of Delhi, the distribution Licensee shall approach Government of National Capital Territory of Delhi, as per policy issued by Power Department, Government of National Capital Territory of Delhi for allotment of land, vide its letter no. F 11/16/2003-Power/V-II/1642 dated 09/06/2011 or as amended from time to time.

(3) The developer /applicant taking supply at High Tension level shall provide space for installation of switchgear and metering cubicle of requisite dimensions as agreed with the Licensee.

(4) The developer/applicant taking supply at Low Tension level for any premises or for re-constructed premises, requiring LT Service connections whose:

(i) total cummulative demand of all floors in the plot/building for LT service connection exceeds 100 kW/108 kVA; or

(ii) total cummulative built up area of the premises in the plot/building exceeds 1000 sqm; or

(iii) plot of size above 300 sqm or above;

shall provide the space for installation of distribution transformers, as per the required load:

Provided that the minimum space required to be provided by the developer/applicant for installation of distribution transformers/equipment shall be as per circular no, South DMC/0148/SE(B)HQ/Addl. ComI/17 dated 30.03.2017 notified by South Delhi Municipal Corporation or as mentioned from time to time, annexed at Schedule I.

Provided further that the existing consumer shall also be required to provide the space as above, in the event of:

(i) enhancement of existing load or account of additional construction in the premises and consequently the total built up area exceeds 1000 sqm of the plot/building or their total LT Service connections demand exceeds 1000 kW/108 kVA; or

(ii) enhancement of load based on maximum demand readings for the electricity connections energized on or after 1.9.2017 and the total LT Service connection demand exceeds 100 kW/108 kVA.

the same shall be charged to the applicant and shall be shown separately in the demand note.

(4) The service line shall be maintained by the Licensee.

22. Space for installation of grid substation, transformers, service line, meter and other equipment:-

(1) The developer or the applicant applying for supply of electricity from the Licensee shall provide free of charge, the applicable space of requisite dimensions as notified in the Commission's Orders, at a convenient location, as may be mutually agreed between the consumer and the Licensee, for erection and installation of grid substations, transformers, switch gear, meter, equipment, etc.:

Provided that if there is no specific developer in an area and the augmentation of the existing distribution system requires the space for installation of grid substations, transformers, switch gears, etc. to meet out the load demand, the distribution licensee shall approach the Government of National Capital Territory of Delhi, within fifteen days of such requirement, for allotment of space, indicating the probable space available in such areas:

(2) Except for HT or EHT networks, the Licensee shall have no right to utilize the sub-station in the consumer's premises, without his consent, for the supply of electrical energy to other consumers:

Provided that the utilization of such assets for providing electricity to other consumers shall not in any manner affect the supply to the consumers for which such assets were originally installed.

23. The safe custody of the meter and other equipment of the Licensee:-

(1) It shall be the responsibility of the consumer to keep the meter installed within its premises in safe custody.

(ii) An undertaking to be given by the consumer to the effect that alteration/ addition is as per the prevailing Building Bye-Laws;

11. New Electricity Connection:-

The Licensee shall process the application for new connection, within the time frame as specified in these Regulations

(1) Submission of application along with all documents:-

(i) The Applicant shall make application for new connection to the Licensee in the form notified in the Commission's Orders:

Provided that a non-refundable registration cum processing fee as notified in the Commission's Orders shall be levied on the applicant applying connection at Extra High Tension or High Tension voltage level.

(ii) The applicant can also make application for new connection online on the website of Licensee:

Provided that the applications for new connection for 50 kVA and above, unless any other lower value as may be notified by the Commission from time to time, shall be submitted through online system only.

(iii) If the Applicant wishes to provide his own meter of approved specifications, he shall explicitly inform the same to the Licensee at the time of making the application.

(iv) The Licensee shall indicate all the deficiencies in the application form to the applicant in one go only and shall not raise any new deficiency subsequently.

(v) In case the Licensee fails to intimate the applicant about any deficiencies in his application on the spot or within the stipulated 2 (two) days in case of online application, as the case may be, the application shall be deemed to have been accepted by the Licensee

on the date of receipt of the application.

(vi) In case the applicant fails to remove such defects or fails to inform the Licensee about removal of deficiencies within 30 (thirty) days from the date of receipt of intimation of deficiencies, the application shall stand lapsed and the applicant will have to apply afresh.

(vii) The application shall be considered to be accepted only on removal of deficiencies as indicated under this Regulation.

(2) Field Inspection:-

(i) In case the application form is complete, the Licensee shall, at the time of receipt of application form, stipulate a date and time for inspection of applicant's premises in mutual consultation with the applicant, giving a written acknowledgement.

(ii) The date of inspection shall be scheduled within 2 (two) days from the date of acceptance of the application:

Provided that if the applicant wishes to have a different date and time for field inspection, which is beyond the stipulated date & time, the excess time taken by the applicant shall neither be considered for computation of total time taken for release of connection nor for the purpose of compensation:

Provided further that if the applicant wishes, he can get the inspection scheduled on a holiday for the Licensee, on payment of an inspection fee as notified in the Commission's Orders.

(iii) The Licensee shall conduct field inspection of the premises in the presence of the applicant or his representative on the appointed date and time.

(iv) The Licensee shall not sanction the load, if upon inspection, the Licensee finds that;

a. the information as furnished in the application is at variance to the actual position, or

b. the installation is defective or

c. the energisation would be in violation of any provision of the Act, Electricity Rules, Regulations or any other requirement, if so specified or prescribed by the Commission or Authority under any of their Regulations or Orders.

(v) The Licensee shall give intimation to the applicant on the spot in writing about the defects/deficiencies, if any, observed during the field inspection.

(vi) The applicant shall ensure that all defects/deficiencies are removed within 30 (thirty) days from receipt of intimation of defects/ deficiencies.

(vii) On receipt of information from the applicant about removal of defects/deficiencies, the Licensee shall intimate the applicant about date for re-inspection of the premises of the applicant which shall not be later than 2 (two) days of receipt of information from the applicant about removal of defects/deficiencies.

(viii) In case the applicant fails to remove such defects/deficiencies or fails to inform the Licensee about removal of defects/deficiencies within 30 days from the date of receipt of intimation of defects/ deficiencies, the application shall stand lapsed and the applicant will have to apply afresh:

Provided that the Licensee may grant additional time to the applicant for completion of works, in case the applicant submits a written request for the same, within 30 (thirty) days from the date of receipt of intimation of defects/deficiencies.

(ix) In case the Licensee fails to carry out field inspection/re-inspection within 2 (two) days from the date of acceptance of application or from the date of receipt of intimation of removal of site defects/ deficiencies, the load applied for connection shall be deemed to have been sanctioned after 2 (two) days from the date of acceptance of the application or the date of receipt of information for removal of defects/deficiencies, as the case may be.

(3) Load Sanction and Demand Note:-

(i) Save as otherwise provided in the Act or these Regulations, the Licensee shall sanction the load as requested by the applicant.

(ii) The Licensee shall raise the demand note to the applicant, within 2 (two) days of the field inspection subject to rectification of defects/ deficiencies, for applicable charges, giving its breakup under the heads such as Service Line cum Development (SLD) charges, Security deposit, security towards pre-payment meter, road restoration charges, reconnection charges, etc. after giving due adjustment for the registration cum processing fee collected, if any, at the time of submission of the application:

Provided that in cases where consumer contribution is required for augmentation of network, the demand note shall be raised by the licensee within 10 (ten) days of the field inspection.

(iii) The applicant shall make payment within 2 (two) days of the receipt of the demand note.

(iv) In case the applicant finds difficulty in making the payment within 2(two) days, the applicant may request the Licensee, in writing, for an extension of time for a maximum period of 15 (fifteen) days.

(v) The Licensee shall be under obligation to energise the connection on receipt of full payment against the demand note subject to the condition that the time extended under sub-regulation (iv) above shall not be counted in working out the total time taken for energisation of connection by Licensee nor the consumer shall be entitled to seek any compensation for such extended period.

(4) Energisation of Connection:-

(i) Where connection is to be provided from existing distribution system in electrified areas:-

a. In cases where road cutting permission or right of way is not required, the Licensee shall energize the connection within 1(one) day from the date of receipt of full payment.

b. In cases where road cutting permission or right of way is required, the Licensee shall energize the connection within 9(nine) days from the date of receipt of full payment:

Provided that if delay in road cutting permission or right of way is beyond 2(two) days from the date of submission of request by the distribution licensee, such delay shall not be counted in working out the total time taken for energisation of connection by Licensee nor the consumer shall be entitled to seek any compensation for such period.

c. The total time for providing connection from existing distribution system shall not exceed the time schedule specified under these Regulations.

d. For the purpose of illustration, the total time taken for release of connection in electrified area from the existing distribution system, where there is no deficiency in the application or during field inspection, shall be as under:

Sl. No.	Description	Time period
(i)	Acceptance of Application	Zero date
(ii)	Field Inspection	Within 2 days of Acceptance of Application
(iii)	Load Sanction and demand note	Within 2 days of Field Inspection
(iv)	Payment of demand note	Within 2 days of raising demand note
(v)	Release of connection, where no RoW or road cutting permission is required	Within 1 day of receipt of payment
	Release of connection, where RoW or road cutting permission is required	Within 9 days of receipt of payment
(vi)	Total time for release of connection where no RoW or road cutting permission is required	Within 7 days of acceptance of application
	Total time for release of connection where RoW or road cutting permission is required	Within 15 days of acceptance of application

(ii) Connection where system augmentation is required in electrified areas:-

a. The Licensee shall not deny new connection as long as the peak load including the load capacity of the new connection on the applicable distribution transformer falls within and up to 90% of the rated capacity of the transformer.

b. The Licensee shall take appropriate action for augmentation of the capacity, as soon as the peak load on the existing applicable distribution transformer(s) reaches about 70% of its rated capacity.

c. Subject to sub-clause (a) above, if giving of new connection requires augmentation of distribution system, the Licensee shall inform the applicant about the approximate time frame by which the applied load can be energized. Such time frame shall not exceed the time schedule specified as under:

(i)	Electrified Areas (where extension of line upto five poles is required)	Within 15 days from the date of receipt of full payment against demand note.
(ii)	Electrified Areas (Where extension of lines or augmentation of Distribution Transformation capacity,where peak load of transformer has reached 90% of its rated capacity)	Within 2 months from the date of receipt of full payment against demand note.
(iii)	Electrified Areas (Where new Distribution Transformer is required)	Within 4 months from the date of receipt of payment against demand note
(iv)	Electrified Areas (Where existing 11 KV network needs to be augmented)	Within 6 months from the date of receipt of payment against demand note
(v)	Electrified Areas (Where existing 66/33 kV grid sub-station needs to be augmented)	Within 8 months from the date of receipt of payment against demand note

Provided that the Licensee may approach the Commission for extension of time specified in specific cases, where magnitude of electrification works is such that it requires more time, duly furnishing the details in support of such request for extension.

(iii) Connection in Un-electrified areas:-

a. The licensee shall upload the updated details of un-electrified areas as on 31st March of every year alongwith the geographical map clearly indicating the boundaries of such areas under its licensed area of supply by the end of April of that year:

Provided that the Licensee for the first time shall upload the details of un-electrified areas as on 31.7.2017 alongwith the geographical map clearly indicating the boundaries of such areas under its licensed area of supply:

Provided further that the details of un-electrified areas as on 31.7.2017 shall be uploaded by the Licensee on its website by 31.8.2017 and shall remain on its website unless reviewed by the Commission.

b. The Licensee shall submit in the Business Plan, details of un-electrified areas under its area of supply and proposal for its electrification during the control period.

c. The Licensee shall submit alongwith the filing of tariff petition, the detailed plan for electrification of these areas duly taking into account the number of pending applications for service connections, potential for load growth etc.

d. The Licensee shall ensure that all relevant laws of the land are complied with.

e. The Licensee shall complete the electrification of un-electrified areas and release the connection within the time schedule specified as under:

(i)	Where connection from nearby existing network is possible	Within 4 months from the date of receipt of approval from the Commission, wherever required, subject to: (i) receipt of service line cum development charges under Regulation 21 from the developer or the applicant as the case may be; and (ii) availability of right of way & land, wherever required.
(ii)	Where new network is to be laid or grid station needs to be established	Within 12 months from the date of receipt of approval from the Commission, wherever required, subjectto: (i) receipt of service line cum development charges under Regulation 21 from the developer or the applicant as the case may be; and (ii) availability of right of way & land, wherever required.

Provided that on request of the licensee, the Commission may allow extension of time for electrification works in specific cases, based on the justification and the details furnished by the Licensee:

Provided further that once electrification of such area is completed, the timelines for energisation of connection shall be in accordance

with the provisions of these Regulations for energisation of connection in electrified areas.

(iv) All connections to be energized using bus-bars:-

a. If more than one connection in a premises/complex are energized using a single service line or a cable, all such connections shall be energized using the bus-bars only without looping with other meters.

b. Any existing connection, provided through loop connections, energized prior to 18th April, 2007 (date of notification of Delhi Electricity Supply Code and Performance Standards Regulations, 2007), shall be rectified and re-energized using bus-bars within 6 (six) months from the date of applicability of these Regulations.

c. The consumer shall have the right to check / verify that the neutral of its meter is connected directly from the bus bar and not in any other manner.

d. Subject to Sub-Clause (b) above, if it is found that the consumer's meter is energized through neutral looping and not directly from the bus bar, the Licensee shall be liable to pay compensation as specified in Schedule-I of the Regulations.

(v) Compensation for delay in energizing connection:-

a. In case the Licensee fails to provide the connection to an applicant within the prescribed time lines, the Licensee shall be liable to pay the applicant, compensation as specified in Schedule-I of the Regulations.

b. For determination of compensation, the time taken for release of connection shall not be considered on account of the following:-

(i) If at any stage, additional time period is sought by the applicant for reasons to be recorded in writing; or

(ii) If the same is on account of reasons such as right of way, acquisition of land, delay in permission for road cutting etc., or occurrence of any force majeure event, over which Licensee has no control and the reasons for the delay are communicated to the applicant within the period specified for energisation; or

(iii) If additional time is allowed by the Commission for completion of work.

c. In case the Licensee fails to provide connection to an applicant after raising a demand note, the Licensee shall pay the applicant, compensation as per Schedule-I of the Regulations:

Provided that the Licensee shall also refund the amount deposited by the applicant against the demand note along with interest as applicable in case of Security Deposit, within 30 (thirty) days from the date load is not sanctioned:

Provided further that if the connection could not be provided after issuance of the demand note for the reasons attributable to the applicant, no compensation shall be payable and the Licensee shall refund the amount deposited by the applicant against the demand note.

(vi) Electricity Connection based on occupancy as per Regulation 10 (3)(v & vi):-

a. The Licensee shall provide the electricity connection to such applicant only through pre-payment meter by charging a refundable security also as notified in the Commission's Orders towards pre-payment meter: Provided that if the load demanded by the applicant is more than 45kW, the Licensee may provide the connection through post-paid meter:

b. The electricity connection shall be valid during the currency of said lease agreement or mutually extended period of lease by the occupier and the owner.

c. The Licensee shall disconnect the electricity connection on expiry of lease agreement, unless extended.

d. In case the proof of occupancy is rent receipt alongwith undertaking that the rent receipt is signed by the owner or his authorized representative, the electricity connection shall be disconnected on the request of the owner or his authorized representative:

Provided that notice of at least one month period shall be given by the owner or his authorized representative to the Licensee and the occupier .

e. At the time of disconnection, if the pre-payment meter is not defective/damaged, the Licensee shall refund the security collected towards pre-payment meter alongwith the balance within 7 (seven) days of disconnection through demand draft or electronic clearance system.

12. Single point supply:

(1) The Licensee shall, if so requested, give single point supply, to the premises with multiple consumers/beneficiaries such as:

(i) Multi-storey buildings.

(ii) Residential complex developed by any developer.

Delhi Electricity Regulatory Commission

Viniyamak Bhavan, C-Block, Shivalik, Malviya Nagar, New Delhi-110017

F.17 (174)/DERC/Engg./2017-18/5885/

Schedule of Charges and the Procedure (Third Amendment) Order, 2018 (Date of Order: 4/7/2018)

The Delhi Electricity Regulatory Commission in exercise, of the powers vested under. Regulation 84 and Regulation 87 of Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017, hereby makes the following amendment in its Order dated 31.08.2017 (hereinafter referred to as "the Principal Order").

1.0 Short title and commencement:

This Order may be called as Schedule of Charges and the Procedure (Third Amendment) Order, 2018 and shall be effective from, the date of its issue.

2.0 Amendment in Clause 6(4)(iii) of the Principal Order:

(1) In sub clause (4)(iii) of the clause 6 of the Principal Order, the text 'plot of size above 300 sqm or above' shall be substituted as 'plot of size 500 sqm or above'.

3.0 Amendment in Annexures of the Principal Order:

(1) The Annaxure 1 specifying the format for application form or now connection shall be substituted as per enclosed Annexure I.

(2) The Annexure IV specifying the format for application form for load enhancement shall be substituted as per enclosed Annexure IV.

Sd/-
(B.P. Singh)
Member

ANNEXURE-1

Format of Application Form - New Connection

Licensee name M/S.......

Application No.

Photograph

1.	Name of the applicant/organization:	
2.	Name of father/mother/spouse/ director/partner/trustee:	
3.	Address:	
(a)	For communication	House/plot/premises no.
		Street
		Area/colony
		Pin Code
		Telephone No.: Mobile; E-mail:
(b)	Where supply is required	House/plot/premise no.
		Street
		Area/colony
		Pin Code
		Telephone No.: Mobile; E-mail:

(c)	Indicate landmarks (Pole No./Feeder Pillar No./Nearest House No,) to identify the location	
4.	Category for Electricity Usage (As per applicable Tariff Schedule)	(i) Domestic Category (ii) Non domestic (iii) Industrial (iv) Agricultural & Mushroom cultivation (v) Public Utilities (vi) DIAL (vii) Advertisement/Hoardings (viii) Charging of E-rickshaw/E-vehicle
	Note: the applicant shall refer the applicable tariff schedule for correct tariff category. In case of any clarification, the applicant shall seek help of the licenses.	
5.	Purpose of supply	
6.	Total load applied for (in KW)/ (in kVA)	
7.	Contract Demand applied for (in kW)/ (inKVA)	
8.	PAN No. (For correct deduction of TDS, If any)	
9.	Please indicate whether you want to purchase your own CEA. approved meter having additional features as approved by the Commission (Yes/No)	
10.	List of documents attached: (i) Identity proof submitted along with this application form (ii) Proof of ownership or occupancy of premises for which electricity connection is required	

(iii) If applicant is an organization (tick applicable)	Certificate of incorporation/registration issued by the Registrar
11. Declaration Form	
Date:	Signature of the applicant/authorized signatory along with company seal:
Place:	Name:

Declaration

I. __________________________Son/Dauqhter of ____________________________ Resident of ______________________ (hereinafter referred to as "Applicant", which term shall mean and include executors, administrators, heirs, successors and assigns), do hereby swear and declare as under:

Or

The ___________________________, a company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 or as amended, having its registered office at____________________________________ (hereinafter referred to as "Applicant", which expression shall, unless repugnant to the context or meaning thereof, include its successors and assigns), through its Authorized representative Mr. ______________, do hereby swear and declare as under:

Or

A Sole proprietorship/ a partnership firm having its office at_______________________ (hereinafter referred to as the applicant which unless the context otherwise provides includes its successors and assigns), through Mr. ______________________, who is a partner or an authorized representative do hereby swear and declare as under:

THAT the Applicant is a lawful occupant at ________________________(hereinafter the of the premises Premises").

THAT the Applicant has requested the licensee to provide a service connection at the above-mentioned premises in the Applicant's name for the purpose mentioned in the application form.

THAT in furnishing the present Declaration, the Applicant has clearly understood that should any of the statements in this declaration prove to be false'or incorrect at any later stage, the licensee shall be within his lawful rights to disconnect supply to the premises without any prior notice and proceed to adjust electricity supply dues payable by the applicant against consumer security deposit and /or recover the same in accordance.with Law.

THAT the Applicant has complied with all requirements under all statute for the time being in force and the Applicant himself/herself shall be held legally responsible for any issue arising out of any such noncompliance for which the licensee may Initiate-action in accordance with applicable law.

That I, the Applicant hereby agree and undertake:

1. That no objection certificate for seeking electricity connection from the co-owner has been obtained (in case the applicant is not the sole owner of the premises).

2. To indemnify the licensee against all proceedings, claims, demands, costs, damages, expenses that the licensee may incur by reason of a fresh service connection given to the Applicant.

3. That to the best of applicant's knowledge, all electrical works done within the premises are as per Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010 as amended from time to time.

4. That the internal Wiring at the premises has been tested by a Licensed Electrical Contractor/ designated officer of the Government* and the test certificate is available with the applicant:

   *in case of Government quarters/ offices.

5. *That the building has been constructed as per prevalent building Bye-Laws and the total, height of the building

(i) does not exceed 15 (fifteen) meters on.the date of seeking service connection; Or (ii)' is more than 15 (fifteen) meters and Eire Clearance certificate is available with the applicant.

6. *That there is a provision of lift in premises and the applicant has obtained the lift fitness certificate from the Electrical Inspector for the lift in the said premises and the same Is available with the applicant.

   * Strike put which is not applicable

7. That the applicant has applied for the correct category of tariff as per the applicable tariff schedule. For either of the following categories of connection, the applicant has the relevant documents available with him.

A. Industrial (Tick whichever is available)

a. (i) Valid industrial License; or

   (ii) Factory License; or

   (iii) Hdusehold licence; or

   (iv) Lal Dora Certificate in case of rural village; or

   (v) Any other document authorizing the applicant to run the industry

OR

   (i) Occupancy-cum-completion certificate from concerned Municipal Corporation or DDA;

   (ii) Consent to Establish from Delhi Pollution Control Committee (DPCC);or

   (iii) Provisional industrial License; or

   (iv) Sanctioned building plan from concerned Municipal Corporation or DDA

B. Agricultural Consumers

i. Certificate of Residence from Block Development Officer; or

ii. No Objection Certificate from Development Commissioner/Block Development Officer Delhi Jal Board for tube wells-

C. Non-domestic for Khokhas and Temporary Structure

i. Teh Bazaari Receipt Number; or

ii. No. Objection Certificate for Khokha/Temporar/ Structure from concerned Municipal Corporation of Delhi or Delhi Development Authority or any other concerned Land Owning Agency.

Please provide following information in respect of certificate available, with the applicant (Certificate No., issuing authority, date of issue, Purpose,, validity, if applicable)

D. Charging station for electric vehicles

An undertaking by the applicant that the charging station for electric vehicles is as per the specifications as may be specified by Central Electricity Authority or Bureau of Indian Standards from time to time.

8. *That the industrial connection is taken based on the documents mentioned in clause 7A(b) above I shall obtain the valid document as mentioned in clause 7A(a) above within a period of 3 months from issue of electricity connection.

* Strike out if not applicable.

9. The above referred applicable documents/certificates Indicated at various points are available with me and can be inspected by the Licensee at any time. In case of any failure to produce the same, the licensee may disconnect the connection granted owing to such failure, reluctance on my part to produce/allow the inspection of said documents/certificates.

10. That I will provide a legible and certified copy of any of above applicable documents to the licensee pursuant to request of any external government agency, judicial forum or any other authority seeking such Information.

11. That my industry/trade has not been declared to be releasing obnoxious hazardous/pollutant by any government agency and that no orders of any court or judicial authority would be breached by running of my Industry/ trade or granting any electricity connection to the same. The licensee is

indemnified against any loss accrued by the applicant on this account that on an Order issued by a Court of law or judicial authority or any government agency for disconnection of electricity, the licensee may disconnect the supply.

12. The I shall indemnify and hold harmless, the licensee, in case of any injury or Incident on account of any fault in electrical work in the premises. The licensee shall not be liable for any mishap or incident occurring at the premises to the applicant on account of any faulty/defective/inferior quality wiring at the premises for which the connection is being applied.

13. To pay the electricity consumption, bills and all other charges at the rates set out in the licensee's Tariff Schedule and miscellaneous charges for supply as may be in force from time to time, regularly as and when the same becomes due for payment.

14. To deposit the additional security deposit and additional service line cum development (SLD) charges, if any from time to time based on the prevailing Orders/rules, directions and Regulations of the Commission.

15. To abide by the provisions of the Electricity Act, 2003, all applicable laws, conditions of 5upply/Tariff Orders and any other Rules or Regulations as may be notified by the Commission, as applicable from time to time.

16. That licensee shall be at liberty to adjust the electricity consumption charges due/outstanding along with any other charges against the Consumer Security Deposit paid by the Applicant, in the event of termination of the agreement prior to expiry of the contracted period or in case of any contractual default as per provisions of regulations/rules/orders/directions of the Commission.

17. That as per Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017 or as amended from time to time, I shall provide suitable and adequate space for installation of the meter/ electrical equipments where the licensee may have ready access to the same.

18. To allow clear and un-encumbered access to the meters for the purpose of meter reading and It's checking etc.

19. That the licensee may disconnect the electric supply under reference, in the event of any default, non-compliance of statutory provisions and in the event of a legally binding directive by Statutory Authority (ies) to effect such an order. This shall be without prejudice to'any other rights of.the licensee including that of getting its payment as on the date of disconnection.

20. All the above declaration given by the Applicant shall be construed to an Agreement between the licensee and the Applicant.

Signature of the Applicant
Name of the applicant
SIGNED AND DELIVERED
In presence of witness

Name of Witness

(3) Load Reduction on the request ofconsumer:-

(i) The Application for load %reduction shall be accepted only after six months from original energisation for connections up to 100 KW, and 1 {one) year from original energisation for connections above 100 KW. Subsequent application for load reduction shall be accepted once in six-months or after lock-in period of 6 (six) months pursuant to Regulation 17(4Xvii), as thecase may be.

(ii) The applicant shall apply for load reduction to the licensee in the format prescribed in the Commission's Orders.

(iii) The Licensee, after verification, shall sanction the reduced load within 10 (ten) days from the date of acceptance of such application.

(iv) The load reduction shall be reflected from next billing cycle.

(v) If the effective date of load reduction falls between the billing cyples, the Licensee shall raise the bill on pro-rata basis during that billing cycle.

(vi) The reduction of load shall be limited to the highest of average of any 4 (four) consecutive months maximum demand readings of last 12 (twelve) months.

(vii) If the load reduction is not sanctioned within the said period, the consumer shall be entitled to seek and the Licensee shall be liable to pay the compensation as specified in Schedule-I of the Regulations.

(4) Review of sanctioned load/contract demand by the Licensee:-

(i) For revision of sanctioned load or contract demand as the case may be, the Licensee shall take the highest of average of Maximum Demand readings recorded as per billing cyde covering any four consecutive calendar months in the preceding financial year i.e. from 1st April to 31st March, rounded off to the lower integer as described in the illustration:

Provided that the period for billing cycle shall not exceed the period specified in these "Regulations:

Provided further that the minimum-sanctioned load shall be 1kW.

Illustration (a):

- Sanctioned load in preceding financial year : 4kW
- Highest of Average of MD readings : > 4kW and < 5 kW
- Rounding off for revised sanctioned load : 4 kW

Illustration (b):

- Sanctioned load in preceding financial year : 4kW
- Highest of Average of MD readings : > 6kW and < 7 kW
- Rounding off for revised sanctioned load : 6 kW

Illustration (c):

- Sanctioned load in preceding financial year : 4kW
- Highest of Average of MD readings : > 3kW and < 4 kW
- Rounding off for revised sanctioned load : 3 kW

(ii) If the computed revised load pursuant to sub-clause (i) above exceeds the sanctioned load or contract demand as the case may be, the Licensee shall issue a separate notice to the consumer about the proposed increase in sanctioned load or contract demand. The notice shall contain the details of the exact readings in the consecutive billing cycle(s) taken into consideration along with details of enhanced security deposit and the differential Service Line cum Development (SLD) charges in case of change of service line, if any, for such increase in sanctioned load or the contract demand, as the case may be, in accordance with the Act to be deposited by the consumer within 30 (thirty) days from the date of receipt of notice.

(iii) In case of domestic category consumers, if the computed load pursuant to sub-clause (i) above is less than the sanctioned load or contract demand as the case may be of the consumer, the Licensee shall seek the consent of the consumer for load reduction through a separate notice to the consumer, giving details and information that his maximum demand is 4ess than the sanctioned load or contract demand:

Provided that for domestic category consumers, having the sanctioned load upto 5kW in the last billing cycle of preceding financial year, if no communication is received from them within expiry of 30 (thirty) days from the date of the receipt of notice, the load shall be -reduced automatically; and for domestic consumers having sanctioned load more than 5kW in the last billing cycle of preceding financial year, the load shall be reduced only on receipt of consent from the consumer.

(iv) A separate notice for upward or downward revision of sanctioned load or contract demand as the case may be, shall be issued by 31st May of the financial year. No notice for upward revision shall be issued thereafter during the year.

(v) In case a notice for downward revision pursuant to sub clause (iv) is not issued by 31st May, the Licensee shall pay compensation to the affected consumer as specified in Schedule - I of the Regulations, without prejudice to the right of consumer to reduce the load which shall be effective as per sub clause (vi) below.

(vi) The upward or downward revision of sanctioned load or contract demand as the case may be, shall be done once in a financial year and shall be made effective from 1st July of the financial year.

(vii) If the load is enhanced by the Licensee pursuant to sub-clause (ii), the request for any load reduction shall be entertained only after expiry of 6 (six) months from the date of enhancement of load.

(5) Change of category on the request of consumer:

(i) The applicant shall apply for change of category in the format prescribed in the Commission's Orders.

(ii) The Licensee shall conduct site inspection to verify within 7 (seven) days from the receipt of application and shall record the meter reading at the time of inspection. :

(iii) If on inspection, the request of the consumer for change of category is found genuine, -change of category shall be made effective from the date of inspection and the same shall be reflected in next billing cycle.

(iv) Arrear or excess charges shall be determined based on the actual period of earlier classification based on documentary evidence provided by

the Licensee or the consumer as the case may be, limited to a period of 12 (twelve) months and the account of the consumer shall be suitably adjusted.

(v) In case change to such category is not permitted under any law in force, the Licensee shall inform the consumer within 7(seven) days from the date of application.

(vi) If the category is not changed within the said period, the consumer shall be entitled to seek and the Licensee shall be liable to pay the compensation as specified in Schedule-I of the Regulations.

(6) Suo-motu reclassification of consumer category by the Licensee: -

(i) If it is found that a consumer has been wrongly classified in a particular category or the purpose of supply as mentioned in the agreement has changed or the consumption of power has exceeded the limit of that category as per the tariff order of the Commission or the category has changed consequent to a revision of tariff order, the Licensee shall suo-motu reclassify the consumer under appropriate category.

(k) In Mundka Vidhan Sabha area BSES has 3 complaint centers. They are operational and Manned 24X7. Details are tabulated below:

Vidhan Shaba Area	Location of Complaint Center	Complaint Center Number Forwarded to 24x7 Call Center 011-39999707
Mundaka Area	DSIDC, F BLK	8467987530
	SWRAN PARK	8467987531
	TIKRI	8467987529.

Manpower details are appended below:

Line man	Asstt Line Man	Fitter	Field Super-visor	Tele-phone Opera-tor	Sub Divisional Officer	Office Staff	Stator	GNIIT+ Computer Operator	HT break-down Engr.	Total
40	44	4	4	11.	3	3	4	4	4	121

(l) From January'18 to 15th July 28, total 2995 complaints were registered. All the complaints were regsolved within time lines.

(h) Following works are done by Tata Power-DDL under CSR

* Tata Power -DDL is running 03 nos Women literacy Centers wef 1 July, 2017 through Dhanpat Mal Virmani Educational Trust. The total expenditure made is Rs.2,17,338/-.

* Tata Power - DDL has extended its support by providing Mobile Dispensary in JJ Cluster. Total 4 Nos. of visits has been done till Oct., 2017 covering 2400 benefeciaries. The total expenditure made is Rs. 1,25,000/-

(i) All questions were duly answered as and when submitted.

(j) Total 387 schemes has been executed and capitalized since 01.04.2015 to till date in Mundka constituency. Total capitalized amount is Rs.148.12 Cr.

(k) The address of Customer Care Center of Tata Power-DDL which falls under Mundka Constituency is "District Office Building, Main Road Bawana, Near Aditi Girls College, Bawana, Delhi. The following staff are involved in dealing with customer complaints. The current manning levels are as per the manpower requirement at this location.

Designation	Nos
Customer Service Manager	1
Customer Relationship Executive	1
Customer Care Supervisor	3

(l) Does not pertain to Tata Power - DDL

62. श्री संजीव झा : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बुराड़ी में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए अधिग्रहित की गई जमीनों की सूची उपलब्ध करवाएं;

(ख) क्या ट्रांसफार्मर लगाने से पहले भूमि स्वामित्व वाले विभाग से एन.ओ.सी. ली जाती है;

(ग) कितने दिनों में भूमि स्वामित्व विभाग द्वारा एन.ओ.सी. ऊर्जा विभाग को दे दी जाती है; और

(घ) किन–किन परिस्थितियों में विभाग एन.ओ.सी. प्राप्त करने में असफल हो जाता है; पूर्ण विवरण दें?

ऊर्जा मंत्री : (क) सरकार द्वारा बुराडी में ट्रांसफार्मर लगाने की कोई भी जमीन अधिकृत नहीं की गई है; और

(ख) से (घ) ट्रांसफार्मर लगाने के लिए डिस्कॉम स्थानीय आर.डब्ल्यू.ए. की मदद से उपयुक्त स्थान को चिन्हित करते हैं जहाँ ट्रांसफार्मर लगाने पर सार्वजनिक यातायात बाधित न हो तथा सार्वजनिक सुरक्षा भी बनी रहे।

63. सुश्री भावना गौड : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 में बिजली के कितने–कितने कनेक्शन दिए गए हैं;

(ख) पालम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत क्या ओवरहैड लाइनों को अंडरग्राउंड करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पालम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आवासीय कालोनियों की गलियों के बीच में लगे हुए ट्रांसफार्मर्स को वहां से हटाने की सरकार की कोई योजना है; और

(ङ) पालम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 में बी.एस.ई.एस. द्वारा किए गए कार्यों की उन पर व्यय राशि सहित क्या ब्यौरा है?

माननीय ऊर्जा मंत्री : (क) बी.आर.पी.एल. ने सूचित किया है कि पालम विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2016–17 में 22574 तथा 2017–18 में 28277 बिजली के नये कनेक्शन दिए गए हैं;

(ख) जी नहीं;

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता;

(घ) जी नहीं; और

(ङ) पालम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 में बी.एस.ई.एस. द्वारा किए गए कार्यों एवं व्यय राशि संलग्न है। (संलग्नक 'क')।

(Annexure iv) Part-A

Work completed in Palam Constituency FY 16-17

Sl. No.	Scheme No	Scheme Description	Scheme Cost (in lacs)	HT cable (Mtr)	LTAB cable (Mtr)	RMU (Nos)	Transformer Capacity (kva)			
							400	6.30	990	25
1	PM14UT4026	AUGMENTATION OF 630KVA TX TO 990 KVA TX AT MEKROUU RO S/STN 2:PL	20.44	-	260	-	-	-	1	-
2	PM15AT4033	A00ITI0N OF 400KVA TRANSFORMER AT C2 MA. HAVIR ENCLAVE SUB-STATION.	15.31	-	536	1	1	-	-	-
3	PM14UT4006	AUGMENTATION OP 630 KVA TO 990 KVA TRANSFORMER AT H4 8U 8ENGAU COLONY: PL	20.02	-	310	-	-	-	1	-
4	PM16SS4013	INSTALLATION OF 400KVA TRANSFORMER AT GALI-16 SADH NAGAR	11.62	-	520	-	1	-	-	-
5	PM16UT40O5	AUGMENTATION OF 400KVA TO 990KVA TRANSFORMER	22.04	-	540	-	-	-	1	-

		AT GALI N0.22 SADH NAGAR SUB-STATION.								
6	PM13UT4Q20	AUGMENTATION OF 630 KVA TO 990 KVA TRANSFORMER AT PUMP HOUSE SEC-7:PLMS/ STN.	18.15	-	510	-	-	-	1	-
		Total	107.58	0	2676	1	2	0	4	0

(Annexure iv) Part-B

Work completed in Palam Constituency FY 17-18

Sl. No.	Scheme No.	Scheme Description	Scheme Cost (in lacs)	HT cable (Mtr)	LT AB cable (Mtr)	RMU (Nos)	Transformer Capacity (kva)			
							400	6.30	990	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PM15NF4068	PROVIDING INTERLINK CABLE BETWEEN PALAM 8ADIYAL NEW AND SECT0R-7 J J CLY SS NO 1	14.28	300	-	1	-	-	-	-
2	PM16AT4043	ADOPTION OF 400KVA TRANSFORMER AT GALI-17 SADH NAGAR	14.48	-	800	-	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	PM16LT4083	TAKING OUT 3 NOS LT FEEDERS FROM JJ COLONY SSTN SEC-7	10.41	-	400	-	-	-	-	-
4	PM16LT4089	TAKING OUT 3 NOS LT FEEDERS FROM JJ COLONY SSNO-2 SEC-7	10.22	-	476	-	-	-	-	-
5.	PM16LT4118	TAKING OUT 8 NOS. OF LT FEEDERS IN MANGLAPURi ZONE-DIV PLM	19.67	-	1880	-	-	-	-	
6	PM11RM4049	RMU SADH NAGAR F 18' LK I/DS/STN	2.94	-	-	1	-	-	-	-
7	PM1SMS4016	PROVIDING ADDITIONAL 1 PH 2S KVA TRANSFORMER AT HVDS COLONIES OF MANGLAPURI SUB DIV	19.30	-	-	-	-	-	-	10
S	PM16LT4092	TAKING OUT 2 NOS LT FEEDERS FROM GALI NO-20 SADH NAGAR	5.86	466	-	-	-	-	-	-
9	PM16NF4071	PROVIDING INTERLINK BETWEEN PP-1 FEEDER AND C-2 MAHAVIR ENCLAVE FEEDER	30.46	600	-	1	-	-	-	-

10	PM17UT4076	AUGMENTATION OF 400KVA DT TO 990KVA AT CHANDERVIHAR	23.24	300	-	-	-	-	-	-
		Total	97.16	0	2356	1	1	0	0	10

(Annexure-iv) Part-C

Work in progress in Palam Constituency FY 17-18

Sl. No.	Scheme No.	Scheme Description	Scheme Cost (in lacs)	HT cable (Mtr)	LT AB cable (Mtr)	RMU (Nos)	Transformer Capacity (kva)		
							400	630	990
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PM13AT4034	PROVIDING ADDITIONAL 630 KVA TFL AT CHATRIWALA MARG PL/M S/STN.	20	-	788	1		1	-
2	PM15UT4014	AUGMENTATION OF 630KVA TX TO 990KVA AT TAMIL ENCLAVE:1D	21.55	-	795	1			1
3	PM15UT4022	AUGMENTATION OF 630KVA TO 990KVA TRANSFORMER AT MANDIR MARG SUB-STATION.	22.11	-	802	-	-	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	PM15UT4023	AUGMENTATION OF 400KVA TO 630KVA TRANSFORMER AT PALAM KUNJ SUB-STATION.	10.95	-	300	-	-	1	-
5	PM15UT4025	AUGMENTATION OF 630KVA TO 990KVA TRANSFORMER AT SADH NAGAR F-l BLOCK SUB-STATION.	23.36	-	800	-	-	-	1
6	PM15AT4035	ADDITION OF 400KVA TRANSFORMER AT MANGLAPURI PHASE-2 SUB-STATION.	17.76	-	802	1	1	-	-
7	PM16UT4008	AUGMENTATION OF 2 NOS 630KVA TO 990KVA AT PALAM H2N BASTI EXJN:PL/M	44.53	-	1200	1	-	-	2
	PM16LT4046	LV EXTENSION IN KAILASH PURI ZONE, DIV-PALAM	20.21	-	600	-	-	-	-
9	PM16SS4063	INSTALLATION OF 630KVA XMER AT H-4 BENGAU CLNY	27.38	-	800	1	-	1	-
10	PM16AT4064	ADDITION OF 630 KVA TRANSFORMER AT MAHADEVA	29.3	-	800	1	-	1	-

		RAJ NAGAR:PL S/STN TO REDUCE THE LOAD OF MEHROULI RD S/STN 3:PL							
11	PM16AT4073	ADDITIONAL 630KVA AT PALAM HZN BASTI NEW	26.56	-	1200	1	-	1	-
12	PM16SS4076	INSTLN OF 630KVA XMER AT DDA COMM HALL FOR PLM CHOUPAL	19.15	-	800	1	-	1	-
13	PM16SS4077	ISNTALLATION OF 630KVA XMER AT PUMP HOUSE A BLK PALAM EXTN	25.69	350	800	1	-	1	-
14	PM16LT4088	TAKING OUT 3 NOS LT FEEDERS FROM JJ COLONY SSTN SEC-7	10.4	-	800	-	-	-	-
15	PM16LT4089	TAKING OUT 3 NOS LT FEEDERS FROM JJ COLONY SSNO-2 SEC-7	10.4	-	800	-	-	-	-
16	PM16LT4098	TAKING OUT 2 NOS LT FEEDERS FROM RADHA KRISHNA MANDIR PLM	7	-	500	-	-	-	-
17	PM16LT4118	TAKING OUT 8 NOS. OF LT FEEDERS IN MANGLAPURI ZONE-DIVPLM	19.67	-	1600	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	PM17UT4036	AUGMENTATION OF 630KVA TO 990KVA AT C Bl K MAHAVIR ENC	19.14	-	-	-	-	-	1
Work in progress in Palam Constituency FY 17-18									
19	PM17UT4038	AUGMENTATION OF 400KVA TO 990KVA AT BCHI MAHAVIR ENC	25.88	-	550	-	-	-	1
20	PM17UT4074	AUGMENTATION OF 400KVA TO 630KVA AT C2 MAHAVIR ENC	10.29	-	600	-	-	1	-
21	PM17UT4076	AUGMENTATION OF 400KVA DT TO 990KVA AT CHANOERVIHAR	23.25	-	250	-	-	-	1
22	PM16SS4077	ISNTALLATION OF 630KVA XMER AT PUMP HOUSE A FJL.K PALAM EXTN	25.70	300	800	1	-	1	-
23	PM.17UT4049	AUGMNETATION OF 630KVA TO 990KVA AT H-2 BENGALI COLONY	22.14	-	300	-	-	-	1
24	PM17UT4077	AUGMENTATION OF 630KVA DT TO 990KVA AT DDA PARK SADH NAGAR	18.82	-	-	-	-	-	1
25	PM16LT4082	TAKING OUT4 NOS LT FEEDERS	10.85	-	800	-	-	-	-

		FROM PALAM CHOWK PL/M S/STN.							
26	PM17UT4084	AUGMENTATION OF 630KVA DT TO 990KVA AT RADHA KRISHNA MANDIR	18.79	-	-	-	-	-	1
27	PM17UT4074	AUGMENTATION OF 400KVA TO 630KVA AT C2 MAHAVIR ENC	10.28	-	600	-	1	-	-
28	PM14AT4015	PROVIDING ADDITIONAL 630 KVA TRANSFORMER AT DDA PARK RAJ NAGAR:ID	15.78	-	600	-	-	1	-
29	PM17UT4039	AUGMENTATION OF 630KVA TO 990KVA AT CHATRIVALA MARG RAJ NAGAR	28.00	-	500	-	-	-	1
30	PM17UT4076	AUGMENTATION OF 400KVA DT TO 990KVA AT CHANDERVIHAR	23.24	-	300	-	-	-	1
		Total	608.164	650	19487	10	2	10	13

(Annexure iv) Part-D

Work to start In Palam Constituency FY 17-18

Sl. No.	Scheme No.	Scheme Description	Scheme Cost (in lacs)	HT cable (Mtr)	LT AB cable (Mtr)	RMU (Nos)	Transformer Capacity (kva)			
							400	630	990	1600
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PM11RM4004	INSTALLATION OF 3 WAY RMU AT LOCALSHOPPING CENTRE, SECTOR-7. DWARKA.	3.61	-	-	1	-	-	-	-
2	PM15NF40S1	PROVIDING DUPLICATE SOURCE BETWEEN MADIYAL BUILDING SUB-STATION TO SADH NAGAR.	29.66	600	-	2	-	-	-	
3	PM16SS40S7	INSTALLATION OF 1 NO. 630 KVA TRANSFORMER NEAR DDA COMMUNITY HALL, MIRZAPUR VIJAY ENCLAVE.	24.72			600	1	-	1	-
4	PM16SS4067	INSTALLATION OF 630KVA AT GALI-9 SADH NAGAR	19.58	325	800	1	-	1	-	-

5	PM16FA4072	REPALCEMENT OF SICK CABLE FROM D.P OPP AGGARWAL SWEETS TO MANGLAPURI ZONAL OFFICE.	29.76	830	-	-	-	-	-	-
6	PM16SS4104	INSTALLATION OF 630KVA XMER NEAR FLYOVER FOR RAM ' CHOWK SADH NAGAR	17.33	265	-	1	-	1	-	-
7	PM17SS4073	INSTALLATION OF 630KVA DT AT DDA COMMUNITY HALL MIRZAPUR	19.99	190		1		1		
8	PM17UT4081	AUGMENTATION 0F990KVA DT TO 1.6MVA AT BENGALI COLONY ID	23.35	-	-	-	-	1		
9	PM17UT4082	AUGMENTATION OF 990KVA DTTO 1.6MVA AT BENGALI CLNY	23.35					1		
10	PM17UT4075	AUGMENTATION OF 990KVA DT TO 1.6MVA AT DDA PARK RAJ NAGAR	23.35					1		
11	PM14AT4015	PROVIDING ADDITIONAL 630 KVA TRANSFORMER AT DDA PARK RAJ NAGAR:ID	15.78	-	600	1	-	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	PM17AT404S	ADDITIONAL 630KVA DT AT PALAM BAD1YAL OLD	19.37	-	900	1	-	1	-	
13	PM17AT4072	ADDITION OF 990KVA DT AT SADH NGR GALI NO. 20:ID	18.80	-	-	-	-	-	1	
14	PM17UT4078	AUGMENTATION OF990KVA DTTO 1.6MVAATRAM CHOWK SADH NAGAR	23.35	-	-	-	-	-1		
15	PM17AT40S8	PROVIDING ADDITIONAL 400KVA DT AT MAIDYAL BUILDING SADH NAGAR	12.61	-	600	1		-	-	
		Total	304.605	2210	3500	8	0	6	1	4

64. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि 01 अप्रैल, 2018 से किसानों से 20 रुपए प्रति किलोवाट के स्थान पर 125 रुपए प्रति किलोवाट के फिक्स्ड दर से चार्ज वसूला जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि किसानों द्वारा बिजली खपत न करने पर भी फिक्स्ड चार्ज प्रतिमास चार्ज किया जाता है;

(ग) क्या यह सत्य है कि किसान वर्ष में मात्र दो बार सिंचाई के लिए ट्यूबवैल का इस्तेमाल करता है और फिक्स्ड चार्ज वर्ष भर चुकाने होंगे;

(घ) 10 किलोवाट मीटर से एक माह में 1 यूनिट बिजली की खपत होने पर सरचार्ज सहित बिजली का कितना बिल बनता है;

(ङ) क्या सरकार का किसानों को कुछ छूट देने का क्या प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां तो उसका पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय ऊर्जा मंत्री : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ;

(ग) टैरिफ आदेश के अनुसार फिक्सड चार्ज लागू होते हैं;

(घ) बिजली का बिल रुपये 1339/– आता है। (संग्लनक 'क');

(ङ) जी नहीं; और

(च) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

BRPL Clarification-Q64(d)

Varun Chdal@relianceada.com<Varun.
Chandel@relinceada. com>
Thu, Aug 2, 2018
at 12:27 PM

To:departmentpower@gmail.com
Cc:CEO.SECTT@relianceada.com

Dear Sir/Madam,

Plz Find BRPL clarification for Q67(d)

Bill Amount as per tariff order FY 2018-19, for agricultural of 10kW for consumption of 1 unit in 30 days

Bill Component	Rate per Unit/KW	Amount	Remarks
Fixed Charges (A)	125	1,250.00	
Energy Charges{B)	1.5	1.50	
Surcharge Fixed @ 8% (S1)		100.00	A*8.0%
Surcharge Energy @ 8% (S2)		0.12	8"8.0%
Pension Surcharge Fixed @ 3.8%		47.50	A*3.8%
Pension Surcharge Energy 3.8%		0.06	B*3.8%
E tax @ 5% * (B+52)		0.20	
Bill Amount (Appx)		1,399	

Regards,

Varun Chandel **(वरुण चंदेल)**
Deskphone: + 91 11 39999916
Mobile No: + 91 9311716918

The information contained in this electronic message (email) and any attachments to this email are intended for the exclusive use of the addressee(s) and access to this email by anyone else is unauthorised. The ernail may contain proprietary, confidential or privileged information or information relating to' Reliance Group. If you are not the intended recipient, please notify the sender by telephone, fax, or return email and delete this communication and any attachments thereto, immediately from your computer. Any dissemination, distribution, or copying of this communication and the attachments thereto (in whole or part), in any manner, is strictly prohibited and actionable at law. The recipient acknowledges that emails are susceptible to alteration and their integrity can not be guaranteed and that Company does not guarantee that any e-rnail is virus-free and accept no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email.

65. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जिन घरेलू उपभोक्ताओं के मीटर पर 6 किलोवाट का लोड स्वीकृत है उन्हें इसी क्षमता के अनुसार फिक्स्ड चार्ज देने होते हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त उपभोक्ताओं में से बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ता हैं जिनकी एम.डी.आई. 1–2 किलोवॉट होती है, परन्तु फिर भी उनसे 6 किलोवॉट के लोड के अनुसार नियमों के अंतर्गत उनसे 6 किलोवॉट का फिक्स्ड चार्ज वसूला जाता है;

(ग) क्या सरकार ऐसे लोगों के भारी भरकम बिल को देखते हुए नियमों में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(घ) क्या यह सत्य है कि अधिकतर उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में स्वीकृत लोड को मनमाने ढंग से बढ़ा दिया गया;

(ङ) क्या यह सत्य है कि इस मनमानी के कारण डिस्कॉम उपभोक्ताओं से लगभग 23000 मेगावाट लोड के आधार पर सरचार्ज वसूल कर रहे हैं;

(च) सरकार इस पर प्रतिमाह कितनी राशि का भुगतान डिस्कॉम कर रही है?

(छ) सरकार इस मद में निजी कम्पनियों को कितनी राशि सब्सिडी की दे रही है?

(ज) दिल्ली में स्वीकृत लोड की अधिकतम सीमा कितनी है;

(झ) क्या यह सत्य है कि इस प्रकार सरकार ने जनता से हर माह लगभग 16000 मेगावाट पर अधिक सरचार्ज वसूला है; और

(अ) इस आधार पर बिजली कम्पनियों को 01.04.2018 से अब कितने करोड़ रुपए की अनाधिकृत आय हुई है?

माननीय ऊर्जा मंत्री : (क) और (ख) इस प्रश्न का सन्दर्भ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से है, इसलिए इस प्रश्न को आयोग को भेजा गया था आयोग द्वारा भेजा गया जवाब इस प्रकार है–

''हाँ, टैरिफ ऑर्डर के प्रावधानों के अनुसार, घरेलू श्रेणी के लिए निश्चित शुल्क स्वीकृत भार पर लगाए जाते हैं। हालांकि, उपभोक्ता डी.ई.आर.सी. (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम, 2017 के विनियमन 17(3) के प्रावधानों के अनुसार अपना भार कम कर सकता है या (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक)

विनियम 2017 के विनियमन 17(4) के प्रावधानों के अनुसार, अधिकतम मांग रीडिंग के आधार पर, वितरण लाइसेंसधारक द्वारा लोड की समीक्षा की जाती है। (प्रति संलग्न–अनुलग्नक–I);

(ग) जी नहीं;

(घ) इस प्रश्न का सन्दर्भ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से है, इसलिए इस प्रश्न को आयोग को भेजा गया था आयोग द्वारा भेजा गया जवाब इस प्रकार है :

''डी.ई.आर.सी. (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम, 2017 के विनियम 17(4) के प्रावधानों के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारक द्वारा, स्वीकृत भार की समीक्षा की जाती है। किसी भी शिकायत के मामले में, उपभोक्ता शिकायत निवारण की प्रक्रिया का पालन कर सकता है। आयोग ने इस संबंध में जन जागरूकता बुलेटिन–8 भी जारी किया है।। (प्रति संलग्न–अनुलग्नक–II);

(ङ) इस प्रश्न का सन्दर्भ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से है, इसलिए इस प्रश्न को आयोग को भेजा गया था आयोग द्वारा भेजा गया जवाब इस प्रकार है–

''सरचार्ज निश्चित शुल्क और ऊर्जा शुल्कों पर लगाए जाते हैं;''

(च) सरकार कोई भुगतान नहीं देती है;

(छ) इस मद में कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाती है;

(ज) कोई सीमा नहीं है';

(झ) इन प्रश्नों का सन्दर्भ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से है, इसलिए इस प्रश्न का आयोग को भेजा गया था आयोग द्वारा भेजा गया जवाब इस प्रकार है :

''नहीं, वितरण नेटवर्क बनाने में डिस्कॉम द्वारा किए गए खर्च को डिस्कॉम द्वारा निश्चित शुल्कों के माध्यम से पुनर्प्राप्त करने की आवश्यकता है (अस्थायी फार्म 2.1 (ए) के आधार पर, वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा, अप्रैल, 2018 और मई 2018 के महीने के लिए वितरित, कुल निर्धारित शुल्क रुपये 616.65 करोड़ है जो वितरण लाइसेंसधारक के स्वीकृत भार के आधार पर लगाया जाता है, जो कि आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ शेड्यूल वित्त वर्ष 2018–19 के अनुसार है।''

संलग्नक एक

(3) Load Reduction on the request ofconsumer:-

(i) The Application for load %reduction shall be accepted only after six months from original energisation for connections up to 100 KW, and 1 {one) year from original energisation for connections above 100 KW. Subsequent application for load reduction shall be accepted once in six-months or after lock-in period of 6 (six) months pursuant to Regulation 17(4Xvii), as thecase may be.

(ii) The applicant shall apply for load reduction to the licensee in the format prescribed in the Commission's Orders.

(iii) The Licensee, after verification, shall sanction the reduced load within 10 (ten) days from the date of acceptance of such application.

(iv) The load reduction shall be reflected from next billing cycle.

(v) If the effective date of load reduction falls between the billing cyples, the Licensee shall raise the bill on pro-rata basis during that billing cycle.

(vi) The reduction of load shall be limited to the highest of average of any 4 (four) consecutive months maximum demand readings of last 12 (twelve) months.

(vii) If the load reduction is not sanctioned within the said period, the consumer shall be entitled to seek and the Licensee shall be liable to pay the compensation as specified in Schedule-I of the Regulations.

(4) Review of sanctioned load/contract demand by the Licensee:-

(i) For revision of sanctioned load or contract demand as the case may be, the Licensee shall take the highest of average of Maximum Demand readings recorded as per billing cyde covering any four consecutive calendar months in the preceding financial year i.e. from 1st April to 31st March, rounded off to the lower integer as described in the illustration:

Provided that the period for billing cycle shall not exceed the period specified in these "Regulations:

Provided further that the minimum-sanctioned load shall be 1kW.

Illustration (a):

- Sanctioned load in preceding financial year : 4kW
- Highest of Average of MD readings : > 4kW and < 5 kW
- Rounding off for revised sanctioned load : 4 kW

Illustration (b):

- Sanctioned load in preceding financial year : 4kW
- Highest of Average of MD readings : > 6kW and < 7 kW
- Rounding off for revised sanctioned load : 6 kW

Illustration (c):

- Sanctioned load in preceding financial year : 4kW
- Highest of Average of MD readings : > 3kW and < 4 kW
- Rounding off for revised sanctioned load : 3 kW

(ii) If the computed revised load pursuant to sub-clause (i) above exceeds the sanctioned load or contract demand as the case may be, the Licensee shall issue a separate notice to the consumer about the proposed increase in sanctioned load or contract demand. The notice shall contain the details of the exact readings in the consecutive billing cycle(s) taken into consideration along with details of enhanced security deposit and the differential Service Line cum Development (SLD) charges in case of change of service line, if any, for such increase in sanctioned load or the contract demand, as the case may be, in accordance with the Act to be deposited by the consumer within 30 (thirty) days from the date of receipt of notice.

(iii) In case of domestic category consumers, if the computed load pursuant to sub-clause (i) above is less than the sanctioned load or contract demand as the case may be of the consumer, the Licensee shall seek the consent of the consumer for load reduction through a separate notice to the consumer, giving details and information that his maximum demand is 4ess than the sanctioned load or contract demand:

Provided that for domestic category consumers, having the sanctioned load upto 5kW in the last billing cycle of preceding financial year, if no communication is received from them within expiry of 30 (thirty) days from the date of the receipt of notice, the load shall be -reduced automatically; and for domestic consumers having sanctioned load more than 5kW in the last billing cycle of preceding financial year, the load shall be reduced only on receipt of consent from the consumer.

(iv) A separate notice for upward or downward revision of sanctioned load or contract demand as the case may be, shall be issued by 31st May of the financial year. No notice for upward revision shall be issued thereafter during the year.

(v) In case a notice for downward revision pursuant to sub clause (iv) is not issued by 31st May, the Licensee shall pay compensation to the affected consumer as specified in Schedule - I of the Regulations, without prejudice to the right of consumer to reduce the load which shall be effective as per sub clause (vi) below.

(vi) The upward or downward revision of sanctioned load or contract demand as the case may be, shall be done once in a financial year and shall be made effective from 1st July of the financial year.

(vii) If the load is enhanced by the Licensee pursuant to sub-clause (ii), the request for any load reduction shall be entertained only after expiry of 6 (six) months from the date of enhancement of load.

(5) Change of category on the request of consumer:

(i) The applicant shall apply for change of category in the format prescribed in the Commission's Orders.

(ii) The Licensee shall conduct site inspection to verify within 7 (seven) days from the receipt of application and shall record the meter reading at the time of inspection. :

(iii) If on inspection, the request of the consumer for change of category is found genuine, -change of category shall be made effective from the date of inspection and the same shall be reflected in next billing cycle.

(iv) Arrear or excess charges shall be determined based on the actual period of earlier classification based on documentary evidence provided by the Licensee or the consumer as the case may be, limited to a period of

12 (twelve) months and the account of the consumer shall be suitably adjusted.

(v) In case change to such category is not permitted under any law in force, the Licensee shall inform the consumer within 7(seven) days from the date of application.

(vi) If the category is not changed within the said period, the consumer shall be entitled to seek and the Licensee shall be liable to pay the compensation as specified in Schedule-I of the Regulations.

(6) Suo-motu reclassification of consumer category by the Licensee: -

(i) If it is found that a consumer has been wrongly classified in a particular category or the purpose of supply as mentioned in the agreement has changed or the consumption of power has exceeded the limit of that category as per the tariff order of the Commission or the category has changed consequent to a revision of tariff order, the Licensee shall suo-motu ' reclassify the consumer under appropriate category.

66. श्री नितिन त्यागी : क्या **माननीय गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की ऐसे व्यक्तियों के प्रति क्या उत्तरदायित्व है जिन्हें अनेक वर्षों की न्यायिक प्रक्रिया के बाद निर्दोष पाए जाने के बाद मुक्त कर दिया जाता है;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के व्यर्थ हुए बहुमूल्य वर्षों और समय के लिए आर्थिक क्षतिपूर्ति का क्या प्रावधान है;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के मान–सम्मान को लगी ठेस के लिए क्या क्षतिपूर्ति है, सरकार जनता को इस तथ्य से कैसे अवगत कराएगी कि उक्त व्यक्ति पर झूठा दोषारोपण किया गया था; और

(घ) सरकार यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि ऐसा व्यक्ति जो निर्दोष पाया गया है उसे समाज की मुख्य धारा में पुनः स्वीकार किया जाए?

माननीय गृह मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): (क) से (घ) वर्तमान में दिल्ली सरकार की ऐसी श्रेणी के व्यक्तियों के लिए कोई योजना नहीं है।

विशेष उल्लेख (नियम—280)

माननीय अध्यक्ष : 280।

माननीय उप मुख्य मंत्री : अगर आपकी अनुमति हो तो जो मैंने सदन को आश्वासन दिया था, उसकी सूचना मेरे पास आ गयी है। मैं जो ई.डब्ल्यू.एस. कैटेगरी में बच्चों को पैसा दिया जाता था, प्रति बच्चा पैसा दिया जाता था, तो मैं अभी उसके बारे में सूचना दे देता हूँ। 2011—12 में ये राशि जो ई.डब्ल्यू.एस. कैटेगरी...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सोम नाथ जी, प्लीज। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : ई.डब्ल्यू.एस. कैटेगरी के तहत दी जाती थी वो 1190/—रुपये थी। उसके बाद फिर 1290/— हुई, जब 2014—15 में सरकार आई। फिर 2015—16 में दोबारा जब सरकार आई तो उसको 1598/— रुपये किया गया था। तो पिछले तीन वर्ष में ये 1598 रुपये थी। अभी इसको बढ़ाके 2242/— रुपये प्राइमरी के लिए और मिडल के लिए 2225/— रुपये किया गया है और यूनिफॉर्म और उसके लिए अलग

से 1100/– रुपये दिए जा रहे हैं। 1100/– और 1400/– रुपये मिडल के लिए। 1100/– रुपये प्राइमरी के लिए। तो ये राशि काफी बढ़ाई गयी है। तो इसके बाद ये गुंजाइश रह नहीं जाती है कि यूनिफॉर्म कोई भी ई.डब्ल्यू.एस. कैटेगरी में कोई स्कूल बच्चों को यूनिफॉर्म खरीदने के लिए अलग से बाध्य करे, इस तरह से करे। तो ये पूरी सूचना मैं सदन पटल पे रखा रहा हूँ।

दूसरा, एक आपके संज्ञान में आपकी अनुमति से एक और चीज लाना चाह रहा था मैं। प्रश्नों के संदर्भ में क्योंकि जब प्रश्न आते हैं और ब्रीफिंग होती है तो एक छोटा सा एम्बिग्युटी रह जाती है आपका सचिवालय इस ओर ध्यान दे दे कि प्रश्न अलग–अलग विभाग से संबंधित हो सकता है एक प्रश्न भी और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें विभाग में मंत्री के पास अथवा एक मंत्री के पास आ जाता है दूसरे मंत्री के पास भेजने में उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। मान लीजिए स्कूल के बारे मे कोई सवाल है और उसमें पी.डब्ल्यू.डी. से संबंधित या डी.टी.डी.सी. से या कोई और संबंधित है तो उससे जवाब आ जाता है दूसरे विभाग से पूछने पे। लेकिन कुछ क्वेश्चन इस बार एक दम दो अलग अलग विभागों से बहुत स्पष्ट रूप से पूछे गए उनको अगर किसी तरह से डिस्करेज कहा जाए या उसको कोई ऑनरेबल एम.एल.ए को रिक्वेस्ट कर ले कि आप दो क्वेश्चन डाल दीजिए एक की जगह जैसे मैं एक इसी आज की बुकलेट में भी और आगे भी आए भी आए हैं; जैसे एक प्रश्न है, एक ही विधायक द्वारा पूछा गया है विधायक मतलब ये पुनः एक ही साथी पूछ रहे हैं सर। पुनः एक ही उसका कंटेंट अनस्टार्ड में एक में पूछा गया है कि द्वारका विधान सभा के अन्तर्गत आने वाले दिल्ली सरकार के स्कूलों में डी.टी.डी.सी. और पी.

डब्ल्यू.डी. विभाग द्वारा किए गए कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है। ऑबवियेसली इसका जवाब तो इधर से आएगा। इन स्कूलों में अतिरिक्त रूम बनाने निर्माण कार्यों के आबंटित बजट की राशि क्या है वो भी शिक्षा विभाग से आएगा। द्वारका विधान सभा में कितने मोहल्ला क्लिनिक प्रस्तावित है और उनके निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है? इसका जवाब निश्चित रूप से हैल्थ से आएगा। द्वारका विधान सभा के अंतर्गत आने वाले एक अस्पताल के बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव की स्थिति क्या है, इसका हेल्थ से आयोग तो सवाल इतना नहीं है कि सवाल पूछे जायें कि नहीं पूछे जायें लेकिन इस तरह के ऐम्बिग्युटी से हम अगर सेक्रेट्रियेट लेवल पर या तो हम ऐसे प्रश्न को देख के माननीय विधायक को रिक्वेस्ट कर ले कि अलग करना है या क्योंकि इसमें धर्म संकट ये रहता है कि अल्टीमेटली एक प्रश्न का जवाब तो एक मंत्री को देना है चाहे वह विभिन्न विभागों से संकलित हो तो इसको एक बार दुरूस्त कर लिया जाये आगे के लिए, धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : इसमें एक चीज ऐड कर करनी थी जो सबने कहा जो हमारा ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस कंडेक्ट रूल जो है; उसके अंदर भी लिमिटेशनस हैं क्वैशचनस की, कभी एक में ही बहुत सारे क्वैश्चंस लंबे हो जाते हैं तो उसको अलग बनाया जा सकता है थोड़ा उस पर भी थोड़ा सा डायरेक्शन हो जाये।

विशेष उल्लेख (नियम–280)

माननीय अध्यक्ष : 280 श्री विजेन्द्र गुप्ता जी, अनुपस्थित, श्री पंकज पुष्कर जी।

श्री पवन कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, चार पांच क्वेश्चन बचे हैं।

माननीय अध्यक्ष : हाँ जी। नहीं भई, समय भी देखना है मुझे। मैंने आज समय बढ़ा दिया उसका।

श्री पंकज पुष्कर : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत आभारी हूँ 280 के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण...परंतु माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र में संगम विहार अनाधिकृत कालोनी है, जिसका जिसका जिक्र मैं पहले भी विधानसभा में कई बार उठा है। हमारी वर्तमान सरकार के बहुत ही लोकप्रिय निर्णय सबसे पहले अनाधिकृत कालोनियों में काम जो पहली बार संगम विहार कालोनी में सबसे पहले प्रारंभ हुआ लेकिन आज जो स्थिति है, वहाँ वो इतनी गंभीर है, आपतकारी स्थिति है जो कि मैं सदन के संज्ञान में आपके से लाना बहुत आवश्यक है और इस तरह माननीय विधान सभा के निर्देश, माननीय मंत्री महोदय के निर्देश के बाद कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत चलने वाली एजेंसी ने किस तरह बहुत ही गंभीर किस्म की अवहेलना की है, इतना गंभीर नुकसान उन्होंने इकट्ठा किया है, इसका एक ठोस उदाहरण संगम विहार की कालोनी है। ये डी.एस.आई.डी.सी. ने वहाँ केवल भ्रष्टाचार ही नहीं किया, वहाँ काम नहीं किया, काम में देरी की। जब माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में बात लाई गई, विधानसभा में वो मुददा बार बार उठा और उसके बाद ही निर्णय लिया गया कि पूरी विधानसभा का कार्य सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को दे दिया जायेगा। ये बात आज से 16 महीने पूर्ण की है जब कि ये लगातार ये बातें उठीं और उसके बाद ये निर्णय हुआ कि ये इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल को काम दे दिया जायेगा।

माननीय महोदय, मैं बार बार मंत्री महोदय से मिला था। मंत्री महोदय ने लगातार इस पर पूरी गंभीरता से संज्ञान लिया, संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया लेकिन बहुत ही दुःख की बात ये है कि सख्त निर्देश देने के बाद भी वहाँ पर जो एक न्यूनतम काम जो करने थे, नहीं किए जा सके। उसको बहुत ही गंभीर तरीके से देरी हुई और उसके कारण आज परिणाम ये है; जितनी चेतावनियाँ स्थानीय लोगों के द्वारा बीमारियाँ फैलने के बारे में दी गई, यहाँ पर मैं माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में लाता रहा; ये मामला बिल्कुल जानलेवा स्थिति है, लगातार बहुत बीमारियाँ हो रही है। लोग पहले माननीय मंत्री के निर्देश में इतने ऐतिहासिक रूप से इतने उत्साह में थे, इतने आभारी थे लेकिन उस बिल्कुल स्थिति को पलटते हुए ये डी.एस.आई.डी.सी. की कमी की वजह से उनकी बहुत लापरवाही की वजह से और बिल्कुल नारकीय बन गई। उन्होंने काम जो था, उसको अधूरा छोड़ दिया। जब विधानसभा के सदन में ही सवाल लगाया गया है, तग उन्होंने विधानसभा के प्रश्न के उत्तर में पहली बार ये जवाब दिया कि ये कालोनी इरिगेशन एण्ड फ्लड कंट्रोल को ट्रांसफर कर दी गई है और ये काम आगे से वे करेंगे। बाकी इसके अलावा मंत्री महोदय के निर्देशों को अनदेखा कर दिया जिससे जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा यह नितांत एक लापरवाही का मामला है। मेरा विधानसभा के माध्यम से अध्यक्ष महोदय, आपसे ये हैं कि इसको आप सलेक्ट कमेटी को इस मामले को रेफर करें कि एक एक्स.ई.एन. स्तर का आदमी...माननीय मंत्री महोदय के आदेश की अवहेलना होती है उसके बाद जब आई. एंड एफ. सी. को हेंडओवर हो चुका है कालोनी को उसके कारण उसके दस्तावेज ले लिए गये। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय से जब दिये,

उसके कारण आज पूरा इलाका वो बर्बादी का कगार है। ये बहुत ठोस उदाहरण है, तरह से एक चुनी हुई विधायिका और किस तरह से माननीय मंत्री महोदय के स्पष्ट निर्देश की अवहेलना करते हुए राज्य सरकार को असफल किया जा रहा है। तो माननीय महोदय आपके माध्यम से मेरी प्रार्थना ये है कि सलेक्ट समिति को आपके तरफ से मामला रेफर कर दिया जाये। ये एक बहुत ही ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर आपराधिक लापरवाही की जाँच हो और स्थानीय जनता को राहत देने का काम हो और इस समय जो एक्शन होना चाहिए वो सुनिश्चित किया जा सके, बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री शिवचरण गोयल जी।

श्री शिव चरण गोयल : धन्यवाद, अध्यक्ष जी। आज निजी अस्पतालों में पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है; एक गंभीर मुददा है। अस्पतालों में और मॉल के अंदर पार्किग शुल्क लेना, ये एम.सी.डी. के अंदर भी पहले इसका डिसाइड चुका है 2015 के अंदर कि कोई भी अस्पताल जो डी.डी.ए लैंड पर बना हुआ है, वो पार्किंग शुल्क नहीं ले सकता और अस्पताल एक ऐसी जगह है जहाँ पर मरीज को देखने के लिए बार बार उनके परिवार जन बार बार आते हैं और मरीज का परिवार पहले ही कठिनाई में होता है और वहाँ पर वो कम से कम भी तीन से पाँच घंटे तक वहाँ पर रहते हैं और आज तो कई अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर तीस रुपये से लेकर पचास रुपये पर घंटा चार्ज किया जाता है तो उनको काफी मात्रा में इन पैसों को देना पड़ता है तो आज जब ये हाई कोट से भी नोटिफिकेशन हो चुका है कि अस्पतालों के अंदर कोई भी पार्किंग शुल्क नहीं लिया जा सकता और मॉल्स के अंदर भी नहीं लिया जा सकता इसके बावजूद भी ये शुल्क

लिया जा रहा है, ये एक गंभीर मुददा भी है, समस्या भी है। इसका संज्ञान लिया जाये और जो भी हॉस्पीटल इसके अंदर जितना भी शुल्क ले रहे है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाये और उसका पूरा ब्यौरा उनसे मंगाया जाये कि ये अब तक कितना पैसा इसमें इकट्ठा कर चुके हैं और उनके ऊपर एक उचित जुर्माना लगाकर वो पैसा गवर्नमैंट को वापिस मिले और उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो। बस यही, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री गुलाब सिंह जी।

श्री गुलाब सिंह : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा ही नहीं बल्कि नजफगढ विधान सभा और मटियाला विधान सभा, दोनों विधानसभाओं के करीबन 52–53 गाँव और करीबन 150 कालोनियाँ जहाँ पर करीबन दस लाख लोग रहते हैं और जहाँ पर करीबन 55 से 60 सीनियर सैकेण्डरी स्कूल दिल्ली सरकार के चल रहे हैं, उसके बाद करीबन 150 के आस–पास प्राइवेट स्कूल यानी के दोनों को मिलाकर के अगर देखा जाये कि 200 से सवा दो सौ स्कूल से बच्चे बारहवीं पास करके और कॉलेज के लिए निकलते हैं और जानकर हैरानी होगी कि हमारे पूरे क्षेत्र के आसपास में कोई भी कॉलेज नहीं है। साऊथ कैम्पस या किसी भी कॉलेज में जाने के लिए हमारे क्षेत्र के बच्चों को करीबन दो घंटे का समय लगता है। एक स्टूडेंट का दो घंटे का समय जाने का, दो घंटे का समय आने का, चार घंटे का समय अगर सिर्फ बसों के अंदर या ट्रांसपोर्ट में मैट्रो के माध्यम से कॉलेज में पहुचने में और घर आने में वापिस अगर खराब हो रहा है तो बड़ी चिंता का विषय है। इसके संदर्भ में सरकार बहुत गंभीरता से काम करना चाहती थी। वर्ष 2016 में मैंन साढ़े सोलह एकड़ जमीन हमारे ही

गाँव घुम्मनहेड़ा के अंदर ग्राम सभा की जमीन जिनका खसरा नंबर चार का 17,18,19,20,30... इस तरह से मैं सारे नंबर नहीं बता सकता, साढ़े सोलह एकड़ जमीन आइडेन्टीफाई करके रेवेन्यू डिपाटेमैंट ने भी दे दी और उसको माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे उस पत्र पर अति महत्वपूर्ण विषय लिखकर उस पत्र को हॉयर ऐजूकेशन को ट्रांसफर किया। बड़ी हैरानी की बात है कि अभी जून के अंदर अभी सर्वे हुआ, ज्वाइंट सर्वे, हॉयर ऐजुकेशन से भी लोग गये, रेवेन्यू से भी लोग गये और ये टोटल अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ऐसा हो रहा है कि पिछले दो साल में चार बार हॉयर ऐजूकेशन को चिटिठयाँ लिखी गई रेवेन्यू डिपार्टमैंट की तरफ से कि भई, आइये, एक बार इस लैंड का विजिट कर लीजिये। माननीय विधायक जी कॉलेज खुलवाना चाहते हैं। चार बार पत्र लिखने के बाद जून इसी वर्ष जून के अंदर वहाँ पर विजिट हुई और अभी दो जुलाई को मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी को दोबारा से पत्र लिखकर इसके बारे में अवगत कराया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमारे क्षेत्र का है। पूरे देहात से बच्चे दो ढ़ाई घंटे का सफर तय करके कॉलेजों में पहुंचते हैं।

मेरा ये निवेदन है आपके माध्यम से हॉयर एजुकेशन को खासतौर से, इस डिपार्टमैंट के डॉयरेक्टर को ये विनम्र निवेदन है कि इसको लेकर अभी एस.डी.एम.–कापसहेड़ा ने एक कमिटी बना दी है; 7–8 लोगों की कि वो कमिटी तय करेगी कि यहाँ पर कितने बच्चे पढ़ते हैं और कितने बारहवीं पास–आउट होते हैं। जब कि इस तरह से सर्वे का कोई औचित्य बनता नहीं है। वहाँ उस पूरे क्षेत्र के अंदर कैर के अंदर एक लड़कियों का कॉलेज है, जहाँ पर आज लड़कियों को एडमिशन नहीं मिलता, पूरा फुल चल रहा है वो। लेकिन इनके अपने तर्क है जो कि बिल्कुल अलग ही कहानी बयान

कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है और हॉयर एजुकेशन–डायरेक्टर साहब के लिए ये जरूर मैं कहना चाहूँगा कि वो आने वाले समय में जल्द से जल्द इस जमीन के बारे में कोई न कोई संज्ञान ले क्योंकि दिल्ली ग्राम सभा की जमीन है ये, इसके अंदर कोई ज्यादा बड़ा ऐसा दाव पेच नहीं अटका हुआ कि यहाँ पर कॉलेज नहीं बन सकता और पूरा देहात के लोग डिपार्टमेंट के साथ जाकर वहाँ पर विजिट कराया है, वो जमीन दिखाई है और ऐसे इतने अच्छे पर्यावरण में ये जमीन है, खेतों के बीच में, इतना खूबसूरत कॉलेज वहाँ पर बन सकता है और सबसे अच्छी बात कि आने वाले समय में परिवहन की दिक्कत भी वहाँ पर नहीं रहेगी क्योंकि मेरे खुद के गाँव घुम्मन हेड़ा में माननीय परिवहन मंत्री जी ने जो कभी एक डिपो हुआ करता था, जहाँ पर आज की तारीख में बसे 10–12 बसें खड़ी है लेकिन जो डी.टी.सी. को 1,000 बसें आने जा रही हैं, उसमें से करीबन 400 के आसपास घुम्मन हेड़ा के अंदर तीन डी.टी.सी. के बस... माननीय परिवहन मंत्री जी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने तीन डिपो वहाँ पर मंजूर कर दिए और काम शुरू हो चुका है। उसके बाद खुद इनकी विधान सभा के अंदर कैर में, दिचाऊं में डिपो है, उसके बाद रेवला और खरखड़ी नाहर में, छः डिपो वहाँ पर है, जिससे कि दिल्ली के और बच्चों को वहाँ पर आने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए इस जमीन को लेकर जल्द से जल्द कोई न कोई हॉयर एजुकेशन डिपार्टमैंट और शिक्षा मंत्री जी संज्ञान ले। ये अति महत्वपूर्ण विषय है, मेरी विधान सभा का ही नहीं, अपितु आस पास की विधान सभाओं को लेकर भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत–बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : सौरभ जी। सौरभ भारद्वाज जी–अनुपस्थित। सुखवीर सिंह दलाल जी।

श्री सुखवीर सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, वैसे मेरी बात तो अटपटी सी लगेगी। मैं खाद्य मंत्री का ध्यान एक चीज की तरफ दिलाना चाह रहा हूँ। मैं कई सालों से मैं देख रहा हूँ, दिल्ली में मुर्दे राशन रखा रहे हैं, मुर्दे ही नहीं बल्कि गुमशुदा और जो लोग राशन खा रहे है, कुछ समय के लिए दिल्ली आए और अपना नाम राशन कार्ड में लिखवाया और आज तक वो दिल्ली में दुबारा आए नहीं, उनका राशन चल रहा है।

ऐसे ही मैं एक ओर चीज बताता हूँ दिल्ली में वो महिलाएं भी रोजाना खाना खाने आती है जो दिल्ली राज्य की वासी थी लेकिन उनकी शादी हरियाणा में हो गई, यू.पी. में हो गई लेकिन राशन के दफ्तर में अभी भी आज दिल्ली में खाना खाने आती है, वे रात को। इसी तरह जिन लोगों ने एन.एफ.एस. कार्ड बनाने के समय में अपना कार्ड राशन का हकदार बताकर, राशन बनवा लिया, आज उनमें से बड़ी संख्या में राशन पाने के हकदार नहीं है। इसी तरह दूसरे राशन कार्ड जो 2011 में बनाए गए थे, आज 2018 आ गया, मुझे सदन के माध्यम से ये बताया जाए क्या 2011 में जो राशन कार्ड में आदमी नाम थे, क्या वो सभी जिंदा है? लेकिन जिस दिल्ली वासी लड़की की शादी हरियाणा में या अन्य राज्य में हो गई है, क्या वे लड़कियाँ दिल्ली में रोज खाना खाने आती है? लेकिन इन चीजों के सभी जवाब सुनकर मुझे निश्चित तौर पर ये लगता है कि इनका जवाब न में ही होगा।

अध्यक्ष जी, केंद्र सरकार की अपनी खराब राजनीति के कारण दिल्लीवासियों को परेशान करती रही है, जिसके कारण आज तक मुझे भी तीन साल विधायक बने हो गए, इतना आग्रह करने के बाद भी राशन कार्ड की संख्या में दिल्लीवासियों के लिए कोई संख्या नहीं बढ़ाई गई। उस पर

वो लगा दिया गया स्लैब। अब मैं सदन के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि 2011 से 2018 तक जितने भी एन.एफ.एस., ई.डब्लू.एस. ए. डबल वाई आदि राशन भोगी लोगों को मौत हुई है, उनके नाम इन कार्डों से काटे जाएं और जिसके नए कार्ड बनने का मौका मिल जाएगा।

ये कार्ड लाइफ टाइम ना होकर रिन्युअल होने चाहिए। इनका पाँच साल में अगर रिन्यू हो तो ये समस्या बहुत आसान हो सकती है क्योंकि अब जो राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, वो होल लाइफ के लिए बनाए जा रहे हैं जिससे कि मेरे हुए आदमियों का नाम... हमारे मंत्री जी भी चाहकर ये नहीं कर पा रहे क्योंकि अफसरों ने एक लाइन लगा रखी है कि भई, ये तो हम कर ही नहीं सकते, केंद्र सरकार का वो है। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा जो 72 लाख की संख्या है, वो कम से कम चार लाख ऐसे आदमी हैं जो इन तीन–चार सालों में जिनका देहांत भी हो गया, जो दिल्ली से विस्थापित भी हो गए और जिन लड़कियों की शादी भी हो गई, कम से कम दिल्ली के सही, पाँच लाख निवासियों को तो हम इसी उससे नए राशन कार्ड बनवाकर दे सकते हैं, मेरी यही गुजारिश है, थैंक यू।

माननीय अध्यक्ष : श्री ओम प्रकाश जी।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : धन्यवाद, अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान दिल्ली में पानी और सीवर की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूँ। वैसे तो इन सदन में मैं ये चौथी–पांचवीं बार उठा रहा हूँ और मेरी जानकारी के अनुसार सीवर और पानी का काम आजकल सीएम साहब देख रहे है जो कि यहाँ नहीं है। बार–बार उठाने के बाद भी ये नक्कारखाने में तूती की तरह है। सरकार ने साढ़े तीन साल के कार्यकाल के उपरांत

भी दिल्ली की जनता और विशेष रूप से मैं, यदि अपनी विधान सभा की बात करूँ तो पीने का पानी का नितांत अभाव है। पानी प्रचुर मात्रा में आता नहीं और यदि आता है तो उसमें सीवर का मिला हुआ पानी आता है जो कि पानी पीने के लायक नहीं है और ये बड़े शर्म की बात है कि हम बहुत बड़ी–बड़ी बात करते हैं और दिल्ली की जनता को पीने का पानी हम मुहैय्या नहीं करा पाते है। दिल्ली की कई कॉलोनी ऐसी हैं, जहाँ अभी भी पानी की लाइन और सीवर की लाइन नहीं डाली गई हैं अदि कहीं लाइन पड़ी भी है तो उसमें पीने के पानी का कोई उचित प्रबंध नहीं किया गया है।

आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में एक व्यापक सीवरेज नेटवर्क और नई प्रभावशाली जल–मल उपचार संयंत्रों के निर्माण का वायदा किया था और इसके साथ–साथ एक वायदा और भी था... श्रीमान जी, जरा सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : सुन लो थोड़ा सुन लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज–प्लीज, अनिल जी, बाजपेयी जी प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अनिल जी, मेरे से बात करिए। बाजपेयी जी, ऐसे नहीं, प्लीज।

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अब मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हैं

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बाजपेयी जी, उनको पढ़ने दीजिए अपनी बात को।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : इसके साथ ही मोहल्ला सभा की साझेदारी से झील, तालाब और बावली जो प्राकृतिक रूप से वर्षा का पानी संचय करने का जो साधन... उसके ऊपर विशेष आप सरकार ने जो जोर दिया था और उन जल निकायों को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया था परंतु आज साढ़े तीन साल के बाद भी उसमें कोई ठोस कार्य दिखाई दे नहीं रहा। अभी तक सरकार जलपूर्ति बढ़ाने के लिए कुछ कर नहीं पाई और सपनों के सौदागर श्रीमान केजरीवाल जी अब साढ़े तीन साल के बाद सिंगापुर के मॉडल पर डेढ़ सौ एम.जी.डी. पानी बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं और मुझे लग रहा है...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप मत टोकिए।

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : सुनिये, एक बात सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जिसका नाम आप ले रहे थे, उन्हीं के मुंह से वो निकलने वाला है, शांत रहिए प्लीज।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : मैं मुख्य मंत्री जी बात कर रहा हूँ और मुख्य मंत्री जी का डिपार्टमेंट भी है केजरीवाल जी का, तो इसलिए मेहरबानी करके...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ओम प्रकाश जी, आप मुझसे...

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : आप भी हैं। नहीं, आपने कितने सी.सी. टी.वी. लगा दिए आज तक? अरे। कितने सी.सी.टी.वी. लगा दिए?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ओम प्रकाश जी, मुझसे बात करिए।

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अरे! कितने सी.सी.टी.वी. लगा दिए?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बाजपेयी जी।

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : कितने सी.सी.टी.वी. लगा दिए बता दो? आपने अपने जो वायदे किए थे, कितने पूरे कर लिए, बता तो दो।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ओम प्रकाश जी, आप मुझसे करिए बात, प्लीज।

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : तो कर नहीं पाई, तो आप इस्तीफा दो, क्यों बैठे हो यहाँ फालतू में?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चलिए, अच्छा करिए अब।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अरे! जब कर ही नहीं पा रहे...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अनिल बाजपेयी जी, ये तरीका ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : आप कर नहीं पर रहे तो अपने घर जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बाजपेयी जी, ये तरीका ठीक नहीं है प्लीज। आप ओम प्रकाश जी, मुझसे बात करिए, इधर।

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : नहीं–नहीं, अब अभी बात करेंगे, जवाब तो देना पड़ेगा, कोई ऐसा थोड़े ही है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हाँ, बोलिए।

ओम प्रकाश शर्मा : वो सपनों के सौदागर मुख्य मंत्री जी ने अब सिंगापुर का जो मॉडल है, उसको एडॉप्ट करने का एक विचार प्रस्तुत किया है। इस मॉडल के आधार पर, योजना के तहत डेढ़ सौ एम.जी.डी. पानी बढ़ाने तथा 200 वाटर बॉडीज को पुनर्जीवित करने की योजना की घोषणा की है। मैं अध्यक्ष जी, आपसे भी ये निवेदन करना चाहता हूँ। मेरी विधान सभा का एक पार्ट विश्वास नगर जो कि आपकी विधान सभा के साथ बिल्कुल मिलता है, बार बार जब चीफ इंजीनियर से ले के, ऊपर से ले के नीचे तक बात होती है, तो उनका ये कहना होता है कि स्पीकर साहब के कहने पर हमने जो पानी है, उसका पानी का जो वॉल्व है, उसको हमने कम किया हुआ है। तो बार बार ये आपका नाम इसमें आता है। मैं उनकी बातों मैं ये जो ये बार बार आप अभी पहले भी बात कर रहे थे न कि कि हम अफसरों को बचाने के लिए.. तो हमने अफसरों का कोई ठोक नहीं लिया है बचाने का। यदि अफसर कोई ठेका गलत काम कर रहा है तो उसको ठोकने में हम पहले आगे हैं, लेकिन यदि आप मानसिक रूप मान चुके हैं...

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : शांति से बैठो, शांति से, शांति सा, अरे शांति करले यार। अध्यक्ष जी से बात कर रहा हूँ ना। अध्यक्ष जी, ये क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अरे भई!

श्री ओम प्रकाश शर्मा : हो क्या रहा है ये?

माननीय अध्यक्ष : सौरभ जी।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : समझ नहीं आ रही है बात।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सौरभ जी, उनको... समय खराब होगा।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : तेरी तरह जेल नहीं जाना मुझे भइया।

माननीय अध्यक्ष : समय खराब हो रहा है, प्लीज।

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : कुकर्म कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, आपसे मेरी ये गुहार है कि मेरी जो विधान सभा की जो कॉरपोरेशन विश्वास नगर है, उसके साथ लगने वाली जो आपकी कॉरपोरेशन है, वहाँ से पानी की जो पाइप लाइन आ रही है। चीफ इंजीनियर और दूसरे लोग, जो ये कहते हैं बार बार कि आपके यहाँ से या आपके दबाब में वहाँ कुछ हो रहा है तो कृपया इस मामले को आपसे मैं इस विधान

सभा में कहना चाहता हूँ उसको आप कृपया करके सुलझायें। परंतु...

श्री अमानतुल्लाह खान : जिगर चाहिए, जेल जाने के लिए दम चाहिए दम।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अरे कुकर्म करेगा तो जेल जायेगा, XXX[1] की तरह क्यों बात कर रहा है फालतू यार!

माननीय अध्यक्ष : ओम प्रकाश जी, आप इधर पढ़िये।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अरे! क्यों XXX की तरह बात कर रहा है। आदमियों की तरह बात कर।

माननीय अध्यक्ष : अमानतुल्लाह जी।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : आदमियों की तरह बात कर।

माननीय अध्यक्ष : ये...

श्री ओम प्रकाश शर्मा : XXX की तरह मत कर।

माननीय अध्यक्ष : XXX की तरह क्यों कर रहा है भाई?

माननीय अध्यक्ष : मैं प्रार्थना कर रहा हूँ।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : आदमियों की तरह कर ले ना। ज्यादा, नहीं ज्यादा लकड़ी मत ले फालतू।

...(व्यवधान)

---

[1]अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार XXX चिन्हित शब्द कार्यवाही से हटाया गया।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : ज्यादा फन्ने खां मत बन, आराम से बैठ। आदमी की तरह बैठ। अरे! आदमी की तरह बैठ। नीचे बैठ जा। ज्यादा फन्ने खां मत बन। अरे! बहुत देखे तेरे जैसे।

श्री अमानतुल्लाह खान : धत!

माननीय अध्यक्ष : अमानतुल्लाह जी बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्या है ये?

माननीय अध्यक्ष्य : प्रवीण जी।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : कैसी विधान सभा है ये अध्यक्ष जी, कैसी विधान सभा है ये?

माननीय अध्यक्ष : मुझे पसंद... वो पढ़ रहे हैं, पढ़ने दीजिए उनको। अब टोका–टाकी... अमनातुल्लाह जी, वापस चलिए।

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : देखिये, खान साहब क्या...

माननीय अध्यक्ष : अमानतुल्लाह जी।

श्री अमानतुल्लाह खान : धत!

श्री ओम प्रकाश शर्मा : तेरी माँ ने दूध पिलाया... देखे हम, आया पहलवान!

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : आ जा, देखे तेरी दादागिरी, तेरे जैसे गुंडे सड़क पे टक्कर मार के घूम रहे है। सड़क पे लेटे तेरे गुंडे। अध्यक्ष जी, इसी तरह से हाउस चालेगा?

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : फिर इसी तरह हमको बोलने नहीं देंगे?

माननीय अध्यक्ष : ओम प्रकाश जी, मैं सबको रोक रहा हूँ आप सब से... सबसे उलझ रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : बक–बक करेंगे बीच में? ये क्या तरीका है?

माननीय अध्यक्ष : ये जो XXX शब्द है, उसे निकाल दिया जाये कार्यवाही ले।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : एकदम हाउस में गुडागर्दी कर दिये।

माननीय अध्यक्ष : बैठिए नितिन जी।

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : गुंडागर्दी हो गया।

माननीय अध्यक्ष : बैठिए प्लीज। कार्यवाही से XXX शब्द निकाल दिया जाये।

---

[1]अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार XXX चिन्हित शब्द कार्यवाही से हटाया गया।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्या तरीका है ये? ए नीचे बैठ जाओ। आप क्यों बोलने जा रहे हो? मेरा नंबर है, इसलिए बोल रहा 280 है मेरा।

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी।

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अध्यक्ष जी।

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, मैं सदन का बहिष्कार करता हूँ आप यहाँ पे विपक्ष को न्याय दिलाने में असमर्थ है और मैं इसका बहिष्कार करता हूँ, मैं इसका बहिष्कार करता हूँ।

...(व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष के आसन के समीप सदन के वेल आये।)

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ओम प्रकाश जी, उनको, बाजपेयी जी को मैंने रोका, आप रुके? एक सेकण्ड के लिए, बाजपेयी जी को रोका मैंने, बाजपेयी जी को रोका, अमानतुल्लाह जी को रोका, आप रुकते नहीं है, आप रुकते नहीं है। आप क्या बात कर रहें? आप जो मर्जी है, बोल देते हैं, कभी XXX कभी गुंडा, छोड़िये।

[1]अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार XXX चिन्हित शब्द कार्रवाई से हटाया गया।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैठिए आप।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दो मिनट बैठ जाइये अभी, दो मिनट बैठ जाइए, दो मिनट बैठिए, प्लीज।

...(व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश शर्मा का विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन)

माननीय अध्यक्ष : नितिन, नितिन जी बैठिए प्लीज, नितिन जी, बैठिए, प्लीज बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं, मैंने वो कार्यवाही से निकलवा दिया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : भई नितिन जी, शांति से बोलिए प्लीज। मैंने कार्यवाही से निकलवा दिया।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जगदीश जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रवीण जी, अपनी चेयर पर प्लीज। अपनी चैयर पर चलिए। अपनी सीट पे प्लीज। आप अपनी सीट पे तो चलिए।

...(व्यवधान)

माननीय उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय,

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय उप मुख्यमंत्री जी खड़े हुए हैं, बैठिए।

माननीय उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गंभीर मसला है। इस देश में इत्तेफाक, दुर्भाग्य से मैं अपने सदन में, अपने रूम में बैठा हुआ था मैं कार्यवाही देख रहा था, यहाँ पे दुर्भाग्य से इस इस देश में इस वक्त केन्द्र की सत्ता में ऐसी पार्टी बैठी हुई है और यहाँ पे विपक्ष में ऐसी पार्टी बैठी हुई है जो इस पूरे मसले का यही लाके खड़ा करना चाहती है कि मुसलमान का मतलब XXX। ये बयान उसी मानसिकता के तहत, उसी साजिश की तहत दिया गया है। मैं। सत्ता पक्ष में होके, मैं कहा रहा हूँ कि अपने किसी भी चाहे विपक्ष से हो, पक्ष में हो, ये जो धारणा साबित करने की कोशिश की जा रही है, ये किसी का नाम खान या किसी का नाम मुसलमान है तो वो XXX होगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा इस सदन को। ये एकदम, इसपे माफी माँगनी चाहिए, पूरे देश से माफी माँगनी चाहिए इन लोगों को। कैसे कह सकते हैं ये? अपने किसी साथी को... सवाल पक्ष या विपक्ष का नहीं है, ये पूरे देश की भावनाओं का सवाल है। एक तरफ देश में पूरे भाई–चारे की बात हो रही है... इस तरह से लड़ाना चाह रहे हैं।

---

[1]अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार XXX चिन्हित शब्द कार्यवाही से हटाया गया।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैठिए–बैठिए, प्लीज बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, जगदीश जी, XXX बोलना किसी सदस्य को बहुत आपत्तिजनक शब्द है। और वो जब चाहे... उन्होंने क्या बोला? आप बताइए, उन्होंने क्या बोला? हां, क्या बोला उन्होंने?

माननीय अध्यक्ष : नहीं ऐसा नहीं, वो कार्यवाही है सारी। आप सीट पे चलिए। कमांडो जी, कमांडो जी, कमड़ो जी, सीट पे जाइए। नहीं, मुझे पसंद नहीं आ रही ये बात। सीट पर जाइए। इतना गंभीर विषय है। अजय जी, चलिए।

माननीय उप मुख्यमंत्री : ये सवाल विधायक का है ही नहीं, ये जो मानसिकता देश पर थोपने की कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। ये किसी भी मुसलमान को XXX आप खड़े हो के कहोगे। इस देश में, ये देश सिर्फ किसी एक वर्ग या किसी जाति का या धर्म का नहीं है। ये देश हिन्दु मुसलमान, सिक्ख ईसाई, जैन सबका है। ये इसके मकान मालिक नहीं बनके बैठ सकते कुछ लोग यहाँ पर।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हाउस साढ़े चार बजे तक के लिए एडजॉर्न किया जाता है। साढ़े चार बजे तक एडजॉर्न किया जाता है।

(विधान सभा की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की गई)

---

[1]अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार XXX चिन्हित शब्द कार्यवाही से हटाया गया।

सदन अपराह्न 4.40 बजे पुनः समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

...(व्यवधान)

श्री संजीव झा : अध्यक्ष महोदय, अभी जो ओमप्रकाश जी ने जो भी कुछ बोला था, ये वाकया निहायत गंभीर बात है और इसको प्रिविलेज कमेटी में भेजा जाए और क्योंकि बार—बार ये गलती करें, कोई ये पहली गलती नहीं है। बार—बार ये गलती इसी सदन में उन्होंने महिलाओं का अपमान किया, सदन का अपमान किया है। आज ये साम्प्रदायिक बात बोलकर के बार—बार एक बार नहीं, मैं वीडियो देख रहा था इन्होंने आठ बार XXX कहा है। ये लोग यही हमेशा चाहते रहते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : भई एक—एक सदस्य बोले।

श्री संजीव झा : सम्प्रदाय के नाम पर लोगों को बाँट दो, काम करना नहीं है, इनकी खेती अपनी चलती रहेगी। ये धर्म के ठेकेदार लोग अपनी खेती चलाने के लिए ऐसी—ऐसी बातें फैलाकर के और समाज में हिंसा फैलाते हैं। जैसा अभी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हिन्दु—मुसलमान करके ये साबित करना चाहते हैं कि समाज का बंटवारा हो, ये समाज में हिंसा बढ़े इसीलिए ये जो कुछ इन्होंने कहा है, इसको प्रिविलेज में जाए, प्रिविलेज इसकी जाँच करें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : भई, अजय जी।

श्री अजय दत्त : जिनका जन्म इस देश में हुआ है, जिनकी पुश्ते यहाँ पर रहती है, उनको किसी को भी उठाकर आप XXX कह देते हो, किसी भी दलित को आप नीची जाति का कह देते हो। ये कौन–सी सभ्यता के आये हैं ये लोग और ये क्यों देश का बांटना चाहते हैं बार–बार! क्या ये इस देश को बाँटना चाहते हैं? XXX यहाँ पर बैठे हैं इस विधानसभा में। क्या इस विधानसभा में XXX बैठे हैं। इस तरह की भाषणबाजी क्यों करते हैं ये लोग? तो अध्यक्ष जी, हम इनमें बहुत ज्यादा क्षुब्ध है, इनसे बहुत दुःखी है, इनकी भाषणबाजियों से। ये कोई रोड नहीं है, ये दिल्ली की विधानसभा है। अगर आप इस तरीके की बाते कहेंगे तो इनको दंडित करिए। अध्यक्ष जी, ये इस सदन में रहने लायक नहीं है। किसी भी व्यक्ति को ये लांछन लगा देते हैं, उस पर आरोप लगा देते हैं, कोई बेबुनियादी के आरोप लगाते हैं। तो अध्यक्ष जी, इनको यहाँ से हटाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अमानतुल्लाह जी, आप बैठिए प्लीज, आप बैठ जाइए, आप बैठिए। आप बैठिए, मैं मौका देता हूँ। भई हम सब लोग बोलना शुरू हो गए, झा साहब बोल रहे हैं; एक बार बोल लेने दो, कुछ कह रहे हैं वो। वो हाँ झा साहब, बताइए।

...(व्यवधान)

श्री संजीव झा : मेरा अध्यक्ष महोदय, बस यही आपसे निवेदन है कि...

---

[1]अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार XXX चिन्हित शब्द कार्यवाही से हटाया गया।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : भई ओम प्रकाश जी, दो मिनट रुक जाइए।

श्री संजीव झा : मेरा अध्यक्ष महोदय, आपसे ये निवेदन है कि आज ओम प्रकाश जी ने जो कुछ भी कहा है, ये निहायत निंदनीय है। अध्यक्ष महोदय, आज ओम प्रकाश जी ने जो कुछ भी सदन में कहा है, ये निहायत निंदनीय है, ये सदन का अपमान है। एक चुने हुए प्रतिनिधि को जब ये सदन में कह सकते हैं कि तुम XXX हो। तो आप सोच सकते हैं कि समाज में इनकी मानसिकता क्या है ये दर्शाती है इनकी मानसिकता आपको! और इनकी ये लोग खेती करते हैं, राजनीति इनकी यही, इसी से चलती है समाज में हिंसा फैलाओं, समाज को समुदाय के नाम पर बाँटो और अगर कोई आपके खिलाफ आवाज उठाए तो किसी को XXX कह दो, किसी को देशद्रोही कह दो, किसी को पाकिस्तान भेज दो। तो मुझे लगता है ये सदन कत्तई बर्दाश्त नहीं करेगा और इस मुद्दे को प्रिविलेज में जाना चाहिए। चूँकि ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले इन्होंने महिलाओं का अपमान इस सदन में किया है, इससे पहले इन्होंने माइक तोड़ा है। तो मेरा ये कहना है कि बार–बार सदन में आकर सदन का अवमानना कर रहे हैं, चुने हुए सदस्यों पर ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो इसलिए इस मुद्दे को प्रिविलेज में जाना चाहिए। ये मेरा मानना है मेरा ख्याल है कि मेरे बाकी सारे सदस्य भी इससे सहमत होंगे।

माननीय अध्यक्ष : बैठिए अमानतुल्लाह जी।

श्री अमानतुल्लाह खान : अध्यक्ष जी, आज ओम प्रकाश जी पानी के मुद्दे पर अपनी विधानसभा की बात रख रहे थे। उसी वक्त में इन्होंने

[1]अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार XXX चिन्हित शब्द कार्यवाही से हटाया गया।

पूरी दिल्ली के अलग–अलग मुद्दे लेने शुरू किए उन्होंने बातों–बातों में ये कहा कि भई हम भी आपसे ज्यादा अफसरों को अधिकारियों को हम आपसे ज्यादा ठोकते हैं। जो कि बहुत ही अफसोस वाला... इनके ये अल्फाज थे। उस पर मैंने जो है ऑब्जेक्शन किया कि भई आप अफसरों को ठोकने की बात कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये मुस्तकिल बात को कहते रहे, बात कहते–कहते इन्होंने कहा कि भई तुम्हारी तरह मैं जेल नहीं जाऊँगा। उसी बात के बाद इन्होंने कहा कि भई मैंने उसमें कहा कि भई जेल जाने के लिए भी हिम्मत चाहिए। तो उसके बाद इन्होंने फौरन मुझे जो हैं XXX कहा और XXX - XXX आठ मर्तबा कहा। तो हमारा कहना ये हैं कि भई, देखिए, अफसरों से हमारा झगड़ा हो सकता है, अफसरों से हमारी जो शिकायतें हो सकती है, उसके लिए हम लड़ सकते हैं। लेकिन अफसर की हम बेइज्जती नहीं कर सकते। अफसर को हम ठोकने की बात नहीं कर सकते और अफसरों के बारे में इस तरह के अल्फाज को भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और उसी बात को मैंने इनसे ऑब्जेक्शन किया था। उस ऑब्जेक्शन के बदले में इन्होंने मुझे XXX कहा और मेरा मानना ये है कि ये जो बीजेपी सरकार है। और बीजेपी के ये एक नुमांइदे हैं, एम.एल.ए. है, बीजेपी पार्टी से आते हैं और बीजेपी की ये सोच है कि मुसलमान इस मुल्क में XXX है और ये फिरकावारान फसादाद कराके मॉबलिचिंग के नाम पर, गाय के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर सिर्फ ये राजनीति करना चाहते हैं और ये इस पूरे मुल्क के माहौल को ये बिगाड़ना चाहते हैं और ये अकेला इनका अपना सोच नहीं है ये। ये इनकी पार्टी की सोच है और ये एक सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने... क्योंकि

[1]अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार XXX चिन्हित शब्द कार्यवाही से हटाया गया।

मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान को XXX ये मानते भी हैं और कहते भी हैं। तो इसलिए इन्होंने मुझे मैं इनके हाउस का एक मेम्बर हूँ, इनका साथी हूँ और इन्हें इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। तो इस तरह की बात जो आज इन्होंने जो हरकत की है, इसको कत्तई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और इसको कम से कम प्रिविलेज में भेजना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : राखी जी।

सुश्री राखी बिड़ला : आप तो बोल चुके तभी तो ये चर्चा हो रही है।

माननीय अध्यक्ष : दो मिनट बैठिए, प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सौरभ जी, हाँ, राखी जी।

सुश्री राखी बिड़ला : देखिए अध्यक्ष जी, आज जो भी कुछ सदन में हुआ, ये बहुत दुःखुद था कि एक चुने हुए साथी को एक चुने हुए साथी के द्वारा XXX बोलना जा रहा है जो लगातार हिस्ट्रीशीटर है। हमारी एक चुनी हुई माहिला विधायक को उन्होंने बाजारू बोला, सौरभ भारद्वाज जी को उन्होंने तू–तड़ाक करकर सबक सिखाने की बात कही, सोमनाथ भारती जी के ऊपर उन्होंने ऐलिगेशन पिछले दिनों लगाए, सदन में उन्होंने माइक तोड़ा और इनकी पृष्ठभूमि रही है कि किस तरह से वो अपनी सोच, अपनी हरकतों के माध्यम से सदन के अंदर प्रमाणित करते हैं बार–बार और जिस पार्टी की ये नुमाइंदगी करते हैं जिस पार्टी की सोच को ये

[1]अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार XXX चिन्हित शब्द कार्यवाही से हटाया गया।

यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं जिस पार्टी की सोच की उसकी विचारधारा का....

माननीय अध्यक्ष : वो झा साहब ने बोला है।

सुश्री राखी बिड़लाः मैं अध्यक्ष जी, वहीं आ रही हूँ।

माननीय अध्यक्ष : इन्होंने प्रस्ताव रखा है।

सुश्री राखी बिड़ला : मैं बिल्कुल बता रही हूँ।

माननीय अध्यक्ष : भाषण नहीं है।

सुश्री राखी बिड़ला : अध्यक्ष जी, उस पर ये बोलना भी जरूरी है कि इनकी जो सोच है, वो मुस्लिमों और दलितों के बिल्कुल खिलाफ है और मैं संजीव झा के प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करती हूँ कि इस मुद्दे को प्रिविलेज कमेटी में आपके माध्यम से भेजा जाए और इन्हें जो एक बार फिर से इस बात का अहसास कराए जाए कि सदन की भाषा सदन की गरिमा के बिल्कुल उल्ट चलते हैं और सदन इसका बिल्कुल भी जो है, इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, धन्यवाद।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, अब नहीं और प्लीज। और नहीं कुछ नहीं, प्लीज जगदीश जी।

(माननीय सदस्य श्री जगदीश प्रधान का विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन)

माननीय अध्यक्ष : हाँ, वो आपकी इच्छा है, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं इस विषय को प्रिविलेज कमेटी को सौंपता हूँ जितना जल्दी संभव हो सकता है, प्रिविलेज कमेटी इसकी रिपोर्ट सदन पटल पर रखे। श्री महेन्द्र गोयल जी। जगदीश प्रधान जी का था, वो बाहर चले गए है। श्री महेन्द्र गोयल जी।

माननीय अध्यक्ष : श्री महेन्द्र गोयल जी।

श्री महेन्द्र गोयल : धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपका ध्यान मेरी विधान सभा ही नहीं, पूरे देश की समस्या है, इस ओर आपका ध्यान दिलवाना चाहूँगा।

जिन बच्चों के माता–पिता गुजर आते हैं उनके ऊपर कोई सहारा नहीं रहता। कोई समाज के अन्दर उसको सहारा देने के लिए तैयार नहीं होता। सरकारों का फर्ज बनता है; भारत सरकार का भी और राज्य सरकारों का भी कि उस बच्चे की शिक्षा के लिए, उस बच्चे के रख–रखाव के लिए सरकारों को उनके प्रति कुछ सोचना चाहिए। एक तरफ तो सरकारें शोषित वर्ग को आरक्षण देती है और देना भी चाहिए और उन बच्चों से ज्यादा शोषित कौन होगा जिनके आज माँ–बाप नहीं है या पिता का साया उनके सर से उठ गया? आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि उन बच्चों के लिए एक पेंशन का ऐसा प्रावधान भी होना चाहिए कि माँ की तो पेंशन लग जाती है और बच्चे की नहीं। उस बच्चे की भी चाहे वो एक बच्चा है, उस परिवार के अन्दर या दो बच्चे या तीन बच्चे हैं, उन बच्चों की भी पेंशन मिलनी चाहिए, जैसे एक माँ को मिलती है और जब माँ और बाप दोनों चले जाते हैं तो उन बच्चों का कोई भी रखवाली नहीं होता।

कोई अपनाता भी नहीं समाज के अन्दर। तो उन बच्चों की पेंशन का प्रावधान सरकारें करे और दिल्ली सरकार तो नये–नये आयाम रचती रही है। पानी फ्री बाँट रही है जो लोगों तक पहुँच रहा है। बिजली के रेट आधे कर दिए हैं। शिक्षा के बारे में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो उप मुख्य मंत्री साहब भी यहाँ पर बैठे हैं इनका भी ध्यान मैं इस ओर खास तौर पे खींचना चाहूँगा क्योंकि हर वर्ग के लिए आपने कुछ–न–कुछ सोचा है।

माननीय अध्यक्ष : महेन्द्र जी, ब्रीफ करिए।

श्री महेन्द्र गोयल : तो ऐसे बच्चों के लिए आप अपने ध्यान में लाकर दिल्ली सरकार भी करे और भारत सरकार से भी आग्रह करे कि इन बच्चों के रख–रखाव का और उनकी पेंशन का प्रावधान करे, जयहिन्द, जय भारत।

माननीय अध्यक्ष : बंदना कुमारी जी।

श्रीमती बंदना कुमारी : धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष जी, एम.एल.ए. फण्ड से हमारे एरिया में अधिकांश काम एम. सी.डी. को दिया जाता है और एम.सी.डी. लगातार हमारे एरिया में 5–6 ब्लॉक में जैसे; आरयू ब्लाक, टीपी ब्लाक, बीके वन ब्लाक, ए.पी. ब्लाक, शालीमार बाग विधान सभा में, ये चारों जगह काम चल रहा है, एट ए टाइम। अभी चारों जगह की हमने निरीक्षण करी और निरीक्षण करने में हमने ये पाया; जो वहाँ की जो काम की क्वालिटी है, लोकल लोगों के शिकायत पे तो वहाँ काम की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता इतनी खराब है, इतनी खराब है, इतनी खराब है तब उसके अन्दर जब हम गए और उसे जानने की

हमने कोशिश की जो क्यों इस तरह से हो रहा है तो पहले तो हमने वर्क ऑर्डर नहीं देखी थी। बाद में जब वर्क ऑर्डर की कापी देख रहे हैं तो जो एस्टीमेटेड कॉस्ट हमारी लाख रुपया की है, वो 40 परसेंट, पे उसकी काम टेंडर, टेंडर हुई है और वर्क ऑर्डर 44 परसेंट पे हुई। तो अधिकारियों ने गोल–मोल जवाब दिया जो मैडम 40 परसेंट पे उठेगी तो ऐसा ही काम होगा। 44 परसेंट उठेगी तो ऐसा ही काम होगा और उसमें साथ में अपने अधिकारियों की मिलीभगत मतलब इससे वहाँ की जो गाइडलाइन है और जो एम.सी.डी. की गाइडलाइन के अनुसार काम की गुणवत्ता के अनुसार होनी चाहिए, ठोस काम जिसके लिए पब्लिक का पैसा, पब्लिक अपना पैसा लगाती है और उस तरीके से काम नहीं हो रहा है क्षेत्र में और फिर कुछ दिन बाद जैसे मान लीजिए हमारे 2014 में जो काम हुए, अब वो काम टूटने लगे। तो टूटने लगे तो लोगों ने कहा तीन साल मे ही टूट गया, खा गया! उससे विधायक की छवि को भी नुकसान होता है और वहाँ लोकल लोग दिन–रात गालियाँ देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कन्क्लूड करिए बंदना जी, प्लीज।

श्रीमती बंदना कुमारी : वो इसमें एक जिम्मेदारी इसकी गुणवत्ता चेक करने की जिम्मेदारी, मैं सदन के माध्यम से चाहती हूँ जो आप एक कोई कमेटी ऐसी बने जो कमेटी इन सभी की गुणवत्ता की चेक करे। जो काम इतने कम लागत में कैसे होगा और होगा तो सही काम होना चाहिए जो गाइडलाइन है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। हर डिपार्टमेंट, हर विभाग की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग काम को होनी चाहिए और काम ठोस होना चाहिए, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : भावना गौड़ा जी, बहुत संक्षेप में रखिए भावना जी।

श्री भावना गौड़ : शुक्रिया, अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने पालम विधान सभा क्षेत्र से गुजरने वाले फ्लाइओवर की ओर दिलाना चाहती हूँ जिसे चौड़ा करने का मामला हमारे क्षेत्र की पब्लिक चाहती है कि ये फ्लाइओवर का चोड़ा किया जाए। यह फ्लाइओवर दिल्ली कैंट और पालम विधान सभा क्षेत्र से होता हुआ द्वारका क्षेत्र सैक्टर–1 में गुजरता है। इस फ्लाइओवर की चौड़ाई अपेक्षाकृत कम होने के कारण वहाँ नियमित रूप से इतना भयंकर जाम लगता है कि लोग घण्टों–घण्टों जाम में फंसे रहते हैं। जिसके कारण बीमार, अस्वस्थ या बुजुर्ग व्यक्ति उसके साथ में कोई भी हादसा होने की आशंका हमेशा बनी रहती है।

माननीय अध्यक्ष : महोदय इस फ्लाइओवर का इस्तेमाल पालम एवं दिल्ली कैंट विधान सभा क्षेत्रों के निवासियों के साथ–साथ द्वारका, मटियाला, उत्तम नगर, जनकपुरी एवं नजफगढ़ विधान सभा के निवासियों के द्वारा किया जाता है जो कि इस फ्लाइओवर को चौड़ा करने की अनिवार्यता को दर्शाता है।

अध्यक्ष महोदय, इस माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे इस फ्लाइओवर को चौड़ा करने हेतु यथाशीघ्र कोई आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें ताकि लाखों लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इस फ्लाइओवर पर लगने वाले लगातार जाम से तुरंत निजात पाई जा सके, धन्यवाद महोदय।

माननीय अध्यक्ष : बहुत–बहुत धन्यवाद। अजय दत्त जी। केवल जो लिखा है, उतना पढ़ दीजिए, बस।

श्री अजय दत्त : अध्यक्ष जी, मेरा नाम तो है ही नहीं इसमें। अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा में भी एम.सी.डी. के बहुत सारे काम जो मैंने पिछली बार भी आपके समझ रखे थे, वो अभी तक न तो पूरे हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष : मैं पढ़ देता हूँ जो आपने लिख के दिया। बैठिए, अजय दत्त जी। वर्षा का मौसम है, बैठ जाइए, प्लीज।

श्री अजय दत्त : जी, मेरा नाम ही नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष : नहीं–नहीं, अब बैठ जाइए अब जरा। वर्षा का मौसम है जगह–जगह नालियों में पानी जमा होने की वजह से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है और बार–बार एम.सी.डी. के अधिकारियों को बोलने के बाद भी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था में कोई सुधार नहीं है। कृपया एम.सी.डी. को सफाई व्यवस्था सुधारने के आदेश दें।

श्री सौरभ भारद्वाज : सर, मेरा भी पढ़ा हुआ मान लो।

माननीय अध्यक्ष : हाँ, झा साहब।

श्री संजीव झा : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, ध्यान रखने के लिए बहुत, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्ष : बहुत संक्षेप में दे दीजिए।

श्री संजीव झा : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह ही... यहाँ कुछ सोसायटीज हैं जिसमें एम.सी.डी. का एक नोटिस आया और ये कहा गया

है कि सभी फ्लैट्स को खाली कर दिया जाए ताकि उसका डेमोलेशन हो जाए। वहाँ लोग पिछले 10 साल से रह रहे हैं और साढ़े चार सौ हेबिटेंट हैं, वहाँ पे। मुझे लगता है कि इस तरह से अगर लोगों को इविक्ट करवाकर के डेमोलेशन करवाया जाएगा तो अराजकता का माहौल हो जाएगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता था कि आपके माध्यम से सरकार की नजर में भी और एम.सी.डी. के अधिकारियों पे भी ये बात ये बात पहुँचे कि इस तरह से हम लोगों के साथ नाजायज वो नहीं कर सकते। हमें लोगों के साथ इंसाफ हमें करना चाहिए और अगर इस तरह की कोई एम.सी.डी. कार्रवाई करती है तो लोग हो सकता है कि अपने जान की बाजी लगाकर रोकें और किसी भी तरह का हादसा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अध्यक्ष महोदय, आपके जरिए मैं एम.सी.डी. कमिशनर को ये निवेदन करता हूँ कि इस तरह के नोटिसेज को वापस ले ताकि लोगों में जो पैनिक का, आतंक का माहौल... वो पैनिक जो लोग हो रहे हैं ताकि लोग पैनिक न हों, उससे बचें, धन्यवाद।

श्री सौरभ भारद्वाज : सर, मेरा भी करा लो।

सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात

माननीय अध्यक्ष : ठीक है सौरभ जी का अन्य जो सदस्य, अनुपस्थित थे, उनका पढ़ा हुआ माना जाए रहा है।

अब राखी बिड़ला जी, शिवचरण गोयल जी कमेटी ऑन प्राइवेट मेम्बर्स बिल एण्ड रेजुलेशन पर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे।

सुश्री राखी बिड़ला : धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करती हूँ।

माननीय अध्यक्ष : धन्यवाद। Now Shri Kailash Gehlot Ji, honourable minister for transport to lay copies of the following on the table of the house :

I. Copy of the delhi Gazette Notification No. 23 (1362)/CAP/TPT/ 2016-Part-I/307 dated 10 July 2018 regarding delegation of powers related to Pollution Checking cenrters (Hindi S English Version).

II. Copy of the delhi Gazette Notification No. MLO(VIU)/TPT/2017/ 165/315 dated 17 July 2018 regarding Speed Governor (Hindi S English Version).

हाँ कर दीजिए। गहलोत जी कर दीजिए।

श्री कैलाश गहलोत (परिवहन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची के बिंदु क्रमांक 4 में दर्शाए गए अपने विभागों से संबंधित निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँ:[2]

(क) प्रदूषण जाँच केन्द्रों से संबंधित शक्तियों के हस्तांतरण के संबंध में दिल्ली राजपत्र अधिसूचना सं.फा. 23 23 (1362)/सीएपी/ परि. 2016– पार्ट–1/307 दिनांक 10 जुलाई, 2018 (हिन्दी–अंग्रेजी प्रतियां)

(ख) स्पीड गर्वनर के संबंध में दिल्ली राजपत्र अधिसूचना सं.फा. एम. एल.ओ. (वीआईयू)/टी.पी.टी/2017/165/315 दिनांक 17 जुलाई, 2018 (हिन्दी–अंग्रेजी प्रतियां)

---

[2]पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर–20423–24 पर उपलब्ध

अल्पकालिक चर्चा (नियम–55)

माननीय अध्यक्ष : धन्यवाद। शोर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन रूल नं. 55 श्री सौरभ भारद्वाज जी, शिव चरण गोयल जी, श्री आदर्श शास्त्री जी। सौरभ भारद्वाज।

श्री सौरभ भारद्वाज : अध्यक्ष जी, बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने आज मुझे इस शॉर्ट ड्यूरेशन, अल्पकालिक चर्चा के अन्दर मुझे मौका दिया।

अध्यक्ष जी, ये आज की जो अल्पकालिक चर्चा है, वो हम सब लोगों से सीधे–सीधे जुड़ी हुई है। सभी विधायकों से और दिल्ली के सभी वासियों से सीधे–सीधे जुड़ी हुई है कि दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है या दिल्ली के जो विधान सभा के अन्दर जो फैसले लिए जाते हैं या जिनके बारे में यहाँ पर रेजॅल्यूशन पास किए जाते हैं या जो सेन्स ऑफ दि हाउस इस सदन से जाती है, उसके अन्दर बहुत सारे पीपॅल फ्रैण्डली, पीपॅल वेलफेयर के, पब्लिक वेलफेयर के काम होने होते हैं और उसके बारे में अक्सर हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं, सवाल लगाते हैं। सवालों के जवाब हमारे मंत्री महोदय यहाँ पर देते हैं और मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि कई बार हमारी अपनी पार्टी के लोग अपने ही मंत्री को सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन पूछ–पूछ के उसकी जवाबदेही तय करते हैं; इस हाउस के अन्दर। मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि इसके अन्दर कोई गुरेज नहीं रखा जाता कि ये मंत्री हमारी पार्टी से हैं तो इसकी जवाबदेही थोड़ी हम कम कर लें या इनको सवाल न पूछे जाएं। आपने देखा ही होगा पिछले कई अर्सों के अन्दर बार–बार सप्लीमेन्टरी के अन्दर मंत्रियों से सवाल पूछे जाते हैं और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मंत्रियों का भी कि मंत्री भी सदस्यों के

सवालो के जवाब देते हैं। क्योंकि जो मूल हमारा मकसद है इस सदन का, इस सरकार का, ये है कि सबकी जवाबदेही तय हो। सरकार की जवाबदेही इस हाउस के अन्दर, इस सदन के अन्दर तह हो। अफसरों की जवाबदेही सरकार के प्रति तय हो। विधायकों की जवाबदेही और विधान सभा की जवाबदेही जनता के प्रति हो। जो उन्हे वोट दे के जिताती है और इस सदन के अन्दर भेजती है ये जो पूरी की पूरी जवाबदेही का पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है, वो इसलिए है ताकि जो जनता पाँच साल में एक बार वोट देके अपने चुने हुए प्रतिनिधि को यहाँ भेजती है, उसके मन की बातें, उसकी इच्छाओं के अनुसार ये विधान सभा, ये सरकार, ये सरकार के अफसर, ये पूरा का पूरा महकमा, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, उस जनता के हिसाब से काम करे। काफी दिनों से देखने में आ रहा है अध्यक्ष महोदय, कि एक गैप नजर आता है और काफी विजिबल गैप है कि सरकार जो है, चुनी हुई सरकार है, वो बड़ी–बड़ी बातें बताती है। बड़े–बड़े वादे करती है। मंत्रियों के बयान आते हैं। कैबिनेट से चीजों को अप्रूव किया जाता है। बजट एलोकेट किया जाता है मगर वो चीजें जमीन पर नहीं उतर पातीं। मसलन अभी–अभी सी.सी.टी.वी. के बारे में काफी चर्चा हुई। सरकार ने कहा कि हमने टेन्डर भी दे दिया है। किसको देना है, वो भी जो सबसे लोएस्ट विडर है, उसको मिल गया है। सरकार ने कहा कि हम पूरी तरह से इस चीज क लिए प्रतिवद्ध है कि दिल्ली के कोने–कोने के अन्दर सबसे पहले चरण में एक लाख चालीस हजार सी.सी.टी.वी कैमरा लगे। मगर इसके बावजूद भी सुनने में आता है कि ये जो सी.सी.टी.वी. लगने का काम है, वो जब अफसरों के लेवल पर आता है। खासकर के

जो सेक्रेटरी लेवल के जो एच.ओ.ड़ी., डिपार्टमैण्ट का जो है, हेड ऑफ दि डिपार्टमैन्ट्स हैं इनके लेवल के जो एच.ओ.डी., डिपार्टमैण्ट का जो है, हेड ऑफ दि डिपार्टमैन्ट्स है इनके लेवल पर आता है। तो इसके अन्दर कहीं न कहीं इसके अन्दर रूकावट डाली जाती है। चाहे। सी.सी.टी.वी. का मामला हो, चाहे मोहल्ला क्लीनिक का मामला हो, चाहे डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन का मामला हो और आज हमने सदन में भी देखा कि कई सवालों के जवाब जो मंत्री दे रहे थे, वो भी कई बार पूरे नहीं आते हैं। सटिसफेक्टरली नहीं आते हैं जो ये पूरा का पूरा प्रजातांत्रिक ताना बाना है, उसको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इस पूरे के पूरे सिस्टम को कॉलैप्स करने की, फेल करने की जो है, वो एक बड़े लेवल पर एक षडयंत्र चल रहा है। मैं दो तीन से अध्यक्ष जी, अखबार पढ़ रहा हूँ। टी. वी. के अन्दर देख रहा हूँ। एक बड़ी इण्टरेस्टिंग चर्चा अखबारों के अन्दर चल रही है और वो इस सदन से सीधा–सीधा सम्बन्धित है क्योंकि पिछले दो बार से हम सदन के अन्दर देख रहे थे कि जवाब जो थे। सवालों के जवाब या तो आते नहीं थे और आते थें तो वो गलत आते थें। मिसलीड करने वाले आते थे। मतलब पूरे के पूरे सदन को गुमराह करने वाले सवालों के जवाब दिये जाते थे और कई बार कैलाश जी ने भी इस तरीके के जवाब दिये जिससे सदन बार–बार जो हैं सैटिसफाइड नहीं हुआ। इनसे बार–बार सवाल पूछे। मैंने खुद पूछे क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि सत्येन्द्र जैन जी से दो बातें पूछ लें या कैलाश भाई से पूछ लें। हमारा मकसद ये हैं कि इनकी जवाबदेही हम इस सदन के अन्दर तय करें। कई बार ये परेशान भी होते होंगे कि ये बार–बार सवाल पूछते हैं। मगर हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इन्हें और परेशान करेंगे मगर जो

दो दिलचस्प दो दिनों से जो चीजें आ रही थीं, वो ये थीं कि इस सदन के अन्दर एक मेम्बर ने सवाल लगाया और सवाल किसने लगाया? भाजपा के एक मेम्बर ने सवाल लगाया–ओम प्रकाश शर्मा जी ने एक सवाल लगाया; ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैण्ट से और बड़ा ही साधारण सा सवाल है। अध्यक्ष जी, उस सवाल के अन्दर पूछा गया है। बुराड़ी ट्रांसपोर्ट अथार्टी के अन्दर मुख्यमंत्री का जो दौरा हुआ था। क्या वहाँ पर कुछ अनियमितताएं पाई गई। साधारण सा सवाल था। अलग–सवाल था–यदि पाई गई तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई। किन अफसरों के ऊपर कार्रवाई की गई। वगैरह–वगैरह... मतलब पहला सवाल जो है, उससे अगले सवाल जो है, वो उत्पन्न होते हैं कि भई अगर गड़बड़ी पाई गई तो बताओं कौन पकड़ा गया। तो बताओ फिर किसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई। लिहाजा सरकार ने क्या कदम उठाये। किसी गड़बड़ी को पकड़ने के लिए। अब उसके बारे में काफी चर्चा दो दिन से अखबार के अन्दर चल रही है।

अध्यक्ष जी, मैं ये बताना चाहता हूँ पहले तो कि जुलाई के अन्दर मुख्यमंत्री महोदय, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कमिशनर वर्षा जोशी नाम है। उनका ये वर्षा जी, मंत्री जी और मुख्यमंत्री बुराड़ी ट्रांसपोर्ट अथॉर्टी पहुंचे। अब मुझे लगता है कि इस दिल्ली शहर के अन्दर कोई भी कॉमर्सियल व्हीकल चलाने वाला, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो, चाहे वो टेम्पो ड्राइवर हो, चाहे वो कैब चलाने वाला ड्राईवर हो या वो ट्रक चलाने वाला हो। कोई भी कॉमर्शियल गाड़ी चलाने वाला आदमी ये बात जानता है और आप जहाँ पूछ लो उससे, वो आपको ये बात बता देगा कि बुराड़ी के अन्दर हर कॉमर्शियल गाड़ी वाले को एक बार साल में जाना पड़ता है। उसको साल में एक बार वहाँ से कए फिटनेस सर्टिफिकेट लेना

पड़ता है कि उसकी गाड़ी जो है, पूरे तरीके से फिट है। उसके अन्दर जो सी.एन.जी. का जो सिलिन्डर है, वो सही है। उसके अन्दर फॉयर एंस्टींग्विसर लगा हुआ है। उसकी लाईट—वाईट ठीक है। उसका इंजन ठीक है। उसके अन्दर स्पीड गवर्नर लगा हुआ है। सारी की सारी चीजों की फिटनेस सर्टिफिकेट बुराड़ी के अन्दर मिलती है। और अध्यक्ष जी आप तीन मिनट... किसी भी दिल्ली के अन्दर किसी भी ड्राइवर से बात कर लीजिए; चाहे वो आटो ड्राइवर हो, चाहे वो कैब ड्राइवर हो, चाहे वो स्कूल का वैन का ड्राइवर हो, वो आपको बता देगा कि बुराड़ी जो है, वो भ्रष्टाचार का सिनोनीम है, पर्यायवाची है। जैसे कहते हैं न भ्रष्टाचार के पर्यायवाची लिखो। तो उसका एक पर्यायवाची है; बुराड़ी ट्रांसपोर्ट अथार्टी। भ्रष्टाचार का अड्डा है वो जगह। सब लोग जानते हैं और सबको पता है ये बात। इसके अन्दर कोई छुपी हुई बात नहीं है। सुना है सरकार ने भी दो—तीन सालों से इसके ऊपर बार—बार डिपार्टमेंट ने लिखा है, मुख्यमंत्री ने लिखा है, मंत्री ने मीटिंग की है, मुख्यमंत्री ने मीटिंग की है। बकायदा वर्षा जोशी जी के साथ मीटिंग की है कि भई ये जो बुराड़ी के अन्दर पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा है, इसको आप कैसे सिस्टमैटिक तरीके से रिजॉल्व करेंगे। इसके अन्दर एक सिस्टेमैटिक तरीके से आपको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। लिहाजा मुख्यमंत्री जो है, जब सप्रीम कोर्ट की जजमेंट आयी और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दिल्ली के अन्दर लैण्ड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस इन तीनों को छोड़ के बाकी सारी चीजें दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है तो मुख्यमंत्री ने कहा, 'चलिए, अब हम भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि अब सर्विसेज हमारे पास है। अब विजिलेन्स हमारे पास है। अब हमारे पास ए.सी.बी. है तो अब कोई भ्रष्टाचार

करता हुआ पकड़ा जाएगा तो हम तुरन्त उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि देश के सबसे बड़े न्यायालय ने ये कहा कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास हैं। अब ये जो वीडियो है वहाँ जब उनका दौरा हुआ तो ये जो वीडियो हैं, हम सबने देखा है; यू–ट्यूब पर काफी चला, टी.वी चैनल्स के ऊपर काफी चला, अखबारों के अन्दर काफी आया कि जैसे ही मुख्यमंत्री वहाँ पर गये, कम से कम नहीं तो 100 से 150 वहाँ पर आये हुए ड्राइवर अलग–अलग कारणों से वहाँ पर लोग आये हुए थे। उन लोगों ने मुख्यमंत्री से यही शिकायत की कि साहब, यहाँ पर दलालों के बिना काम कराना लगभग असम्भव है। अब क्या होता है कि जो दिहाड़ी वाला आदमी होता है। मान लीजिए कि किसी की स्कूल बस है अध्यक्ष जी, उसकी स्कूल बस अगर लगी हुई है किसी स्कूल में और उसको फिटनेस करानी है तो स्कूल बस ले जाने का मतलब ये कि एक दिन स्कूल की छूट्टी करानी और उसकी वहाँ पर दिडाड़ी मारी गयी। तो बड़ी मुश्किल से वो किसी और को काम पर लगाकर फिटनेस कराने बुराड़ी जाता है। अब बुराड़ी के अंदर अगर वो ईमानदारी से फिटनेस कराना चाहेगा तो उसको किसी न किसी छोटे–छोटे के अंदर उसको कहेंगे, ''कल आओ।'' कल जाएगा तो कहेगा, ''परसो आओ।'' फिर जाएगा तो फिर कहेगा, ''फिर आओ।'' तो आपने अगर एक टैक्सी ड्राइवर की , आपने एक ऑटो ड्राइवर की, आपने एक बस ड्राइवर की चार दिन की दिहाड़ी खराब कर दी, इसका मतलब है आपने उसके 15–20 हजार रुपये खराब कर दिए और उसकी नौकरी के ऊपर भी बात आ जाएगी तो आप उसके 15–20 हजार रुपये जब खराब कर रहे हो तो उसको लगता है कि एक काम करो, ये दलाल बैठे हुए हैं, इन दलालों में से किसी को दस हजार

रुपये दे दो, मेरा काम बुराड़ी अथॉरिटी के अंदर हाथों–हाथ हो जाएगा। एक घंटे के अंदर हो जाएगा। आप गए, आपने दलाल को दस हजार रुपये दिये, एक घंटे के अंदर फिटनेस सर्टिफिकेट आपके हाथ में। आप जाओ, अपना काम करो तो पूरा का पूरा जो धंधा है बुराड़ी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का, वो दलालों से चलता है। वहाँ पर एक दो नहीं, अध्यक्ष जी, कम से कम 200 से 250 दलाल हैं जो अलग–अलग लेवल पर वहाँ पर फिटनेस देते हैं। आप किसी से पूछ लीजिए, सब को मालूम है वहाँ पर दलालों का पूरा का पूरा जो यह नेक्सस है, वो चलता है। अब अगर दलाल पैसा देकर फिटनेस सर्टिफिकेट बना देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई दो राय होगी कि उन दलालों की उस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ सांठ–गांठ है वरना वो दलाल कैसे काम करा सकते हैं? और दलाल एक घंटे के अंदर ही काम करा लेते हैं। गारंटी से काम करा लेते हैं और आज से नहीं कई सालों से यह चल रहा है। इसका मतलब इसमें तो कोई सवाल की बात ही नहीं है कि अफसरों की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अफसरों की सांठ–गांठ से वो पूरा का पूरा दलालों को नेक्सस वहाँ पर चल रहा है। अब जब मुख्यमंत्री वहाँ पर गए तो करीब. मुझे लगता है उन्होंने 40 से 45 लोगों से तो वन टू वन बात की। उन्होंने पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं, किसलिए आए हैं, क्यों, क्या दिक्कत है? ''यह दिक्कत है।'' क्या दिक्कत है? ''दलालों की दिक्कत है।'' क्या दिक्कत है। ''दलालों की दिक्कत है।'' और यहाँ तक कि वहाँ पर आए लोगों ने अफसरों के नाम भी बता दिए। बड़े–बड़े अफसरों के नाम बता दिए कि साहब ये और ये मिले हुए है और पूरा का पूरा धंधा चल रहा है। किसको बता दिये? प्रदेश के मुख्यमंत्री को बता दिये। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के सामने

बता दिए, ट्रांसपोर्ट कमिशनर के सामने बता दिए, खुल्लमखुल्ला, पत्रकार भी बहुत सारे थे। सब लोग वीडियो कैमरे से वीडियो बना रहे थे, सब के सामने बताये हैं, कोई चोरी छुपे की बात नहीं है। मुख्यमंत्री ने उसी दिन आकर ट्रांसपोर्ट कमिशनर के नाम पर एक खत लिखा वर्षा जोशी जी को, उसमें उन्होंने लिखा कि आप, मैं और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गए थे, वहाँ पर सब लोगों ने लगभग इसी बात की चर्चा की और शिकायत की कि यहाँ पर दलालों के बिना एक भी काम नहीं होता। दलालों को पैसे अगर नहीं दोगे तो यहाँ पर कोई काम नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पर दलालों का और अफसरों का एक बड़ा नेक्सस है और इन दो अफसरों के नाम भी बताए। उसके अंदर एक स्पेशल कमिशनर (ट्रांसपोर्ट) है मि. दहिया और एम.एल.ओ. करके लिखा हुआ है उस चिट्ठी के अंदर कि मि. दहिया और यहाँ के एम.एल.ओ. मिले हुए हैं, स्पेशल कमिशनर (ट्रांसपोर्ट) है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जाँच की जाए और उसके अंदर आगे यह लिखा कि एक ट्रांसपोर्ट कमिशनर है, तो यह ट्रांसपोर्ट कमिशनर का कर्त्तव्य है कि वो देखें कि उनके ट्रांसपोट डिपार्टमेंट के अंदर जो सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, वहाँ पर दलालों का कब्जा है तो यह ट्रांसपोर्ट कमिशनर की जिम्मेदारी है कि वो इसको देखें और यह तय करें कि यहाँ पर भ्रष्टाचार रुके। जिन लोगों की वजह से यह भ्रष्टाचार हो रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई हो।

अब मैं रात को अध्यक्ष जी ट्विटर देख रहा था। ट्विटर पर मैंने देखा कि ट्रांसपोर्ट कमिशनर वर्षा जोशी और कुछ लोग एक दूसरे से सवाल–जवाब कर रहे है। मैं वर्षा जोशी जी के बारे में ज्यादा नहीं जानता और मैं बिल्कुल कत्तई भी यह नहीं कहना चाहता कि उनका भ्रष्टाचार के

अंदर कोई लेना–देना है। नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं यह बात कहूँगा क्योंकि मेरे को इसकी कोई निजी जानकारी नहीं है। में सिर्फ आपको यह बता रहा हूँ कि मैंने ट्विटर पर क्या देखा? ट्विटर पर एक आदमी ने दो स्क्रीन शॉट लगा कर वर्षा जोशी जी को भेजे और भेजकर यह कहा कि वर्षा जोशी जी, ये दो स्क्रीन शॉट मैं लगा रहा हूँ एक है; 27 मार्च, 2018 का और दूसरा है; 12 मार्च, 2018 का। एक में किसी ने मुख्यमंत्री को कहा हुआ है, 'Dare to reduce corruption middleman at RTO, Burari every job has to be done through middleman greasing the palm of officials'. और लिखा है, दलालों की मंडी।

दूसरा है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपका शुभचिंतक होने से गर्व महसूस होते हुए आपको सूचित करता हूँ कि दिल्ली के बुराड़ी आर.टी. ओ. ऑफिस में जो भी व्यक्ति कोई भी काम चाहता है, उसे बिना ब्रोकर के नहीं करने दिया जाता है। यह कैसे खत्म किया जाए, विकल्प है, यह उन्होंने पूछा, तो वर्षा जोशी जी ने जवाब दिया कि जो सवाल लगाया गया था, विधान सभा में वो इस बारे में नहीं था कि वहाँ पर करप्शन है या नहीं है। वो इस बारे में था कि वहाँ पर इर–रेग्युलरिटी पाई गई या नहीं पाई गई। देखिये, करप्शन यहाँ होता तो इर–रेग्युलरिटी यहाँ होती है। हर इर–रेग्युलरिटी करप्शन नहीं होती, मगर हर करप्शन इर–रेग्युलरिटी तो होती ही होती है। तो लड़का जो था, समझदार था। लड़के ने मैडम से दोबारा सवाल पूछा, मैडम आप यह बताइये आपने क्या जवाब दिया इसका? लड़के ने वर्षा जोशी जी से ट्विटर पर पूछा, वहाँ पर इर–रेग्युलरिटी मुख्यमंत्री के साथ मिली या नहीं मिली? आपने इसका क्या जवाब दिया? वर्षा जोशी जी ने बोला नहीं, कोई इर–रेग्युलरिटी नहीं मिली। अब मजेदार

बात! सोचिए अध्यक्ष जी, एक मुख्यमंत्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट कमिशनर के साथ जाता है। दर्जनों लोग; सौ से डेढ़ सौ लोग लोग खुद मुख्यमंत्री से शिकायत करते हैं कि यहाँ पर दलालों का अड्डा है। ट्रांसपोर्ट कमिशनर खुद वहाँ मौजूद है। मुख्यमंत्री लिखकर चिट्ठी भेजता है ट्रांसपोर्ट कमिशनर को कि यहाँ क्या हो रहा है, यह क्या चल रहा है? बाकायदा अफसरों के नाम दिए जातेो है और ट्रांसपोर्ट कमिशनर उसका जवाब... मंत्री को यह कहती है कि वहाँ पर कोई इर—रेग्युलरिटी नहीं पाई गई। अब आप सोचिए कि यह जो लेवल है, यह कहाँ से आकर कहाँ पर आ गया है। मैं अभी यह नहीं कहूँगा कि वर्षा जोशी जी भ्रष्ट है, ईमानदार है, मुझे कोई इसकी व्यक्तिगत जानकारी नहीं है अध्यक्ष जी। अगर कोई ट्रांसपोर्ट कमिशनर विधान सभा का सवाल हो कि मुख्यमंत्री वहाँ गए थे, क्या गड़बड़ियाँ पाई गई और उसका जवाब दिया, 'जी नहीं।' उसका जवाब दिया 'जी नहीं।' और अगला सवाल हो, वहाँ पर गड़बड़ियाँ पाई गई तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई की गई, उसका आंसर हो; उपरोक्तानुसार पाई गई तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई की गई, कृपया नाम बताये; उपरोक्तानुसार। तीसरा हो, जिन—जिन के ऊपर कार्रवाई की गई, कृपया नाम बतायें; उपरोक्तानुसार। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बुराड़ी के अंदर रामराज्य चल रहा था, रामराज्य चल रहा था और कोई गड़बड़ नहीं थी। लिहाजा नहीं थी।

माननीय अध्यक्ष : सौरभ जी, कन्क्लूड कीजिए।

श्री सौरभ भारद्वाज : अध्यक्ष जी, मैं कन्क्लूड कर रहा हूँ। जब वहाँ पर कोई गड़बड़ी ही नहीं थी तो किसी गड़बड़ी के अंदर किसी का नाम

क्या लेना और जब नाम किसी का है ही नहीं तो किसी को सजा क्या देना? अध्यक्ष जी, मजेदार बात यह है इसके अंदर कि महिला अफसर से ट्विटर पर दोबारा दूसरे ने पूछा कि मैडम, मगर वहाँ पर तो आपके सामने कई सारे लोगों ने कहा कि यहाँ पर दलालों का राज है, यहाँ पर दलालों के बिना काम नहीं होता तो मैडम ने उसका क्या जवाब दिया, आप सुनिये। यह बहुत रोचक है साथियो। मैडम ने कहा कि मुझे पता चला कि जो लोग दलालों की शिकायत कर रहे थे, वो खुद दलाल थे। मतलब यह मेरे को दुनिया में सबसे पहला उदाहरण मिला कि एक मुख्य मंत्री औचक निरीक्षण के अंदर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में आता है और उसके पास सारे के सारे दलाल आ जाते हैं; डेढ़ सौ दलाल आ जाते हैं और सब दलाल कहते हैं कि साहब, दलालों पर कार्रवाई करो, दलालों ने जीना हराम कर रखा है। मतलब मुख्यमंत्री आ गए हैं तो सब दलाल आ गए जी, दलालों की शिकायत करते है. मुख्यमंत्री से। मतलब यह क्या आईक्यू लेवल है और अपने आपको बचाने के लिए आप किस तरीके के ऑर्ग्युमेंट्स दे रहे हैं। मतलब अगर मुख्यमंत्री आर.टी.ओ. के अंदर आएगा, दलाल तो भाग जाएंगे, गायब हो जाएंगे कि हमको कोई देख न लें, हमको कोई पकड़ न लें और ट्रांसपोर्ट कमिशनर दिल्ली की कह रही है कि नहीं, नहीं, साधारण लोगों ने शिकायत नहीं की, वो दलाल ही थे जो दलालों के बारे में शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पर दलालों के बिना कोई काम नहीं होता। मतलब दलाल चाहते हैं कि यहाँ से दलाल खत्म हो जाएं। इसलिए मुख्यमंत्री जी से मिलने आए। मैं इस चीज को कन्क्लूड नहीं करूँगा अध्यक्ष महोदय, मैं यह बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वर्षा जोशी जी एक भ्रष्टाचारी अफसर है और मैं यह भी नहीं कहूँगा कि वो एक ईमानदार अफसर है। मगर मैं

यह जरूर कहूँगा कि कोई अफसर अगर भ्रष्टाचार के ऊपर लीपापोती कर रहा हो, भ्रष्टाचार के ऊपर चद्दर डाल रहा हो, भ्रष्टाचारियों के नाम को छुपा रहा हो और खुल्लमखुल्ला आई हुई शिकायतों को भी ये कह रहे हैं कि नहीं, नहीं, वो कोई असली शिकायतें नहीं थी। वो सब नकली शिकायतें थीं। तो मुझे नहीं पता अध्यक्ष जी, मेरे पास तो शब्दों की भी कमी रहती है कि उस अफसर को क्या कहा जाए महा ईमानदार अफसर कहा जाए, महाभ्रष्टाचारी अफसर कहा जाए, क्या कहा जाए या ये कहा जाए कि ये अफसर कंफ्यूज्ड है और सबसे मजेदार बात ये हैं अध्यक्ष जी आईएएस एसोसिएशन जो मतलब मुझे लगता है देश की सबसे जानी—मानी एसोसिएशन के अंदर एक है, उन्होंने भी इस चीज का खंडन किया कि देखो, कितनी बुरी बात है। और सुनिए अध्यक्ष जी, उसके अंदर रातों रात एक एसोसिएशन तैयार की गई—'Joint Association of Transport officers', ये एसोसिएशन कब बनी, मुझे नहीं पता। ये रातों—रात एसोसिएशन बनाई गई। इसका कौन प्रेजिडेंट है, कौन सेक्रटरी है, ये कब रजिस्टर हुई, इसका बनाई गई क्योंकि मुत्री के खिलाफ अखबार में छपवाना है तो कौन छपवाएगा? वर्षा जोशी जी खुद तो छपवाएंगी नहीं, वरना कोट हो जाएंगी। कोइर्झ एमएलओ भी नहीं छपवाएगा, वरना वो भी कोट हो जाएगा। तो एक झूठी एसोसिशन रातों—रात बनाई गई और उस नकली फर्जी एसोसिएशन के ऊपर अखबारों को एक झूठी, नकली प्रेस रिलीज दी गई जिसको अगले दिन अखबार के अंदर छपवाया गया और मजेदार बात क्या है अध्यक्ष जी, कि जिन अफसरों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनकी एसोसिएशन कह रही है कि देखों ये आरोप बहुत गलत लगें है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? जिन एमएलओज के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगें

कि आप लोग दलालों के साथ मिले हो, अब वो एमएलओज अखबारों को प्रेस रिलीज दे रहे हैं और अखबार वाले उन प्रेस रिलीजों को छाप रहे हैं कि देखिए, क्या मतलब इतना खुल्ला खेल मुझे लगता है कि इस आजाद देश में कभी नहीं हुआ था!

माननीय अध्यक्ष : कन्क्लूड करिए सौरभ जी, कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री सौरभ भारद्वाज : एक और आखिरी बात कहके अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को विराम दूँगा। अभी अभी हमारे बड़े जो मेंबर हैं—ओम प्रकाश जी ने एक बड़ा अच्छा शब्द अफसरों के लिए इस्तेमाल किया अफसरों को ठोक देंगे, ठीक है, मैं इस हाउस के आगे सबको बताना चाहता हूँ और इस हाउस के माध्यम से सब पत्रकारों को बताना चाहता हूँ, इस ठोक देंगे शब्द को आप सौ बार भी चलाओगे न टी.वी. में, आई.ए.एस. एसोसिएशन की उफ भी नहीं निकलेगी, कुछ नहीं होगा। न आईएएस एसोसिएशन न दानिक्स एसोसिएशन और किसी आई.ए.एस. आफिसर को बीजेपी के विधायक से सेफ्टी और सिक्योरिटी का खतरा नहीं होगा। कोई आई.ए.एस. एसोसिएशन और कोई आई.ए.एस. अफसर इस बात को कहने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। न आज करेगा, न कल करेगा कि हमारे बारे में बीजेपी के एक विधायक ने कहा कि आई.ए.एस. अफसरों को और अफसरों को ठोक देंगे। और ये गलत था तो इससे ये सारी की सारी जो पूरा का पूरा ये जो मंथन है, वो सब समझ में आता है। एक छोटी सी बात कहकर मैं अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : नहीं सौरभ जी, अब बैठिए प्लीज, अब बैठिए प्लीज, अब बैठिए प्लीज, हो गया।

श्री सौरभ भारद्वाज : जी धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : पंकज पुष्कर जी, बहुत सार्ट में संक्षेप में लें, माननीय मंत्रियों को भी बोलना है।

श्री पंकज पुष्कर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पिछले कुछ सत्रों से दिल्ली विधान सभा ने पूरे देश मे सविंधान के ऊपर जो कुठाराघात हो रहा है, उसके बुनियादी उसूल उसके बुनियादी ढाँचे को जड़ से तोड़ने की कोशिश हो रही है, उसको बचाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। उसी के अंतर्गत ये पहलू है कि किस तरह भारत के संविधान में कल्पना की कि एक निष्पक्ष एक अफसरशाही होगी, एक पब्लिक सर्विस का एक ऐसा ढांचा होगा जिसका कोई झुकाव किसी दल विशेष की तरह काम करेगा लेकिन इस पर बहुत विस्तार से सौरभ भाई ने बात रखी है कि किस तरह से नौकरशाही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जितने भी जनप्रिय काम हो रहे हैं, भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश हो रही है, कैसे उसमें एक बाधा पैदा कर रही है। कैसे एक उसमें, एक पक्ष की तरह एक पार्टी की तरह, एक पार्टीज्म के तरीके से काम कर रही है उसके बहुत ठोस उदाहरण दिये लेकिन यहाँ इसकी गहराई में जाते हुए ये समझना जरूरी है कि किसी अधिकारी की अपने से ऐसा इरादा नहीं होता है। एक अधिकारी वर्ग को किस रास्ते पर आगे बढ़ना है, ये उस समय का जो सत्ताधारी ताकतवर को वर्ग है, वो उस दिशा में धकेलते हैं। मैं यहाँ कुछ ऐसे संदर्भ आपके सामने रखना चाहूँगा कि किस तरह से भारत के इतिहास में एक वो अभूतपूर्व क्षण है जहाँ कि एक एक करके संवैधानिक संस्थाओं को ओर संवैधानिक मूल्यों को कुचलने की कोशिश हो रही है और पूरे देश में सबसे

विधान सभा के तौर से सबसे जागरूक विधानसभा के तौर पर दिल्ली विधानसभा ने इस चुनौती को संविधान को बचाने की संवैधानिक मूल्यों को बचाने की चुनौती को अपने सिर पर लिया है, वो क्या है। आपने कुछ दिनों पहले देखा कि मीडिया को किस तरह से दास बनाने की, गुलाम बनाने की कहीं से भी अगर एक स्वतंत्र आवाज आ जाए, थोड़ी सी भी आलोचनात्मक स्वर आ जाए, उसको कुचल देना है। नाम लेने की जरूरत नहीं है; तीन पत्रकारों के साथ क्या हुआ है। ज्यूडिसियरी का क्या हाल है! ज्यूडिसियरी गार्जियन है। सर्वोच्च न्यायालय संरक्षक है; संविधान की रक्षा करने वाला है। उसके सर्वोच्च न्यायालय में कालोजियम द्वारा जो प्रस्ताव भेजे गये, उसको अटकाने की कोशिश हुई और आज दोबारा भेजे गये, कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे वो ज्यूडिसियरी हो, मीडिया हो, युनिवर्सिटी हो, एक एक करके संस्थाओं को तहस–नहस कर देना है और उसी के अंतर्गत जो हमारी ब्यूरोक्रेसी की इंपार्सिएलिटी है, उसकी जो न्यूट्रेलिटी है, उसकी जो निष्पक्षता है, उसकी जो संविधान के प्रति निष्ठा है; किसी पार्टी के प्रति निष्ठा नहीं है, किसी नेता के प्रति निष्ठा नहीं है उसको कुचलने की कोशिश है। हम अंदर की बात पूरी तरह से नहीं जानते हैं। इन अफसरों के दिल की बात भी जानें तो निश्चित रूप से वो बहुत बड़े दबाव में जी रहे हैं। उनसे गलत काम करवाये जा रहे हैं। उनसे संविधान विरोधी काम करवाये जा रहे है। उनको एक राजनीतिक पार्टी का गुलाम बनने के लिए बाध्य किया जा रहा है। उनके मन की बात कौन समझे।

तो इसलिए इस पूरे संदर्भ में मैं आपके सामने इस हाउस में इस सदन में ये बात रखना चाहता हूँ कि हम ईमानदार अधिकारियों के पक्ष में हैं। उनके ऊपर अगर दहशत बनाई जा रहा है। उनके ऊपर अगर ये

मामला बनाया जा रहा है कि सर्विस का मैटर तो अभी भी होम मिनिस्ट्री के अंदर ही रहेगा और आपको तो नौकरी करनी है और एक ऐसी सत्ता है जो कि हर संस्था को कुचल देना चाहती है। नौकरी तो देश में ही करनी है, इस दहशत से बाहर आएं। ईमानदारी के साथ मजबूती से खड़े हों। दिल्ली विधानसभा और दिल्ली विधानसभा के पक्ष के नेता अरविंद केजरीवाल जी के अंदर वो दम है कि वो पूरे भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई पूरे अपने दमखम से से लड़ेगे आर हर ईमानदार अधिकारी को संरक्षण मिलेगा, ये सुनिश्चित होगा।

माननीय महोदय, अभी पिछले तीन साल मे जो जनादेश अभूतपूर्व जनादेश दिल्ली की विधान सभा को मिला, वो छोटी—मोटी बात नहीं है। इसा बुनियादि बात को समझना पड़ेगा कि जो पॉलिटीकल क्लास के साथ जो एक वर्नोलिबिल्टी होती है, उसके साथ जो हर पाँचवे साल उसको एक अदालत में उतरना है और हारने के खतरे को मौजूद अपने सामने रखना है। किसी नौकरशाही के सामने वो खतरा नहीं होता है। इसी का बुनियादी ढाँचा कहा गया है कि रिप्रेजेन्टिटिव डेमोक्रेसी नौकरशाही चुनी हई विधानसभा के प्रति और उसकी विश्वास प्राप्त कैबिनेट क प्रति उत्तरदायी होगी, इस बात को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में बिलकुल साफ रेखाँकित कर दिया है। इस दोष का, इस अपराध का कौन जिम्मेदार होगा कि पिछले तीन वर्ष से लगातार दिल्ली विधान सभा दिल्ली की सरकार द्वारा क्राँतिकारी लोकप्रिय काम किए जा रहे हैं, उससे दूर हटाने के काम नौकरशाही के ऊपर दबाव बनाकर किए जा रहे है जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने बिलकुल स्पष्ट कह दिया है। कि तीन चुने हुए मामलों को छोड़कर हर मामले में दिल्ली विधानसभा सर्वोपरि है।

माननीय अध्यक्ष : पुष्कर जी, कन्क्लूड करिए प्लीज, कन्क्लूड करिए। वक्ता बहुत हैं, कन्क्लूड करिए।

श्री पंकज पुष्कर : मैं बहुत संक्षेप में ये पूरा सदन इस सदन के आने वाले दिन इस सवाल को लगातार आगे बढ़ाएंगे और जो सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक आदेश देकर एक भारत में लोकतंत्र को, संघवाद को आगे बढ़ाने का रास्ता किया, आगे बढ़ाया है, ये विधानसभा उस बात का आगे बढ़ाएगी लेकिन केवल मैं, तीन दिल्ली विधानसभा के अंदर क्या शक्ति निहित है कि तरह से चुने हुए लोकतंत्र ही सर्वोपरि है; एक बात जो भारत के संविधान के बारे में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि "Consitution of India to be an organic and living one Which has to be perceived eith progressive dynamism and not struck with inflexibility एक होम मिनिस्ट्री का नोटीफिकेशन, ये कैसे कर सकता है के एक चुनी हुई विधानसभा के प्रति जो उत्तरदायी है नौकरशाही का, उसको खत्म करके दिल्ली विधानसभा ये सुनिश्चित करगी कि सर्विस मैटर नौकरशाही को भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए दिल्ली विधानसभा के साथ प्रतिबद्ध खड़ा करने का काम सर्वोच्च के आदेश की मूल भावना है।

माननीय अध्यक्ष : धन्यवाद, धन्यवाद पुष्कर जी अब नहीं प्लीज, प्लीज, धन्यवाद।

श्री पंकज पुष्कर : सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की मूल भावना है। किपने काम चाहे वो डोर स्टैप डिलीवरी की बात हो, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे की बात हो। वो दिल्ली का जो अभूतपूर्व जनादेश है, उसका अनुपालन है। नौकरशाही उसके साथ चलने के लिए संकल्पबद्ध होनी चाहिए। ये

संविधान की मूलभावना है। इसकी जब भी अवमानना होगी, वो ऐतिहासिक भूल होगी। ये बात दिल्ली की विधान सभा के द्वारा बार–बार कही जा रही है। पूरे सत्ताधारी कब्जा एक फासीवादी प्रवृत्ति जो भारतीय जनता पार्टी की, वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। दिल्ली विधान सभा इस संकल्प को दोहराते हुए, इस संघर्ष को आगे बढ़ते हुए इस संघर्ष को जारी रखेगी और मैं करूँगा इस सदन से, सरकार से अपील करूँगा, अपने मुखिया से अपील करूँगा कि वो नौकरशाही के अंदर छुपे हुए अच्छे, सच्चे और ईमानदार कदमों को बल देते हुए इस संघर्ष को आगे बढ़ाए। जीत निश्चित रूप से न्याय की होगी, भारत के सविंधान की होगी, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : बहुत–बहुत धन्यवाद पुष्कर जी। बहुत–बहुत धन्यवाद। मदन लाल जी।

श्री मदन लाल : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस मामले में बोलने का अवसर दिया। जहाँ एक तरफ अभी थोड़ी देर पहले सौरभ भारद्वाज जी ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट में धांधली, चोर–बाजारी होने की चर्चा की। मुझे ध्यान आता है कि पिछले दिनों जब ये सर्विसेज का मामला नहीं था कि कौन सर्विसेज को हैड कर रहा है, एक एम.एल.ओ. थे शेख सराय के, उनको भ्रष्टाचार की एक शिकायत पर श्रीमान चीफ मिनिस्टर साहब ने हटवाया औरी जैसे ही वो सर्विसेज का मामला इधर से उधर हुआ, वही ऑफिसर फिर वहीं बैठा दिया गया। आप उसे क्या कहेंगे? जो आदमी बुराड़ी का आज एम.एल.ओ. बना बैठा है, वो इतन लम्बे समय में अगर चला जा रहा है तो अचरज लगता है कि कुछ खास में कुछ खास लोगों की दिलचस्पी है।

मुझे याद आता है जब हमारी विधान सभा 2015 मे चुनी गई तो शुरू–शुरू में दिल्ली पुलिस के एक हैड कांस्टेबल को पचास हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में ए.सी.बी. ने पकड लिया। ए.सी.बी. ने पकड़ा, उसको पुलिस ने कोर्ट के सामने पेश किया और दिल्ली पुलिस के उसी थाने के एस.एच.ओ. ने किडनेपिंग का एक मुकदमा दर्ज कर दिया कि हमारे हैड कांस्टेबल को कोई किडनेप करके ले गया है। मामला कोर्ट तक पहुँचा और जब कोर्ट को पता चला कि वो श्रीमान हवलदार जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो किडनैप हो गए हैं, वो तो पचास हजार रिश्वत के आरोप में ए.सी.बी. ने पकड़े है तो कोर्ट ने फटकार लगाते हुए उस मामले को खत्म किया। यहाँ से शुरूआत हुई कि ये सरकार जो करप्शन के खिलाफ काम कर रही है, इसको किस तरीके से रोका जाए। उसी दिशा में सबसे पहला नोटिफिकेशन 21 मई को किया गया कि ए.सी.बी. दिल्ली सरकार के अधीन नहीं रहेगी। क्योंकि ये पुलिस स्टेशन है क्योंकि एसीबी भले ही विजिलेंस डिपार्टमेंट जो दिल्ली सरकार के अन्तर्गत आता था। क्योंकि वहाँ पुलिस स्टेशन है, एफ.आई.आर. करने की पॉवर है; पुलिस स्टेशन का मसला चूँकि सेंटर का है, लिहाजा ये डिपार्टमैंट भी उसके अर्न्तगत आता है और ए.सी.बी. इस चुनी हुई सरकार से छीन ली गई। उसी के साथ 21 मई 2015 को एक और नोटिफिकेशन आया और वो नोटिफिकेशन था, उसकी मैं केवल एक लाइन पढ़ना जाता हूँ कि उन्होंने कहा कि 'Whereas sub clause 3 of article 239A states that the legislative shall have powers to make laws for the whole or any part of national capital territory with respect to any the matters amongest in the state list or concurrent list. insofer as such matter is applicable to union territory except matters with respect of entry no. 1,2 and 18 of state list, it relates to public order and 18 relates to

police and 18 related to land shall not be with the state goverment,' ये नोटिफिकेशन में ऊपर लिखा, पर नीचे लिखकर कुछ लाइन कि चूँकि दिल्ली की अपनी कोई सर्विस ऑथोरिटी नहीं है, As such it is clear that the national capital territory of delhi does not have its own states public service, the service shall be fall within the category and it shall be out of the perview.... out of the state goverment.' ये कह कर एक नोटिफिकेशन उठाकर सर्विसेज को हमसे अलग कर दिया गया। ये एक साजिश थी सेंटर की। क्योंकि उन्हें लगा कि इतने बड़ी मैजोरिटी के साथ आने वाला ये राज्य इतनी बड़ी मैजोरिटी के साथ आने ये चीफ मिनिस्टर, इतनी बडी मैजोरिटी के साथ आने वाले ये चीफ मिनिस्टर, इतनी बड़ी मैजोरिटी के साथ आने वाले ये मिनिस्टर, अब करप्शन के खिलाफ बहुत तेजी से काम करेंगे। लिहाजा उनको बचाने के लिए एक साजिश के तहत कि ये सरकार अच्छा काम न करे, सर्विस के मैटर को जान–बुझकर छीन लिया गया। आर्टिकल 309 में बड़ा साफ–साफ लिखा हुआ है, 'Subject to the provisons of the consitutions the appropriate legislature may regulate the recreuitment and conditions of the service., साफ–साफ मतलब है कि respective legislature जो ये विधान सभा है, इसको पॉवर होगी कानून बनाने की और इन सर्विस के रिलेटिड मैटर्स को रेगूलेट करने की, इनको चलाने की, पर ऐसा नहीं हुआ। ये जान–बूझकर एक षडयंत्र था।

यहाँ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर 04/08/2016 का जिसकी वजह से काफी परेशान हुई, में उन्होंने एक अपनी तरफ से इन्टरप्रेट करते हुए कोर्ट ने अपने पैरा–3 में जो उनका कन्क्लूजन था, कहा कि Contents of the Goverment of NCT delhi that the Leiutnent of Delhi is bound to act, जो अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया

कि Leiutnent Governer of NCT of delhi is bound to act only on the aid and advice of the Council of Ministers in relation to the matter in respectr whithin the powers to make the laws have been conferred on Legislative Assembly of NCT of Delhi under clause 3(a) of the consititution.

हाई कोर्ट ने कहा, Without substace it cannot be accepted और आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि LG is bound to act... to accept... to have the aid and advice, to act upon the aid and advice of the council of the ministers.' दोनों के ऊपर हाथ है, पर अब के ऑर्डर के पास करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के, ये सरकार मान नहीं रही है, by this way or the other इस प्रोसेस को डिरेल करने के लिए उन्होंने सत्ता को हथियाने के लिए इस बहाने नहीं तो उस बहाने सर्विसेज को जबरदस्ती अपने काबू कर रखा है और उस नोटिफिकेशन का जो मैंने अभी पढा है, उसका बहाना ले कर ये सर्विसेज को अभी... जबरदस्ती गुडागर्दी मैं कहूँगा, उस के हिसाब से अपने पास ये रखे हुए है।

माननीय अध्यक्ष : कन्क्लूड करिए प्लीज, मदन लाल जी।

श्री मदन लाल : सर यहाँ अभी जो 4/7/2018 को अध्यक्ष महोदय, ऑर्डर आया है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस श्री दिपक मिश्रा जी का और साथ उनके चारों ओर जो कम्पेनियन जजैज थे, उनकी एक मत राय थी कि लैफ्टिनेंट गवर्ननर की कोई पॉवर नहीं है और वो केवल एक प्रैजीडेंट के रेप्रजेन्टेटिव है और उनको काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर की एड एण्ड एडवाइस से कोई भी निर्णय लेना है। अगर वो उस निर्णय के खिलाफ है तो वो किसी भी फाइल को प्रेजिडेंट को तो भेज सकते हैं, न अपने पास रख सकते है और न कोई एडवर्स इसका डिसिजन ले सकते हैं। परन्तु आज

के दिन भी उसी नोटिफिकेशन का बहाना लेते हुए इन अफसरों को उन्होंने इम्युनिटी दे रखी है और इसी कारण है कि कोई भी ऑफिसर इस चुनी हुई सरकार से डरने को तैयार नहीं है। क्योंकि उनको वहाँ से संरक्षण मिला हुआ है। और संरक्षण क्यों मिला हुआ है, ये हम सब जानते है। जब—जब करप्शन की शिकायतें आ रहीं है, जब—जब पता चल रहा है कि काम नहीं हो रहा है, काम जबरदस्ती रोका जा रहा है तो वहाँ से उनको सांत्वना है कि आपके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होगा। ऐसी हालत में ये जरूरी है कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो लोग आज के दिन नहीं करते, सर्विसेज हमको आज नहीं तो कल जरूरी मिलेगी। पर आज के दिन इन लोगों न डिरेल करने का कोई साधन छोड़ा नहीं है। इस सरकार के हर काम में अड़गा लगा रहे हैं जिसकी वजह से जनता को परेशानी हो रही है, थैक्यू।

माननीय अध्यक्ष : धन्यवाद, धन्यवाद। अलका जी।

सुश्री अलका लाम्बा : धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष : अलका जी, बहुत संक्षेप में।

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। अध्यक्ष जी, 2015 में दिल्ली के एक ऐतिहासिक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। ऐतिहासिक इसलिए कहते हैं कि क्योंकि पूरे हिन्दूस्तान की आजादी के बाद ये पहली सरकार थी जो 70 में से 67 सींटे लेकर आई। बहुत उम्मीदें लोगों की थी। लेकिन बहुत दुःख से कहना पड़ रहा है कि इस देश के लोकतंत्र को फुटबाल के तरह कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी हाई कोर्ट में, आपस में ठोकर खाते हुए देखते हुए हमें साढ़े तीन साल लगभग बीत

गए। सोचा, अभी न्याय मिलेगा, दिल्ली के लोगों को अभी न्याय मिलेगा। हुआ ये कि कोई न कोई मैटर को लेकर दिल्ली सरकार का अधिकतर समय वो कोर्ट और अदालतों के बीच में आकर हमेशा फंसाने का एक प्रयास किया जाता रहा। हम लोगों ने हाई कोर्ट में अपनी लड़ाई को लड़ा। हमारी लड़ाई नहीं थी, दिल्ली की सरकार लगातार विधान सभा से प्रस्ताव पारित कर रही थी, दिल्ली के लोगों को राहत देने का काम कर रही थी और हर बार किसी न किसी ने रोड़ा अटकाने की कोशिश की, हाई कोर्ट मे मामला फंसाया और आपको पता है कोर्ट में न्याय कम होता है, तारीखें ज्यादा मिलती हैं। और वही हुआ हम लड़ते रहे और एक बार खबर आती है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार को झटका! होई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दिल्ली कि ताकत चुने हुए मुख्य मंत्री नहीं, केन्द्र के द्वारा नियुक्त किए गए एल.जी. के अधीन आती है। बहुत कुछ कहा गया, झटका लगा। और देखिए, बेनकाब हो गयी केजरीवाल सरकार, ये बहाने करती है, इन्हें काम नहीं करने हैं। ये बहुत सुनना पड़ा हमें। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट गए और अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सुनवाई की, फैसले को सुरक्षित रखा, हम सिर्फ इंतजार करते रहे छः महीने के बाद फैसला आया; दूध का दूधा, पानी का पानी हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया फिर वही दोहराते हैं कि दिल्ली की जमीन, की कानून व्यवस्था और तीसरा पुलिस को लेकर। ये तीन मामले सौंपे। लेकिन अभी फिर इन्होंने अड़ंगा लगा दिया कि सर्विसेज शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में तीन चीजें साफ की; पुलिस, लॉ एण्ड ऑर्डर और अपना जो है जमीन को। तो उसमें सर्विसेज शब्द नहीं है। तो ये अंडरस्टूड है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने

का सर्विसेज में अधिकार... पर कुछ अधिकारी मैं नाम लेकर कहूंगी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की जो हमारी आई.ए.एस. अधिकारी हैं, उन्हें ये कत्तई भी मंजूर नहीं क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से राजनीति खेली जा रही है। मैं उन्हें सुझाव दूँगी दिल्ली की विधान सभा से हमारी आई.ए.एस. अधिकारी वर्षा जोशी जी को, जितनी सक्रिय आप सोशल मीडिया में हैं, बहुत शौक लगता है उनकी तस्वीर बड़ी छपी है, अगर वो बीजेपी की लोकसभा की टिकट की उम्मीदवारी कर रही हैं, वो चर्चा में रहना चाहती हैं तो उन्हें मैं कहूँगी सोशल मीडिया से निकलें और जनता के बीच में जाइए, आइए आई.एस.बी.टी., मेरी विधान सभा में बस अड्डा आई.एस.बीटी लगता है देखिए क्या होता है, सरकारी बसें अंदर खाली खड़ी रहती हैं, घाटे में जाती हैं, हजार बार लिखकर दे चुके हैं और प्राइवेट बस में उन्हें अंदर जाने से पहले वाली है... प्राइवेट बस अभी चलने वाली है और 4—4, 5—5 घंटे बस नहीं चलती। जो यात्रियों की, गरीबों की टिकट कटी हुई है, उन्हें पैसा वापिस नहीं मिलता है और अंदर घाटे में जाता है बाहर यात्रियों को परेशान करके मुनाफा कमाने का जो है, एक रास्ता, एक धंधा इन्होंने बना रखा हैं पूछना चाहूँगी कितनी बार आपने जिन दलालों की बात करती हैं, बाज उनके खिलाफ एफआईआर आप ट्वीट कर रहीं हैं, उनके चेहरे ट्वीट कर रही हैं? मैं पूछना चाहती हूँ, कितने ऐसे खिलाफ आपने कार्रवाई की है? ये सदन जानना चाहता है कि आप जब से अधिकारी हैं, कितनों को आप जेल भेज चुके हें? ये सदन जानना चाहता है कि आप जब अधिकारी हैं, कितनों को बाप जेल भेज चुके हैं? ये सदन को जानकर खुशी होगी कि आप एक ईमानदारी का जो है, अपना होने का आप सबूत दे रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। हम सचिव जो हैं, वो जेल भेज चुकी

हैं। वो ये कहती हैं, ये जो शोर मचा रहा था, वहाँ पर जब बुराड़ी में मुख्य मंत्री ने दौरा किया, वो खुद एक दलाल था। इसकी तो एंट्री ही बंद थी। वो आपकी पोल खोल रहा था, वो आपको बेनकाब कर रहा था इसलिए आपने उसका दलाल कह कर, कह दिया कि वो तो खुद एक दलाल था। इसकी तो एंट्री बंद है, वो अंदर कैसे आ गया? वो आपकी पोल खोल रहा था। आपकी जो शिकायत है पुलिस के पास वो 2016 की है। वर्षा जी से पूछना चाहूँगी आई.ए.एस. अधिकारी हैं, 2016 की उस दलाल के खिलाफ आपकी एफ.आई.आर. है, पूछना चाहूँगी क्या पुलिस के पास आपने पूछा क्यों चार्ज शीट नहीं हुई? क्यों वो आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ? क्यों वो जेल में नहीं गया अध्यक्षः जी? नहीं, देखिए आपकी मंशा ही नहीं थी। मैंने खुद रेड किया आई.एस.बी.टी. पर जाकर किली को भी भेज दीजिए, सारे दलाल खुद कर बैठे हुए हैं, अपने काउंटर आई.एस. बी.टी. के अंदर लगाकर बैठे हुए हैं, मंत्री जी को कहा, मंत्री जी को जब बोलते हैं, तुंरत उस दिन कार्रवाई हो जाती है कि विधायक का दफ्तर दीवार से से लगा हुआ है। और जब सर्विस का मैटर होता है, सबसे ज्यादा प्रैस कान्फ्रैंस करने में वो आगे होती हैं। सबसे ज्यादा ट्विटर पे वो एक्टिव होती हैं। आपको अगर हमसे यूँ लड़ना है तो मैं कहूँगी 2019 आ गया है, चुनाव में आ जाइए आप। लेकिन जनता ने हमें चुना है, जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं और आपको जनता ने सरकार के प्रति जवाबदेह बनाया है कि जिस सरकार को जनता को जवाब देना पड़ता है, जिन विधायकों को जवाब देना पड़ता है आप अधिकारी उस सरकार, उनके मंत्रियों के प्रति, इस सदन के प्रति जवाबदेही से कत्तई भी बच नहीं सकते हैं, अध्यक्ष जी। ये बात साफ उन्हें समझ आ जानी चाहिए हर अधिकारियों

को... और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब ये ये मामला सुप्रीम कोर्ट का आया कि सर्विसेज दिल्ली के पास है, तुरंत, भाजपा पहली पार्टी थी जिसने कहा नहीं, नहीं अरूण जेटली साहब ने ट्वीट लिखा सबसे पहले। ब्लॉग लिख दिया, अपने आप साबित करने कि सर्विसेज का शब्द का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। नहीं किया तो ये साफ कर दिया कि जमीन, कानून व्यवस्था, पुलिस एलजी के पास है, बाकी सब हमारे पास है। लेकिन उस ग्रे लाइन का एक शब्द का जो इस्तेमाल न यहाँ किया गया, न वहाँ किया गया, उसका इस्तेमाल किया गया जिसको हम लोग अभी भी सुप्रीम कोर्ट में हमारी लड़ाई चल रही है। और मैं एक बार फिर कहूँगी दिल्ली इस हल्के में नहीं लेगी, अधिकारियों के कंधो पर जो है, जिस तरीके की राजनीति भाजपा की केन्द्र सरकार को खुश करने में हैं क्योंकि इन्हें मालूम है, आज की डेट में चाहे जबर्दस्ती हो, चाहे कैसे भी हो ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन और भ्रष्टाचार के आरोपों की बहुत सी कमेटियाँ सुनवाई कर रही हैं, इन्हें बचाने का काम अगर कोई कर सकते हैं। इसलिए किसी तरह भी अभी तक इनके प्रयास हैं कि ये सर्विसेज का मैटर को उलझाया जा सके। लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगी अध्यक्ष जी, हमारी हाई कार्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत हुई है जिसके लिए मैं दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्य मंत्री, और कैबिनेट को बधाई देती हूँ कि एक भी पल साढ़े तीन साल के संघर्ष में इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अंतिम डेढ़ साल में भी हिम्मत नहीं हारे लोगों को सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं और मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट में भी सर्विसेज का मामला जीतेंगे। नहीं... अधिकारियों के साथ साथ जो आज केन्द्र के हाथों कठपुतली बन कर खेल रहे हैं, सभी बेनकाब होंगे और केन्द्र की सरकार भी एक बार फिर दोबारा बेनकाब होगी। जय हिन्द।

माननीय अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री आदर्श शास्त्री जी।

श्री आदर्श शास्त्री : धन्यवाद अध्यक्षः महोदय, आपने इस मुद्दे पे बोलने का मौका दिया। ये जो अफसरशाही का जो रवैया है, दिल्ली सरकार का और दिल्ली की जनता के प्रति क्योंकि बहुत सारी बातें सामने आ चुकी हैं। मैं कुछ छोटे छोटे उदाहरण सदन के सामने रखना चाहता हूँ जिसको कोई भी अफसर, किसी भी तरह से उसकी सफाई नहीं रख पाएगा। कई ऐसी बातें, कई ऐसे मुद्दे हैं, मैं गवर्नमेंट एश्योरेंस कमेटी का मेंबर हूँ, पिटले दो साल से अलग अलग मीटिंग में जा रहा हूँ। वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक को लेके हमने कई बार हेल्थ विभाग से, कई बार पी.डब्ल्यू.डी. विभाग से अलग अलग अफसरों को बुलवाया। कई बार दोनों विभाग के सेक्रेटरी आए, बीच में... सदन जानता है कई बार इन अफसरों ने आना बंद कर दिया। अब हाल में हाई कोर्ट के आदेश के बाद वो फिर आना शुरू हुए, तो उनसे एक साधारण सा सवाल पूछा गया जिसमें हैल्थ सेक्रेटरी से ये पूछा कि कितने मोहल्ला क्लिनिक अभी चालू हैं, ऑरेशनल हैं जिसका जवाब मिला 183 या कुछ 200 के आसपास। और ये पूछा गया कितने को लिस्ट आपके पास आई है जो आप लोग मूल्यांकन कर रहे हैं? इस में कुल मिला के, सब मिला के जल बोर्ड के, पीडब्ल्यूडी के अलग अलग जगह सो मिली लिस्ट के मुताबिक उन्होंने बताया लगभग साढे 6 सौ कुछ ऐसी साईट्स हैं जो विचारधीन हैं। उसके बाद ये पूछा गया कि उनका इंस्पेक्शन हुआ, क्या हुआ? पी.डब्ल्यू.डी. से चर्चा हुई, पी.डब्ल्यू.डी. के सेक्रेटरी इंजीनियर–इन–चीफ आए, उनसे बात हुई। तो ये पता चला कि उसमें अधिकांश मोहल्ला क्लिनिक की साईट का रिजेक्ट किया गया। जब हैल्थ डिपार्टमेंट से ये सवाल पूछा हम लोगों ने तो हैल्थ डिपार्टमेंट ने बोला कि

तरफ से हमने अपना निर्णय इस बात पे रखा कि वहाँ पे आबादी इतनी है और उसके मुताबिक वहाँ पे क्या हैल्थ सर्विसेज उपलब्ध हैं कि नहीं हैं? और उसके मुताबिक वहाँ पे क्या हैल्थ सर्विसेज उपलब्ध हैं कि नहीं हैं? तो हमने नो ऑबजक्शन दिया। पी.डब्ल्यू.डी. से पूछा गया तो पी.डब्ल्यू. डी. ने कहा कि हम वहाँ देख रहे हैं कि वहाँ 80 स्केवेयर मीटर करते उसमें लगभग 80 प्रतिशत साईट रिजेक्ट की गयी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब दोबारा सो इंस्पेक्शन किया तो ये पाया गया कि उसमें से और वो केवल कुछ चंद रैण्डम साइट्स... पे माननीय मुख्य मंत्री जी गए तो ये पता चला कि उन साइट्स का जमीनी स्तर पे कभी निरीक्षण हुआ ही नहीं। विधायक, हमारे साथी बोलते रहे कि इनका निरीक्षण होना चाहिए, देखना चाहिए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सब बातें जब कमेटी ने आगे रखीं तो इसपे बहुत सरलता संभाले एक हफ्ता हुआ है, मैं इसकी जानकारी आपको अगले मीटिंग में दूँगा। कहने का तात्पर्य ये है कि पिछले डेढ–दो साल से अलग–अलग तरीके से, अलग–अलग बहाने से, अलग–अलग इस तरह की बातों को रख रख कर ऐसा अहम मुद्दा मुद्दा जो दिल्ली की जनता से जुड़ा है जो टालते रहे; कह के यहाँ पर के या अभी नये आये हैं या यहाँ पर हमें अवसरों की कमी है। एक जगह हम लोग ने पूछा कि आप लोग कितने इंस्पेक्शन कर सकते हैं तो बताया गया कि एक दिन में चार से छह मोहल्ला क्लीनिक का इंस्पेक्शन कर सकते हैं तो ये पूछा गया कि अगर आप सौ दिन भी लगभग लगा लें तो सौ दिन में 400 साढ़े चार सौ साइट का इंस्पेक्शन किया जा सकता था। तो ये पता चला कि इंस्पेक्शन के लिए टीम नहीं थी और इंस्पेक्शन की टीम पिछले हफ्ते ही बनी तो इस तरह का कहने का तात्पर्य ये है कि इस

तरह के जवाब जिसका कोई तुक नहीं है, कोई पैर नहीं है, इस तरह के जवाब कमेटी में आ के दिये जा मिले हुए हैं जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से सलंग्न हैं कि ये काम नहीं करना चाहते। जो भी इरादे आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसको किस तरह से रोकें, इसी पर ये बात करना चाहते हैं। मैं एक और छोटा सा उदाहरण दूँगा; एम.एल.ए. एल.ई.डी. का। ये एक इतनी बड़ी एक गुत्थी बन के रह गया है कि हमारे सदन के सभी साथी मेरे बात से सहमत होंगे; गोल गोल चक्कर काट काट के जलेबी की तरह इस मामले को बना दिया गया है। पहले डूडा की बात हुई, अब डूडा से जब ये यू.डी. में आ गया तो हम लोग चक्कर काटते हैं। डूडा कहता है कि अभी हिसाब हमें देना बाकी हैं। हम लोग एक साधारण सा सवाल पूछ रहा हूँ मैं कि एम.एल.ए. फण्ड में कितना पैसा लगा, कितना बकाया है, पिछले एक साल से, अध्यक्ष महोदय कोई भी अफसर इसका जवाब नहीं दे पाया है कि कितना पैसा लगा। पिछले तीन सालों में जो डूडा के माध्यम से खर्च किया गया, कितना उसमें से बचा है, यूडी के पास कितना है, ये बड़ा साधारण सा सवाल है। हम लोग सब शिक्षित हैं ये एक साधारण सा एक आठवीं कक्षा का बच्चा कंप्यूटर की एक्सेल शीट पर बनाकर दे सकता है एक साल से इसका जवाब नहीं मिल नहीं पा रहा है कि एम.एल.ए. फण्ड में कहाँ पैसा लगा, कहाँ खर्च हुआ। एक साल से जवाब नहीं मिल पा रहा है कि कौन सा ऐसा कानून है; उसी एम.एल.ए. फण्ड से कई काम हुए, अब वो काम नहीं हो सकते तो ये केवल जो चुनी हुई सरकार है, जो विधायक हैं, उनके काम जो पब्लिक के काम हैं, उनको रोकने का ये साफ तरीके से नजर आता है कि एक ये सोच है ये इस तरह का डायरेक्शन है। एक और छोटा सा

उदाहरण दूँगा। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि बाकी बातें आ गई सामने। हम लोगों का अस्पताल है; दादा देव अस्पताल, मात्र शिशु अस्पताल है, बच्चों का अस्पताल है। डिलीवरी होती है वहाँ पर। वहाँ पर छह महीने से आई.सी.यू. तैयार है बड़ा लड़–झगड़ के मंत्री जी की मदद से आई. सी.यू. हमने तैयार कराया। छह महीने हो गये। आज मुझे शर्म आती है कहते हुए; वो आई.सी.यू. को चलाने के लिए नर्स और डॉक्टर मिलाकर 22 लोगों की जरूरत है। अगर आप सोचेंगे कि मैं ये कहूँ कि भई 22 लोगों की भर्ती में समय लगेगा डी.एस.एस.बी. के थ्रू भर्ती होनी है तो एक बार मैं और आप.... शायद फिर भी ये सदन इस बात का मान ले। कमाल की बात ये है कि उन 22 लोगों की भर्ती हो चुकी है और उन 22 लोगों की भर्ती होने के बाद भी केवल एक हेल्थ सैक्रेटरी साहब से ऑर्डर के इन 22 लोगों को तैनात किया जाये, दादा देव अस्पताल में वो ऑर्डर नहीं हुआ है पिछले डेढ महीने से मैं हेल्थ्स सैक्रेटरी साहब से टाइम मॉग रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला है। तो ये केवल और केवल काम रोकने की उस पूरे इलाके में ये ऐसा एक मात्र अस्पताल है, जहाँ पर आईसीयू होगा तो छोटे बच्चे जो प्रिमेच्योर पैदा होते हैं, उनको वहाँ पर देखरेख हो सकती है उनको वहाँ पर रखा जा सकता है। उस वजह से न जाने कितनी ऐसी छोटी नन्हीं जानें हैं, जो चली जाती हैं, जो चाली जाती हैं मगर कोई भी संवेदनशील अफसरों में नहीं है इस तरह की। ये आज की तारिख में...

माननीय अध्यक्ष : आदर्श जी, कन्क्लूड करिए।

श्री आदर्श शास्त्री : ये आज की तारिख में हालात है इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं, बार–बार हम लोगों के सामने आते हैं। हम

लोग जब अलग–अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं; अभी अभी माननीय कैलाश गहलोत जी, मंत्री जी साथ मेरी मीटिंग हुई थी डी.टी.सी. को लेकर। डी. टी.सी. के अफसर को बोला कि ये रूट पर बस चालू करवा दीजिए। डी. टी.सी. के अफसर से बात हुई मंत्री जी की। मंत्री जी ने उनको बोला, मेरे सामने फोन पर एक बार विधायक जी से बात कर लीजिए। यहाँ पर रूट चालू अगर हो गई है तो उसकी जानकारी दे दीजिए। इस बात को दो हफ्ते हो गये और डी.टी.सी. का वो अफसर अवेलेबल नहीं है। मुझसे बात करने के लिए वो अफसर अवेलेबल नहीं है अब आप समझिये अगर इस तरह की छोटी छोटी बातें रोज अगर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जूझ रहे हैं तो जनता की, जिन लोगों ने इस विश्वास से हम लोगों का यहाँ भेजा, उनकी क्या हालत होगी।

माननीय अध्यक्ष : आदर्श जी, प्लीज।

श्री आदर्श शास्त्री : मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये जो अफसरशाही जो आज केन्द्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की है, नौकरशाही की एक सर्विस बन कर रह गई है, खिलाफ इसके उपरोक्त हमें सख्त कदम उठाने हैं और हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो ईमानदार है, उसको ले के आगे आए उसके अंदर ये बल दें कि वो इस तरह से दिल्ली की जनता के लिए काम करके सके और भ्रष्टाचारी लोगों को इन भ्रष्टाचार ऑफिसरों को यहाँ से बाहर किया जाये, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री सत्येन्द्र जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री। मैंने कुछ नाम छोड़ दिये हैं, प्लीज।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : भई मेरे पास समय का अभाव है। नहीं, दलाल जी, प्लीज। चलिए, सत्येन्द्र जी।

स्वास्थ्य मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली के अंदर सर्विसेज के ऊपर बातचीत चल रही है क्योंकि सर्विसेज मैटर जो है, वो दिल्ली सरकार के अंडर हैं। नहीं है, या जो अधिकारी जो दिल्ली सरकार को काम करने के लिए दिये गये हैं, वो उनकी कितनी बात मानते हैं, या नहीं मानते, क्यों नहीं मानते हैं। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं कई बार सोचता हूँ कि हमारा देश में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रसी के अंदर क्या होता है; जनता चुनाव करती है, अपने रिप्रजेन्टेटिव चुनती है और चुनकर उन्हें लोक सभा में या विधान सभा में भेजती है। उन चुने हुए प्रतिनिधियों में से कुछ लोग मंत्री बनते हैं; सरकार बनाई जाती है। अगर उन मंत्रियों की मुख्य मुत्री की या प्रधान मंत्री की या केन्द्रीय मंत्री की बात मानने से वो लोग मना कर दें जिनको उनकी बात मानने के लिए रखा गया था, आप सोच के देखियेगा कैसी हालत होगी कि सरकार आदेश पर आदेश पर आदेश दिये जा रही है और अधिकारी उन आदेशों की अवहेलना किए जा रहे हैं।

मैं सबसे पहले तो जो 4 अगस्त, 2018 को जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उसके कुछ चीजों के बारे में जरूर बताना चाहूँगा। जो बार–बार ब्यूरोक्रेसी की तरफ से कहा जाता है, 'नहीं, सर, ये तो हमें नहीं पता। पता या तो उनको पता है और नहीं पता तो पता होना चाहिए

कि देश का संविधान क्या है और देश के संविधान के अनुसार सबको काम करने की जरूरत है। मैं सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद एक पूर्व अधिकारी उन से मेरी बातचीत चल रही थी। उनसे मैंने कहा कि भई सुप्रीम कोर्ट का आदेश अब तो आ गया है। तो वे हँस के बोले, कहता है, 'बताइए, ''सुप्रीम कोर्ट के आदेश में क्या नया आया है? आप मुझे पूरे आदेश में जो 565 पेज का आदेश है, एक भी लाइन मुझे बता दीजियेगा जो उन्होंने नई लाइन लिखी हो, जो संविधान के अंदर न हो मैं बड़ा सोच में पड़ गया कि संविधान के अंदर जो लिखा है, उसी की व्याख्या की गई है। उस व्याख्या के अलावा कुछ नहीं है। संविधान को उन्होंने बिल्कुल सही सही बता दिया है कि संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी की एक तरह व्याख्या की गई है और कुछ नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि देखियेगा, पहले आपको हाईकोर्ट में लेकर गये वहाँ पर गलत व्याख्या होने की बजह से आपके तीन साल बर्बाद कर दिए। अब ये आदेश आ गया है, इस आदेश को मानना चाहिए। इस देश के अंदर 70 साल में 1950 में जब संविधान बना था, उससे लेकर अड़सठ साल हो गये हैं। आज तक किसी भी केन्द्रीय सरकार ने, किसी भी सरकार ने आज तक संविधान की अवहेलना नहीं की होगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपने आपसे व्याख्या ठीक ठीक से कर दी। ये पहला इंस्टास है जिसको की विलफुली जान–बुझकर उसकी अवहेलना की जा रही है। अधिकारियों में इतनी हिम्मत नहीं है कि अवहेलना कर सकें। मुझे लगता है कि उनको मजबूर किया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सबसे पहला

जो प्रिंसीपल सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है, वो है रिप्रजेंटेटिव गवर्नमेंट पैरा 49 के अंदर लिखा गया है रिप्रजैंटेटिव गवर्नमैंट क्या है तो दिल्ली की जनता जैसे कि पूरे देश में है; डायरेक्ट इलेक्शन से... सर, दो तरह के इलेक्शन होते है–डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट से अपने नॉमिनेट एमएलए चुनती है और जो डायरेक्ट इलेक्शन से जो लोग चुने गये हैं, वो अपने बहुमत से अपनी सरकार बनाते हैं। तो ये सबसे पहले ये चीज है कि डायरेक्ट इलेक्शन सो चुने गये और रिप्रजैंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर उने रिप्रजैंटिव सरकार बनाते है और वो रिसपॉन्सिबल सरकार है। रिसपॉन्सिबल सरकार क्या होती है जो सरकार लेजिसलेचर विधान सभा या लोक सभा के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी हो, उसे रिसपॉन्सिबल सरकार कहा जाता है। अब सरकार डेफिनेशन, बड़ी आश्चर्यजनक बात मैं आपको बताऊँगा। हमारे डिपार्टमैंट में कई सारे इशू चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपको फाइलें एलजी साहब के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है। एक बारी नहीं, इस किताब के अंदर 10 जगह लिखा है कम से कम, आपको फाइलें भेजने की जरूरत नहीं है; Aid and advice एक शब्द है जिसको कि पैरा 231, पेज नवम्बर 231 पर पैरा 17 अंदर लिखा है– 'The meaning of aid and advice implied in the article 239AA has to be construted to mean that the Lt. Governor of NCT of delhi is boound by theaid and advice of the Counil of Ministers.' कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, जो aid and advice दिल्ली की सरकार देगी, उससे बाध्य है। दिल्ली के, जो aid and andvice का क्या मीनिंग निकालते हैं कहते, आप एडवाइज तो दीजिए। आप एलजी साहब को एडवाइस दीजिएगा, वो मानेंगे, बाध्य हैं, मानने के लिए। ये मानने को मतलब, आश्चर्य की बात है, जो लोग इतने बड़े–बड़े एग्जाम पास करके आ गए और वो ये बात कहते है, 'aid and Advice का

मतलब एडवाइज दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ–साफ कहा है, 'aid and andvice का मतलब होता है कि उप–राज्यपाल के नाम से या राज्यपाल के नाम से या राष्ट्रपति के नाम से कार्य किया जाता है सरकार के द्वारा। उनके पास फाइलें भेजने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। 'जो भी नाटिफिकेशन होता है, उप–राज्यपाल के नाम से होगा या राज्यपाल के नाम से होगा। ये बेसिक सी बात है। अगर इस क्वेश्चन का गलत आन्सर 11वीं क्लास का बच्चा देकर आता है तो उसको फेल कर दिया जाता है। और मुझे समझ नहीं आया कि अब हमारे अधिकारी जो कि इतने पढ़े लिखे हैं, वो इसको समझ नहीं पा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक आदमी अगर सो रहा हो ना, तो उसको जगाना बहुत आसान होता है, अगर जागा हुआ है तो उसको आप जगा नहीं सकते। क्योंकि वो जागा हुआ है। अगर हम ये बताना चाहे कि aid and advice का मतलब क्या होता है तो अधिकारियों को हम कभी नहीं समझा सकते क्योंकि उनको पहले से ही पता है, इसलिए वो समझने को तैयार नहीं है। एक कलेक्टिव रेस्पोंसिबिल्टी है, कलेक्टिव रेस्पोंसिबिल्टी के लिए अध्यक्ष जी, मैं इसमें से पढ़कर बताता हूँ, कलेक्टिव रेस्पोंसिबिल्टी का मतलब है, Ours is a parliamentry form of govt. guided by the principls of collective responsibility of the cabinet. The cabinet owes duty towards legislature of every action taken in any of the minister is responsible for every act of the ministry.' इसका मतलब ये है कि कलेक्टिव रेस्पोंसिबिल्स्टी है। जो भी कैबिनेट है, पूरी की पूरी कैबिनेट जनता के प्रति जवाबदेह है, अपनी विधान सभा के माध्यम से और हर मंत्री अपने विभाग के अंदर किए गए हर कार्य के लिए रेस्पोंसिबल है। ये कलेक्टिव रेस्पोंसिबिल्टी कहती है कि ये कलेक्टिव रेस्पोंसिबिल्टि की वजह से हमारे देश के अंदर सरकार चल रही है।

एक मैं और चीज बताना चाहूँगा, एग्जीक्यूटिव पॉवर... कि एग्जीक्यूटिव पॉवर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी बहुत खोलकर अच्छी तरह से बताया है एग्जीक्यूटिव पॉवर क्या है। उनका कहना है कि 'Executive powers of goverment of NCT is co-existing with legislative powers, Delhli Legislative asembly and accordingly, the executing power of the council of ministers of delhi spans over all subjects in the concurrent list and all, but three subjects.' इसका कहने का मतलब है कि concurrent list के जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर और जो स्टेट लिस्ट के सारे सब्जेस्ट हैं, उनमें तीन सब्जेक्ट को छोड़कर, वो तीन सब्जेक्ट हैं–पहला लॉ एण्ड ऑर्डर–एन्ट्री नम्बर–1 है, 2 नम्बर एन्ट्री नम्बर–पुलिस और 18 नम्बर–लैंड, इन तीन चीजों को छोड़कर स्टेट लिस्ट के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं और concurrnt list में जितनी भी आइटम्स हैं, उनके ऊपर एग्जीक्यूटिव पॉवर जो है, वो सारी की सारी दिल्ली सरकार की है। इसके बाद उन्होंने इसको और भी खोलकर बताया, 230 नम्बर पेज के ऊपर पैरा–16 कि सेन्टर बाज गवर्नमैंट की कौन सी एग्जीक्यूटिव पॉवर है दिल्ली के अंदर। उन्होंने कहा है कि Executive powers of govt. of NCT is Co-existing with the legislative powers, Delhi Legislative asembly and accordingly, the executing power of council of ministers of delhi spans over all subjects in the cucurrent list and all, but three subjects.' इसका कहने का मतलब है कि concurent list के जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर और जो स्टेट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर और जो स्टेट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट हैं, उनमें तीन सब्जेक्ट को छोड़कर, वो तीन सब्जेक्ट हैं–पहला लॉ एण्ड ऑर्डर–एन्ट्री नम्बर–1 है, 2 नम्बर एन्ट्री नम्बर– पुलिस और 18 नम्बर–लैंड, इन तीन चीजों को छोड़कर स्टेट लिस्ट के अंदर जितनी भी

आइटम्स हैं और concurrent list में जितनी भी आइटम्स हैं, उनके ऊपर एग्जीक्यूटिव पॉवर जो है, वो सारी की सारी दिल्ली सरकार की है। इसके बाद उन्होंने इसको और भी खोलकर बताया, 230 नम्बर पेज के ऊपर पैरा–16 कि सैन्टर गर्वर्नमैंट की कौन सी एग्जीक्यूटिव पॉवर है दिल्ली के अंदर। उन्होंने कहा है कि सेन्टर गवर्नमैंट की सिर्फ तीन सब्जेक्ट के ऊपर एग्जीक्यूटिव पॉवर है, वो हैं, फिर से– लॉ एण्ड ऑर्डर–एन्ट्री नम्बर 1, पुलिस–एन्ट्री नम्बर 2 और लैंड–एन्ट्री नम्बर 2 और लैंड–एन्ट्री नम्बर 18, टन सब्जेक्ट्स के अंदर केंद्र सरकार की सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पॉवर हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने दो–दो बारी क्लीयर कर दिया कि दिल्ली सरकार की क्या–क्या पावर्स हैं, इन तीन सब्जेक्ट को छोड़कर सारी पॉवर हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट दिल्ली सरकार के पास। तो जो सर्विसेज की बात रही है जो कि ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है, इसका मतलब उन तीन सब्जेक्ट से बाहर है। जब इन तीन सब्जेक्ट से बाहर है तो जो सर्विसेज है, जो ब्यूरोक्रेसी है, इसका मतलब दिल्ली सरकार के अंडर है, इसके ऊपर भी चर्चा हुई। अक्सर मैं पूछता रहता हूँ कि भई इसका क्या मतलब है, क्यों नहीं मान रहे आप लोग? कहा, ''जी दवाब है। मैंने कहा, ''किसका दबाव है? कहते है, ऊपर से है। ''मैने कहा, ''कितने ऊपर से है? कहते हैं, ''बहुत ऊपर से है। ''और दबाव किस बात का है। मैंने कहा भई जब सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने एक फैसला दे दिया कि सर्विसेज दिल्ली सरकार के पास है, क्लीयर है बिल्कुल, उसमें कोई कंफयूजन नहीं है। कहते हैं, ''सर, हमें भी क्लीयर है। हमें भी कोई कंफयूजन नहीं है। ''कहते है, ''पहले आपके साढ़े तीन साल बर्बाद कर दिए। अब हमें टारगेट दिया है, साढ़े तीन महीने तो बर्बाद कर दो। ''साढ़े तीन साल बर्बाद किए थे,

साढ़े तीन महीने और बर्बाद कर दो ताकि लोक सभा के इलेक्शन आ जाएं फिर आचार संहिता चालू हो जाए और ये काम बीच में रूक जाए। तो ये सारी की सारी साजिश, राजनीतिक साजिश है, इसमें राजनीतिक साजिश की बदबू आती है। इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि अधिकारियों का इतना दोष है, वो तो एक इंस्ट्रूमेंट हैं। आपके पास एक बंदूक है, एक टेररिस्ट को दे दो, किसी को मारेगा, जनता को मारेगा। एक पुलिस वाले को दे दो, वो किसी को बचाएगा। they are only the tools. अगर टूल्स के बारे में हम ज्यादा बात करें या उनको ज्यादा आरोप दें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, उसको तो कोई यूज कर रहा है और यूज कैसे कर रहा है, वो सबको पता है।

अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे काम करने के लिए कुछ अधिकारी दिए गए और उन सबको रिपोर्टिंग कहीं और करनी है तो वो मेरे कहे अनुसार काम करेंगे? मुझे नहीं लगता। मैं अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूँगा, उसके साथ–साथ बताऊँगा, हो क्या रहा है। दिल्ली सरकार ने....

माननीय अध्यक्ष : एक सेंकड। सदन का समय 7.00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए, सब सहमत हैं? (सामुहिक सहमति मिलने पर) धन्वाद। हाँ, सत्येन्द्र जी।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार ने पिछले एक–डेढ़ साल के अंदर काफी मेहनत करके दिल्ली प्रिजन रूल्स बनाए। प्रिजन रूल्स को बनाया गया, अच्छे रूल्स को बनाया गया। अब उनको नोटिफाई करने की बात आई, उसी बीच के अंदर सुप्रीम कोर्ट का पहला आदेश आ गया तो मैंने फाइल के ऊपर लिखा 23 जुलाई

को, उससे पहले भी फाइल आई थी, मैंने कहा, ''इसको सारे को कम्पाइल कर लीजिएगा।'' 23 जुलाई को मैंने लिखा कि आप इसको नोटिफाई कर दीजिएगा और कॉपी एलजी साहब के पास भेज दीजिएगा। अब अधिकारी इसको नोटिफाई करने को तैयार नहीं हैं। 31 जुलाई को फिर से लिखा, 1 अगस्त को फिर से लिखा, सारे पैरा कोट कर दिए, सब कुछ बता दिया कि भाई साहब ये लॉ है, कहते हैं, ''नोटिफाई तो नहीं करेंगे। ''मैंने कहा, ''क्यों नहीं करोगे?'' कहते हैं, ''जी, वो मानते नहीं हैं। हमारे ऊपर वाले मानेगे तब ना। ''उनको मैंने ये भी दिखा दिया कि एलजी साहब ने खुद अपना डीओ लैटर मुख्य मंत्री जी को लिखा है, उसमें ये खुद लिखा है उन्होंने कि मुझे सर्विसेज के अलावा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, बाकी चीजों की फाइलें मेरे पास मत भेजना। अब वो पता नहीं सर्विसेज में क्यों इंटरेस्ट है, ये भी तो कनेक्शन मार्क है। जब उन्होंने ये लिख दिया कि मेरे पास फाइल ना भेजो, उसके बावजूद भी वो कहते हैं फाइल तो एलजी साहब के पास ही भेजेंगे। अब उन्होंने क्या लिया। कहते हैं, ''जी, किसी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि गवर्नमैंट मीन्स एलजी। ''अब मैं इस सदन के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि सर, जहाँ पर नहीं लिखा, उन सब जगह भी लिख दिया जाए कि गवर्नमेंट मीन्स एलजी। तब भी ये सुप्रीम कोर्ट को आदेश कहता है कि एलजी साहब को जो भी काम करना है, aid and advice पर करना है जितने भी ट्रांसफर सब्जेक्ट हैं। तो aid and advice कार मतलब क्या है कि फाइल तो एलजी साहब के पास जाएगी नहीं, मंत्री उनके नाम से काम करेंगे तो ये बिल्कुल क्लीयर कट है, उसके बावजूद भी वो नोटिफाई नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, पैरोल का बताता हूँ मैं आपको। दिल्ली के अंदर पैरोल देने क लिए पॉवर किसके पास है? जो हमारे जेल के उच्च अधिकारी है;

डीजीं साहब हैं, उनको पॉवर है। वो पैरोल दे सकते हैं। उसके कुछ केसेज हैं; सेक्रेटरी साहब दे सकते हैं। उसके बाद... पीछे हाई कोर्ट के आदेश थे; मंत्रियों की कोई पॉवर नहीं थी तो सारे एल.जी. साहब के पास जाया करते थे। 4 तारीख के आदेश आने के बाद मैंने फाइल के ऊपर लिखा क्योंकि प्रिजन जो है एन्ट्री–4 में आता है; दिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट इसलिए ये फाइलें एल.जी साहब के पास न भेजी जाये और इनको पैरोल दे दिया जाये। उसमें ऐसे केस भी हैं; किसी के घर में कोई मरने वाला है, उसको पैरोल ग्रांट हो चुका है परंतु उसको छोड़ नहीं रहे हैं क्योंकि एल.जी. साहब... मतलब समझ से बाहर है कि वो उन लोगों को छोड़ने को तैयार नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने को तैयार नहीं हैं, किसी भी चीज को मानने को तैयार नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, एम.एल.ए. लैंड की बात बताता हूँ। इसी सदन के अंदर पिछली बारी सभी सदस्यों ने कहा था कि हमारे महीनों से प्रपोजल पास नहीं किए जा रहे हैं। कई सौ प्रपोजल्स लेके बैठे हुए हैं और पिछले डेढ़ महीने के अंदर आदेश आने के बाद भी चार बारी मैं अनेक बार नोट लिख–लिख के, लिख–लिख के लिख चुका हूँ डिपार्टमैंट को कि भई जल्द से जल्द इनको क्लीयर किया जाये। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने 19 जुलाई को लिखित में दिया कि सारे के सारे प्रपोजल जो 19 जुलाई तक आ गये, 28 जुलाई तक क्लीयर किया जाये। अभी तक भी उनके कान पे जूँ नहीं रेंगी। कहते हैं; कर देंगे। एम.एल.ए. लैंड फण्ड के अंदर कुछ चीजें पहले से चल रही थी, अब इन्होंने बंद कर दी। कहते हैं, ''जी यहाँ हमारे को मिल नहीं रहे हैं। ''हमने कहा, कई साल से चल रही थी, अब ऐसी क्या दिक्कत आ गयी? कर दो। ''कहते हैं, ''हम आपके आदेश नहीं मानते

हैं। ''तो अब ये समझ से बाहर है कि अधिकारी कैसे ऐसा स्टेंड ले सकते हैं कि सरकारी कामों को करने से मना कर दें! कही न कहीं से तो उनके तार जुड़े हुए हैं। एक अधिकारी कैसे ऐसा स्टेंड ले सकते हैं कि सरकारी कामों को करने से मना कर दें! कहीं न कहीं से तो उनके तार जुड़े हुए है। एक अधिकरी से बात हुई कि भई ऐसा कैसे कर सकते हो आप? कहते हैं, ''सर, हम चार पाँच से डरते हैं और किसी से नहीं डरते? पहला, कि ट्रांसफर पोस्टिंग, आप कर नहीं सकते। दूसरे, विजिलेंस वो अंडर हैं नहीं तीसरा, एसीबी, वो भी आपके अंदर नहीं हैं। कहते हैं चौथा डिसिप्लीनरी एक्शन कोई ले लेंग, वो भी आप नहीं कर सकते। कहते हैं, ''सर, आपकी सुनें क्या? वो सारे के सारे एल.जी. साहब कर सकते हैं, इसलिए एल. जी. साहब को सुनते हैं। ''कहता है, हमारी मजबूरी है।'' उनमें से कुछ ने कहा कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्लीयर आ जायेगा, दोबारा से आ जायेगा, उसी दिन सारे कार्य हम कर देंगे। तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, माफी चाहता हूँ।''

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की सभी सड़कों पे लैंड स्टेपिंग करके उनको ब्यूटीफाई करने का प्रोग्राम पिछले डेढ़ साल से धक्कक खा रहे हैं। इसी सदन में हम कई बार ये टाइम दे चुके हैं। उप मुख्य मंत्री महोदय ने जब बजट पेश किया तो उसकी टाइम लाइन दी थी। अब तक तो काम खत्म हो जाने चाहिए थे और नहीं तो खत्म होने के पास होने चाहिए, अक्टूबर तक सारे काम खत्म होने थे, तो एक भी काम का टेंडर भी नहीं हुआ, शुरू भी नहीं हुआ और काम खत्म करने की बात तो छोड़ दो। वो कहते हैं, ''जी, आप का काम है; आदेश देना, आप आदेश देते रहियेगा।'' हम आदेश पे आदेश दिये जा रहे हैं, फैसला किए जा रहे हैं। वो कहते

हैं; हम नहीं मानते हैं। और बता देता हूँ मैं आपको। दिसम्बर के अंदर दिल्ली सरकार के एक कम्पनी है डी.एस.आई.डी.सी। हमने फैसला किया उसके अंदर कि जो भी कर्मचारी पिछले पाँच साल से ज्यादा वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको 20 परसेंट परफॉरमेंस बोनस दिये जायें, हर तीसरे महीने 20 परसेंट जितनी तनख्वाह बनते हैं, 20 परसेंट एक्सट्रा दे दो और जिनको पाँच साल से कम हुए हैं, उनको 10 परसेंट दे दो। ये प्रपोजल पास था परंतु इस सरकार को सबक सिखाने के लिए अधिकारियों ने मिलके बोर्ड मीटिंग के अंदर उस प्रपोजल को जुलाई के महीने में दोबारा से लेके आया और उसको कैंसिल कर दिया। दिखाने के लिए; हमारे आका कोई और हैं, हम उनकी सुनते हैं, हम आपकी नहीं सुनते। जी वो हमसे कहेंगे, हम वो करेंगे। आपके कहने से हम कुछ नहीं करेंगे। अनऑथरोइज कॉलोनी को देख लीजिएगा; इस सदन के अंदर कम से कम आधे एम.एल.ए. सताये हुए हैं। एक अधिकारी ने लिख के दे दिया कि अनआथोराइज कॉलोनी का काम ही नहीं करूँगा। अब सरकार के अंदर, सरकारी सर्विस में रहते हुए लोग लिख के दे सकते हैं कि मैं काम नहीं करूँगा। अनआथोराइज कॉलोनी का काम करने से बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि मैं काम नहीं करूँगा। तब उसको हटाने की बात तो छोड़िये, ट्रांसफर भी नहीं कर सकते और बता देते हैं, जिसको मेमो दो, उसका जबाब भी नहीं देते हैं। कहता है, ''मेमो ही तो दोगे, कागज ही तो है, हमारे लिए। जब तक उसपे कोई एक्शन नहीं हो सकता, तब तक रखे रखेंगे।

अब मैं कुछ हैल्थ की चीजें बताता हूँ आपको। मैं दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री हूँ। मेरे पास अभी तक आठ हैल्थ सेक्रेटरी बदल दिये गये, उसका

कारण कि जैसे इसको समझ में आने लगता है, कहते है; इसको हटा दो। आगे नये वाला आयोगा, आते ही कहते हैं, ''सर मुझे अभी समझ में नहीं आया। इतनी सारी स्कीम है आपकी तो। सर, इतनी तो उनका नाम भी पढ़ने में देर लगेगी।'' कहते हैं, ''सबको समझने में छः महीने तो लगेंगे। जब तक छः बड़े अस्पतालों में; जिसमें जी.टी.बी अस्पताल है, अम्बेडकर हॉस्पिटल है, एल.एन.जे.पी. है, जी.बी. पंत है। छः अस्पतालों में हमने कहा कि भई इसके अंदर फार्मेसी को आउटसोर्स कर दो। आज छः–छ घंटे लगते हैं तो हमने कहा, ''भई, बड़े अस्पतालों की फार्मेसी को आउटसोर्स कर दो और 15 मिनट में दवाई मिल जाये, ये कंडीशन लगा दो।'' एक साल से ऊपर हो गया अध्यक्ष जी, उसके अंदर अभी तक टेंडर भी नहीं किया। हर बार ही कुछ न कुछ लिखके भेज देते हैं। इसी तरह से दिल्ली के सारे अस्पतालों को कंप्यूटराइजेशन करना है। पिछले डेढ़ साल से फाइल को घुमा रहे हैं, फाइल–फाइल, फाइल–फाइल फाइल खेल रहे हैं। सरकार जो मर्जी आदेश दे दे, कहते हैं, ''सर कर तो रहे हैं, सर, हम कर तो रहे हैं। दिल्ली की सारी जनता के हैल्थ कार्ड बनने हैं, पूरी की पूरी जनता के हैल्थ कार्ड बनने हैं, उसके ऊपर मीटिंग से आगे कुछ नहीं हुआ। मीटिंग के ऊपर मीटिंग और मेरे आदेश... मैं आदेश पे आदेश देता रहता हूँ, वो मीटिंग पे मीटिंग करते रहते हैं। कहते हैं, ''बनेंगे नहीं।''

मोहल्ला क्लीनिक्स... अध्यक्ष महोदय, जुलाई 2015 जब हमारी सरकार बनने के सिर्फ चार पाँच महीने के अंदर हमने पहला मोहल्ला क्लीनिक बनाया। एक सैम्पल बनाया और मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिये कि 1000 बनाओं; दिल्ली के अंदर हमने उसके बाद पहला सिंगल था उसका सौ का पायलेट किया कि 100 मोहल्ला क्लीनिक बनायेंगे। उसको बनाने में

छः महीने भी नहीं लगे। हमने छः महीने सौ और बना दिये। अब ये हुआ कि अगले हजार जो बनाने उसको हम ज्यादा से ज्यादा एक साल में सवा साल में पूरा कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय, महीन में 101 बने, उसके बने उसके बाद के ढ़ाई साल में पचास, साठ; साल हो गये। क्यों कि पहले आते हैं, ''सर इतने सारे साइटें हैं इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है। क्योंकि उनका तो में ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ, ''ये आदमी अच्छा है चलो इसको दे दो काम जिसको कह दिया, थोड़ी सी तारीफ कर दी मीटिंग में, अगले दिन वो मिलेगा नहीं। कहते हैं, ''कहाँ गया?'' ''उसका ट्रांसफर कर दिया।'' क्यों? कहा, ''मंत्री जी ने उसकी तारीफ कर दी।'' मैं आपको बता सकता हूँ। एक अधिकारी ने रात में बैठ के सारा कोर्ट का काम किया, उसको उस डिपार्टमेंट से निकाल दिया। 15 दिन बाद वो कहते हैं, ''यहाँ से निकल।'' तो मैंने रात को बैठ के संडे के दिन आके काम किया है, इसलिए यहाँ से निकालो, तो ये नाम मैं किसी का लेना नहीं चाहूँगा परंतु सारे नाम मेरे पास है, सबके साथ ऐसा किया जा रहा है।

दिल्ली के अंदर हमने 25 पॉली क्लीनिक बनाये। उनको बनाने में मुढे छः महीने भी नहीं लगे। उसके बाद से दो साल हो गये 94 पॉलिक्लीनिक्स के टेंडर्स होने है, अभी तक टेंडर नहीं हो पा रहे हैं, बनने की तो बात छोड़ दीजिए। ई.एफ.सी. से अप्रूवल कराने में एक साल लग गया, उसके बाद चलो हम... कैबिनेट से अप्रूव कर दिया, टेंडर नहीं लगा रहे और मुझे नहीं पता कब लगायेंगे! क्यों मुँह पे तो कोई कहता नहीं हैं। पीछे से कहते हैं, ''सर, क्या करें? दबाब बहुत है, प्रेशर बहुत है।''

दिक्कत बहुत... सर जी, आपके पास पॉवर आ जायेगा, सब अपने हिसाब से करो, हमें क्या दिक्कत है।'' कहते हैं, ''ऐसे हम क्या करें कि बॉस हमारा एल.जी.., काम आप बताओ।'' तो बात तो मुझे समझ मे आती है कि भई एल.जी. बॉस है तो एल.जी. काम बता ले ना। अगर मैं बॉस हूँ तो मैं काम बताऊ, मैं उसका देखूँ ना, भला बुरा। दिल्ली के अंदर जितने मोहल्ला क्लीनिक हैं, जितने पॉलिक्लीनिक्स है, उसके अंदर लैब का टेंडर होना है; जो टेस्ट होते हैं, जो टेस्ट चल रहे हैं, उस टेंडर को एक साल हो गये, अभी तक फाइनल नहीं हुआ। टेंडर अब कर रखा है, पता नहीं, इसका फाइनल होगा या नहीं होगा भगवान जाने।

अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में आँखों को चैक करने, कान को चैक करने के लिए सौ वैन्स का प्रपोजल पास किया था, इस साल नहीं, इससे पिछले साल, उसका बजट दिया था। आज तक एक भी वेन नहीं बनी। दिल्ली 'हैल्थ केयर कॉरपोरेशन; वो इसलिए बनाई गयी थी कि अस्पतालों को जो नॉन–टेक्निकल काम हैं, वो न करने पड़े; दवाइयाँ खरीदनी है, इक्विपमेंट खरीदना है, कई जगह सामान नहीं मिलता है, सब मिल जाये। टाइम इसको बनाया गया, अखबारों में छपा कि बहुत बड़ा एक रिफॉर्म है, आज उसको दो साल हो गये, इसको चालू नहीं होने दे रहे हैं। पहले तो एल.जी. साहब बैठे हुए थे; आज हम लिख रहे हैं कि एल.जी. साहब की कंकरेंस की जरूरत नहीं है, अब तो चालू कर दीजिए। चालू नहीं कर रहे हैं। पॉली क्लीनिक्स में एक्स–रे मशीनें लगनी है, उसके टेंडर नहीं हुए, वही कहानी वहाँ पे है। ''सर, कर तो रहे हैं, सर तो रहे हैं।'' 94 हॉस्पिटल मैनेजर्स, जो काम डॉक्टरों को करना पड़ता है; मैनेजर्स का। कैबनेट से पास हुए लगभग 9–10 महीने हो गये। हैं। आज तक एक

भी अप्वाइंट नहीं हुआ। क्यों अप्वाइंट नहीं हुआ? ''सर, वो नाराज न हो जायें ऊपर वाले। अगर हमने कर दिया ना, तो यहाँ पे रूकेंगे नहीं।'' कई हॉस्पिटल की बिल्डिंगें नई बननी हैं, उनका ई.एफ.सी. अप्रूवल हो चुका है, कइयों का कैबिनेट अप्रूवल हो चुका है, अभी तक टेंडर नहीं लगा किसी का भी। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि सबको डर है कि अगर हमने काम कर दिया, तो वहाँ पर हमारी पेशी होगी कि तुमने काम क्यों किया?

सी.सी.टी.वी. कैमरे को देख लीजिएगा ना। एक लाख चालीस हजार सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने हैं। जो काम अब तक कंम्पलीट होना चाहिए था, अब तक शुरू भी नहीं हो पा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ किसी ऑर्गनाइजेशन में आज तक मैंने न सोचा, न सुना, न देखा कि जहाँ पर एक सर्विसेज वर्ड के नाम से सारी पावर्स कोई और लेके बैठ जाये। वो कहते हैं दिल्ली सरकार के पास वो नहीं है; पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है अपना। अरे भई! देखों, एक बात सुनो, अस्पतालों के अंदर 30.000 एम्पलॉएज है जिसमें यू.पी.एस.सी. से सलैक्ट होके सिर्फ थोड़े से डॉक्टर आते हैं; 500—700 होंगे, बाकी तो 29,500 यहीं से लिए है हमने। कहते हैं, ''इनका ट्रांसफर तो हम ही करेंगे। ट्रांसफर—पोस्टिंग इज नॉट सर्विससेज, देट इज एलोकेशन ऑफ वर्क; काम का देना या ये काम किससे कराना है। जब जिम्मेदारी मंत्री की है या काउंसिल आफ मिनिस्टर्स की है तो उसकी जवाबदेही जो उनके नीचे काम करते हैं, उनके प्रति होनी चाहिए, नहीं चाहिए? मुझे ऐसा लगता है; ये जान—बूझ के साजिश के तहत ब्यूरोक्रेसी के ऊपर दबाव जा रहा है कि आप काम मत करियेगा और मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 10—15 दिन, एक महीना ये फैसला भी हो जायेगा और जो सुप्रीम कोर्ट के

कांस्टीट्यूशनल बैंच ने लिख दिया है; उसको चैंज तो कोई कर नहीं सकता। अब इटस ए मैटर आफ टाइम, कुछ ही दिनों के अंदर सबके सामने आ ही जायेगा और दिल्ली के जितने भी पेडिंग वर्क हैं, जो भी काम हैः मुझे लगता हैं, हम जल्द से जल्द पूरे कर पायेंगे, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री कैलाश गहलोत जी।

माननीय परिवहन मंत्री (श्री कैलाश गहलोत) : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह मैंने अपने आफिस में कहा कि डिवीजनल कमिश्नर जो रेवेन्यू सैक्रेटरी हैं, उससे बात करायें। तो दो मिनट के बाद पीए का फोन आता है, ''जी, डिवीजनल कमिश्नर तो हैं नहीं।'' तो मुझे बड़ा अजीब–सा लगा कि है नहीं मतलब? के जी है ही, नहीं कोई। तो मैंने कहा डिवीजनल कमिशनर रेवेन्यू सैक्रेटरी जितने भी दिल्ली में डी.एम. हैं एस.डी.एम. है, ए. डी.एम. है। तहसीलदार, पटवारी तक के उनका पूरा कंट्रोल, पूरा सुपरविजन रेवेन्यू सैक्रेटरी और डिविजनल कमिशनर नहीं है। तो मैंने कहा, ''दोबारा चैक करो।'' तो फिर मेरे जो सैक्रेटरी हैं, दानिक्स आफिसर है जो मेरे साथ अटैच्ड है, जी.पी.सिंह, उनको मैने कहा भई डिवीजनल कमिशनर कौन हैं आज के दिन? तो उन्होंने कहा, ''जी बड़ा कफ्यूजन है, कुछ नहीं पता कि कौन रेवन्यू सैक्रेटरी है और पिछले लगभग... बड़ा गंभीर विषय है और बड़े आश्चर्य की बात है कि बात है कि पिछले लगभग 15 दिन से यही कहानी चल रही है कि रेवेन्यू सैक्रेटरी कौन हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर को नहीं पता, 30 जून को। तो ये, सारा जो मुझे अभी जो समझ में आ रहा है जो पी.डब्लू.डी. मिनिस्टर ने भी कहा कि ऐसे माहौल बना दो, ऐसे हालात पैदा कर दो कि पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ठप्प हो जाये। डिवीजनल कमिशनर का जो एक्चुअल चार्ज है, मनीषा सक्सेना जी के पास है, उनको

चाईल्ड केयर लीव सैंक्शन की गई, 30 जून से लेके 20 जुलाई तक। 21 जुलाई को मनीषा जी ज्वाइन नहीं करती और अपना जो लीव है, अपनी एक्सटेंड कर लेती है; मैडिकल रीजन पे। और ये मैं, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ताकि किस... मेरे ख्याल से बड़ी जो लार्जर कॉन्सिपेरेंसी है, उसके तहत हो ये बिल्कुल निश्चय कर लिया है कि दिल्ली सरकार में काम नहीं होने देना। इसके बीच जी, नरेन्द्र कुमार जो कि लैंड एण्ड बिल्डिंग के भी सैक्रेटरी है, उनको एडीशनल चार्ज दिया गया। इसके बीच एक केबिनेट नोट आना था; एक्स ग्रेशिया पैंमैट जो हमने कहा था, शहीदों को एक करोड़ रुपया दिया जायेगा, शाम को सात बजे कैबिनेट नोट आता है तो डी. सी हैडक्वाटर कहते हैं, ''जी, साइन किससे कराने हैं?'' तो मैंने कहा भई, तुम डी.सी. हैडक्वाटर हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि साइन कौन से रेवेन्यू सैक्रेटरी से कराने हैं। कह रहे, ''जी मुझे नहीं पता।'' शाम को सात बजे चीफ सैक्रेटरी को फोन किया के जी, ये बतायें आपके रेवेन्यू सैक्रेटरी कौन है? कौन इसपे साइन करेगा? तो उसके बाद एक नया नाम उन्होंने दिया एच.राजेश प्रसाद जो कि वेट कमिशनर हैं। उसके बाद पूरे सदन को मालूम है कि यमुना में पानी का स्तर बढ़ने के कारण जो फ्लड एफेक्टेड एरियाज थे, उनपे लगातार हम बार—बार जा रहे थें; ये देखने के लिए कि किसी को किसी प्रकार की परेशानी न हो और जो लोगों ने अपनी झुग्गी—झोपड़ी छोड़कर जो रिलीफ कैंपस में थे, तो 30 जुलाई को मैंने मैसेज दिया कि जो वोर्स एफैक्टिड एरियाज हैं, वहाँ इंस्पैक्शन के लिए मैं जाऊँगा। ये सुबह 10 बजे की बात है तो पता चला जी, रेवेन्यू सेक्रैटरी कौन हैं, ये पता नहीं है। क्योंकि राजेश प्रसाद जी जो हैं, वो कहते हैं कि मुझे तो ऑर्डर्स ही नहीं मिले अभी तक फिर दोबारा मैंने चीफ सेक्रैटरी को फोन किया।

जी, इंस्पेक्शन पे जाना है और काफी गंभीर विषय है। दो अगस्त को सर्विसेज एक ऑर्डर निकालता है जिसमें कहा कि–

'Honourable Leiutenet Governnor is pleased to order thar H. Rajesh Prashad Commissioner Shall look after the Charge of Secretary to Commissioner till 2nd August and Pr. Secretary, Land and Building Shall look after the Charge of Pr. Secretary Cum Divisional Commissioner from 3rd August 2018 onwards.'

लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपको मेरे ख्याल से हो सकता है आपको यकीन न हो, 3 अगस्त से जी नरेन्द्र कुमार छुट्टी पे है, और मुझे अभी पता चला है कि अगस्त एण्ड तक छुट्टी पे हैं तो पूरा जो डिस्ट्रिक्ट... हरेक डिस्ट्रिक्ट में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डी.सी. है, एस.डी.एम.स. है उनका, उनको सुपरवाइज करने के लिए और ये पूरा जो एक फ्रेम वर्क है, डी.सी.जी. और एस.डी.एम.स. का, ये हम कहें तो बॉस बहुत इंपोर्टेन्ट डिपार्टमेंट है क्योंकि जितनी भी गवनमेंट की पॉलिसिज है अलग–अलग, जितने भी इमरजेंसी वाली जो चीजें हैं, ईवन डिजास्टर जो मैंनेजमेंट है, कोई भी अगर कोई घटना हो जाती है, कई लाखों लोग जो हैं, अलग–अलग एस.डी.एम.स. आफिस में, ए.डी.एम. आफिस में छोटी–छोटी चीजें जो हम सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं तो पूरा एक रीढ़ की हड्डी जो है, आज के दिन ये माहौल है कि रेवेन्यू मिनिस्टर को, ये नहीं पता है कि उनका रेवेन्यू सैक्रेटरी और डिवीजनल कमिशनर कौन है। अध्यक्ष महोदय, सौरभ भारद्वाज जी ने काफी विस्तार में वो चीज बताईं लेकिन पिछले कुछ दिनों से और स्पेशली 4 जुलाई को जो कांस्टीट्यूशनल बैंच का जजमैंट है, इसके बाद मेरे ख्याल से सबने इन्होंने इनके ऊपर इतना दबाव है, इतना प्रैशर है,

हर जो असेम्बली सैशन होता है, उसमें हरेक एम.एल.ए. कहता है कि मेरे यहाँ बस नहीं है, मेरे यहाँ बस का शैल्टर नहीं है। सभी हम 11000 के आस—पास दिल्ली में बसें होनी चाहिए। आज हम पाँच—साढ़े पाँच हजार की स्ट्रैंथ पे बसें चल रही है। हमने स्टैंडर्ड फलोर बसें 2000 लेने का निर्णय लिया, कैबिनेट से अप्रूव हुआ, टैंडर हो गये, कैबिनेट से अप्रूव कर दिया तो हाई कोर्ट में किसी ने कोई पी.एल. किया कि स्टैंडर्ड नहीं, लो—फलोर बसें होनी चाहिए। उसमें हमें दिल्ली सरकार को डाइरेक्ट कर दिया कि स्टैंडर्ड फलोर बसें आप नहीं लेंगे। उसके अगेंस्ट अपील फाइल होनी थी, बहुत इंपोर्टेंट विषय था। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैट ने एस.एल.पी. तक फाइल करने से मना कर दिया। कारण, क्योंकि एल.जी. के आदेश थे कि अगर सुप्रीट कोर्ट ने कोई वकील एंगेज किया जाएगा तो उनके जो ऑर्डर हैं, उसके तहत किया जाएगा, उन्होंने जो वकील बताए थे उनके द्वारा अगर एस.एल.पी. फाइल होगी तो, होगी। 4 जुलाई के जजमैंट के बाद एज ए लॉ मिनिस्टर, हमने कहा, ''भई ये तो पुलिस, लैड और लॉ एंड ऑर्डर में नहीं आता है, तो हमने वो ऑर्डर रिवर्स कर दिए कि हमने... इस सरकार ने जो पहले वकील लगाए थे, जो एओल लगाए थे उस पैनल को रिइंस्टेट किया जाए। लेकिन बार—बार समझाने के बावजूद भी, बार—बार फाइल पे लिखने के बावजूद भी कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है, पब्लिक इंट्रेस्ट की हम बात कर रहे हैं। हम लगभग पाँच हजार बसों का शॉर्टफॉम है आज के दिन, काफी जगह, काफी इलाके और काफी कॉलोनियाँ और गाँव ऐसे हैं, जहाँ हम पब्लिक ट्रांस्पोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, उसके बावजूद भी ट्रांस्पोर्ट कमिशनर ने एस.एल.पी. फाइल करने से मना किया, वो एस.एल.पी. मेरा मंत्री के एफिडेविट से वो एस.

एल.पी. फाइल हुई और हमें कुछ राहत मिली वहाँ से। कोर्ट ने कहा ठीक है आप 500 बसें तो फर्स्ट उसमें आप, स्टैंडर्ड फलोर की बसें आप ले सकते हैं। तो अलग—अलग जो ये इग्जाम्पलज हम दे रहे हैं, हम सिर्फ ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं एक बड़ी जो साजिश है उसके... और मेरे ख्याल से ऑफिसर्स इतने दबाव में हैं कि वो दबाव अब मंत्री पर भी बनाना चाहते हैं कि जी, डिपार्टमेंट जो जवाब लिखके लाएगा, वही जवाब मंत्री को देना चाहिए। मंत्री की जवाबदेही असेंबली की तरफ है। अगर आज स्टार्ड क्वेश्चनस के आंसर दिए तो एज ए ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर या एज ए लॉ डिपार्टमैंट के सवाल लगे हुए थे तो एज ए लॉ मिनिस्टर मैंने जवाब दिए। लॉ सेक्रेटरी ने जवाब नहीं दिए यहाँ पर तो बुराड़ी अथोरिटी का जितना भी ये सौरभ भारद्वाज जी ने जो बताया, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन ये जवाब देना कि जी नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और जब मंत्री ट्रांस्पोर्ट कमिशनर को कहता है कि आप जवाब ठीक करके लाइए तो उसको, उस चीज को क्या रूप दिया जा रहा है। ये भी एक बहुत खतरनाक ट्रैंड, स्पीकर सर फॉर डैमोक्रेसी। हम हजारों मीटिंगस करते हैं, उसमें डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन, सैक्रेटरी का कोई ओपिनियन हो सकता है। लेकिन एज ए मंत्री जब उसको ओवर रूल कर देता है, जब उसको ऑन फाइल जब वो लिख देता है कि दिस इज आई डू नोट एग्री और बल्कि ये होना चाहिए तो सैक्रेटरी की जो ओपिनियन है; वो मिनिस्टर की जो राय है, उसमें मर्ज हो जाती है। ये कहीं डेमोक्रेटिक सैटअप में नहीं है। किसी भी डिपार्टमैंट में आप, कहीं किसी भी... आप इंडिया छोड़िए, आप जहाँ भी डैमाक्रेटिक सैटअप है, जहाँ भी डैमोक्रेटिकली गवर्नमेंट स्टेटस है, आप कहीं भी देखिए। अगर मिनिस्टर की प्राइमरी

रिस्पोंसिबिल्टी है, डिपार्टमेंट की और जैसा सत्येंद्र जी ने कहा कि काउंसेल ऑफ मिनिस्टर की कलैक्टिव रिस्पोंसिबिल्टी है। तो एज ए मिनिस्टर जब मैं फाइल पे लिखता हूँ एज ए मिनिस्टर कोई भी फाइल पे लिखता है, तो सैक्रेटरी की जो ओपिनियन है, वो कही स्टैंड नहीं करती, लेकिन अगर कोई सैक्रेटरी ये समझे कि उसने जो लिखा, वो कहीं स्टैंड नहीं करती, लेकिन अगर कोई सैक्रेटरी ये समझे कि उसने जो लिखा, वो मंत्री के ऊपर भी है तो मेरे ख्याल से गलत है। ये बिल्कुल हम सहन नहीं करेंगे।

मैं अध्यक्ष महोदय, दो मिनट और लूँगा क्योंकि कुछ चीजें मीडिया में चल रही थी उसको क्लैरिफाई करना जरूरी है। तीन तारीख को ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट ये शैड्यूल है मेरा तीन तारीख का। तीन तारीख को चार बजे ऑनरेबल मिनिस्टर शेल टेक ब्रीफिंग ऑफ स्टार्ड एण्ड अनस्टार्ड क्वेश्चन ऑफ ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट।

पहला सवाल जो मेरे सामने रखा गया, बुराड़ी अथोरिटी का, तो उसमें सवाल था कि कोई इररैगूलैरिटीज पाई गई, तो जब जी नहीं पढ़ा मैंने तो ट्रांस्पोर्ट कमिशनर को मैंने कहा कि जो उस दिन जो इन्सपेक्सन हुआ, उसको एक बार देखिए और उसमें जो ओब्जर्वेशन है, उसमें जो इररैगूलैरिटीज है; सबको मालूम है, वहाँ बिना दलाल के काम नहीं हो सकता। मेरे पास तो हर रोज... डेली का ये हैं कि, हर दिन मेल पे ट्विटर पे सोशल मीडिया, पे इस तरह की मेल्स आती है। आज सुबह 9 बज के 16 मिनट की मेल है कोई मिस्टर प्रवीन कारगेती हैं, उनका फिर मैंने मोबाइल नम्बर भी मंगाया। उन्होंने... मेल मैं पढ़ रहा हूँ, उन्होंने लिखा कि 8 मार्च, 2018 को उन्होंने अप्लाई किया, पाँच महीने के बाद भी उनको आरसी नहीं मिली,

तीन बार अथोरिटी जा चुका है, लेकिन दलाल... दलाल... के पास उनका नम्बर पहुँच जाता है। वो कहता है कि जी, मैं 1200 रुपए लेके ये काम करा दूँगा। तो क्या ये सब झूठ और और ट्रांस्पोर्ट कमिशनर किन ऑफिसर्स को डिफैंड करना चाहती है। उनका ये जवाब देना कि जी, नहीं वहाँ सब कुछ ठीक है, जी नहीं, जवाब तो बिल्कुल आइडियल सिचुएसन हो जाती है; and I think even as a human being nobody is perfect, ek institution... how can it be hundred percent perfect?

तो स्पीकर साहब मेरे ख्याल से किसी भी एक सीनियर आई.ए.एस. ऑफिसर का इस तरह से जवाब देना और मंत्री पर दवाब बनाना, कौन से डैमोक्रेटिक सैटअप... किए हैं, क्योंकि उस पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। वो पता करेंगे, कौन है और ये भी बताएंगे इस सदन के बीच में रखूँगा कि कितनी बार मैंने फाइल पे लिखा है कि भई इन अफसरों के अगेंस्ट आप इन्कवायरी कीजिए। तो एज ऐ मिनिस्टर तो मुझे कोई शर्म नहीं आती है। ये कहने में कि भई वहाँ ये चीज गलत है, इसको ठीक करो क्योांकि, इतने सालों में जो सिस्टम गलत चलता आया, हो सकता है उसको ठीक करने में कुछ समय लगे, मुझे मंत्री बने हुए एक साल हुआ। लेकिन ट्रांस्पोर्ट कमिशनर का ये जवाब देना और बिल्कुल एडॉमेंट हो जाना। जवाब मैंने देना है, जवाब ट्रास्पोर्ट कमिशनर ने। और इस सदन के बीच जहाँ कि पूरी दिल्ली के चुने हुए यहाँ रिप्रजेंन्टेटिव बैठे हैं, इस सदन के बीच अगर कोई गलत जवाब देना... मेरे ख्याल से इस पूरे हाउस की कन्टैम्पट ही, उसकी गरिमा को नीचे करना है। तो अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके बहुत—बहुत धन्यवाद। मैं यहीं अपनी बात खत्म करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : धन्यवाद, श्री गोपाल जी।

माननीय श्रम मंत्री (श्री गोपाल राय) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है; प्रश्न अधिकारियों का नहीं है इस देश के अन्दर जिस तरह की शासन पद्धति और शासन व्यवस्था केन्द्र में स्थापित हुई है और जिस तरह से उसके गुप्त मिशन में ये शामिल है कि या तो कोई राज्य हमारे अंडर में होना चाहिए और तो हम किसी भी तरह से एन केन प्रकारेण हम उसे अपने कब्जे में करेंगे, अपने नियंत्रण में करेंगे, अपने मुठ्ठी में रखेंगे इस गुप्त एजेंडे का परिणाम है कि जो आज दिल्ली जनता के बर्दाश्त करना पड़ रहा है।

भारत के इतिहास में ये पहली बार नहीं हो रहा है, इतिहास के पन्नों में अगर हम देखने की कोशिश करें तो इस देश के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन लागू हुआ, अंग्रेजों का शासन लागू हुआ। तो उनकी जो सबसे प्रचलित नीति थी, उसको कहते थे; राज्य हड़प नीति। अंग्रेजों ने इस देश के अंदर जब वो व्यापार करने के लिए आए तो उन्होंने सबसे पहले लड़कर के इस देश के अलग–अलग राज्यों को अपने अंदर नहीं मिलाया, उन्होंने एक सुनियोजित षड्यंत्र बनाया, हर राज्य के अंदर पहले वो एक सब्सडी सेना बनाते थे। सब्सडी सेना क्या होती थी? तनख्वाह राजा देता था नवाब देता था और ऑर्डर अंग्रेजों के अफसरों का चलता था। सेकण्ड स्टेप ने उन्होंने हर नवाब के यहाँ, हर राजा के यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर लागू किया। एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता था कि वहाँ पर एक सिस्टम क्रिऐट किया गया जो उन राजा, नवाबों को बदनाम करता इस बात की रिपोर्ट भेजता केन्द्र को कि यहाँ पर सत्ता ठीक नहीं चल रही है, जनता के हित में काम नहीं होता और उस रिपोर्ट के आधार पर

अंग्रेज उस राज्य को हड़प करके अपने अंडर में कर लेते थे। आज दिल्ली अंदर सर्विसेज का बहाना लेकर के पूरे ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से दिल्ली के अंदर एक अराजकता का माहौल, एक निकम्मेपन का माहौल सरकार का पैरालाइज करने का पूरा माहाल बनाया जा रहा है और ये सोची—समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, अभी कई साथियों ने जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का। जिस आधार पर आज सर्विसेज को, अधिकारियों के नियंत्रण को अपने हाथ में केन्द्र सरकार और एल.जी. के द्वारा रखा गया; एक ही तर्क दिया जा रहा है कि उस निर्णय में ये नहीं कहा गया है कि सर्विसेज किसके पास होगा। उसमें ये लिखा गया है कि पब्लिक एण्ड ऑर्डर, पुलिस और लैड इसको छोड़कर के सारा अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार का होगा, उसमें ये नहीं लिखा है कि सर्विसेज दिल्ली सरकार के पास होगा। मैं इस सदन के माध्यम से पूछता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के केन्द्र के और एल.जी साहब के उन प्रकाण्ड विद्वानों से; उसमें ये कहाँ लिखा गया है कि सर्विसेज, एल.जी. और केन्द्र सरकार के पास होगा। तुम्हारे पास डंडा है, पॉवर है इसलिए तुम्हारे पास है, सर्विसेज है। उस अदालत के निर्णय के अनुसार नहीं है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ सदन के साथियों से, इस देश के अंदर 1934 मे पहली बार चुनाव हुआ था। 1934 में चुनी हुई सरकार सदन बैठी थी लेकिन सदन में बैठने का मतलब अगर हाथ पर हाथ बाँधकर के बैठ जाओगे तो केन्द्र क पास जो ये ताकत है; तुम्हें न तो काम करने देगी और न तो इस सदन को चलने देगी। जैन साहब ने कहा, 'सोते हुए को जगाया जा सकता है, जागे हुए को जगाया नहीं जा सकता।' अध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली में जागे हुए को

जगाने की जरूरत नहीं है। ये जो जागी हुई सरकार है केन्द्र की, उसे सुलाने की जरूरत है। एक बार सुला दो। देखो, दोबार जागती है कि नहीं जागती है। जागे हुए इंसान को जगाया नहीं जाता, जागे हुए इंसान को सुला दो और जब सोने के बाद इंसान जगना पड़ता है। आज जिस तरह की तानाशाही चलाने की कोशिश हो रही है; आज हम लोगों को. .. 1934 में सरकार बनी थी लेकिन सरकार बनने के बाद आजादी की लड़ाई ठप्प नहीं हो गई, लोग चुपचाप बैठ नहीं गए थे। आज हमने इस सारी समस्या का एक समाधान है अध्यक्ष महोदय, पूर्ण राज्य। जब तक पूर्ण राज्य दिल्ली नहीं बनेगा, ये रूदालियों की तरह से विलाप करने से दिल्ली का न अधिकार मिलने वाला है, न दिल्ली का विकास होने वाला है। सदन के अंदर बैठकर के संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाना भी हमारा दायित्व है। लेकिन सड़क पर पूर्ण राज्य के लिए लड़ने के लिए कमर कसकर के जनता के साथ इस केन्द्र की तानाशाही सरकार के खिलाफ आँख से आँख मिलाकर के, इसे सुलाकर के अगले चुनाव में वादा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तब इसका समाधान निकलेगा, अध्यक्ष महोदय। शुक्रिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : इमरान जी।

माननीय खाद्य मंत्री (श्री इमरान हुसैन) : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे इस मौके पर बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, जब चार जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो दिल्ली की जनता मे एक अचानक खुशी की लहर दौड़ पड़ी और पूरी दिल्ली की जनता खुश हो गई कि अब एल.जी. राज से उन्हें छुटकारा

मिलेगा, उनकी चुनी हुई सरकार उनके हितों के लिए अब काम कर पाएगी। उसमें ऐसी आशा जगी और हर गली–मौहल्ले मे हर नुक्कड़ पर चौराहे पर अब चर्चाएं शुरू होने लगी कि अब जो उनके रुके हुए सी.सी.टी.वी. कैमरे जगह–जगह लग जायेंगे, महिला सुरक्षा के लिए जो परेशान हो रहे हैं, वो हो जाएगा और सबसे अहम बात जिससे हम जुझ रहे हैं; वो डोर स्टेप डिलीवरी आफ राशन जो हमारी सरकार की प्राथमिक योजनाओं में से एक योजना है, वो भी लागू हो जाएगी। क्योंकि आज जब राशन के लिए दुकान पर हमारी माता–बहनें जाती है तो या तो दुकान बंद मिलती है या अगर खुली हुई मिल भी जाती है तो राशन वाले के यहाँ राशन पहुँचा हुआ होता है लेकिन वो कह देता है, राशन खत्म हो गया और अगर राशन वो दे भी रहा होता है तो कम तोलता है और कम तोलने के बजाय के साथ–साथ सबसे उनके साथ गलत व्यहार से बात करता है। उसका बातचीत का लहजा बड़ा खराब होता है। इसकी शिकायतें मिलती हैं और मिलती क्या हैं, जब भी हम कभी इंस्पैक्शन पर गए, राउण्ड पर गए, हमने ये सब चीजें देखी है और जब दुकानें बंद मिली तो उन्हें सस्पेंड भी किया जाता है। लेकिन हमारा जो कानून रूल्स एण्ड रेगुलेशंस बने हुए हैं, उसके हिसाब से दुकान सस्पेंड हो जाती है और हम लोगों को पता भी नहीं चलता है, मंत्रियों को पता भी नहीं चलता है और दुकान वापिस खोल दी जाती है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। अभी कई आर पिछले एक साल से हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि डोर स्टेप डिलीवरी आफ राशन किसी तरीके से हम लागू कर दें। लेकिन फाइल जलेबी की तरह घूमे जा रही है घूमे जा रही है और आई.ए.एस. अधिकारी या तो... अगर करना नहीं चाहते या पता नहीं, किस दबाव में है वो। तो

ये जब फैसला आया तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा, मेरे बाहर भी पूछा और विधायकों ने भी पूछा और ये सब विधायकों की भी मेरे ख्याल से प्राथमिक स्कीम है कि घर—घर हम राशन पहुँचा सकें। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे केस हुए अभी 3—4 दिन पहले अभी ये बात है लास्ट थर्सडे की बात है कि मैंने एक मीटिंग कॉल की हुई थी, उसमें फूड कमिश्नर आए। मैंने उनसे बात करी तो अचानक उन्होंने मुझे बताया कि जो लोग माह जनवरी से लेकर मार्च तक तीन महीने तक राशन लेने नहीं आए; जिस वक्त पाइंट आफ सेल डिवाइस मशीन लगी हुई थी दिल्ली अंदर तो उस वक्त जो लोग राशन लेने नहीं आए तो अचानक लगभग ढ़ाई लाख लोग के आसपास हैं, हम उनका राशन डिलीट कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अचानक थोड़ा सा मतलब एक गुस्सा सा भी आ गया तो मैंने उनसे कहा कि आप कैसे डिलीट कर दोगे? मैंने उन्हें कई नोट लिखकर भेज रखा है कि किसी भी व्यक्ति का राशन काई जब तक नहीं काटना है जब तक प्रॉपर वेरिफिकेशन न हो जाए डोर—टू—डोर सर्वे ना जाए। पूरा हम उसमें उन्हें नोटिस न दे दें, उनको मोबाइल पर मैसेज न भेज दे; पूरी प्रक्रिया को करने के बाद जब ऐसा महसूस हो कि आदमी बिल्कुल यहाँ नहीं रहता, उसका नाम काटा जाए। तो उसके बाद में उन्होंने मुझे बताया कि ये एन.एफ.एस.ए एक्ट में लिखा है; ये तो कांपिटेंट अथोरिटी जो है, वो तो एफ.एस.ओ. है। मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा मुझसे, फूड कमिश्नर ने कि इसके लिए तो मुझसे भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ये तो एफ.एस.ओ. अपने केवल पर कर रहा है। तो मैंने उन्हें कहा कि फिर आपकी या मेरी... मैं मंत्री हूँ डिपार्टमैंट का या कमिश्नर की क्या जरूरत है? फिर तो एफ.एस.ओ. ही चला लेगा डिपार्टमैंट।

तो उसके बाद मेरी उनसे काफी बात हुई उसके बाद मैंने नोट लिखकर भेजा और मैंने एल.जी. साहब से भी रिक्वेस्ट करी कि जो–जो भी इस तरीके की धांधलियों में... क्योंकि राशन पहुँच जाता है और लोगों को नहीं मिल पाता और मैंने नोट के अंदर ये भी लिखा है उसमें और उनसे मैंने ये उस वक्त बात करी अगर ये इतने ढ़ाई लाख लोग अगर दिल्ली में नहीं रहते। पिछले पाँच साल से राशन कार्ड बने हुए हैं। ये राशनकार्ड इनके बनाए किसने और ये जो राशन हैं, ये जा कहाँ रहा है। 20 परसेंट लोगों का राशन जो बहुत बड़ा अमाउंट बनता है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए; मैंने एल.जी. साहब को भी लिखा है ये। और एल.जी साहब से ये भी कहा है कि किसी ईमानदार अधिकारी को आप राशन विभाग के कमिशनर बनाएं और ये जो इस तरीके के मनचाहे तरीके से काम हो रहा है, इसके रोक लग सके।

तो मैं आपके माध्यम से इस सदन को यकीन दिलाता हूँ और ये आई.एम.एस. अधिकारियों से भी ये कहता हूँ कि कोर्ट के... जो कोर्ट ने जो अपना आदेश दिया है, उसे वो लोग भी पढ़े और आदेश का पालन करें। वरना ऐसा न हो कहीं कोर्ट के... कोर्ट का जो वो पालन नहीं कर रहे है; कोर्ट की आवमानना उनपे भी... कोर्ट उनपे भी, अपनी अवमानना के लिए, उनको भी इसके लिए अपराधी घोषित करें, धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष : धन्यवाद। आदरणीय मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री।

श्री मनीष सिसोदिया (उप–मुख्यमंत्री) : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष : पहले मोशन। पहले रेजुलेशन। सौरभ भारद्वाज जी, अपना रेजुलेशन मूव करेंगे।

श्री सौरभ भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं एक संकल्प प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : श्री सौरभ भारद्वाज जी, माननीय सदस्य द्वारा संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति का प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,
प्रस्ताव पारित हुआ।

श्री सौरभ भारद्वाज : मैं पढ़ू? अध्यक्ष जी, मैं ये संकल्प पढ़ देता हूँ :

"The Members of this LegislativeAssembly of NCT of Delhi, having been rightly and repeatedly confronted in their interactions with general public, public spirited individualsAnd organisations regarding the deficiencies in providing public services in NCT of Delhi;

Upon learning that there Are huge number of vacancies in various levels in All sectors of governance in NCT of Delhi - including in professional, technical And Administrative positions such as teaching, non-teaching, medical, engineering, school/college/hospital Administration, general Administration etc. - which is one of the main reasons for such deficient delivery of services to the public, Upon further realising that the unfilled vacanciesAre increasing in number year after year due to involvement of multiplicity of agencies in recruitment process and huge workload on and set priorities of recruiting Agencies such as UPSC, leading to further deficiency in delivery of services resulting in lot of difficulties

for the political executive in spite of its demonstrated will to improve the living standards of the people of Delhi by providing world class services in the national capital territory,

The LegislativeAssembly of NCT of Delhi, having its sitting on 06 August, 2018 in Delhi,

hereby resolves that :

There shall be a separate Publilc Service Commission for NCT of Delhi and the Government of NCT of Delhi shall take all necessary steps to complete the process of creation of such a Commission within a period of six weeks from the date of adoption of this resolution so that the deficiency in providing services– be it in education, health, environment, transport or various other general sectors – becomes a thing of past and Delhi emerges as a role model for all those willing to compete in doing good for people."

अध्यक्ष जी, कहने का संक्षेप में मतलब ये है कि अभी तक दिल्ली के अन्दर यू.पी.एस.सी. जो है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, अफसरों की तैनाती करता है। दिल्ली के विकास के लिए और दिल्ली के अन्दर जो वैकेंसी हैं; हर डिपार्टमैंट के अन्दर, उनको भरने के लिए बेहद जरूरी है कि जैसे बाकी राज्यों का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसी तर्ज पे दिल्ली का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन हो जिसके अन्दर ये जो भर्तियाँ हैं, वो हो सके और जो अफ्सर है, वो दिल्ली के कैडर के हों और दिल्ली की परेशानियों को भी समझते हैं और दिल्ली के अनुसार वो काम करें, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : माननीय उप मुख्य मंत्री, श्री मनीष सिसोदिया जी।

माननीय उप मुख्य मंत्री : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। कई साथियो ने अपनी बात रखी है; ये जो काम सरकार कराने की कोशिश कर रही है, सरकार की रिफ्लेक्सिस स्कीम्स हैं। राशन से संबंधित, ट्रांसपोर्ट से संबंधित और भी तमाम डिपार्टमैंट से संबधित जितनी भी स्कीम्स हैं, उनमें माननीय सदस्यों की भावना थी कि उसपे चर्चा हो के ये बात आए कि कैसे और स्लो हो रहे हैं; यही इसका टॉपिक था और इसमें कई माननीय सदस्यों ने भी बात रखी, कई मंत्री साहब थे, उन्होंने भी बात रखी है कि किस तरह से सर्विसेज न होने की वजह से आज सर्विसेज पे जबर्दस्ती अब कंट्रोल करने की, केन्द्र सरकार की कोशिशों की वजह से इन कामों में कुछ देरी हो रही है। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुछ चीजे आगे बढ़ी चीजे आगे बढ़ी है। लेकिन फिर भी जो ये सर्विसेज है, मैं चाहूँगा कि इसको हम थोड़ा सा समझें कि सर्विस सिर्फ ट्रांसफर/पोस्टिंग का काम नहीं है। सर्विस ओवर ऑल सरकारी कर्मचारियों के लिए पद, किसी विभाग में कोई काम करो तो उसमें पद क्रिएट करने का काम भी सर्विसेज में आता है। आप... कोई सरकारी कर्मचारी ठीक से काम नहीं करे, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा हो, उसमें बेईमानी हो रही हो, वो आदेश न मान रहा हो; उसके ऊपर डिसिप्लेनरी एक्शन लेने का काम भी सर्विसेज में आता है। नई पोस्ट क्रिएट करनी हो वो भी, विजिलेंस का काम भी, एसी.बी. का काम भी, ये सब सर्विसेज में आता है करप्शन रोकने का काम। तो इसको जो सर्विसेज के ऊपर सुप्रीट कोट के आदेश के बावजूद जबरदस्ती डाका डाल के कब्जा करने की कोशिश की जा रही है; ये सिफ इसलिए नहीं है, बल्कि इसलिए कि मतलब एक तो ये है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को काम न करने दिया जाए। दूसरा,

जो पिछले दरवाजे से करप्शन का वो चला रखा था, वो भी चलता रहे। कहीं विजिलेंस दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हाथ में आ गया, कहीं डिसिप्लेनरी चुनी हुई सरकार के हाथ में आ गया, कहीं ए.सी.बी. चुनी हुई सरकार के हाथ में आ गया तो कहीं ऐसा न हो करप्शन की सारी चीजें या तो रुक जाएंगी या पोल खुलने लगेगी; कौन करवा रहा है। इसलिए ये सर्विसेज पे जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश है। मैं... और ये पूरी साजिश है जान बूझ के है ताकि काम न हो सके और दूसरा करप्शन को बचाया जा सके। मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपोर्टेंट है; और कैसे पिछले कुछ दिनों में सेबोटॉज करने की कोशिश की गई है कई मंत्रियों, साथियों ने अपनी बात रखी है, मैं उसको दोहराऊँगा नहीं। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि अगर आज जैसे मोहल्ला क्लीनिक बनाना है; अब सत्येन्द्र जैन जी... हमारे सारे विधायकों की माँग है कि भई हमारे यहाँ हर वार्ड में एक—एक मोहल्ला क्लीनिक बने। मोहल्ला क्लीनिक का पोर्टा केबिन या कोई किराए पे ले के बिल्ड़िग या कोई बिल्ड़िग बना के खड़ी भी कर दें तो उस मोहल्ला क्लीनिक मे डॉक्टर्स की पोस्ट चाहिए, क्लीनिकल असिस्टेंट की पोस्ट चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि सर्विस आपके पास नहीं है। आपको बिल्डिंग बना लो, ठीक है। बिल्डिंग के बनाने की फाइल आपको एल.जी. तक नहीं भेजनी। लेकिन उसमें एक डॉक्टर बैठेगा कि दो बैठेंगे और 600 क्लीनिक के लिए 600 डॉक्टर की पोस्ट क्रिएट करने का काम हमारे पास है तो ये कहना चाह रहे हैं कि करके देख लो, मोहल्ला क्लीनिक खोल के देख लो। साजिश ये है, इस बात की। साजिश इस बात की है कि हम कह रहे है; हम नये स्कूल खोलेंगे, हमने नये कमरे बनवा दिए। आठ हजार नये कमरे बनवा दिए। 10 हजार और 12 हजार कमरों के लिए परमिशन हो गई कैबिनेट की। अब कह रहे हैं, तुम कमरे

तो बनवा लोगे। उन कमरों को बनवाने के लिए टीचर्स लगाने के लिए तुमको पोस्टिंग करनी पड़ेंगी, उनके लिए तो पोस्ट बनानी पड़ेगी। उनके लिए तो आपको नये टीचर्स लाने पड़ेगे, वो हम आपको नहीं लाने देंगे। हम आपका काम सेबोटॉज कर देंगे। ये कह रहे हैं कि... तो ये सर्विसेज का आफ्टर इफेक्ट जो है, सिर्फ इतना नहीं है कि मैं ट्रांसफर/पोस्टिंग कर दूँ, एक सैक्रेटरी को दूसरे सैक्रेटरी...एक आई.ए.एस. की जगह दूसरा आई.ए.एस. लगा देंगे, दानिक्स की जगह दूसरा दानिक्स लगा देंगे, एक बाबू की जगह दूसरा बाबू लगा दें। सर्विसेज का मतलब ये भी है कि अगर मोहल्ला क्लीनिक खोलनी है तो 10 बिल्डिंग बनाके खड़ी कर दी हैं अब 10 डॉक्टर भी तो चाहिए। एक हजार कमरे, 8 हजार कमरे बनाके खड़े कर दिए, आठ हजार टीचर्स भी तो चाहिए; वहाँ पढ़ाने के लिए। ये भी सर्विसेज में हैं। वो सर्विसेज की पोस्ट उसमें पोस्ट नहीं क्रिएट करने देंगे।

आज मैंने स्किल सैन्टर खोलने की बात कही; कई बार यहाँ पे बात हुई। स्किल सैन्टर नहीं खोलने देंगे। मान लीजिए स्किल सैन्टर मे एक मैं बहुत जल्दी में, अच्छी जगह, कहीं किसी जगह खाली मिल जाए, खाली जगह बना के अच्छी लैब बना के, अच्छे क्लासरूम बना के खड़े कर दूँ और वहाँ पढ़ाने के लिए टीसर्च कहाँ से आएंगे? वो टीचर्स के लिए तो पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, वो सर्विसेज में है। वो टीचर्स के एप्वाएंटमैंट करने पड़ेंगे, वो सर्विसेज में है। नई अकादमीज... अभी आज बात हो रही थी; हरियाणवी अकादमी बनाओ। मैंने बताया; 15 नई अकादमी बनाई जा रही हैं। अब कैबिनेट के पास ये पॉवर है, अब एल.जी. के पास फाइल नहीं जाएगी, अकादती हम बना देंगे। लेकिन अकादमीज में सैक्रटरीज चाहिए, अकादमी में काम करने के लिए डिप्टी सैक्रेटरी चाहिए, असिस्टेंट

चाहिए, उस भाषा के जानकार चाहिए, ट्रांसलेटर चाहिए, राइटर चाहिए। जो भी उसमें चाहिए पदाधिकारी... वो कहेंगे, ''जी, वो हम नहीं क्रिएट करने देंगे आपको, वो तो सर्विसेज का मामला है।'' वो हम दो साल तक फाइल इधर—उधर करते रहेंगे, ''तुम करके दिखा लो।'' तो ये जो है ना कि काम न हो और जो भ्रष्टाचार में वो दम है, ये रोक न पाएं, इसलिए ये कर रहे हैं और मतलब 'काम न हो' का सीधा सा उदाहरण जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ; क्योंकि कई... कैलाश जी ने रखा कि किस तरह से डीएम्स नहीं है पूरे जिलों में। कैसे हो सकता है कि सरकार बिना डी.एम. डिवीजनल कमिशनर के काम कर लें? वो कह रहे है कि सर्विसेज आपके पास, चलो. .. सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया, गवर्नमेंट आप हैं। ठीक है गवर्नमेंट आप हैं। आप फाइल मत भेजो हमारे पास, डिसीजन ले लो। उस डिसीजन को, काम करने के लिए अफसर हम देंगे नहीं तुमको। अब तुम्हारे पास डिवीजनल कमिशनर नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं होगा, चला लो। जिला कैसे चलाओगे आप? कर लो रेवेन्यू के काम! आप लिख के बैठ रहिए फाइल पर। नीचे भेज दीजिए फाइल। उसको करने के लिए कोई ऑफिसर नहीं बचेगा। वहाँ डिवीजनल कमिशनर नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है। ऐसे ही स्किल का काम, मोदी जी बड़े स्किल इण्डिया, स्किल इण्डिया करते हैं। स्किल का काम सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है। रोजगार की बात करिए तो, हॉयर एजूकेशन, एजूकेशन की बात करिए तो। हॉयर एजूकेशन का काम हमने दिल्ली सरकार मे एजूकेशन का काफी काम किया। अब हॉयर एजूकेशन पर काफी फोकस चल रहा था। पिछले तीन महीने मे स्किल डवलपमैण्ट सैन्टर हमने कहा था। हम 25 स्किल सेन्टर बनाएंगे। हमने पिछले साल कहा था। और हमने कहा था, दिसम्बर तक सारे 25 बन जाएंगे। जुलाई तक छः शुरू हो जाएंगे। काम तेजी से चल

रहा था लेकिन पिछले तीन महीने में टेक्नीकल एजूकेशन के तीन तो सैक्रेटरी बदल दिए। दो डायेरक्टर बदल दिए। अब मैं महीने में मतलब डेढ़—दो महीने में ही बदल गए; दो महीने में। अब मैं एक बार एक सैक्रेटरी और डायरेक्टर के साथ मीटिंग करता हूँ। उनके साथ कहता हूँ, ''भई स्किल सेन्टर में ये कोर्स होगा, ऐसे होगा, इसको ऐसे देख लो।'' फिर मैं कहता हूँ, ''अगली मीटिंग दस दिन बाद होगी।'' दस दिन बाद दूसरा सैक्रेटरी और डायरेक्टर! कैसे काम करूँगा मैं? तीसरी मीटिंग में तीसरा सेक्रेटरी, डायरेक्टर! कैसे काम करूँगा? कैसे स्किल डवलपमेंट होगा यहाँ पर? इनको ये पता था कि स्किल डवलपमेंट भी, स्कूलोंा में तो काम हो गया और हो रहा है, टेक ऑफ हो गया। इनको लग रहा था। ये स्किल सैन्टर अगर इनको टेक ऑफ हो गया तो देश में बेरोजगारी और हॉयर एजूकेशन में क्वालिटी एजूकेशन की बहुत बड़ी समस्या का समाधान स्किल एजूकेशन से निकलेगा। मोदी जी तो स्किल इण्डिया, स्किल इण्डिया करते रह गये। हमने एक स्किल सैन्टर बनाके दिखाया। आज भी पूरे देश में, विवेक विहार में जैसा स्किल सैन्टर बना हुआ है, मैं चैलेंज करके कहता हूँ, इनकी 15—15 साल सरकार है। पूरे देश में एक भी सैन्टर बनते हैं। वो भी नहीं बन रहा है इनसे बनाना नहीं है। स्किल सैन्टर बनाने की समझ नहीं है इनको पता है मन्दिर बन गया तो राजनीति खत्म हो जाएगी। तो इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इनको ये पता था कि स्किलस सैन्टर डैवलप करने का काम, बनाने का बहुत तेजी से चल रहा हूँ, जानबूझकर, वरना ऐसे कैसे हो सकता उन्होंने... और मैं आरोप लगा के कह रहा हूँ, जानबूझकर, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि आप सैक्रेटरी और डायरेक्टर दोनों एक साथ चेंज कर दे रहे हो। और एक—एक बार नहीं, हर महीने चेंज कर दे रहे हो। पिछले दो—ढाई महीने में तीन टेक्नीकल एजूकेशन सैक्रेटरी आ गये

यहाँ पर दो डायरेक्टर आ गये। अब नये डायरेक्टर के साथ और नये सैक्रेटरी के साथ तारतम्य बिठा के काम करना शुरू किया। चार दिन पहले एडिशन डायरेक्टर को हटा दिया। उसकी जगह नया एडिशनल डायरेक्टर नहीं दिया। अब वो बेचारे सेक्रेटरी और डायरेक्टर भी काम करेंगे तो कैसे करेंगे? उनके नीचे का जिस अफसर के साथ मिलके काम करना था जिसको और काम करने थे, वो भी हटा दिया। उसकी जगह कोई रिप्लेसमेंट नहीं दे रहे हैं। मैं कैसे स्किल सैन्टर खड़े करूँ। जान–बूझ के देश में स्किल के एजूकेशन न खड़ी हो जाए क्योंकि मोदी जी नारा दिया था.. . मोदी जी और उनकी पूरी पार्टी देश में एक भी स्किल सैन्टर खड़े नहीं कर पायी। इसलिए जान–बूझ के ये कहा जाता है कि अगर दिल्ली सरकार की ये स्किल योजना सफल हो गयी तो बड़ा तमाचा लगेगा इन लोगों के ऊपर; स्किल इण्डिया का नारा तुम देते थे, काम इन्होंने करके दिखा दिया। कात तो हमने फिर भी करके दिखा दिया है। रोकते रहना... और करके दिखाएंगे और स्किल सैन्टर भी बनाके दिखाएंगे।

लेकिन मैं सदन के सामने क्योंकि आज मुद्दा उठा है, बताना चाहता हूँ; साजिशें चल रही हैं। स्किल इण्डिया को रोकने की। स्किल के प्रोग्राम को रोकने की। 'स्किल दिल्ली के प्रोग्राम को रोकने की। हॉयर एजूकेशन में भी, एक जगह नहीं किया इन्होंने; यहाँ भी यूनिवर्सिटी का बिल सिर्फ थोड़ी सी क्विक चेन्जेज के लिए रूका हुआ है। बल तैयार करके बैठा हुआ है। एन.एस.आई.टी. की यूनिवर्सिटी, एनएसयूटी का बिल इस विधान सभा ने पास कर दिया है, उसको इम्पलीमैण्ट करना है। और कई सारी यूनिवर्सिटीज बनानी हैं। कई कॉलेज खोलने है यहाँ पर। जो कॉलेज खोले हैं उनको और ठीक से आगे बढ़ाना है लेकिन दो हॉयर एजूकेशन सैक्रेटरी और दो हॉयर एजूकेशन डायरेक्ट बदल दिए। इनको पढ़ाई–लिखाई की

खुद तो समझ है नहीं कुछ। और यहाँ एजूकेशन सैक्रेटरी, टेक्नीकल एजूकेशन डायरेक्टर ऐसे बदल रहे हैं जैसे ताश के पत्ते फेंट रहे हों। चलो भाई, खेल लेते हैं। चलो, ''दो पत्ते तुम पकड़ लो। ''दो पत्ते तुम पकड़ लो। ''नहीं–नहीं, खेल पूरा नहीं हुआ, दुबारा खेल लेते हैं। ''ये सरकार चला रहे हैं या ताश का गेम चला रहे हैं? दो मिनट पहले पत्ते फेंट, फिर नहीं, नहीं बच्चों के बीच आपस में लड़ाई हो गयी। नहीं–नहीं, ऐसे नहीं, कर देते, दुबारा से बाँट लेते हैं। ''उस तरह से काम कर रखा है। इतना सीरियस इश्यू है। हॉयर एजूकेशन का, टेक्नीकल एजूकेशन का। पूरे दो महीने से डिपार्टमेंट की... मैं शब्द यूज करूँगा। डिमार्टमेंट का लंका लगा के रखी हुई है इन्होंने। सैक्रेटरी बदल दिए; दो महीने में तीन–तीन, तीन–तीन डायरेक्टर बदल दिए। हॉयर एजूकेशन में तीन–तीन डायरेक्टर बदल दिए। काम कैसे करेंगे? ऐसे कैसे काम चलेगा? और इनको कोई शर्म तो आएगी जब जानबूझ के नहीं कर रहे हो। बेशर्मी से, जानबूझ के किया जा रहा है। जानबूझ के कर रहे हैं बिलकुल। पद खाली पड़े हुए हैं डिपार्टमैण्ट में। सारे मिनिस्टर बता रहे हैं; बोलते हैं, सर्विस हमारे पास है, तुम बना लो फाइल। ''किससे बनवाओगे? फाइल बनके आएगी तब तो काम होगा ना। बोाला, ''अच्छा, ठीक है। चलो, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, फाइल बनावाओंगे कैसे? डिपार्टमेंट में अफसर नहीं, कर्मचारी नहीं हैं।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ; दोनों चीजें क्योंकि ये बात भी रिकॉर्ड पर आनी चाहिए सदन के कि किस तरह साजिश हो के भ्रष्टाचार को बचाये रखने के लिए चुनी हुई सरकार के काम को सैबोटाज करने के लिए ये साजिश चल रही है। इसलिए ये बात जो हैं, इन्होंने सौरभ भारद्वाज ने जो प्रस्ताव रखा है कि दिल्ली सरकार का अपना स्टेट सर्विस कमीशन भी होना चाहिए और मैं समझता हूँ इन्होंने, कितना उसमें वक्त

रखा है; छः हफ्ते का वक्त रखा है। सरकार इसको छः हफ्ते बनाएगी। उसका फायदा है। उसका फायदा ये है कि जो पोस्ट अभी यू.पी.एस.सी. भेजी जाती हैं; वाईस प्रिंसिपल की, डाक्टर्स की, डाक्टर्स की, प्रिंसिपल्स की। ये सारी पोस्ट, यहाँ तक कि अपना प्रोवीन्शियल सर्विसेज ऑफिसर्स जो सभी दानिक्स वहाँ से लेने पड़ते हैं, वो सब भी यहाँ से नियुक्त किए जा सकते हैं। डी.एस.एस.बी. है, इसको कमीशन में बदला जा सकता है और इसको फुल फ्लेस स्टेट सर्विस कमीशन में बदल के आपको वाईस प्रिंसिपल अभी तो हमें वाईस प्रिसिपल के लिए भी यू.पी.एस.सी. भेजना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा कदम होगा। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ और सरकार की ओर आश्वासन देता हूँ कि उसको बनाएंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष : अब श्री सौरभ भारद्वाज जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँर पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

संकल्प पारित हुआ।

अब कल दोपहर 2.00 बजे तक के लिए सदन स्थगित किया जाता है। सभी का बहुत–बहुत धन्यवाद।

(माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही बुधवार, 7 अगस्त, 2018 अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

...समाप्त...

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्सs, 2266/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।